विषय सूची

	पृष्ठ क्र.
महाराष्ट्र की रोजगार गारंटी योजना	३
पर्यावरण	३९
रोगायो पर अंमल, पर्यावरण के संदर्भ में	९२
रोगायो और पर्यावरण	१६८

महाराष्ट्र की

रोजगार गारंटी योजना

महाराष्ट्र की रोजगार गारंटी योजना (रोगायो)

१. प्रास्ताविक -

ग्रामिण हिस्सों से गरीबी हटाने का सवाल मुख्यत: उन हिस्सों से बेरोजगारी नष्ट करने से जुडा हुवा है। ग्रामिण क्षेत्रों की खेती और उससे जुडे हुये ग्रामिण उद्योग मुख्यत: मौसमी एवं तात्कालीकही होते है। उनके द्वारा शरीरश्रम एवं कुशल काम करने वाले श्रमिकों को सालभर पर्याप्त रोजगार नही उपलब्ध हो सकता। तथा राज्य में बार बार निर्माण होने वाली अकाल जैसी परिस्थिती बेरोजगारी के सवाल को और ज्यादा पैना बना देती है। इन सभी बातों को ध्यान में लेते हुये ग्रामिण क्षेत्रों के लिए सुयोग्य निति निर्धारीत कर एक और उपलब्ध मानवी संसाधन द्वारा ग्रामिण भागों में स्थायी सामुहिक संपत्ती का निर्माण और उसीके साथ साथ हीदुसरी ओर शरीरश्रम के अकुशल काम करनेवाले ग्रामिण श्रमिकों को रोजगार मिले इस प्रमुख्य उद्देश्य से रोजगार गारंटी योजना १९७२ से महाराष्ट्र में शुरू कि गयी। भारतिय संविधान के अनुच्छेद ४१ में " काम के अधिकार " से सबंधित दिशा-निर्देशक तत्व को ध्यान मे ले कर उसी योजना को "महाराष्ट्र रोजगार गारंटी कानून १९७७" के रूपमें दि. २६ जनवरी १९७९ से संविधानिक कानून का दर्जा प्रदान किया गया।

२. पृष्ठभूमि -

स्व. श्री. वि.स. पागेजी के अथक परिश्रम

पागेजी को रोजगार गारंटी योजना के शिल्पकार के रूपमें जाना जाता है। रोगायो के लिए उन्होने लगातार अथक परिश्रम किये। रोगायो के पिछे की भूमिका स्पष्ट करते हुये उन्होने कहा था -

"हमारे आज तक के नियोजन में बेरोजगारी निर्मुलन यह कभी भी मुख्य ध्येय नही था। उसे हरबार दुसरे दर्जे का स्थान दिया गया। इससे आगे हम ने सभी को रोजगार उपलब्ध करा देने की दिशा में

कदम उठाने चाहिए। सभी को काम यही अब हमारा ब्रीद होना चाहिए। सिर्फ मुठ्ठीभर लोगोंके विकास की प्रक्रिया में बहुजन समाज का धिरे धिरे बली जाना सहते रहना अत्यंत अमानुष है। इसी लिए मेरा ऐसा आग्रह है की यह ध्येय हमने दिलसे स्विकारना चाहिए। रोजगार गारंटी योजना के पिछे यही विचारधारा है।

"हमारे अर्थव्यवस्था की सबसे बडी समस्या है, खुली और छिपी हुयी बेरोजगारी एवं अर्धबेरोजगारी। यह बात अब सर्वमान्य है। भारत के बहुजन समाज में भयावह गरीबी है इस बारे में किसी की भी दोराय नही।

"आजादी के बाद अपनी अर्थव्यवस्था में कुछ दृष्यमान विकास जरूर हुवा है फिर भी उसका अनुपात बहुत बडा है ऐसा नही कह सकते। आर्थिक विकास का अनुपात बढ़ाकर तथा कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढौतरी कर और बादमें संपत्ती का ज्यादा अच्छीतरह बँटवारा करने की दृष्टी से आर्थिक उपायों की योजना करने के बावजूद गरीबों की स्थिती में बदलाव के कोई चिन्ह नही दिखाई देते। बेरोजगारी की समस्या अत्यंत कठिन है, यह निर्विवाद है। उससे निपटने का सब से सरल मार्ग याने उसे प्रत्यक्ष सुलझाने की शुरुवात करना। हमने अब तक एक दृष्टी से कोशिश की है लेकीन अब दुसरी दृष्टी से कोशिश करने का समय आ गया है। इस दुसरी दृष्टि से पागेजी का मतलब रोजगार गारंटी योजना से था।

१९६५ में महाराष्ट्र में खेतीहर मजदूर तथा छोटे एवं सिमांकीत किसानों को उत्पादक रोजगार देकर उनकी आय में वृध्दी करना कितना संभव है यह आजमाने के लिए सांगली जिले के तासगांव विकास खंड में एकात्मिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम में एक योजना इस दृष्टी से ली गयी। इस पथदर्शी योजना का अनुभव ध्यान में ले कर १९६९ मे एक गांव में रोजगार गारंटी योजना प्रायोगिक रूप में शुरू की गई। बाद में क्रमश: पहले सौ तथा बाद में एक हजार गांवों में उसे विस्तारीत किया गया। १९७२ में यह योजना समुचे राज्य में लागु कि गयी। लेकीन उसके बाद के दो साल अकाल जैसी स्थिती होने के कारण उसे स्थगित ही रखा गया। १९७४ में फिर एक बार रो.गा. योजना की

प्रक्रियामें तेजी आयी। अब तक महाराष्ट्र राज्य विधानसभा की अनुमती भी इसे प्राप्त नहीं हुयी थी। रोगायो के लिए आवश्यक आर्थिक व्यवस्था के लिए भी विधीमंडल का निर्णय आवश्यक था।

दि. २९ सप्टेंबर १९७४ को विधान परिषद के तत्कालीन सभापती श्री. वि.स. पागेजी ने राज्य के सभी राजनितिक दलों के प्रतिनिधीयों की एक बैठक आयोजित की। जिसमें इस योजना का सर्वसाधारण प्रारूप सर्व संमती से तय किया गया। इस प्रारूप को आधार बना कर दि. २० दिसंबर १९७४ को मुख्यमंत्रीजी ने रोगायो को विधीमंडल के दोनो सभागृहो में रखा यह बात विशेष रूप से उल्लेखनिय है की दोनो सभागृहोंने सर्वसहमती से उसे मान्यता प्रदान की। इस प्रस्ताव के दो महत्त्वपूर्ण अंश निम्न है।

"भारतिय संविधान के अनुच्छेद ४१ में "काम का अधिकार" से सबंधीत दिशा निर्देशको महाराष्ट्र शासनने पहलेही मान्यता प्रदान की है। जिसका पुनरूच्चार करते हुये महाराष्ट्र शासन अपने वित्त तथा अर्थनिती के मूलभूत ध्येय के रूप में मांगने वाले को काम देने की जिम्मेदारी को स्विकारता है। राज्य की रोजगार गारंटी योजना उसी दिशा में उठाया हुवा पहला कदम है।"

"यह योजना पूर्णत: सफल हो ऐसी ही सदन के सभी दलों की इच्छा है। प्रशासकिय अकार्यक्षमता, निधी की कमी, राजनितीक मतभेद और सामाजिक कार्यकताओं की उदासिनता के कारण यह योजना असफल ना हो ऐसीही सदन की राय है। इस योजना का आर्थिक पक्ष ध्यान में लेते हुये ग्रामिण बेरोजगारों को दिये जाने वाले काम उत्पादक स्वरूप के ही होने चाहिए। इन कामों से कृषी तथा कुटीर एवं ग्रामोद्योग के क्षेत्र में उत्पादन बढना चाहिए। इस समस्या की ओर देखने के दृष्टीकोन भिन्न हो सकते है, तथापि बेरोजगारी की समस्या पर चारो ओर से हमला होगा तभी उसका हल निकल सकता है इसकी इस सदन को समझ है।"

इस प्रस्ताव मे सरकार नें गांव के ५० लोगों ने मिल कर काम मांगने पर उन्हे काम देने का आश्वासन दिया था। लेकिन कितने दिन में काम दिया जायेगा और नही दे पाने की स्थिती में क्या होगा इसका प्रावधान इसमें नही था।

3. ## रोजगार गारंटी योजना निधी

रोगायो की प्रक्रिया में १ अप्रेल १९७५ को और एक उल्लेखनिय विशेष घटना हुयी। बेरोजगारों को काम की गारंटी दी जा सके इस लिए जिन्हे रोजगार है ऐसे सभी पर विशेष कर लगाने वाला कानून महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल ने सर्वसमंती से स्विकृत किया। जिस के व्दारा निम्न व्यवसाय, वाणिज्य और रोजगार पर कर लागु हुये।

१) पेशा, व्यापार, आजीविका औररोजगार पर कर (प्रोफेशनल टॅक्स)

२) बिक्री कर पे अधिभार.

३) मोटार वाहनों पर रोगायो अधिभार.

४) सिंचीत खेती पर रोगायो अधिभार.

५) कृषी राजस्व पर रोगायो अधिभार.

६) शहरी स्थावर बिगर निवासी संपत्ती पर रोगायो अधिभार.

इन सभी करों तथा अधिभार से जमा होने वाली कुल रक्कम जितनी ही रक्कम सरकार इसमें जोडेगी, यह निधी रोगायो निधी के रूप में अलग रख कर ही खर्च किया जायेगा, आर्थिक वर्ष में शेष रक्कम अगले वर्ष इसी निधी में रहेगी इ. बहुतही महत्वपूर्ण और ठोस निर्णय भी लिए गये। १९७५-७६ से ८८-८९ तक की इस निधी की जानकारी सहपत्र क्र. १.१ में संलग्न है।

४. ## रोजगार गारंटी अधिनियम १९७७

रोजगार गारंटी को, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने "रोजगार गारंटी अधिनियम १९७७" बना कर वैधानिक दर्जा प्रदान किया। जिसे महाराष्ट्र शासन राजपत्र दि. ३ अक्तुबर १९७८ में सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया। राष्ट्रपती की मंजुरी के उपरांत गणराज्यदिवस २६ जनवारी १९७९ से यह कानून महाराष्ट्र में अमल मे आया। कानून के साथ साथ नियम भी बनाये गये। जिसके व्दारा कानून के इतिहास में पहली बार राज्य के सभी प्रौढ ग्रामिण व्यक्तीओं को मांगनेपर १५ दिन के अंदर काम प्राप्त करनेका वैधानिक अधिकार प्राप्त हुवा। अधिनियम एवं नियम की प्रतियाँ क्रमश: सहपत्र १.२ तथा सहपत्र क्र. १.३

के रूप में संलग्न है। अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है -

"क्यों की, महाराष्ट्र राज्य के ग्रामिण क्षेत्र में अकुशल शारिरीक श्रम का काम करने के लिए जो खुद हो कर तैय्यार है ऐसे सभी प्रौढ व्यक्तीओं को रोजगार की गारंटी देकर भारतिय संविधान के अनुच्छेद ४१ में दिशानिर्देशित काम का अधिकार उन्हे प्राप्त करा देने के लिए परिणामकारक प्रावधान करना सुयोग्य है.,

और क्योंकी, समाज तथा अर्थव्यवस्थाके लाभ के लिए जो स्थायी संपत्ती हो सकेगी ऐसे कामोंपर इन प्रौढ व्यक्तीओंको नियुक्त करना आवश्यक है।,

और क्योंकी, कुटीरोद्योग, ग्रामोद्योग और लघुउद्योग व कृषी उद्योग में ज्यादा ग्रामिण मनुष्यबल को रोजगार देना शुरु रखने के लिए प्रावधान करना आवश्यक है.,

और क्योंकी, विवक्षित, पूरक, अनुषंगिक और परिणामरूप प्रावधान करना भी आवश्यक है., इस लिए, भारतीय गणराज्य के अठ्ठाईसवे वर्ष में यह अधिनियम बनाया जा रहा है, सो ऐसा -

४.१ जो मांगेगा उसे काम

महाराष्ट्र राज्य के "क" वर्ग नगर परिषद तथा समुचे ग्रामिण क्षत्र में रहने वाले १८ वर्ष से उपर के सभी स्त्री पुरुषों को मांगने पर १५ दिन के अंदर काम प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। किसी परिवार में कमानेवाली कोई प्रौढ सशक्त व्यक्ती नही होगी तो उस परिवार के १५ वर्ष पूर्ण करने वाले व्यक्ती को भी काम प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। जिन मजदुरों को काम की जरूरत है ऐसे सभी मजदुरोंने अपना नाम दर्ज करा कर रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करना आवश्यक है।

४.२ काम नही तो बेरोजगार भत्ता

वैसे तो सरकार हर मांगने वाले को काम ही देने को बाध्य है, लेकीन किसी कारणवश निश्चित कालावधी में अगर काम नही दिया जाता है तो जब तक काम नही दिया जाता तब तक के लिए उस मजदूर को बेरोजगार भत्ता देने का प्रावधान कानून में किया गया है।

रोजगार की गारंटी प्रत्यक्ष में लाने के लिए निम्न मुद्दोंपर उचित प्रावधान होना आवश्यक है।

१) जिसे काम की आवश्यकता है वह व्यक्ती किसके पास और कैसे काम की मांग करेगी ?

२) मांगने पर कितने दिनों में काम देने की गारंटी होगी?

३) अगर निश्चित कालावधी में काम नही दिया जाता तो क्या होगा ?

महाराष्ट्र के रोजगार गारंटी कानून के पहले और बादमें भी कई योजनाओं में "रोजगार गारंटी" इन शब्दोंका प्रयोग धडल्ले से किया दिखाई देता है, लेकीन गारंटी अस्तित्व मे आने ले लिए जिन उपरोक्त प्रावधानों की आवश्यकता है, वे कहीं दिखाई नही देते। गारंटी सिर्फ नाम के लिए ही रह जाती है। उदाहरणार्थ - कानून बनने से पहले की महाराष्ट्र की रोजगार गारंटी योजना, केंद्र सरकार का ग्रामिण भूमिहिन रोजगार गारंटी कार्यक्रम इ.। रो.गा.कानून १९७७ एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिसमें यह प्रावधान है।

अनेक विकसीत पाश्चात्य देशों में बेरोजगारों के लिए "डोल" की व्यवस्था है। उपर उल्लेखित "बेरोजगार भत्ते" को "डोल" समझने की गलतफहमी अक्सर होने की संभावना है। यह समझ लेना बहुत आवश्यक है की इन दोनो में मूलभूत फर्क है। "डोल" की व्यवस्था में "काम की गारंटी" का प्रावधान नही है। "डोल" की गारंटी है। रो.गा. कानून में "काम काअधिकार " सिध्दांत पर आधारीत "काम की गारंटी है। जिसपर अंमल ना होने पर सरकार पर दंड के रूप में बेरोजगार भत्ते का प्रावधान है। एक उदाहरण से यह मुद्दा और ज्यादा स्पष्ट होगा। कल्पना करो की सरकार या कोई जिलाधिकारी मांगनेवालों को काम ना दे कर सिर्फ बेरोजगार भत्ता ही देना चाहते है, तो क्या वे ऐसा कर सकते है ? नही कर सकते। अगर कोई जिम्मेदार प्रशासकिय अधिकारी निश्चित कालावधी में काम देने मे असफल होता है, और बेरोजगार भत्ता देना पडता है तो वह उस कर्मचारी का कर्तव्यभंग ,जो दंडनिय है, माना जा सकता है। हांलाकीं कानून और नियम में ऐसा कहीं स्पष्ट रूप से नही कहा गया है लेकीन जिस तरह का बेरोजगार भत्ते का प्रावधान है उससे यही अर्थ निकलता है। ऐसे मामलों में महाराष्ट्र प्रशासन की आज तक की कृती से भी यही अर्थ सपष्ट होता है। कानून में कम से कम १ रु. या सरकार समय समय पर

जो तय करेगी उस दरसे प्रती दिन बे. भ. देने का प्रावधान किया गया है। साफ है की यह जीने के लिए नही है बल्की गारंटी को प्रत्यक्ष में लाने के लिए टोकन मात्र है।

४.३ जितना काम उतना दाम

रोगायो का काम डेली वेजेस वाला काम नही है। जो जितना काम करेगा उसे उस के अनुपात में ही निश्चित दर से मजदुरी मिलने कि व्यवस्था है। रोगायों में कई तरह के काम लिए जाते है। उन सब के लिए दर पत्रक बनाने का उल्लेखनिय पथदर्शक काम भी यहां हुवा है। रोगायो के लिए विशेष रूप से बनाये गये दरपत्रक में कुल ५७ मुद्दोंका समावेश है। मजदुरों पर काम करने के संबंध में निचली और उपरी कोई भी मर्यादा की शर्त नही है। मजदुर अपनी शारिरीक क्षमता अनुसार ज्यादा मजदुरी कमा सकता है। स्त्री और पुरूष के लिए समान मजदुरी का प्रावधान है।

४.४ काम कोई भी हो, मजदूरी खेतीहर मजदूर कीही

साधारणत: सात घंटे काम करने पर उसमजदूर को खेतीहर मजदूर के लिए निश्चित न्युनतम मजदूरी जितना वेतन प्राप्त हो इस तरह से दर पत्रक तयार किया जाता है। रोगायो में बडी मात्रा में निर्माण एवं वन से संबंधित काम लिए जाते है। जिनके लिए न्युनतम मजदूरी सरकार ने तय की है वह खेतीहरमजदूर से बहूत ज्यादा है। फिर भी रोगा. कानून में प्रावधान मात्र ऐसा ही है की काम कोई भी हो, मजदूरी खेतीहर मजदूर की ही देनी है।

४.५ काम की गारंटी जिले में कंही भी

काम की गारंटी जिलास्तरपर दि गई है। ऐसे निर्देश है की - मजदूर को अगर संभव हो तो पंचायत समिती या तहसिल के क्षेत्र में ही काम उपलब्ध कराने की कोशिश की जाए। अगर पंचायत समिती क्षेत्र में काम उपलब्ध ना हो तो नजदिक के पंचायत समिती क्षेत्र में,

लेकिन किसी भी हालत में जिले के बाहर नही इस तरह काम प्राप्त करने का अधिकार इस कानून व्दारा दिया गया है। अगर मजदूर को उसके रहने के गांव से ८ कि.मी. से दुर के काम पर भेजा जाता है तो उस काम की जगह के पास आवश्यक सुविधायुक्त शिबीर की व्यवस्था करना तथा उन मजदुरों को एक बार काम की जगह तक ले जाने की और काम समाप्त होने पर उन्हे वापीस उनके गांव तक पहुँचा देने की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी माना गया है।

४.६ मजदूर कामका चुनाव नही कर सकता.

मजदूर को काम का चुनाव करने का अधिकार नही। समिती अधिकारी जिस किसी काम पर जाने का आदेश देंगे उस काम पर ७ दिन के अंदर उपस्थित होने का बंधन मजदूर पर है। अगर वह ७ दिन में हाजिर नही हुवा तो वहासे आगे तीन महिनों तक बेरोज-गार भत्ता प्राप्त करने का उसे अधिकार नहीं होगा। मतलब ३ महिने तक उसको काम की गारंटी नही होगी।

४.७ ठेकेदार व्दारा काम नही

रो.गा.यो. में लिए जाने वाले काम ठेकेदार व्दारा करा लेने के लिए मनाई है। वे काम विभिन्न सरकारी विभागों व्दारा ही किये जाने चाहिए ऐसा स्पष्ट प्रावधान है। सिर्फ तालाब के वेस्ट वेअर जैसे कुशल काम आवश्यक हो तो अपवाद स्वरूपविभाग किसी ठेकेदार व्दारा करा सकते है। लेकिन किसी भी अकुशल काम के लिए यह अपवाद स्वरूप भी नही किया जा सकता।

४.८ रो.गा.यो. परिषद और विभिन्न स्तरिय समितीयाँ.

रो.गा.यो. कामकाज का मूल्यांकन, मार्गदर्शन और समन्वय इत्यादी कामों को करने के लिए निम्न परिषद तथा समितीयों की नियुक्तीयाँ राज्य सरकार व्दारा की जाती है।

१) राज्य स्तरीय महाराष्ट्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद.
२) राज्य स्तरीय विधान मंडल, रो.गा.यो. समिती.
३) जिला और पंचायत समिती/तहसिल स्तरीय रो.गा.यो.समितीयाँ.
४) पंचायत समिती/तहसिल क्षेत्र में कामों की जाँच करने के लिए स्थानिक स्तरीय समितीयाँ.

४.९ **अंमल के लिए जिलाधिकारी जिम्मेदार**

जिले में रोगायो के अंमल के लिए जिलाधिकारी संपूर्णत: जिम्मेदार होंगे। जिले में कार्यरत राज्य सरकार, जिला परिषद तथा स्थानिक प्राधिकरण या संस्थाओं के सभी ऐसे कर्मचारी जिनका अधिकार क्षेत्र जिले से बडा नही है रोगायो के सबंध मे जिलाधिकारी के प्रति जिम्मेदार होंगे।

४.१० **योजना तैयार करना और वह प्रसिध्द करना**

महाराष्ट्र राज्य के ग्रामिण क्षेत्र में रहने वाले वे सभी प्रौढ व्यक्ती जो कानून या योजना की सभी शर्तोंको स्विकारते हुये अकुशल शरीरश्रम का काम करने के लिए खुद हो कर तैय्यार होंगे उन्हे काम देने के लिए एक योजना तैय्यार कर सरकारी राजपत्र में तथा जिले के सब से ज्यादा बिक्रि वाले अखबार में प्रसिध्द करने का और जब तक यह नही किया जाता पुरानी रोगायो को ही उपर उल्लेखीत उद्देश्य से तैय्यार की हुयी और प्रसिध्द की गई योजना मानने का प्रावधान कानून मे है।

रो.गा.कानून कलम ७८(पाच) के अनुसार इस योजना मे जहां तक संभव है वहां तक अकुशल मजदुरों के कौशल्य वृध्दी हेतु प्रशिक्षण और उनका दर्जा बढाने के लिए भी प्रावधान है। ऐसी कोई कोशिश आजतक नही हुयी है। और नयी योजना बना कर उसे प्रसिध्द करने का काम भी अभीतक संभव नही हो पाया है। सो पुरानी ही योजना को कलम ७ के तहत उल्लेखित योजना मानकर काम चल रहा है। समय समय पर शासकिय आदेश और परिपत्रकों व्दारा उसमे कुछ परिवर्तन भी होते रहे है।

४.११ **वार्षिक योजना**

वार्षिक योजना का कालावधी १ अक्तुबर से 30 सितंबर तक माना गया है। काम की मांग करने वाले मजदुरों को काम देने के लिए जिलाधिकारीकों पंचायत समिती/तालुका निहाय काम का वार्षिक नियोजन करना है।

शरीर श्रम का काम करने के लिए कि जाने वाली मांग का अंदाज लगाने के लिए मनुष्यबल अंदाजपत्रक तैय्यार किया जाएगा। जिससे जिलेमें कहा और कैसी बेरोजगारी है सो जानकर योजना आँखी जा सकेंगी।

४.१२. केवल उत्पादक कामों का आग्रह

रोगायो में केवल जिनसे स्थायी सामुहीक संपत्ती निर्माण होगी ऐसे उत्पादक स्वरूप के ही श्रमप्रधान काम लेने का आग्रह है। रोगायो कानून की धारा २(ह) में "उत्पादक काम" की व्याख्या की गई है। जिन कामों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षत: उत्पादन बढाने में मदद होगी या जिन कामों के अभाव में उत्पादनवृध्दी पर प्रतिबंध लगेगा ऐसे कामों को राज्य सरकार उत्पादक काम मानती है।

लघु सिंचाई के कामजैसे, पाझर तलाब (परकोलेशन टॅन्क), तालाब, मृदसंधारण और जमिन विकास के काम जैसे, कंटूर बंडींग, टेरेसींग, नाला बंडींग और ग्रेडींग, नाला सरलीकरण, क्षार प्रतिबंधक काम ड्रेनेज तथा पानी वितरक कॅनॉल, वनिकरण एवं टि.सी.एम् के काम, क्षार प्रतिबंधक जलनिस्सारण काम, सार्वजनिक स्वरूप के पानी का पुरा उपयोग कर लेने की दृष्टी से आवश्यक काम इ. कामों को उदाहरण के रूप में उत्पादक काम मानागया है।

जहां जहां तकनिकी एवं आर्थिक दृष्टी से संभव होगा वहां वहां पानी बहाव क्षेत्र (वाटरशेड) में भूविकास कार्यक्रम लेकर जिन्हें काम की आवश्यकता है ऐसे मजदुरों को उनके गांव से ५ कि.मी. की परिधी में काम उपलब्ध करा दियेजा सकते है। इस कार्यक्रम का वर्णन "कालेप कार्यक्रम" में आगे किया गया है।

इसके अलावा "श्रमशक्ती व्दारा ग्राम विकास" नाम का, रोजगार गारंटी योजना के अंदर ही गांव विकास का कार्यक्रम सरकार ने लिया है। यह कार्यक्रम रोजगार गारंटी योजना के ही एक हिस्से के रूप में और रोगायो की संकल्पना नुसार ही अंमल में लाया जाना है। इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी "श्रम शक्ती व्दारा ग्रामविकास" प्रकरण में दी है।

श्रमप्रधान काम की व्याख्या - जिस काम में अकुशल हिस्से की किमत कुल काम की किमत के ६० प्रतीशत या उससे ज्यादा है ऐसे कामों को श्रम प्रधान काम माना गया है। जिन कामों में कुशल मजदूर, सिमेंट,लोहा, सी.डी.वर्क्स, इ. के लिए कुल खर्च के ४० % से ज्यादा हिस्सा आवश्यक है ऐसे काम रोगायो में नहीं लिए जाए ऐसे स्पष्ट आदेश है।

५ रोगायो अंतर्गत कामों को अग्रक्रम

रोगायो में उत्पादक काम लेते वक्त राज्य सरकार ने कुछ अग्रक्रम तय किया है। अग्रक्रम तथा जिले के कुल काम के खर्चे मे उसका अनुपात आगे दर्शाया है।

(१) जलसंवर्धन के काम (४०%)

(अ) बडे और मध्यम प्रकल्पों के कॅनाल के कामों का श्रमप्रधान हिस्सा (जिन प्रकल्पों का बांध पुरा हो कर पानी रोका गया है ऐसे प्रकल्पों के कॅनाल को प्राथमिकता दि जाए)

(ब) राज्यस्तर/स्थानिकस्तर लघुसिंचन तलाव

(क) गांव तालाब, भूमिगत बांध.

(ड) पाझर तलाब.

(इ) जवाहर कुऐं.

(२) कृषि विषयक काम (२० %)

(अ) मृदसंधारण और भूविकास.

(ब) पानी बहाव क्षेत्र(वॉटरशेड) में लिए गये मृदसंधारण के काम

(क) लाभक्षेत्र में भूमिविकास के काम.

(ड) फलोत्पादन.

(इ) पानी बहाव क्षेत्र के बाहर मे मृदसंधारण के ऐसे काम जो अकाल की परिस्थिती में मंजुर किए गये हैं।

(३) वनिकरण / सामाजिक वनिकरण (१५ %)

(अ) वन विभाग के जमिन पर वनिकरण.

(ब) राजस्व विभाग कि जमिन, ग्रामपंचायत की खुली जगह, सिंचाई विभाग के बडे, मध्यम और छोटे तालाब तथा पाझरतालाब के आसपास एवं कॅनाल के बगल में पेड लगाना।

(४) रास्ते और अन्य (२५%)

(अ) रास्ता योजना १९८१-२००१ में सम्मिलीत काम तथा न्युनतम आवश्यकता कार्यक्रम में लिए गये रास्तों के काम

(ब) पूर नियंत्रण

(क) अन्य

५.१ अग्रक्रम और अनुपात में अपवाद

* जिले के सर्वांगिण विकास की दृष्टी से उपरोक्त अग्रक्रम तथा अनुपात का पूर्णत: पालन कर काम लेना आवश्यक है। तथापी जिलेकी भौगोलीक परिस्थिती अनुसार उपरोक्त १ से ३ मुद्दों के लिए उपर उल्लेखीत प्रतिशत संभव नही हो तो पहले ३ मुद्दोंपर कुल मिलाकर प्रतिशत ७५% होने से भी चलेगा।

* आदिवासी एवं पहाडी इलाकों में अन्य काम निकालने के लिए अगर योग्य जगह उपलब्ध ना हो तो रास्तो के काम का प्रतिशत ४०% तक बढाया जा सकता है। पहाडी, आदिवासी और दुर्गम इलाकों के गांवो को जोडने वाला रास्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग के सन १९८१-२००१ के रस्ते विकास कार्यक्रम में अंतर्भूत हो और उस क्षेत्र में रोगायो अंतर्गत काम की पर्याप्त मांग हो तो उपर उल्लेखित कामोंका अग्रक्रम ध्यान में ना लेते हुये प्राथमिक रूपसे मंजूर कर पूरा करा लिया जाए।

* गडचिरोली जिले की विशेष परिस्थिती ध्यान में ले कर इस जिले में रास्तों के काम होने के लिए प्रतिशत का कोई बंधन नही होगा।

* अपगत व अवनत (डिग्रेडेड ॲन्ड डिन्युडेड) जमिनपर विशेष वनिकरण, जलसंवर्धन और मृदसंधारण के कामों का महत्त्व ध्यान में लेकर इन कामों के साथ वनिकरण के काम का प्रतिशत १५% से ज्यादा बढ रहा हो तो भी चलेगा।

संदर्भ -

शा. परि. नि. वि. क्र. रोगायो-११८९/५७/रोगायो-६ दिनांक २५.४.१९८९.

६. योजना में शामिल करने के काम

रोगायो का वार्षिकआकृतीबंध तैय्यार करते वक्त उसमें लिए जाने वाले कामों का अग्रक्रम ऐसा होगा -

१) जवाहर रोजगार योजना अंतर्गत के काम

२) श्रम शक्ती द्वारा ग्राम विकास कार्यक्रम में के काम

३) जवाहर कुओं का कार्यक्रम

४) रोगायो में अपूर्ण काम निम्न अग्रक्रम से

 अ) विभाग के वार्षिक अर्थसंकल्प में के अपूर्ण काम

 ब) 3 साल से ज्यादा समय अपूर्ण है ऐसे काम

 क) 3 साल से कम समय अपूर्ण है ऐसे काम.

५) विभाग के वार्षिक आर्थिकसंकल्प में मंजुर कामों में से रोगायो में लिए जा सकने वाले नये काम

६) विभाग के नियोजन में के या नियोजन बाहय आकृतिबंध में से रोगायो में लिए जा सकने वाले काम

७) रोजगार देने के लिए उपयुक्त ऐसे योजनाबाहय काम

उपरोक्तकामों में से जवाहर रोजगार योजना और श्रमशक्ती-द्वारा ग्रामविकास कार्यक्रम अंतर्गत के कामोंका कामनिहाय कार्यक्रम वार्षिक आकृतीबंध में शामिल करना आवश्यक नही। लेकीन मजदुरों की 'माँग का अंदाज' में इस कार्यक्रम के मनुष्य दिवस अलग दिखाए जाए। वैसेही विभिन्न विभागों द्वारा किये जाने वाले कई काम रोगायो में शामिल नही होते है। इन कामों पर स्थानिक मजदुरों को रोजगार देना होने से इन कामों के लिए आवश्यक मजदुरों का अंदाजित आकृतबंध में अंतर्भाव किया जाए। जिससे कुल अकुशल रोजगार के माँग की पूर्ती में इस काम का कितना हिस्सा है यह समझ में आ सकेगा।

६.१ जलसंवर्धन काम

रोगायो में पाझर तालाब, लघुसिंचन तालाब, गांव तालाब, बडे, मध्यम तथा छोटे प्रकल्पों के श्रमप्रधान काम, कच्चे बांध, भूमिगत बांध, फार्म पॉन्डिग्, नाला बंडींग, वनतालाब तथा जवाहर कुओं के

जलसंधारण के काम लिए जा सकते है। ये काम क्रियान्वित करते वक्त उन विभागों की कार्यपध्दती नुसार (आर्थिक तथा तकनिकी माप दंड इ.) क्रियान्वित कीये जाते है। रोगायो के संदर्भ में इन कामो के बारेमें समय समय पर सरकार व्दारा निर्देश दिये जाते रहे है। उनमें से वन तालाब, कच्चा बांध, भूमिगत बांध तथा जवाहर कुओं के लिऐ दियेगये निर्देश तथा सूचनाऐ ऐसी है -

६.१.१ वन तालाब

संदर्भ - शा. नि. म. ल. वि. क्र. एफएलडी-१०८५/९२५१/फ-३ दि. २७.१२.१९८५ तथा एफएलडी-१०८५/९२५१/फ-१० दि. ८.७.१९८६.

वन जमिन पर वन तालाब बांधने के लिए निचे दि गई शर्तो की पुर्तता अगर की जाती है तो इस काम के लिए वन (संवर्धन) अधिनियम १९८०के अंतर्गत केंद्रसरकार के पुर्वानुमती की आवश्यकता नही।

अ) वन तालाब काप्रत्यक्ष संबंध वन का पुनर्उत्पादन और वन्य जीवन से है। उसका उपयोग खेती के लिए पानी या पालतु पशुसंवर्धन के लिए पानी की व्यवस्था करना यह नही है तो ऐसा लिखीत प्रमाणपत्र मुख्य वनसंरक्षक महाराष्ट्र राज्य दे।

आ) वन तालाब के डूब क्षेत्र में आने वाला क्षेत्र २ हेक्टर से ज्यादा ना हो।

इ) वन तालाब संभवत: उजाड/वनभूमिपर ही बांधे जाए।

ई) वन तालाब बांधने के लिए किसी भी वृक्ष को काटना ना पडे इसकी खबरदारी ली जाए।

वन विभाग को अगर सिर्फ वन तालाब बनाने का काम हाथ में लेना संभव नही हो तो यह काम सिंचाई विभाग को सौंपा जा सकता है। लेकीन मूल योजना तैय्यार करना, जगह का चुनाव, संकल्पचित्र एवं अंदाजपत्रक को मंजुरी तथा निधी की उपलब्धता ये काम वन विभाग ने ही करने है।

६.१.२ कच्चे बांध

संदर्भ - शा. नि. नि. वि. क्र. बंधारे-२०८०/प्र ३३४ इएमपी-४ दिनांक २४.९.१९८७.

बरसात के अंत में नदी नालों से बह जाने वाला पानी पिनेके तथा अन्य उपयोग के लिए रोकने हेतु कच्चे बांधो का काम लिया जाता है। कच्चे बांधो की जगह, पानी के योग्य उपयोग का विचार कर कार्यकारी अभियंता लघु सिंचाई विभाग जि.प. की सलाह अनुसार जिलाधिकारी ने तय करनी है। बांध के लिए जगह का सर्वेक्षण जिला परिषद लघु सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता करेंगे। जगह निश्चित करने के लिए वे पंचायत समिती के कृषी विस्तार अधिकारी का सहयोग लेंगे। जगह चुनते वक्त जिलेके जीन गांवों में पिनेके तथा धुपकाले में पशुओं के लिए पीने के पानी की हरदम कमी रहती है ऐसे गांवों से ३-४ कि.मी. की परिधी में कच्चे बांधो की जगह चुनी जाए।

जिन नदी नालों को बरसात के मौसम के बाद भी बहता प्रवाह रहताहै ऐसे ही नदी नालोंपर कच्चे बांध बांधे जाय। कच्चे बांधोमें इकठ्ठा पानी नदी नालों के निचले हिस्से में बह ना जाए इस लिए कच्चे बांध का पैथ्या (फाउंडेशन) पानी रिसने नही देने वाले भूस्तर का होना चाहिए। लेकीन उसके लिए बहुत गहरी खुदाई करने की आवश्यकता ना हो।

६.१.३ **भूमिगत बांध**

संदर्भ – शा. परि. नि. ति. कृ. इजीएस् १०८२/सी आर-१०८२/ इएमवी- ४ दि. १४.८.८६.

जमिन के निचे से बहजाने वाला पानी रोकने के लिए भूमिगत बांधो का काम लिया जाता है। यह काम लेते वक्त निम्न बातों का ध्यान रखा जाए –

१) जिन तहसिलों में काम की मांग ज्यादा है वही यह कार्यक्रम प्राधान्य के साथ लिया जाए। भूगर्भशास्त्री, भूगर्भ सर्वेक्षण तथा विकास विभाग के सलाह अनुसार जिन जगहोंपर भूमिगत बांध बांधना संभव है ऐसी जगहों पर ही भूमिगत बांधो के काम लिए जाए।

२) अगर संभव हो तो पाझर तालाब के निचे का प्रवाह जहां तक पहुँचता है वहां जगह चुनी जाए जिससे भूपृष्ठो के निचे से बहने वाले प्रवाह का पानी रोका जा सके और बांध के उपर के प्रवाह की दिशामें भूपृष्ठके निचे के पानी का स्तर बढ सके।

भूमिगत बांध की योजना लघुसिंचाई योजना समझी जाए। यह योजना कार्यकारी अभियंता अथवा मृद संधारण विभाग के व्दारा ही अंमल में लायी जाए। सिंचाई प्रकल्पों के लाभ क्षेत्रों में जहां स्थाई सिंचाई की व्यवस्था है ऐसी जगहोंपर भूमिगत बांधो की जगह नही चुनी जाए।

जिन नालों की चौडाई ५० मीटर तक है ऐसे छोटे नदी नालोंपर ही यह भूमिगत बांध बांधे जाए। बडी नदियोंपर ऐसे बांध नही बांधे। बांध की जगह निश्चित करते वक्त महत्वपूर्ण बात याने नाला या नदी के पात्र में जमिन के निचे पर्याप्त गहराई तक पानी रूक सके ऐसा भूस्तर हो।

६.१.४ जवाहर कुआं योजना

संदर्भ – १) शा. नि. ग्रा. वि. वि. क्र. एम. डब्ल्यु. पी–१०८८/राग्रारोका/ ग्राभूरोहका/सीआर–५३८/८८–८९/३६ दि. ५.९.१९८८ और दि. ९.१.१९८९.

२) शा. नि. ग्रा. वि. वि. क्र. विहिर–१०८८/सिआर–५३०/५२/ दि. २४.२.१९८९.

३) शा. नि. ग्रा. वि. वि. क्र. विहिर–१०८९/सी आर–१०८२/८२ दि. १७.४.१९८९.

योजना का उद्देश्य –

निचे दियेहुये लक्षित लाभार्थीयों को खुले सिंचाई कुऐं देना है। यहयोजना सिर्फ खुले कुओं की खुदाई और उसको बांधने तक ही सिमीत है। उसमें नलीका कुऐं और कुपनलीका कुऐं वैसेही पंपींग सेट, विद्युत पंप या डिझेल पंप जैसे साधनों का अंतर्भाव नही है।

लक्षित लाभार्थी -

रोगायो के तहत इस योजना में लक्षित लाभार्थी, गरीबी की रेखा के निचे के और अभीके एकात्मिक ग्रामिण विकास कार्यक्रम की सूची में शामिल ऐसे छोटे और सीमांतिक किसान जो अनुसूचित जाती/जनजाती और मुक्त बंधुआ मजदूर के नही है, होंगे। इस योजना के लाभार्थी के पास खुद की न्युनतम १ हेक्टर जमिन होना आवश्यक है। अगर लाभार्थी के पास एक हेक्टर से कम जमीन होगी तो दुसरे अल्पभूधारक किसान की जमीन एक हेक्टर क्षेत्र पूर्ण करने के लिए आवश्यक अनुपात में योजना के अंतर्गत ली जा सकती है। इसी का मतलब यह हुवा की दो या तीन किसानों का मिलाकर भी एक हेक्टर लाभ क्षेत्र है तो इस योजना में कुआँ लिया जा सकता है। ऐसे कुओं को मंजुरी देते वक्त निम्न शर्तों का पालन किया जाए।

१) प्राप्त पानी का पुरा उपयोग संबंधीत किसानो ने लाभक्षेत्र के अनुपात में करना है।

२) ऐसे सामुदायिक कुओं के लिए चुने गये लाभार्थियों की जमिन जुडी हुयी होनी चाहिए। मतलब कुल एक हेक्टर लाभक्षेत्र जुडा हुवा होना चाहिए। ये सभी किसान अल्प/सीमांतीक भूधारक इस वर्ग के और गरीबी रेखा के निचे के लोगों की सूची में दर्ज होने चाहिए।

३) ऐसे सामुदायीक कुओं मे सहभागी होने वाले किसानों की ओरसे आपस में पानी के बँटवारे संबंधी संमती पत्र ब्लाक विकास अधिकारी ने लिख लेने है।

४) जीस किसान के जमिन में कुआँ खोदा जायेगा वह उसी की मालीकी का होगा। और उस अनुसार जमीन रेकार्ड मे जिलाधिकारी इसकी नोंद करा ले। उसी मे पानी बँटवारे की परंपरा का उल्लेख हो। इस सामुदायीक कुओं पर विद्युत पंप और मोटर बैठाने लिए आने वाला खर्चा लाभ क्षेत्र के अनुपात में किसान आपस मे बाँट ले।

निधी की व्यवस्था -

इस के लिए रोगायो का निधी और ग्राम विकास विभाग के गरीबी निर्मुलन कार्यक्रम में कुओं के कार्यक्रम के लिए अलग रखा गया निधी वैसेही "कृषी विभाग व्दारा छोटे और सिमांतिक किसानों को मदद," इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार व्दारा मिलनेवाले निधी का उपयोग किया जाएगा। रोगायो में जवाहर कुँओं के कार्यक्रम के लिए आवश्यक निधी जिलाधिकारी संबंधित विभाग को पतमर्यादा के रूपमे

.. ..

उपलब्ध करा देंगे।

खर्च के पैमाने -

जवाहर कुँओ के खर्च के पैमाने "नाबार्ड" इस संस्थाने महाराष्ट्र के अलग अलग भागों के लिए तय किये हुये पैमानो के अनुसार होंगे। आज वे पैमाने ऐसे है। -

* मराठवाडा और पश्चिम महाराष्ट्र	प्रति कुआ मूल्य	रु. २२,५००/-
* विदर्भ विभाग	----"-----	रु. १८,०००/-
* कोंकण विभाग	----"-----	रु. १२,०००/-

कुछ कुओं के काम पर इस पैमाने से ज्यादा भी खर्च होने की संभावना है। "नाबार्ड" के पैमानों से कुछ कुँओं पर २०% ज्यादा खर्च होने से भी चलेगा। लेकीन जिला यह एकही युनिट मानकर सभी कुओं की मिलाकर सरासरी (ॲव्हरेज) किंमत मात्र "नाबार्ड" के पैमाने में बैठना जरूरी है।

कुए की जगह -

इस योजना के तहत बांधने के कुओं कि जगह संभवत: समुह पध्दतीसे (क्लस्टर अप्रोच) तथा बिजली के तारों के पास चुनी जाए। उस इलाके में न्युनतम एक हेक्टर जमीन की सिंचाई के लिए आवश्यक इतनी भूगर्भिय पानी की उपलब्धता है ऐसा भूजल सर्वेक्षण और विकास विभाग का प्रमाणपत्र होगा तभी जगह चुनी जाएगी।

६.२ मृदसंधारणतथा कृषि सबंधी काम

रोगायो में मृदसंधारण और भूमि विकास के, उदाहरणार्थ - मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बांधबंदिस्ती, भूमि सुधार, खेती समतलीकरण, नाला सरलीकरण, नाला बांधबंदिस्ती, फलोद्यान विकास, खेती में पानी बहाव के लिए नालीयाँ, धान खेती के लिए बांधबंदिस्ती और दुरुस्ती, कंटुर कल्टीवेशन तुईथ खस गाईड लाईन्स, सर्वंकष जलबहाव क्षेत्र विकास कार्यक्रम (कावडेप) इ. काम लिए जाते है।

६.२.१ सर्वंकष जलबहाव क्षेत्र विकास कार्यक्रम (काउडेप)

संदर्भ - शा. नि. नि. वि. क्र. इजीएस्-१०८२/९१/का-३३ दि. २०.७.१९८२.
अ.शा. प. नि. वि. -१०८२/११५/डी-३३ दि. १५.१०.१९८२.
शा. प. नि. वि. क्र. इजीएस् - १०८२/९१/डी-३३ दि. १.१०.१९८२.

जमिन और पानी का अच्छितरह उपयोग कर बरसात पर अवलंबित गरीब किसानों की उन्नती के लिए सरकारने जलबहाव क्षेत्र विकास कार्यक्रम हाथ में लिया है। इस कार्यक्रम को अंग्रजी में "काम्प्रीहेंसीव्ह वाटर शेड डेव्हलपमेंट प्रोगाम" (काउडेप) कहा जाता है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य जलबहाव क्षेत्र के एकात्मिक और सर्वंकष विकास का है। जलबहाव क्षेत्र, सुक्ष्म जलबहाव क्षेत्र (माइक्रो वाटर शेड) अथवा प्रवाह, तालाब, नदी, नाला इ. को. आधार बना कर प्रकल्प तैय्यार किये जायेंगे। जिसमें भूमि अंतर्गत जलसंचय बढाने के लिए भूमिविकास उपाय तथा भूपृष्ठपर जलसंचय हेतू उपाय याने सरकारी या सामुदायिक भूमि पे लघुसिंचन तालाब, पाझर तालाब (परकोलेशन टॅन्क) नाला बंडींग, सामुदायिक कुओं, प्राइवेट जमिनपर फार्म पाँडस्, इ. का. अंतर्भाव होगा। इस प्रकल्प में सामाजिक वनिकरण, इंधन, चारा एवं कुरण विकास और फलदार पेड जिनके व्दारा जल और मृदसंधारण संभव हो ऐसे सभी काम भी शामिल होंगे। मिट्टी का हर कण तथा बरसात की हर बुंद को बेकार न जाने देते हुये प्रगतीशील विज्ञान और संशोधनपर आधारीत कृषी विकास की कल्पना इस में दृष्टीसम्मुख है।

६.२.२ असिंचीत क्षेत्र काउडेप कार्यक्रम

संदर्भ - शा. नि. कृ. वि. क्र. सी. डी. पी-११८३/२४८८३/सीआर-४६/९-अ दि. २८.७.१९८३.

इस असिंचीत क्षेत्र काउडेप कार्यक्रम अंतर्गत हर जिले में जलबहाव क्षेत्र विकास प्रकल्प तैय्यार कर शेल्फ पर रखना है। प्रकल्प तैय्यार

करते वक्त रोगायो में रोजगार के मांग की स्थिती को ध्यान में लिया जाए। असिंचीत क्षेत्र काऊडेप शेल्फ में नही है ऐसे कोई भी काम रोगायो में लेने के लिए जिलाधिकारी, मृद संधारण विभाग को ना कहे। इसके पिछे यह उद्देश्य है की - तुकडों में लिए गये मृदसंधारण के अलग अलग कामों से ज्यादा लाभ होता है ऐसा अनुभव नही। वनिकरण, सामाजिक वनिकरण, वनखेती, चारा विकास इ. जैसे काम जो पर्यावरण की दृष्टी से योग्य है और वैज्ञानिक दृष्टी सेभी जो काम विशिष्ट तरह की जमिन पर लेने की शिफारीश की जाती है ऐसे काम अगर नही लिए गये और उनका जलबहाव क्षेत्र के अन्य कामों के साथ एकात्मिकरण नही किया गया तो उस काम की गुणवत्ता कम हो जाती है। जलबहाव क्षेत्रका एकात्मिक विकास लिए बगैर असिंचीत क्षेत्र विकास की कल्पना प्रत्यक्ष में नही आ पायेगी।

६.२.३

फलोत्पादन कार्यक्रम

संदर्भ - शा. नि. क्र. फ. व सा. व. वि. क्र. एचुआर. टी. २२३५२/८३ दि. १. २. ८४.

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में आने वाले आदिवासी किसानों की जमिन पर रोगायो अंतर्गत पूर्णत: सरकारी खर्च से फलों के पेड लगाने का कार्यक्रम है। जिसमें किसानकी जमिन में फलोत्पादन विभाग व्दारा पेड लगाये जाते है। किसान अगर मजदूर के रूपमे काम करता है। तो उसे रोगायो दर पत्रक के अनुसार मजदुरी भी दि जाती है। फलोत्पादन विभाग तीन साल तक पेडों की देखभाल कर वे पेड किसान को हस्तांतरीत किये जाते है। इस कार्यक्रम के लिए आवश्यक खर्च पहले तो रोगायो फंडसेही पुरा किया जाता है। बादमें खर्च का पचास प्रतिशत हिस्सा फलोत्पादन विकास विभाग की ओर से रोगायो फंड को लौटा दिया जाता है।

शा. नि. क्र. रोहयो-१०८९/२५१/प-५/दि. २५ मई १९९० व्दारा सरकार ने रोगायो अंतर्गत नया फलोत्पादन कार्यक्रम लिया है। जिसके प्रस्तावना में लिखा है की-" महाराष्ट्र की कृषि, मौसम और जमिन फलदार पेड लगाने के लिए अत्यंत अनुकूल है। महाराष्ट्र में ज्यादा तर अनाज की फसल होती है तो आर्थिक दृष्टीकोन से किसानों के फायदे की नही है। फलदार पेड लगाना ज्यादा फायदेमंद है।

महाराष्ट्र के किसानको आधासमय ही सिर्फ खेती से रोजगार उपलब्ध होता है। खास कर नौजवानकिसान बडी मात्रा में बेरोजगारी के दुष्टचक्र में फंसा हुवा है। फलदार पेड लगाने के कामद्वारा ऐसे नौजवान किसानों को स्वयंरोजगार दिया जा सकता है। वैसेही मृदा एंव जलसंधारण की समस्या भी फलदार पेड लगा कर सुलझायी जा सकतीहै। महाराष्ट्र में कृषि, मौसम, खेती से संबंधित पर्यावरण की समस्या, ग्रामिण क्षेत्र में रोजगार निर्मिती और ज्यादा लाभदायीफसल रचना इन सभी मुद्दों के संदर्भ में फलदार पेड लगाने के लिए महाराष्ट्र में बहुत अच्छा मौका है।" ऐसा कहते हुये आठवी पंचवार्षिक योजना में रोजगार गारंटी योजनाके माध्यम द्वारा १९९०-९१ से फलदार पेड लगाने का कार्यक्रम अंमल में लाने का निर्णय सरकार ने लिया।

सभी किसान इस योजना से लाभ ले सकते है। न्युनतम 0.२0 से अधिकतम ४ हेक्टर तक भूमिपर ही यह कार्यक्रम एक किसान ले सकता है। अनुसुचित जाती, अनुसूचित जनजाती, नवबौध्द, फिरस्ती जनजातीयाँ, विमुक्त जाती, और नाबार्ड की व्याख्यानुसार, अत्यल्प और अल्प-भूधारक किसानों को १00 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। धान की खेती के साथ साथ बांधोपर पेड लगाने का काम इस कार्यक्रम में नही लिया जा सकेगा। सिर्फ सलग क्षेत्र में ही पेड लगाने होंगे। आम, काजू, नारियल, चिकू, कटहल, संत्रा, मोसंबी, पपनस, अमरूद, अनार, अंजीर, इमली, सिताफल, आँवला, कवठ, बेर, जामुन, फलसा, कोकम और चिरौंजी के पेड इस कार्यक्रम में लगाये जा सकते है। स्थानिक मौसम, जमिन और पानी की परिस्थिती देख कर प्रजाती संबंधी अंतीम मंजुरी जिल्हा स्तरीय समिती देगी।

इस कार्यक्रम के अंमल के लिए अभी की रोजगार गारंटी योजना के निम्न प्रावधानों को शिथील किया जायेगा। काम करने वाले मजदुरोंकी हाजीरी (मस्टर) नही रखी जायेगी। लाभार्थी परिवारों के सदस्योंको ही रोगायोअंतर्गत काम करने वाले मजदूर मान लिया जायेगा। रोगायो के अन्य प्रावधान जैसे मजदुरोंके लिए शेड बनाना, दवाई की व्यवस्था, अनाज के कुपन्स इ. इस कार्यक्रम को लागु नही होंगे। किये गये कामका मोजमाप (मेजरमेंट) महिने में एक बार हो

कर अनुदान की रक्कम चेक ह्दारा उस किसान के खाते में जमा होगी।

६.३ वनीकरण, सामाजिक वनीकरण और वनजमिनपर वन के अलावा अन्य काम ::

६.३.१ अपगत और अवनत वन जमिनपर विशेष वनीकरण कार्यक्रम

वन विभाग ने राज्य में सभी जगह अपगत (डिन्युडेड) तथा अवनत (डिग्रेडेड) जमिनपर वनीकरण का विशेष धडक कार्यक्रम हाथ मे लिया है। जिस का कुछ हिस्सा रोगायो अंतर्गत लिया गया है। रोगायो मे वनीकरण से सबंधीत पूर्व वर्षा (पी एम् वाय्) तथा प्रथम वर्ष काम (पी पी ओ) लिए जाते है।

यह कार्यक्रम वन विभाग के अलावा "वनविकास महामंडळ" या राज्य के "सामाजिक वनीकरण विभाग" ह्दारा भी अंमल में लाया जा सकता है। लेकीन किसी भी परिस्थिती में "जंगल कामगार सहकारी समितीयाँ" या ठेकेदारों के ह्दारा अंमल में नही लाया जा सकता ऐसे स्पष्ट आदेश है।

संदर्भ - शा. नि. म. व. व. वि. क्र. ऐफएलुडी-१०८६/ ३०३/सीआर-३/एफ-२
दि. ३. ६. १९८७.

६.३.२. सामाजिक वनीकरण

जो वन जमिन नही है ऐसी, ग्रामपंचायतके मालकीयत की जमिन पर पेड लगाना, चारागाह विकास करना, रास्ते और नहर के दोनो बगल में पेड लगाना, मिट्टी का कटाव रोकने (मृदसंधारण) के लिए वनीकरण के काम लेना, वनखेती चारागाह की जमिन (गायरान) पर पेड लगाना इत्यादी सामाजिक वनीकरण विभाग ह्दारा रोगायो में लिए जा सकते है।

संदर्भ - शा. नि. नि. वि. क्र. इजीएस-१५७८/३१८/इएमपी-3/दि. ८.९. १९७८
और क्र. इजीएस- १०७९/१८३७/ इएमपी-३/ दि. ११. १२. १९७९.

६.३.३ वन जमिनपर वन के अलावा अन्य काम

अ) केंद्र सरकार की जिन्हे पूर्वमंजूरी आवश्यक है ऐसे काम :-

वनजमिनपर वनीकरण के अलावा अन्य काम भी जैसे-रास्ता, कृषिसिंचाई तालाब, इत्यादी रोगायो में लिए जा सकते है। लेकीन ऐसे काम लेनेके लिए वन(संवर्धन) अधिनियम १९८० की धारा २ के तहत केंद्र सरकार की पूर्वानूमती प्राप्त करना आवश्यक है।

संदर्भ - क्र.एफ् एल् डी - १०८५/८०४७/फ-३ दि. ११.४.१९८५.

ब)केंद्र सरकार की पूर्वानूमती जिन्हे आवश्यक नही ऐसे काम :-

वन(संवर्धन) कानून १९८० के तहत निम्न कामों को पूर्वानूमती आवश्यक नही।

ब-१ मुख्य वन संरक्षक की अनुमती से लियेगये मृदसंधारण और जलसंधारण के काम। इन कामों में नाला बंडींग, कंटूर बंडींग, चेक डॅम और ट्रेंच कम माऊंड (टिसीएम्) के काम शामिल है। ये काम करते वक्त कोई भी पेड नष्ट ना हो इसका ध्यान रखना आवश्यक होगा।

ब-२ रोगायो अंतर्गत सिर्फ वन के या वन्य प्राणियों पुनर्उत्पादन के लिए वन जमिनपर तालाब का काम अगर लेना हो तो उसे केंद्र सरकार के पुर्वानूमती की आवश्यकता नही। अगर मुख्य वनसंरक्षक इतना प्रमाणित कर दें कि यह तालाब वन या वन्यजीवों के लिए ही बनाया जा रहा है और इसका उद्देश खेती की सिंचाई या अन्य पालतु जनावरों के पिने के पानी का नही है, तो उसे पर्याप्त माना जायेगा। ऐसे तालाब का डुबक्षेत्र २ हेक्टर से ज्यादा नही होगा और इस काम के लिए कोई भी पेड काटने की जरूरत नही होगी।

संदर्भ - केंद्र सरकार (पर्यावरण और वन्य जीव विभाग) पत्र क्र ८-४/८० एफ्आरवाय् (सीओएनएस) दि. १७.३.१९८६.

६.४ श्रमशक्ति व्दारा ग्राम विकास कार्यक्रम

संदर्भ - म.शा.नि.नि.शा.नि.क्र.रोगायो-२०८९/७२/रोगायो/-६ दिनांक२३ जुन १९८९.

"संदर्भांकित शासकिय निर्णय की प्रस्तावना में कहा गया है की - "भारतीय संविधान के अनुच्छेद ४१ के अनुसार "काम का अधिकार" से संबंधित दिशा निर्देश का स्विकार महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इसके पहले से ही किया है। उसी के अनुसार मूलभूत उद्देश्य के रुप में "जो मांगेगा उसे काम"देने की गारंटी महाराष्ट्र राज्य सरकारने १९७२ में स्विकारी है। इसी निर्णय को २६ जनवरी १९७९ से "महाराष्ट्र रोजगार गारंटी अधिनियम १९७७" बना कर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। इसी अधिनियम के अधिन रहकर ग्रामिण क्षेत्र के स्वस्थ व्यक्तीओं को वे मांगेगे तब उत्पादक काम पर रोजगार देना तथा ऐसे रोजगार द्वारा स्थायी उत्पादन बढाने के लिए जिस से मदद मिलेगी ऐसी संपत्ती निर्माण करना यह उद्देश्य है। इस योजना से जो उत्पादक रोजगार निर्माण होगा उस द्वारा ग्रामिण क्षेत्र की उत्पादन क्षमता बढेगी और उसके कारण और कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा ऐसी अपेक्षा थी। इतना ही नही तो, कालांतरसे ग्रामिण रोजगार के अवसरों में वृध्दी हो कर उन्हे गांव में ही रोजगार प्राप्त होगा और उस कारण रोगायो की आवश्यकताही नही रहेगी ऐसा भी अभिप्रेत था।"

* "रोगायो में काम लेते बक्त एकात्मिक तत्व(इन्टीग्रेटेड अप्रोच) पूर्णत: अंमल में न आने की वजह, हो गये खर्च के अनुपात में लाभ नही लिया जा सका। उदाहरणार्थ - परकोलेशन तालाब का काम पुरा हो जाने पर उसके निचे कुयें खोद कर उनपर पम्प बैठाने का कार्यक्रम तुरंत नही लिया गया। जिस वजह से परकोलेशन तालाबों का अपेक्षित उपयोग नही हो सका। रोगायो अंतर्गत आगेकी और पिछेकी संखली जोडने का काम रह गया।"

* "जनमानसमें रोगायो यह सरकार का एक कार्यक्रम है जिसके द्वारा मजदूरोंको रोजगार मिलता है। सिर्फ इतनीही लोगोंकी भावना इस कार्यक्रम के लिए है ऐसा दिखाई देता है। रोगायो द्वारा निर्मित सम्पत्ती सुस्थिती में रखना यह लोगोंकी सामाजिक जिम्मेदारी है। लेकीन इस संबंध में लोगोंका सहभाग नही प्राप्त होता। सही देखा

जाए तो रोगायो व्दारा निर्मित सम्पत्ती एवं कामों की गुणवत्ता उच्च प्रती की रखने के लिए गांव स्तर पर लोगों का सहभाग आवश्यक है वैसेही जिनकी खेती में बंडींग इत्यादीकाम लिए जाते है उन्होने उन्हे खुद सुस्थिती में रखना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नही है।

* "इन सभी मुद्दों का विचार कर रोगायो की मूल भावना याने "जो मांगेगा उसे काम" देने की गारंटी बनाये रखते हुये इस योजना के संदर्भ में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। यह पुनर्विचार करते वक्त इस योजना व्दारा निर्मित सम्पत्ती का लाभ समाज को मिले, अधुरे काम पूर्ण किये जाए, स्थानिक स्तर पर रोजगार के अवसर निर्माण हो, काम लेते वक्त गांव को विकास की इकाई (युनिट) समझा जाए तथा योजना में लोगोंका सहभाग अधिकाधिक अनुपात में हो, इन मुद्दों की ओर ध्यान देना होगा। गांव की सिमा में गिरने वाली वर्षा वहीं रोक कर उसे जमिन में परकोलेट करना वैसेही गांवकी भूमि का योग्य नियोजन कर कृषि उत्पादन बढाना यही विकास की मूलभूत नींव है ऐसासमझकर कार्यवाही करने की आवश्यकता निर्माण हुयी है।"

* "उसी के साथ वैयक्तिक लाभार्थियों के लिए जो विविध कार्यक्रम है याने, गरीबी की रेखा के निचे के अल्पभूधारक किसानों को कुए बांध देने का कार्यक्रम, फलोद्यान, चारागाह विकास कार्यक्रम, रेशीम उद्योग, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय, घरघरमें बायोगैस जैसे कार्यक्रम और रोजगार निर्मिती कार्यक्रम का समन्वय करना होगा। गांव को विकास की इकाई मान कर ऐसे गांव में सभी तरह के काम लेने को प्राधान्य देना आवश्यक है।"

* "अत्यल्पभूधारक, खेतिहर मजदूर ग्रामिण गरीबों में सबसे निचे है। जिन सिमांतिक किसानो के पास ज्यादा फसल देने वाली अच्छी जमिन है उनकी तुलना अल्पभूधारक किसानोंके साथ हो सकता है। लेकीन जिनकी जमिन कम दर्जेकी और वर्षापरही निर्भर है ऐसे किसानों की स्थिती तो खेतिहर मजदुर जैसी ही है। जनसंख्या के अनुपात में सिमांतीक किसान और भूमिहिन मजदुर ग्रामिण जनसंख्या के ६०% है।

सिमांतीक किसान कृषिक्षेत्र में हो रही प्रगती से लाभ उठाकर जमिन की उत्पादकता कुछ अनुपात में बढा सकता है। जिसके लिए उन्हे मार्गदर्शन और थोडे से मदद की आवश्यकता है। जिससे उनकी जमिन आर्थिक दृष्टी से लाभदायक हो सकेगी। राज्य में भूमिहीन परिवारों का अनुपात २१.२५ है। (१९८१ की जनगणना) ये सभी बहुतांश गरीबी रेखा के निचे है। जिनकी स्थिती में सुधार करने के लिए कोशिश करना आवश्यक है। गांव के विकास का कार्यक्रम बनाते वक्त यह भी उद्देश्य नजरों के सामने रखना होगा। "

* "केंद्र सरकार पुरस्कृत "जवाहर रोजगार योजना " मे मुख्यत: गरीबी रेखा के निचे के लोग, अनुसूचित जाती, जनजाती, भूमिहिन मजदूर, औरते इन्हे रोजगार में प्राधान्य दे कर उनका आर्थिक स्तर उंचा करने के लिए जोर दिया गया है। गांव का सर्वांगिण विकास करने के लिए इस योजना का गांव विकास कार्यक्रम के साथ समन्वय साधकर कुल ग्रामिण जनता की आर्थिक स्थिती सुधारी जा सकेगी।"

इन मुद्दों को ध्यान में लेकर गांव को इकाई मान कर रोगायो ग्राम स्तर पर पहुँचानेके लिए इस कार्यक्रम का निर्णय सरकार ने लिया है ऐसा भी कहा गया है।

८.४.१ कार्यक्रम का लिखीत उद्देश्य ऐसा है -

"गांव को विकास की इकाई समझना, गांव की प्राकृतिक साधन संपत्ती का याने जमिन, पानी इत्यादीका जलबहाव क्षेत्र विकास कार्यक्रम की तरहही संपूर्ण विकास करना, वैयक्तिक लाभार्थियों के लिए सरकार की जीतनीभी योजनाएँ है उन्हे इस गांव में प्राथमिकता दे कर पुरक रूप में अंमल में लाना, गांव के लोगों को स्वयंरोजगार वैसेहीअन्य रोजगार उपलब्ध कराना, सभी कामों के कार्यान्वयन में ग्रामिण लोगोंका सक्रियसहभाग प्राप्त करना, उसीतरह कार्यक्रम में लगायी जा रही पुंजी से ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले इसी दृष्टी से ऐसे कार्यक्रम के लिए आवश्यक आगे की तथा पिछे की कडीयाँ जोडना यह इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य है।"

६.४.२ गांव चुनाव के लिए शर्तें -

इस कार्यक्रम के लिए गांव का चुनाव करते वक्त क्र (१) का मुद्दाप्रथम ध्यान में लेनाहोगा। वैसेही नीचे क्र. (३) अ से (३) ई तक की शर्तें जिसे मंजुर है ऐसे गांव में ही यह कार्यक्रम लिया जायेगा।

(१) इस गांव का चुनाव करते वक्त जिस गांव का भूपृष्ठ प्रवाही सिंचाई क्षेत्र (लिफ्ट इरीगेशन स्किम के साथ) २०% से ज्यादा है ऐसे गांव नहीं चुने जाए।

(२) यह कार्यक्रम लेने के लिए जो गांव आगे दी हुयी शर्तें मान्य करेंगे और उसी तरह ग्रामसभा में न्युनतम २/३ बहुमत से प्रस्ताव मंजुर करेंगे वही गांव इस कार्यक्रम में सहभागी हो सकेंगे। ग्राम सभा की ओर से ये शर्तें मंजुर है ऐसा करारनामा ग्रामपंचायत लिख देगी।

(३)अ- गांव में इस कार्यक्रम अंतर्गत लिए जाने वाले कामों पर हर दिन, खेती के काम के दिन छोड कर, कम से कम ५० मजदूर ग्रामसभा उपलब्ध करा देगी

(३)ब- गांव में के भुमिहिन मजदूर परिवार छोड कर अन्य सभी परिवारों में के दो स्वस्थ व्यक्ती (उम्र १८ से ५८) इस कार्यक्रम अंतर्गत शुरु काम पर महिनेमें न्युनतम एक दिन श्रमदान करेंगे। जो व्यक्ती श्रमदान नहीं करेंगी उस की ओर से श्रमदान के दिन की जितनी मजदुरी की रकम होगी उतनी वसूल कर ग्राम रोजगार निधी में जमा की जायेगी।

(३)क- मजदूर महिनेमें न्युनतम २० दिन नियमित रूप से काम पर आयेंगे और हर दिन न्युनतम ७ घंटे दिल लगाकर काम करेंगे।

(३)ड- गांव के अनुसूचित जाती, जनजाती, नवबौध्द, विमुक्त और

भिरस्ती जनजाती, पिछडे वर्गोंके कृषि सहकारी संस्था के लाभार्थी वैसेही अल्प तथा अत्यल्प भूधारक के जमिन पर संपूर्ण सरकारी खर्च से वैयक्तिक लाभ के काम लिए जायेंगे। अन्य लोगोंसे ऐसे कामों के लिए खर्च का ५०% ब्याज के साथ वसूल किया जायेगा। ऐसे कामों में कुआं, फलोत्पादन, निजी जमिन पर वनखेती, वृक्षलगाना, शहतुत के पेड लगाना इ. शामिल है।

(३)इ- गांव तथा गांव परिसर में कभी भी जानवर अनियंत्रित खुले नहीं छोडेंगे इस शर्त का कडाई से पालन होगा।

(३)ई- इस कार्यक्रम के तहत लगाये गये या अन्य कोइ भी पेड को गैरकानुनी तरीके से नही काटा जायेगा।

गांव ने सारी शर्तें पुरी करने पर भी उसका इस कार्यक्रम के लिए अंतिम चुनाव पालकमंत्री की अध्यक्षता मे स्थापित जिलास्तरीय समिती करेगी।

६.४.३ कार्यक्रम के अंतर्गत लिए जा सकने वाले काम

(अ) जलसंधारण

(१) परकोलेशन तालाब

(२) गांव तालाब

(३) नाला बंडींग

(४) सिंचाई के (नहर इ.) काम

(५) कुएँ (खर्च का पैमाना जीवनधारा योजना अनुसार होगा)

(६) भूमिगत बांध, चेक डॅम, सिमेंट प्लग

(७) फार्म पॉन्ड्स्

(ब) मृद् संधारण

(१) पड़ी टेरिसींग

(२) कंटूर बंडींग

(३) ग्रेडेड बंडींग

(४) फलोत्पादन

(५) वनीकरण

(६) चारागाह विकास

(७) कंटूर कल्टीवेशन विथ ग्रास गाईड लाईन्स

(क) वनीकरण/सामाजिक वनीकरण

(१) सरकारी और निजी जमिन पर पेड लगाना

(२) रास्ते, नहरें और रेल्वे लाईनों के बगल में दोनो ओर पेड लगाना.

(३) रोपवाटीका (नर्सरी)

(ड) मत्स्यबीज संवर्धन तालाब

(इ) फलोत्पादन

(ई) ग्राम विकास के काम

(१) अंबर चरखा

(२) रेशीम उद्योग

(३) सामुदायिक स्वच्छता से संबंधित काम

(४) प्रदुषण निर्मूलन काम

क्र. ई (१) से (४) तक के कामों के सबंध में सविस्तर सुचनाएँ बादमें स्वतंत्ररूप से दि जायेगी ऐसा मूल शासकिय निर्णय में लिखा गया था। लेकीन उसे अब एक साल का समय हो रहा है फिर भी कोई सुचनाएँ या स्पष्टिकरण नही दिया गया है।

सरकार के अन्य कुछ कार्यक्रम या योजनाएँ जैसे-जीवनधारा और जवाहर कुएँ, केंद्र शासन का वनीकरण एंव सामाजिक वनीकरण कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, इत्यादी का समन्वय इस कार्यक्रम के साथ करना है।

६.४.४ गांव विकास समिती

ग्राम स्तर पर गांव विकास समिती गठीत की जायेगी। जिसमे -

(१) सरपंच	अध्यक्ष
(२) ग्राम पंचायतने चुने हुये मजदुर और दुर्बल घटकों के २ प्रतिनिधी	सदस्य
(३) गांव की अन्य प्रमुख सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी (२)	सदस्य
(४) स्कुल के मुख्याध्यापक या कालेज के प्राध्यापक	सदस्य
(५) स्थानिक सहकारी पतपेढी के अध्यक्ष	सदस्य
(६) कृषिपर्यविक्षक-सदस्य सचिव (विस्तार अधिकारी)	सचिव
(७) ग्राम सेवक	सदस्य
(८) तलाठी (पटवारी)	सदस्य
(९) दो महिला प्रतिनिधी	सदस्य
(१०) दो प्रगत किसान	सदस्य

उपरोक्त २, ३, ४, ५, ९ और १० के व्यक्तियों का चुनाव और नाम संबंधी सुचना ग्रामपंचायतकी ओर से प्राप्त होनेके बाद जिलाधिकारी गांव विकास समिती की नियुक्ती करेंगे। गांवविकास समिती की हर माह कम से कम एक बैठक ली जायेगी।

इस समिती ने गांव विकास प्रकल्प का प्राथमिक आलेख देख कर उसे मंजुरी देने के बाद गांव विकास समिती की ओर से सरपंच यह प्रकल्प आलेख ग्रामसभा बुला कर ग्रामसभा के सामने रखेंगे।

ग्राम सभा ने २/३ बहुमत से यह आलेख मंजुर करने पर ही उस कार्यक्रमपर अंमल हो सकेगा।

६.४.५ रोजगारकी गारंटी

इस गांव के लोग भी अपने नाम रोगायो में पंजिबध्द करेंगे। मजदुर, पटवारी या गांव विकास समिती अध्यक्ष से काम की मांग करेंगे। वे ही उन्हे काम पर जाने के लिए निर्देशित करेंगे। अगर आवश्यकता से ज्यादा मजदूर काम की मांग करते है तो ज्यादा मजदुरों के नाम पटवारी तहसिलदार के पास भेजेंगा जो मजदुरोंको रोगायो नियमानुसार काम पर भेजेंगे। बाकी सभी नियम रोगायो के ही लागु होंगे।

जहां तक संभव हो गांव में ही रोजगार उपलब्ध करा देने की कोशिश रहेगी लेकीन काम की गारंटी रोगायो अनुसार ही जिलास्तर की होगी।

दरपत्रक और मजदुरी

७.१ दरपत्रक –

महाराष्ट्र के रोजगार गारंटी योजना की और एक विशेषता है। और वह विशेषता है, रोगायो के लिए विशेष रुप से तैय्यार किया गया दरपत्रक। जिसमें सभी तरह के कामोंका काफी बारीकी से विचार किया है। उदाहरणार्थ – मिट्टी काटने का काम ही लिजिए। सभी जगह मिट्टी एक जैसी नहीं होती, कहीं मुरुम होता है तो कहीं पत्थर, कहीं वह चीकनी होती है तो कहीं भरभरी, कहीं एकदम सुखी तो कहीं गीली, इन सभी के अनुपात में भी फर्क पडता है। मिट्टी के प्रकार अनुसार एक घनमिटर मिट्टी काटने के लिए लगने वाले समय में भी फर्क पडेगा। रोगायो दरपत्रक में ऐसे ग्यारह प्रकार की मिट्टी या जमिन काटने के लिए अलग अलग दर दिये हुये है। ये सारे दर खुदाई की जगह से केवल एक मिटर उंचाई तक और दस मिटर की दुरीतक मिट्टी, मुरुम या पत्थर ढोने के लिए ही केवल है। उससे ज्यादा उंचाई या अंतर के लिए अनुपात में ज्यादा दरों का अलग से प्रावधान है। निर्माण, सिंचाई, वन तथा कृषी विभाग के मिलाकर कुल ६४ तरह के कामों के लिए रोगायो दर पत्रक में विभिन्न दर निश्चित किये गये है। जनजाती उपयोजना या पहाडी दुर्गम क्षेत्रों के लिए अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा दर निर्धारीत किये है। खेतिहर मजदुरों के लिए निर्धारीत चार विभिन्न परिमंडलों के लिए अलग अलग दरों का प्रावधान है। जिन्हे दरपत्रक में सुस्पष्ट ढंग से अंकीत किया गया है।

रोगायो अंतर्गत शुरु कामों पर उस काम के प्रकारसे संबंधित मजदूरी के दर दिखानेवाला बोर्ड लगाना आवश्यक है। इस बोर्ड पर उस काम के संबंध में मजदुरी के सभी दर लिखे होने चाहिए ऐसे निर्देश है।

संदर्भ – शा. प. नि. वि. क्र. रोगायो–१०८६/प्र. २१/इएमपी–१२
दि. २८.८.१९८६

७.२ मजदूरी -

रोगायो काम की मजदुरी हर हफ्ते बाजार के दिन से एक दिन पहले और हर एक मजदुर के हाथ में ही दी जाऐ ऐसा प्रावधान है। किसी कारण अगर देरी होती है, तो अधिकतम पंधरह दिन की मर्यादा तय की गई है। उससे ज्यादा देरी होने पर किए गये काम के अंदाजन ५०% इतनी रक्कम मजदुरों को अॅडव्हांस के रूप में वितरीत की जाए ऐसे भी आदेश है।

८. कॉम्पेंडीयम-८१ और सारग्रंथ -८९

आम तौर से सरकारी योजना और कार्यक्रमोंमें इतने तरह के आदेश, शासकिय निर्णय और परिपत्रक निकलते रहते है की, अंमल करने वाले और लाभधारक दोनो को पता ही नही चलता कि उस तारीख को आदेश की निश्चित स्थिती क्या है। महाराष्ट्र सरकार ने इस कमी को पुरा करने के लिए प्रशंसनिय कार्य किया है। कॉम्पेंडीयम -८१ मे ८१ तक के और सारग्रंथ खंड-१ और खंड-२ में १९८९ तक के सभी शासकिय निर्णय, आदेश, परिपत्रक इत्यादी का संकलन अत्यंत सुव्यवस्थित ढंग से किया है। विषय के लघुशिर्षों के साथ अनुक्रमणिका और इंडेक्स भी देने से इन ग्रंथों की उपयोगीता बहुतही बढ गई है। लेकीन दुःख सिर्फ एकही बात का है की लोगों की दृष्टी से अत्यंत उपयुक्त इन ग्रंथों को 'सिर्फ कार्यालयीन उपयोग के लिए' रखा गया है।

सहपत्र क्र. १.१

महाराष्ट्र रोजगार गारंटी फंड १९७५ -से ७८-७९

अनु. क्र.	स्त्रोत	रसीद/खर्च शिर्ष	रोजगार गारंटी फंड में प्रत्यक्ष इकठ्ठा रक्कम (रुपये-करोडमें)			
			७५-७६	७६-७७	७७-७८	७८-७९
१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.
१.	पेशा, बेपार, आजीविका एवं रोजगार पर कर	00२८/२0२0	१0.४९	१७.८९	१८.४७	१९.६0
२.	मोटार वाहनों पर रोजगार गारंटी का अतिरिक्त कर.	00४१/२0४१	0.00	0.८0	0.९0	१.३३
३.	बिक्रि कर पर रोजगार गारंटी का अतिरिक्त कर	00४१/२0४0	0.00	८.४५	१६.२६	१0.११
४.	सिंचीत कृषी भूमिपर विशेष कर, तथा बिगर निवासी शहरी भूमि, मकान इ. संपत्ती पर रोजगार गारंटी उप कर	00४५/२0४५ 00४५/२0४५	0.00	0.१७	0.0८	0.१0
५.	भूमि राजस्व पर रोजगार गारंटी सर चार्ज	00२९/२0२९	0.00	0.0७	0.0९	0.४५
	कूल इकठ्ठा कर		१0.४९	२७.३८	३५.८0	३१.३९
	राज्य सरकार की ओर से उतनाही सहभाग		१0.४९	२७.३८	३४.४६	३१.३९
	रोजगार गारंटी फंड में कुल रक्कम		२0.९८	५४.७६	७0.२६	६२.७८
	रोजगार गारंटी योजना में खर्च		३४.६१	५१.१0	५१.५४	७४.१७
	फंड और खर्च में फर्क		- १३.६३	+ ३.६६	+१८.७२	-११.३९

सहपत्र क्रं. १.१

महाराष्ट्र रोजगार गारंटी फंड ७९-८० से ८४-८५

अनु. क्र.	स्त्रोत	रोजगार गारंटी फंड में प्रत्यक्ष इकठ्ठा रक्कम (रु. करोडमें)					
		७९-८०	८०-८१	८१-८२	८२-८३	८३-८४	८४-८५
1.	२.	८.	९.	१०.	११.	१२.	१३.
१.	पेशा, बेपार, आजीविका एवं रोजगार पर कर	२३.४७	३२.११	३६.२७	४१.८९	५२.३०	५७.९७
२.	मोटार वाहनोंपर रोजगार गारंटी का अतिरिक्तकर	०.८८	१.२९	१.१०	१.२०	१.५२	१.६८
३.	बिक्रि कर पर रोजगार गारंटी का अतिरिक्त कर	११.२२	१६.३०	१८.३३	२०.६१	२२.५०	३१.२३
४.	सिंचीत कृषी भूमिपर विशेष कर, तथा बिगर निवासी शहरी भूमि, मकान इ. संपत्ती पर रोजगार गारंटी उप कर	०.६३	१.३८	२.३८	३.६९	३.१४	३.६०
५.	भूमि राजस्व पर रोजगार गारंटी सर चार्ज	०.२०	०.८२	२.३९	२.२९	१.९५	१.२५
	कूल इकठ्ठा कर	३६.४०	५१.९०	६०.४७	६९.६८	८१.४१	९५.७३
	राज्य सरकार की ओर से उतनाही सहभाग	३६.४०	५०.११	६०.३४	६९.६८	८१.४१	९५.७३
	रोजगार गारंटी फंड में कुल रकम	७२.८०	१०२.०१	१२०.८१	१३९.३६	१६२.८२	१९१.४६
	रोजगार गारंटी योजना में खर्च	१०९.२३	१२२.१२	१२६.१७	१३०.९३	१८४.९८	२३२.००
	फंड और खर्च में फर्क	-३६.४३	-२०.११	-५.३६	+८.४३	-२२.१६	-४०.५४

सहपत्र क्र. १.१

महाराष्ट्र रोजगार गारंटी फंड ८५-८६ से ८८-८९

अनु. क्र.	स्त्रोत	रोजगार गारंटी फंड में प्रत्यक्ष इकट्ठा रक्कम (रू. करोड में)			
		८५-८६	८६-८७	८७-८८	८८-८९
१.	२.	१४.	१५.	१६.	१७.
१.	पेशा, बेपार, आजीविका एवं रोजगार पर कर	७२.६१	८०.४१	९०.१७	१००.९४
२.	मोटार वाहनोंपर रोजगार गारंटी का अतिरिक्तकर	१.८५	२.१५	२.३६	४.३६
३.	बिक्री कर पर रोजगार गारंटी का अतिरिक्त कर	३१.९३	३३.३८	४२.२०	४७.११
४.	सिंचीत कृषी भूमिपर विशेष कर, तथा बिगर निवासी शहरी भूमि, मकान इ. संपत्ती पर रोजगार गारंटी उप कर	४.०६	४.१३	४.२३	४.४८
५.	भूमि राजस्व पर रोजगार गारंटी सर चार्ज	१.४१	१.४३	१.४३	०.९८
	कुल इकट्ठा कर	१११.८६	१२१.५०	१४०.३९	१५७.८७
	राज्य सरकार की ओर से [illegible] सहभाग	१११.८६	१२१.५१	१४०.३९	१५७.८७
	रोजगार गारंटी फंड में कुल रक्कम	२२३.७२	२४३.०१	२८०.७८	३१५.७४
	रोजगार गारंटी योजना में खर्च	२७२.००	२४६.००	२५३.६६	२५४.२३
	फंड और खर्च फर्क	-४८.२८	-२.९९	+२७.१२	-६१.५१

□ माड़िया आदिवासी दम्पत्ति

पर्यावरण

खंड - दो

प र्या व र ण

प्रस्तावना -

कुछ समय पहले तक यह माना जाता था की पर्यावरण समस्या यह सिर्फ धनी देशों की समस्या है और उनकी औद्योगिक प्रगती के साइड इफेक्ट के रूप में निर्माण हुयी है। लेकीन आज पर्यावरण समस्या विकसनशील देशों के जिने मरने का सवाल बन गई है। वह पर्यावरणिय तथा आर्थिक घसराव का एक अंग है जिसमें कई गरीब देश फंसे हुये है। सभी ओर से प्रदर्शित कागजी आशाओं के अलावा ऐसी कोई निती और कार्यक्रम नही दिखाई देते जिनसे प्रत्यक्ष में अमीर और गरीब के बिच की खाई पाटी जा सके। हमारे "विकास" की गलत संकल्पना के कारण हमने, लाखो लाख वर्षों से चली आयी उत्क्रांती की धारा को मोड़ कर अपने इस ग्रह पृथ्वीकी ऐसी हालत बना डाली है की हमारे पुर्वज अगर लौटकर आये तो शायद ही पहचान सके।

पर्यावरण, मानवी गतिविधी, महत्त्वाकांक्षा और आवश्यकताओं से परे जिसका अस्तित्व है ऐसी कोई चिज नही है। मानवी संदर्भ से अलग हटकर "पर्यावरण" को परिभाषीत करने की कोशिश के कारण राजनिती के क्षेत्र में सक्रिय कुछ लोगों में यह गलतफहमी पनपी की इससे हमारा कोई संबंध नही। "विकास" का अर्थ सिर्फ गरीब को अमीर बनाना है, इस आशय ने विकास शब्द को और भी संकुचित बना दिया।

पर्यावरण वह है जहां हम सभी रहते है और "विकास" वह है जो हम उस जिनेकी जगह में अपने सुधार की कोशिश करते है।

यह निश्चित है की आज हम किसी दुसरे की सुरक्षा की किंमत पर किसी एक की सुरक्षा नही प्राप्त कर सकते। सुरक्षा का मतलब सिर्फ राजनितीक एवं सैनिकी सुरक्षा से नही तो वह पर्यावरणिय, आर्थिक और सामाजिक भी होना आवश्यक है। शस्त्र स्पर्धा समाप्त किये बगैर आर्थिक समस्या एवं अकाल से उभरना असंभव है। गरीबी और भय, तनाव एवं टकराहट को जन्म देते है और अवनत पर्यावरण जिसमें गरीबी और भय अंगभूत है, सर्वनाश की ओर अग्रेसर होता है।

जागतिक आव्हान : यश और अपयश

जो यश और आशा के चिन्ह देखना चाहते है उन्हे कई बाते दिखाई देगी। बालमृत्यु का अनुपात कम हुवा है। आदमी की उम्र में बढोत्तरी हुयी है। ऐसे प्रौढ जो लिख और पढ सकते है, की संख्या बढी है, स्कुल में भी अब ज्यादा बच्चे जाने लगे है, जागतिक अन्न उत्पादन भी जनसंख्या की तुलना में ज्यादा तेजी से बढा है।

लेकिन उपरोक्त उपलब्धीयाँ देनी वाली प्रक्रियाने ही ऐसे परिणामों को भी जन्म दिया है जिसे यह ग्रह तथा उस पर के लोग ज्यादा समय तक नही सह सकेंगे। इसे दो हिस्सो में देख सकते है, १) "विकास" की असफलता और २) हमारे मानवी पर्यावरण के व्यवस्थापन की असफलता। विकास के हिस्से में ठोस संख्या में हम गिन सकते है की -- जितने इससे पहले कभी नही थे इतने ज्यादा लोग आज भुखे है, और उनकी संख्या बढ ही रही है। वैसे ही जिन्हे पढना लिखना नही आता ऐसे प्रौढ; सुरक्षित एवं अच्छे घरों से तथा पिने के लिए सुयोग्य पानी से वंचित लोग; खाना पकाने तथा खुद को गर्म रखने के लिए आवश्यक जलावन की जिन्हे कमी है ऐसे लोगों की संख्या भी बढती जा रही है। अमीर और गरीब देशों के बिच की खाई कम होने की बजाए बढ ही रही है और आज की दिशा और संस्थात्मक व्यवस्था देखते हुये वह कम होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती।

मनुष्य सहीत कई जिवजंतुओं तथा वनस्पति प्रजातियों को जिसके कारण खतरा पैदा हो गया है ऐसी घटनाएँ भी बढती जा रही है। दुनिया में हर वर्ष ६ दसलक्ष हेक्टर्स सुखी भूमि रेगिस्तान में परिवर्तित हो रही है। तीन दशकों में यह करीबन सौदी अरेबिया जितनी हो जायेगी। ग्यारह दसलक्ष हेक्टर्स से ज्यादा वन हर वर्ष नष्ट हो रहे है, अगले तीन दशकों मे करीबन भारत की भूमि इतना वन पृथवी से नष्ट हो चुका होगा। बनों का बडा हिस्सा ऐसी निकृष्ठ कृषी भूमि में रूपांतरीत हुवा है जो उसे कसने वाले किसान की भी जरूरतो को पुरा नही कर सकता। युरोप मे तेजाब की वर्षा ने वन एवं जलाशयों की हत्या की है, तथा पुरातत्व एवं कलादृष्टी से महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय स्मारकों को नुकसान पहुँचाया है। उसने भूमिके एक बडे पट्टे को इतनी बुरी तरह तेजाब

युक्त कर दिया है की उसे ठिक करना असंभव दिखाई दे रहा है। भूमिगत इंधन के जलने से वातावरण में कार्बन डाय ऑक्साईड की मात्रा दिन ब दिन बढती ही जा रही है, जिससे जागतिक तपमान बढ रहा है। इस "ग्रीनहाऊस इफेक्ट" के कारण अगले शतक के प्रारंभ में ही तपमान इतना बढ जाने की संभावना है की जिससे कृषी उपज क्षेत्रों में परिवर्तन होंगे; समुद्री सतह उपर उठेगी, जिससे किनारों के क्षेत्रोंमें बाढ आयेगी और वहांकी अर्थव्यवस्था अस्तव्यस्त हो जायेगी। अन्य औद्योगिक वायुओं से हमारे पृथ्वीपर स्थित ओझोन सुरक्षा कवच में ही छिद्र होने का खतरा पैदा हो गया है, जिससे कई तरह के मनुष्य एवं पशुओं के कॅन्सर अचानक बढ सकते है तथा समुद्री अन्न श्रृंखला भी बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। उद्योग और खेती के माध्यम से कई हानीकारक द्रव्य मनुष्य की अन्न श्रृंखला में तथा भूपृष्ठ के निचे के पानी में इस गहराई से दाखील हो चुके है की उन्हे स्वच्छ करना असंभव हो गया है।

राष्ट्रिय सरकारों तथा अंतराष्ट्रिय संस्थानों में दिन ब दिन यह समझ विकसीत हो रही है की - आर्थिक विकास के मुद्दों को पर्यावरण के मुद्दों से अलग करना असंभव है। विकास के कई तरिको ने पर्यावरणिय साधनसामुग्री के ऐसे स्त्रोतों को ही बरबाद कर डाला है जो उनके लिए आधारभूत थे। तथा पर्यावरणिय अवनती से आर्थिक विकास की बुनियाद पर ही आघात हुवा है। जागतिक पर्यावरणिय समस्या का प्रमुख कारण और परिणाम गरीबी है। जागतिक गरीबी एवं आंतराष्ट्रिय असमानता के पिछे छिपे कारणों को घेरने वाले व्यापक दृष्टीकोन के बगैर पर्यावरणिय समस्या से निपटना निरर्थक सिध्द होगा।

अभी अभी तक हमारी पृथ्वी एक बडी दुनिया थी जिसमें मानवी गतिविधीयाँ और उसके परिणाम, राष्ट्रो में; उर्जा, कृषी और व्यापार क्षेत्रों में तथा पर्यावरणिय, आर्थिक एवं सामाजिक व्यापक दायरो में साफ ढंग से वर्गिकृत किये जाते थे। यह वर्गिकरण अब ध्वस्त होता जा रहा है। विशेषत: गत दशक में लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाली सभी जागतिक समस्याओं के संदर्भ में यह विधान किया जा सकता है। ये समस्याएं अपने आप में अलग, पर्यावरणिय समस्या, विकास समस्या या उर्जा समस्या नही है। वे सभी एक ही है।

आर्थिक विकास का प्रमुख आधार है नई तकनिक, यह तकनिक एक ओर मर्यादीत साधनस्त्रोतों के उपयोग की भयावह गती को धिमा करने की क्षमता प्रदर्शित करती है तो दुसरी ओर नये तरह के प्रदुषण तथा उत्क्रांती के मार्ग को ही बदल डालने वाले नये सजीवों का पृथ्वी पर निर्माण जैसे तीव्र खतरे भी पैदा करती है। दरम्यान प्राकृतिक साधनस्त्रोतों पर अवलंबित तथा बड़ी मात्रामें प्रदुषण फैलाने वाले उद्योग विकसनशिल देशों में तेजी से बढ़ते जा रहे है, जहां दोनो बाते एक साथ मौजूद है, बढौतरी (ग्रोथ) की अत्यावश्यकता और भयावह साईड इफेक्टस् को न्युनतम करने की क्षमता का अभाव।

इन परस्परावलंबी परिवर्तनोने जागतिक आर्थिकता (इकॉनामी) एवं पर्यावरणियता (इकॉलाजी) को एक नये तरिके से एक दुसरे के साथ बांध दिया है। भुतकाल में हम आर्थिक वृध्दी (इकॉनामिक ग्रोथ) के पर्यावरणिय (एनव्हरामेंटल) परिणामों के बारे में चिंतीत थे। आज हम पर्यावरणिय समस्याएँ - मिट्टी, पानी, वातावरण तथा वनों की अवनती से हमारे आर्थिक भविष्य पर होने वाले परिणामों के बारेमें सोचने के लिए मजबूर हो गये है। नजदिक के भूत काल में विभिन्न देशों के बिच आर्थिक परस्परावलंबन में तीव्र वृध्दी की समस्या से हमें सामना करना पडा। आज हमे विभिन्न देशों के बिच पर्यावरणिय परस्परावलंबन की बढ़ती हुयी गती के साथकदम मिला कर चलने के लिए अपने आप को योग्य बनाने के प्रयास करने पड रहे है। पर्यावरणशास्त्र और अर्थशास्त्र आज पहले कभी नही थे इतने एक दुसरे में गुंथ गये है - स्थानिक, क्षेत्रिय, राष्ट्रिय और जागतिक स्तर पर- कारण और परिणामों की एक अंतहिन श्रृंखला से बंधगये है।

पिछले कुछ दशको में जिससे जीवन ही नष्ट होने का धोका है ऐसी पर्यावरणिय समस्यायें विकसनशील देशों में उभर कर आयी है। ग्रामिण क्षेत्रो में बढ़ती हुयी किसान और भूमिहिनों की संख्या का दबाव है तो शहर, लोग, कारें तथा फेक्टरियों के बोझ से दबे जा रहे है। फिर भी, उसी समय सारे विकसनशिल देश ऐसी दुनियामें जीने के लिए मजबूर है जहां - विकसनशील देश तथा विकसीत औद्योगिक देशों के बिच की साधनस्त्रोत की खायी बढ़ती ही जा रही है, जहां औद्योगिक जगत महत्त्वपूर्ण आंतराष्ट्रिय संस्थाओं के नियम बनाने में हावी है, और जहां औद्योगिक जगत ने पृथ्वी की पर्यावरणिय पूंजी को बड़ी मात्रा में पहले ही

...कर दिया है। यह असमानता पृथ्वी की सब से बड़ी "पर्यावरणिय" और "विकास" विषयक समस्या है।

बहुसंख्य विकसनशील देशो में प्रती व्यक्ती आय, वहां की एक दशक पहले की प्रत्यक्ष आय से कम हुयी है। बढ़ती हुयी गरीबी और बेरोजगारी से पर्यावरणिय साधनस्त्रोतों पर दबाव बढ़ा है क्यों की ज्यादा लोग अब सिधे उन पर अवलंबित रहने के लिए मजबूर हुये है। पर्यावरणिय समस्या और ज्यादा गहरी एवं चौड़ी होती जाने से राष्ट्र की सुरक्षा को ही नही, अस्तित्व को ही खतरा पैदा हो गया है। जो किसीभी शस्त्रसज्ज सेना या दुष्मन पडोसियों के गठबंधन से भी ज्यादा खतरनाक है।

उपर वर्णित सारी बाते जागतिक स्तर पर तथाकथित विकसीत और विकसनशील देशों के लिए जितनी सही है, उतनी ही देश के अंदर- विकसीत और पिछड़े क्षेत्र, उद्योग और खेती की अर्थव्यवस्था, आदिवासी और गैर आदिवासी समाज, स्त्री और पुरुष - इन सभी के लिए भी उतनी ही सही है।

इस पृष्ठ भूमि के साथ गडचिरोली जिले की भूमि, पानी, वन, बांध, लोग, संस्कृती, स्वास्थ, विकास योजनाएं और शासन विषयक परिस्थिती को समझना उचित होगा।

गढ़चिरोली जिला, महाराष्ट्र राज्य का पर्यावरण

- भूमि -

१.१ भौगोलीक स्थान -

इस जिले का भौगोलीक स्थान महाराष्ट्र राज्य के आग्नेय याने की दक्षिण - पूर्व दिशामें उत्तर अक्षांश १९^0 से २१^0, पूर्व रेखांश ८0^0से ८१^0 के बिच में है। इस जिले के उत्तर में भंडारा जिला पूर्व में मध्यप्रदेश के राजनांदगांव तथा बस्तर जिले, दक्षिण में आंध्रप्रदेश के करीमनगर और आदिलाबादजिले और पश्चिम में चंद्रपूर जिला है।

१.२ क्षेत्रफल एवं उपयोग -

जिलेका कुल क्षेत्रफल १५,४३,300 हेक्टर्स है। जिसमें २२.0७ प्रतीशत कृषी के लिए योग्य, १.७४ प्रतीशत चारागाह, १.६६ प्रतीशत कृषी के लिए अयोग्य तथा ७४.५३ प्रतीशत वन भूमि है। महाराष्ट्र राज्य के कुल क्षेत्रफल का ५.0१ प्रतीशत गडचिरोली जिले से व्याप्त है। अधिक जानकारी के लिए तालीका क्र. ब-१ देखे।

१.३ भौगोलीक विशेषताएँ -

जिले की पश्चिम सिमापर से वैनगंगा और प्राणहिता नदीयाँ बहती है। इन नदियोंसे लगा हुवा क्षेत्र वैनगंगा की घाटी कहलाता है। जो कृषी के लिए उपयुक्त एवं उपजाऊ है। जिले का पूर्वी हिस्सा उंची, नीची टेकरीयों तथा जंगलों से व्याप्त है। जिनमेंअहेरी, भामरागड, टिप्पागड, पल्लसगड, सुरजागड इ. प्रमुख टेकरीयाँ है। जिले में सबसे उंची शिखर, गडलगट्टा पहाडी में ९६७ मीटर की उंचाई पर है। टेकरियों की कतारों को टिप्पागड, सिरोंचा और सुरजागड कतारों के नाम से जाना जाता है। टिप्पागड समुद्रतलसे ६0९ मीटर तथा सुरजागड समुद्रतलसे ५४८ मीटर उंचाई पर है।

१.४ भूगर्भ रचना -

सिरोंचा, अहेरी और आरमोरी तहसिल का कुछ हिस्सा छोड दे तो बाकी सारा जिला आर्कियन कालीन पत्थर से व्याप्त है। जिसमें प्रमुखत: ग्रेनाईट, नाईस, गब्रोबेसीक इत्यादी पत्थरों का समावेश है।

सिरोंचा और अहेरी में कड़प्पा कालीन चुना तथा मिट्टी के पत्थर दिखाई देते है वैसेही सिरोंचा के दक्षिण में और आरमोरी देसाईगंज परिसर में गोंडवाना कालीन पत्थर है।

१.५ भूमि प्रकार :-

भूमि के प्रकार की दृष्टी से जिले का वर्गिकरण तीन हिस्सोंमें होता है।

१.५.१ वैनगंगा नदी किनारे की उपजाऊ भूमि :- जिले की पश्चिमी सिमा से उत्तर दक्षिण बहने वाली वैनगंगा नदी के किनारे की भूमि उपजाऊ एवं चिकनी मिट्टी की है। उससे लगी हुयी जमिन लोम-वालुकामिश्रीत तथा मुरूमयुक्त है। इस जमीन में लोह का अनुपात भी ज्यादा है।

१.५.२ गोदावरी किनारे की उपजाऊ भूमि :- जिले की दक्षिण सीमा से पश्चिम पूर्व बहने वाली गोदावरी नदी के किनारेकी जमीन भारी खाद की काली एवं उपजाऊ है।

१.५.३ पूर्व में टेकरियों का पहाडी हिस्सा :- जिले का ३/४ भाग इस प्रकार में आता है,। इसी हिस्से में टेकरीयां तथा घने वन है। जमिन लोम-वालुकामिश्रीत तथा मुरूम युक्त है। लाल चिकनी मिट्टी प्रमुखत: है, जिसमें धान की फसल ली जाती है।

- मौ स म -

२.१ तापमान -

गडचिरोली जिले में गरमी ज्यादा होती है। तुलना में ठंड के दिनो में तापमान काफी निचे आता है। तीव्रगरमी तथा वनों के कारण हवा में स्थित बाष्प से यहां का मौसम बाहरी लोगोंको तकलीफ देह होता है। तथापी अप्रेल अंत तक राते ठंड होती है। मई माह सबसे ज्यादा गरमी का माह होता है। जिले का सर्वसाधारण अधिकतम तपमान ४४.८^{0} सेल्सीयस तथा न्यूनतम तपमान १२.३^{0}सेल्सीयस है। आज तक का अधिकतम तापमान १९८० के मई माह में ४७.१^{0} सेल्सीयस तथा उसी साल न्युनतम तापमान ११.२^{0}सेल्सीयस सिरोंचा में रेकार्ड किया गया है। दिसंबर तथा जनवरी माह में साधारणत: ज्यादा ठंडी होती है। अधिक जानकारी के लिएकृपया तालीका क्र. ब-२ देखे।

२.२ पर्जन्यमान -

इस जिले में मुख्यत: नैरुत्य मान्सून हवाओं से वर्षा होती है। सर्वसाधारण पर्जन्यमान १३०० से १५०० मि.मि. है। १९८७-८८ सालमें कुल १३८८.०६ मि.मि. वर्षा हुयी। जून से अक्तुबर तक वर्षा का मौसम होता है। करीबन ६० से ७० दिन वर्षा होती है। १९८७ साल में जून से अक्तुबर तक हुयी वर्षा संबंधी जानकारी के लिए कृपया तालीका क्र. ब - 3 देखे।

- पा नी -

३.१ नदियाँ -

इस जिले की पश्चिम सीमा से वैनगंगा नदी बहती है। दक्षिण सीमा गोदावरी नदी है। तो पूर्व सीमा इंद्रावती व्दारा रेखांकीत है। यह तीन नदीयाँ जिले की प्रमुख नदीयाँ है। उनके अलावा दिना, गाढवी, खोब्रागडी, कठाणी, पोर, निब्रा, कोटरी और बांदीया अन्य महत्त्वपूर्ण नदीयाँ है। वैनगंगा और वर्धा नदी का संगम होने के बाद वह नदी प्राणहिता नाम से जानी जाती है जो आगे जा कर गोदावरी में समा जाती है। पूर्व सीमा पर से बहने वाली इंद्रावती में भामरागड के पास निब्रा और कोटरी नदियाँ आ मिलती है। यह तीन नदियों का संगम क्षेत्र अत्यंत मनोहारी है। इंद्रावती आगे सोमनूर के पास गोदावरी में समा जाती है। वैनगंगा, गोदावरी और इंद्रावती इन तीन प्रमुख नदियों का उद्‌गम क्रमश: मैकल (जिला दुर्ग म.प्र.), त्र्यंबक (जिला नाशिक महाराष्ट्र) तथा चंद्रगिरी (जिला कालाहांडी, ओरीसा) पहाडीयों में हुवा है।

३.२ तालाब -

गडचिरोली जिले में छोटे बडे मिलाकर कुल १६२८ तालाब है। जिनमें से २३ सिंचाई विभाग तथा १६०५ जिल्हा परिषद की देखरेख में है। उनका पानी मुख्यत: कृषी सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। उसके अलावा मत्स्य व्यवसाय के लिए भी इन तालाबों का उपयोग होता है।

३.३ सिंचाई -

विभिन्न स्त्रोंतों से १९८१ में सिंचाई की जानकारी निचे अनुसार है। गडचिरोली उपविभाग में कुरखेडा, आरमोरी, गडचिरोली, धानोरा और चामोर्शी यह पांच तहसिले तथा अहेरी उपविभाग में अहेरी, एटापल्ली और सिरोंचा यह तीन तहसिले आती है।

सिंचाई का जल स्त्रोत	गडचिरोली उपविभाग (हेक्टर्स)	अहेरी उपविभाग (हेक्टर्स)	गडचिरोली जिला	
			कुल (हेक्टर्स)	कुल सिंचाई का प्रतिशत (%)
१.	२.	३.	४.	५.
सरकारी नहर	६८७१.००	-	६८७१.००	१७.९३
निजी नहर	१९.००	-	१९.००	०.०४
कुआं (बगैर बिजली)	१२३६.९२	३८८.२४	१६२५.१६	४.२४
कुआं (बिजली के साथ)	२०.२५	११.००	३१.५१	०.०४
ट्युबवेल (बगैर बिजली)	-	१७६.००	१७६.००	०.४५
ट्युब वेल (बिजली के साथ)	१६.००	-	१६.००	०.०४
तालाब (टॅन्क)	२६००७.३०	९९१.००	२६९९८.३०	७०.४५
जलाशय (लेक)	-	२७.००	२७.००	०.०७
नदी	२२५.८१	८९.००	३१४.८१	०.८२
अन्य	१०१२.०४	१२२८.२४	२२४०.२८	५.८४
कुल -	३५,४०८.५८	२,९१०.४८	३८,३१९.०६	१००.००

१९८३-८४ से १९८५-८६ तक तीनसाल की सिंचाई घनता की जानकारी निचे तालीका में दि है।

वर्ष	कुल कृषी क्षेत्र (हेक्टर)	सिंचीत क्षेत्र (हेक्टर)	कुल कृषी क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत (%)
१९८३-८४	२१७१४६	३८६७२	१७.८१
१९८४-८५	२१२२७६	४२०६८	१९.८२
१९८५-८६	२२०२१३	४३०१७	१९.५३

३.४ जलनिस्तार -

पानी के उपयोग संबंधी परंपरागत अधिकारों को भी निस्तार अधिकार कहा जाता है। पहले यह क्षेत्र सी.पी.ॲन्ड बेरार का हिस्सा था। तब १९६३-६५ में निस्तार इन्क्वायरी हो कर हर एक गांव का निस्तारपत्रक बनाया गया है जिसमें जलनिस्तार के अधिकारों को भी दर्ज किया गया है। इन अधिकारों में साधारणत: जानवरों को पानी पिलाना, सिंचाई तथा मत्स्यपालन के अधिकारों का समावेश है।

३.५ - भूगर्भजल -

३.५.१ भूगर्भजल स्थिती -

गडचिरोली स्थित भूजल सर्वेक्षण और विकास विभाग व्दारा प्राप्त जानकारी के अनुसार गडचिरोली जिले में भूजल की स्थिती निचे अनुसार है।

जलव्हास क्षेत्र का दर्जा	जलव्हास क्षेत्रों की संख्या	उपयोग योग्य पानी का पुनर्भरण हेक्टर मिटर	पानी की निकासी हेक्टर मीटर	शेषभूजल हेक्टर मिटर
१.	२.	३.	४.	५.
व्हाईट	८३	१,७५,६१६.३७	२,३७२.९४	१,७३,२४३.४३
ग्रे	-	-	-	-
डार्क	-	-	-	-

उपलब्ध जानकारी अनुसार गडचिरोली जिले में भूगर्भजल स्थिती बहुत ही अच्छी है। सिर्फ यह पानी जमिन में ७० से १२५ फिट निचे पाया जाता है। अपवाद है सिरोंचा तहसिल के गोदावरी किनारे के कुछ हिस्से का। जहां तुलना में जलस्तर बहुत ऊँचा है। लेकीन सर्वसाधारणत: जिले में भूजलस्तर काफी निचे ही है।

३.५.२ सिंचाई के लिए कुँए -

भूजल सर्वेक्षण और विकास विभाग ने जिले के लिए "डग कम बोअर वेल" का सुझाव दिया है। जिसमें उसे ४ मिटर, डाई-मिटर का कुआं

४० से ४५ फिट खुदाई कर निचे से उपर तक बाँधना है और फिर उसमें ७५ से १२५ फिट तक निचे बोअर करना है। ऐसा करने पर ही वह कुआं उपयुक्त होगा। अन्यथा अगर सिर्फ खुदाई करते है और बोअर नही करते तो वह कुंआ नही मात्र गढ्ढा होगा जिसमें बरसात का पानी इकठ्ठा होगा, लेकीन एक बार वह पानी बाहर निकाला तो फिर उसमें पानी आने की कोई संभावना नही। यहां की मिट्टी का जो स्तर है वह कुछ इस तरह का है की वह पानी सोख तो लेता है लेकीन छोडता नही है। यहीं वजह है की इस जिले में परकोलेशन तालाब नही है। पुराने समयमें गहरेबोअर लेने का तंत्रज्ञान उपलब्ध नही होने के कारण बहते पानी को तालाबों में रोककर ही सिंचाई की परंपरा विकसित हुयी है। कुछ पूर्वजों ने कुओं व्दारा सिंचाई के लिए भी कोशिश की लेकीन असफल रहे। जिसका प्रमाण इस जिले में ४९१२ सिंचाई के लिए बांधे गये ऐसे कुएँ आज भी अस्तित्व में हैं जिनका कोई उपयोग नही है। भूजल सर्वेक्षण तथा विकास विभागने जिले में कुल ५७,७४७ कुओं की जगहों को (साईट को) मान्यता प्रदान की है। जिसके एक शतांश का भी लाभ अभी तक नही उठाया गया है।

३.५.३ पिने का पानी -

गडचिरोली जिले में गांवों की कुल संख्या १६७० है। जिसमें से १५७ गांव ऐसेहै जहां कोई बस्ती नही है। आबादी वाले कुल गांवों की संख्या १५१३ है। जिलाधिकारी कार्यालय से उपलब्ध जानकारी के अनुसार १३३६ गांवों को संपूर्ण वर्ष पिने के पानी की उपलब्धता है। कुल १७७ गांव ऐसे है जहां वर्ष में कुछ महिने पिने के पानी की तंगी होती है। १९८८-८९ वर्ष में ऐसे एक गांव में टॅन्कर से, ९ गांवों में १४ बैल गाडीयां व्दारातथा ६१ गावों में अन्य साधन तथा तरिकों से पिने का पानी उपलब्ध कराया गया। शेष १०६ गांवों में जहां पिने के पानी की तकलिफ थी क्या किया गया इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नही हो पायी।

३.५.४ पिने के पानी के कुएँ -

भूजल सर्वेक्षण तथा विकास विभागने पिने के पानी के कुएँ के लिए भी "बोअर कम डग वेल" या "बोअर वेल" का सुझाव दिया है। जिले में

पिने के पानी के कुएँ के लिए जनसंख्या का पैमाना काफी शिथील किया गया है। फिर भी सरकारी नियम, जिस गांव में ५० से कम जन संख्या है वहां पिनेके पानी के लिए कुआं खोदने की अनुमती नहीं देते। गडचिरोली जिले में ५० से कम जनसंख्या वाले कुल ९७ गांव है।

- कृषी -

९.१ भूधारक किसान और खेतिहर मजदूर -

गडचिरोली जिले में भुधारक किसानों की संख्या १,७५,४४० है। जिसमें से १,१८,१८३ पुरुष तथा ५७,२५७ महिलाएँ है। १९८१ की जनगणना अनुसार भूधारणा, भूधारक एवं उनके व्दारा धारीत क्षेत्र का प्रतीशत निचे अनुसार है।

अनु. क्रमांक	भुधारणा (हेक्टर)	भूधारक किसान (%)	धारीत क्षेत्र (%)
१.	० से २	५७.३३	२३.४५
२.	२ से ५	३२.००	३९.००
३.	५ से १०	८.५३	२४.२४
४.	१० से २०	१.९०	१०.७०(७०)
५.	२० से ५०	०.१९	२.१६
६.	५० से उपर	०.०५	०.४३
	कुल -	१००.००	१००.००

गडचिरोली उप विभागमें किसानों की कुल संख्या १,२६,७२९ और अहेरी उपविभाग मे ४८,७११ है।

गडचिरोली जिले में खेतीहर मजदुरो की कुल संख्या ७२,३८१ है जिसमें पुरुष३३,१७३ तथा महिलाएँ ३९,२०८है। गडचिरोली उपविभाग में खेतीहर मजदुरो की कुल संख्या ५६,८९४ है तो अहेरी उपविभाग में १५,४८७ है इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृपया तालीका क्र. ब-४ देखे।

४.२ कृषी पध्दती -

जिले का कुल कृषी क्षेत्र २, २०, २१३ हैक्टर्स है। अनाज की फसल में सब से बडा क्षेत्र ६२.५७ प्रतिशत धान (चावल) का है। दलहन १२.५८ प्रतिशत तथा ज्वार १३.०७ प्रतिशत क्षेत्र में लगाई जाती है। अन्य फसले ११.७८ प्रतिशत क्षेत्र में होती है।

४.३ कृषी उत्पादन -

१९८७-८८ में प्रमुख कृषी उपज का प्रतिहेक्टर उत्पादन तथा जिले का कुल उत्पादन जानने के लिए कृपया तालीका क्र. ब-५ देखे।

४.४ फल और सागसब्जी -

१९८५-८६ साल में फल तथा सागसब्जी का क्षेत्रकुल कृषी क्षेत्र के सिर्फ ०.३० प्रतिशत था। १९८२-८३ में फलदार पेडों का क्षेत्र २२२ हैक्टर था जो १९८५-८६ में कम हो कर १९५ हैक्टरमात्र रह गया। ८२-८३ में सागसब्जी का क्षेत्र ३८३ हैक्टर था जो ८५-८६ में बढकर ५२५ हैक्टर हो गया।

४.५ रासायनिक खाद -

गडचिरोली जिले में सन १९८७-८८में ८७.३५ मेट्रिक टन रासायनिक खाद का वितरण किया गया। जिसमें से ५५७७ मेट्रिक टन निजी संस्थाओं के द्दारा और ३१५८ मेट्रिक टन नियंत्रित संस्थाओं द्दारा वितरीत किया गया।

४.६ कृषी के लिए आवश्यक औजार एवं साहित्य -

कृषी संबंधी औजार एवं साहित्य उदा- हल, बैलगाडी, गन्ने का चरक, पानी खिंचने के पम्प, ट्रॅक्टर्स, तेल घानी इ. की जानकारी के लिए कृपया तालीका क्र. ब-६ देखे।

५ - बाँध -

५.१ छोटे बांध -

महाराष्ट्र राज्य के अन्यभूप्रदेशों की तुलना में इस जिले में वर्षा ज्यादा अच्छी होती है। छोटे छोटे बांध बना कर बरसात के

बहजाने वाले पानी को रोकना और उसे छोटे तालाब तथा बोडीयों में (छोटे से भी और छोटे तालाबों में) वह पानी इकठ्ठा कर उसका कृषी के लिए उपयोग करना यहयहाँ की पुरानी परंपरा है। कच्चे गीले मिट्टी की ईंटें बना कर उनके व्दारा बहते हुये पानी को भी रोकने की कला में यहाँ के लोग माहिर है। खास कर भंडारा जिले से लगे हुये इलाके में तालाब तथा बोडीयों व्दारा सिंचाई का ज्यादा अनुपात दिखाई देता है।

जिले में की कुल सिंचीत जमीन ३८३१९.०६ हेक्टर में से २६९९८.३० हेक्टर जमीन की सिंचाई छोटे तालाब और बोडीयों व्दारा ही होती है। जोकुल सिंचाई के ७०.४५ प्रतिशत है।

५.२ मध्यम और बडे बांध -

गडचिरोली जिले के संदर्भ में सरकारी कागजातों से दो बडे और तीन मध्यम सिंचाई प्रकल्पों की जानकारी मिलती है। कृपया तालीका क्र. ब-७ देखे। एक मध्यम सिंचाई प्रकल्प चामोर्शी तहसिल में दिना नदी पर १९७४ में बन कर तैय्यार हुवा। दुसरा बडा सिंचाई प्रकल्प जो ईटियाडोह प्रकल्प के नाम से जाना जाता है, गाढवी नदी पर भंडारा जिले में, गडचिरोली जिलेकी सीमा से करीब, १९७९ मे पूर्ण हुवा। इन बांधो से कितना लाभ होना था और प्रत्यक्ष में कितना हो रहा है यह सरकार के ही आँकडों से स्वयंस्पष्ट है।

गडचिरोली जिले की सीमासे करीब गोदावरी नदी पर "इंचमपल्ली" तथा बस्तर, म.प्र. और गडचिरोलीके बिच इंद्रावती नदी पर "भोपालपट्टनम्" इन दो अतिविशाल बाँधो को बनाने की भी योजना है। वैसेही इंद्रावती और वैनगंगा की पुरक नदियों पर कुटरू - I कुटरू - II, नुगुर-I नुगुर - II, तुलतुली, सतीनाला, चेन्ना, कारवाफा, मोगरा इत्यादी कई बडे और मध्यम बांध बनाने की योजना सरकार ने बनाई हुयी है।

तथाकथीत विकास के नाम पर थोपे जा रहे जनविरोधी प्रकल्पों के विरोध में "जंगल बचाव मानवबचाव आंदोलन" व्दारा १ अप्रेल १९८४ को जिला मुख्यालय में अतिविशाल प्रदर्शन हुवा। तब से उपर उल्लेखीत सभी प्रकल्पों के काम बंद है। इन सभीबांधो को वन संरक्षण कानुन(१९८०)

के तहत अभी तक अनुमती नही प्राप्त हो सकी है। केंद्र सरकारने वैकल्पीक वनिकरण के लिए वनेतर जमीन की राज्य सरकार से मांग की है। लेकीन ऐसी वनेतर जमीन जिले में उपलब्ध ना होने से मामला अटका हुवा है। रेकार्ड में झुडपी जंगल नाम से दर्ज जमीन को ही वनेतर जमीन माना जाए इस लिए राज्य सरकार ने अब एडीचोटी का पसीना एक कर दिया है। लेकीन अभी तक तो सफलता नही मिली है।

वन संरक्षण कानून(१९८०) के तहत अनुमती के बगैर ही राज्य सरकार ने १९८४ तक तुलतुली प्रकल्प परचार करोड रुपया खर्च कर डाला था तथा कारवाफा प्रकल्प में तो सिंचाई विभाग ने गैरकानुनी तरीके से डूब क्षेत्र में आनेवाला जंगल भी काटना शुरु कर दिया था। लेकीन ८४ से सभी मध्यम, बडे और अतिविशाल के काम बंद है।

- व न -

६.१ वनक्षेत्र -

गडचिरोली जिले में वन क्षेत्र कितना है ? इस पर वन विभाग और राजस्व विभाग के आंकड़ों में फर्क है। वन विभाग का कहना है की गडचिरोली जिले की कुल भूमि के ८७-६६ प्रतिशत वनभूमि है, तो राजस्व विभाग के हिसाब से वह केवल ७४.५१ प्रतिशत है। इसमें से कौनसा आंकडा सही है सो निर्णय होता रहेगा, एक बात मात्र सच है की महाराष्ट्र राज्य के जिलो में गडचिरोली जिला ही एकमात्र जिला है जहाँ कुल भूमि के इतना ज्यादा प्रतिशत वन भूमि है।

हर तहसिल में व्याप्त वन क्षेत्र को जिले के कुल वन क्षेत्र के संदर्भ में देखा जाए तो- सब से ज्यादा वन क्षेत्र एटापल्ली तहसिल में (३५%) उसके बाद क्रमश: अहेरी (१९%) धानोरा (१५%) कुरखेडा (८%) वन क्षेत्र है। सब से कम वन क्षेत्र गडचिरोली तहसिल में (४%) है। शेष वनक्षेत्र (१७%) सिरोंचा, चामोर्शी और आरमोरी तहसिलों में बंटा हुवा है।

६.२ वन प्रकार -

गडचिरोली और वडसा वन विभाग मे "अ" वर्ग और "ब" वर्ग आरक्षित वन (भूतपूर्व मालगुजारी) संरक्षित वन तथा (भूतपूर्व जमिनदारी)

संरक्षित वन संबंधित अधिक जानकारी के लिए कृपया तालीका क्र. ब-८ देखें।

इन दो वन विभागोंके कुल वन क्षेत्र का ८४.७३% संरक्षित वन है। जो निस्तार वन भी है। कुल आरक्षित वन केवल १५.२६% ही है। गडचिरोली वन विभाग में कुल ११६ गांव तथा अंदाजन १,०९,१५५.६१ हेक्टर वन ऐसे है जिनका सर्वेही नहीं हुवा है।

६.३ निस्तार अधिकार -

वन तथा अन्य प्राकृतिक साधन संपत्ती से संबंधित लोगों के जो परंपरागत अधिकार है उन्हे निस्तार अधिकार कहते है। जिसमें फल, फूल, कंद, मुल, जलावन, चारा, बांस, बल्ली, रेती, मिट्टी, मुरुम, पत्थर, पानी इ. जंगलमें जा कर विनामूल्य या जिलाधिकारी व्दारा निर्धारीत मुल्य पर लेने के अधिकार शामिल है। जहां सिधे अंग्रेजी हुकूमत थी वहां तो बहुत पहले ही योजनाबध्द तरीकों से इनपरंपरागत निस्तार अधिकारोंका गला घोट दिया गया था। लेकीन गडचिरोली जिले का बहुतांश हिस्सा आदिवासी जमिनदारों के हाथ था। सो १९५० में जमिनदारी नष्ट होने तक निस्तार अधिकार की परंपरा बनी रही। १९५३-५५ में निस्तार इन्कवायरी होकर हर एक गांव के लिए अलग से निस्तार पत्रक बनाया गया। जिसमें कौनसी भूमि पर ये अधिकार है सो स्पष्ट रुप से लिखा हुवा है। आमतौर से १९२०-२२ में हुये जमीन बन्दोबस्त (सेटलमेंट) नक्शों के अनुसार निश्चित गांव सीमा (व्हिलेज बाउंड्री) के अंदर के वन तथा प्राकृतिक संसाधनोपर उस गांव के लोगों के निस्तार अधिकार है।

६.३.१ निस्तार और रिजर्व फॉरेस्ट नोटीफिकेशन -

भारतिय वन अधिनियम के तहत संरक्षित वन (प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट) को आरक्षित वन (रिजर्व फॉरेस्ट) घोषीत करने के लिए सरकार की ओर से फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफीसर नियुक्त करएक प्रक्रिया चलाई गयी। मामला यहां तक पहुंचा गया की - राजपत्र में रिजर्व फॉरेस्ट नोटीफिकेशन छापकर प्रसिध्द करने के लिए कागजात भी शासकिय मुद्रणालय में पहुंच गये। तब जा कर लोकप्रतिनिधी और लोगों को इसकी जानकारी मिली।

इस नोटीफिकेशन व्दारा संरक्षित निस्तार वनों का आधे से ज्यादा हिस्सा आरक्षित वन घोषीत किया जाना था। जिससे परंपरागत निस्तार अधिकारों पर तीव्र आघात होता। अधिनियम में जो प्रावधान है उस अनुसार लोगों को जानकारी दे कर आपत्ती (आब्जेक्शन) लेने के लिए भी मौका नही दिया गया। सारी प्रक्रिया में सरकार ने स्थानिक लोकप्रतिनिधीयों को भी विश्वास में नही लिया। इत्तफाक से डॉ. बी. डी. शर्मा आयुक्त अनुसूचितजाती एवं अनुसूचित जनजाती, भारत सरकार व्दारा जब लोगों को इस नोटीफीकेशन के बारेमें जानकारी मिली तो तीव्र प्रतिक्रीया प्रगट हुयी। परिणाम स्वरूप राज्यसरकार को रिजर्व फारेस्ट नोटीफीकेशन की प्रक्रिया स्थगित करनी पडी।

६.३.२ निस्तार समस्या -

रिजर्व फारेस्ट नोटीफिकेशन रद्द करवा कर अपने कागजी कानूनी निस्तार अधिकारों को बचाने में सफलता प्राप्त होने का यह मतलब नही के वे अधिकार प्रत्यक्ष में लोगों को मिल रहे है। इस मुद्दे पर क्षेत्र में काफी असंतोष व्याप्त है। जहां जंगल है वहाँ एक तो चोरी छुपे या फिर घूस दे कर अपनी निस्तार आवश्यकताएँ पुरीकर रहे है। जहां वन ही नही रहे ऐसेगडचिरोली और देसाइगंज जैसे क्षेत्रों में वन विभाग के डिपो से या फिर सिरपर लकडी ढो कर लाने वाले ग्रामिणों से खरीद कर आवश्यकताओं की पूर्ती हो रही है। वनविभाग की लगातार कोशिश रही है की निस्तार हक सहुलियत में बदल दिये जाए और लोग वनों में जाने की बजाए वन विभाग के डिपो से ही लकडी तथा बांस इ. खरीदे। इस निती के चलते चालीस वर्षों में सबसे बुरी बात यह हुयी है की लोगोंके वनों से जो आत्मिय संबंध थे वे तेजीसे नष्ट होते जा रहे है और साथ साथ वन भी।

६.४ वनों का नाश और परती वन भूमि -

क्रमश:७२-७५ में तथा ८०-८२ में उपग्रह व्दारा लिये गये गडचिरोली जिला और संलग्न क्षेत्र के छायाचित्रोंपर आधारीत दो नक्शे सहपत्र क्र. न- ९ तथा सहपत्र क्र न-१० संलग्न है। जिन्हे देखने पर बात स्वयं स्पष्ट हो जाती है। जो वन बंद थे वे खुलते जा रहे है और जो खुले वन थे वे तेजी से नष्ट हो रहे है।

जिस वन भूमि पर ०.४ घनता से कम घनता वाले वन है, उसे परती भूमि (वेस्ट लॅन्ड) माना गया है। १ सितंबर १९८७ को वडसा वनविभाग में ३१,६२५.५७ हेक्टर तथा गडचिरोली वन विभाग मे ३०,४६३.९६ हेक्टर परती वन भूमि थी। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृपया तालीका क्र ब-११ देखे।

६.५ मुख्य और गौण वन उपज -

१९८७-८८ और ८८-८९ वर्षों में मुख्य तथा गौण वन उपज के उत्पादन एवं मुल्य संबंधी सरकारी जानकारी के लिए कृपया तालीका क्र. ब-१२ देखे।

सरकार और कुछ लोगों की दृष्टी से वनोपज का मतलब सिर्फ पैसा है तो बहुसंख्य लोगों के लिए वह अन्न, जल, जलावन, चारा, खाद, कृषि तथा मकान के लिए आवश्यक साधन एवं साहित्य तथा रोजगार का आधार है। इससंबंध में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए "फारिस्टॲन्ड पीपल, अ पार्टिसीपेटरी स्टडी" लेखक - मोहन हिराबाई हिरालाल और सविता तारे.

७. -ज न सं ख्या -

कृपया तालिका क्र ब-४ देखे। जिस में कुल जिला तथा तहसिलवार जनसंख्या, किसान, खेतिहर मजदुर तथा पंजिबध्द रोगायो मजदुर की संख्या की जानकारी दी हुयी है।

७.१ गडचिरोली जिले की १९८१ जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या ६, ३७, ३३६ है। जिसमें से ३, २१, ७१६ पुरुष तथा ३, १५, ६२० औरतें है। जिनमें से ८५, ३२० पुरुष तथा [illegible] औरतों ने [illegible] ने पंजिबध्द कराया है। जिन्हे रोजगार की आवश्यकता है ऐसे मजदूर के रूपमें अपना नाम रोगायों में पंजिबध्द कराने वाले कुल मजदुरोंकी संख्या १, ७१, ८००है।

जिले में सब से अधिकतम जनसंख्या चामोर्शी तहसिल में जिले की कुल जनसंख्या के २१.५४ प्रतिशत है। लेकीन पंजिबध्द रोगायो मजदुरों की

संख्या कुल पंजिबध्द रोगायो मजदूर संख्या के मात्र ७.३९ प्रतिशत ही केवल है। जबकी जनसंख्या में दुसरे क्रमांक पर की तहसिल आरमोरी (१९.१९ प्रतिशत) में रोगायो मजदुरों की संख्या अधिकतम (३२.५९ प्रतिशत) है।

कुरखेडा तहसिल में कुल जनसंख्या का ५१.८५ प्रतिशत हिस्सा रोगायो मजदूर के रूपमें पंजिबध्द है। जो कुल रोगायो मजदुरों की संख्या के२२ प्रतिशत है। आरमोरी तहसिल की कुलजन संख्या का ४५.८२ प्रतिशत हिस्सा रोगायो में पंजिबध्द है। जिले में आरमोरी औरकुरखेडा की मिलाकर जनसंख्या कुल जन संख्या के ३०.५७ प्रतिशत है। लेकीन केवल इन दो तहसिलो में ही जिले के कुल रोगायो मजदुरों का ५४.५९ प्रतिशत हिस्सा पंजिबध्द है इन दो तहसिलों में कुल किसान और खेतिहर मजदुर की संख्या से ज्यादा व्यक्तिओं ने अपने आप को रोगायो मजदूर के रूप में दर्ज कराया है। जब की अन्य सारी तहसिलो में रोगायो में दर्ज मजदुरों की संख्या किसान और खेतिहर मजदुरो की संख्या से कम ही है।

गडचिरोली, आरमोरी, कुरखेडा और धानोरा इन चार तहसिलों में कुल जिले की ५०.२८ प्रतिशतजनसंख्या रहतीहै लेकीन जिले के कुल रोगायो मजदुरों में से ७६.८३ प्रतिशत इन्हीं चार तहसिलो में निवास करते है।

७.२ जनसंख्या की घनता -

जिले में चामोर्शी, आरमोरी, गडचिरोली, कुरखेडा और सिरोंचा तहसिलो मेंअन्य तहसिलोंकी तुलना में जनसंख्या घनता ज्यादा है। तुलना में धानोरा, अहेरी और एटापल्ली तहसिलों में जनसंख्या घनता काफी कम है। गडचिरोली जिले की जनसंख्या घनता प्रति चौरस कि.मी. ४१ व्यक्ती इतनी है। जब की महाराष्ट्र राज्य की घनता प्रति चौ.कि.मी. २०४ व्यक्ती और भारत की प्रति चौ.की.मी. २१६ व्यक्ती है।

७.3 अनुसूचित जाती एवं जनजाती -

जिले की कुल जनसंख्या में से २,५०,५९९ व्यक्ती अनुसूचित

रोजगार गारंटी योजना

पर

अंमल

पर्यावरण के संदर्भ में

खंड : तीन

रोगायो पर अंमल (इम्प्लीमेंटेशन)
पर्यावरण के संदर्भ में

"महाराष्ट्र रोजगार गारंटी कानून १९७७" की प्रस्तावना में यह कानून बनानेके तीन प्रमुख उद्देश दिये है। सो ऐसे -

अ - महाराष्ट्र राज्यके ग्रामिण क्षेत्र में अकुशल (अनस्कील्ड) शारीरीक श्रम का कामकरने के लिए खुद हो कर तैय्यार सभी प्रौढ व्यक्तीओं को रोजगार की गारंटी दे कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद ४१ के अनुसार उन्हे काम का अधिकार प्राप्त करा देना।

ब - समाज तथा अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए स्थायी संपत्ती हो सकेगी ऐसे कामोंपर ऐसे वयस्क व्यक्तीओं को लगाना।

क - कुटीरोद्योग, ग्रामोद्योग और लघुउद्योग तथा कृषी-उद्योगों में, ज्यादा ग्रामिण मनुश्यबल का रोजगार देना शुरु रखना।

पर्यावरण के संदर्भमें रोजगार गारंटी कानून के ये तीनो उद्देश्य महत्वपूर्ण है। सो इन तीनों उद्देश्यों के पूर्ती की दृष्टीसें रोगायो तथा उस पर अंमल का मुल्यांकन पहले करना आवश्यक होगा।

१ काम का अधिकार

१.१ फार्म नं. ५ -

रोजगार गारंटी कानून" की धारा १७ के तहत "महाराष्ट्र रोजगार गारंटी नियम १९७९" बनाये गये। जिन्हे २७ जनवरी १९७९ से लागु किया गया। नियम की प्रती सहपत्र क्र. १.३ के रुप मे संलग्न है। रोगायो के अंमल के लिए फार्म नं १ से लेकर फार्म नं. १६ तक के फार्मोवाली एक प्रक्रिया निश्चित की गयी। जिसमें का ही एक है-फार्म नं.५।

जिसे भी रोगायो के तहत काम मांगना होगा उसे पहले अपने नाम का फार्म नं. १ भर कर पंजिकरण कराना आवश्यक है। जिस रजिस्टर में उसका नाम दर्ज होगा वह है फार्म नं. २। और उस मजदूर को जो

पंजिकरण नंबर लिखा हुवा पहचान पत्र दिया जायेगा वह है फार्म नं. ३। काम माँगने के लिए है फार्म नं. ४, जिसमें पंजिकरण नंबर लिखना आवश्यक है। फार्म नं ५ है, फार्म नं ४ की रसीद। फार्म नं. ४ का रेकार्ड रखने के लिए जो रजिस्टर है वह है फार्म नं. ६। मजदूर को काम पर जाने का आदेश फार्म नं. ७ में दिया जाता है। अगर काम माँगनेपर १५ दिन के बाद काम पर जाने का आदेशपत्र नही मिलता है तो १५ दिन के बाद जब तक काम पर जाने का आदेश पत्र नही मिलता है तब तक के कालावधी के लिए प्रती दिन २ रु. की दर से बेरोजगार भत्ता मिलने के लिए वह मजदूर पात्र हो जाता है। बेरोजगार भत्ता के मांग के लिए फार्म नं. ८ है। जिसके साथ फार्म नं. ५ में मिली रसीद जोडना आवश्यक है।

मतलब रोजगार की गारंटी की दृष्टी से यह फार्म नं. ५ अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर मजदूर को फार्म नं. ५ ना मिले तो उसने काम माँगने पर कितने दिन में काम पर जाने के आदेश उसे प्राप्त हुये सो पत्ता ही नही चल सकता। इसका अर्थ होता है, चाहे जितने दिन बाद आदेश दिये हो वे १५ दिन में ही दिये है ऐसा माना जा सकता है। और आदेश ना भी दे तो चल सकता है क्यों की नियमानुसार अर्जी अपूर्ण का कारण देकर बेरोजगार भत्ता मांग की अर्जी ही सिधे नकारी जा सकती है। और यह भी कहा जा सकता है की उस मजदूर ने तो काम मांगा ही नही था, तो फिर देने का सवाल ही कहां आताहै ?

अध्ययन के दौरान जो जानकारीसामनेआयी उससें यह बात साफ है, की आम तौर से कंही भी यह फार्म नं. ५ में रसीद नही दी जाती। अनौपचारीक रूप से प्रशासन और शासन ने यह तय कर रखा है की यह रसीद नही देनी है। जिसमे अपवाद स्वरूपहै आरमोरी तहसिल के कुछ गांव तथा कुरखेडा तहसिलका मात्र एक गांव। जहां रोगायो मजदुरों का संघठन है। उन्हे भी यह रसीद सहजता से नही मिली है। मजदुर संगठन को यह रसीद नियमानुसार दि जाए इस मांग के लिए आंदोलन करना पडा। कई गांवो में मजदुरोंने पटवारी या पंजिकरण अधिकारी जिसके तरफ यह रसीद देने का काम है उसे दो दो दिन तक घेराव कर स्थानबध्द कर रखा। तब जा कर कही इन इने गिने गांवों में सिर्फ इस फॉर्म नं. ५ के दुर्लभ दर्शन मजदुरों को हो पाये।

१.२ अंमल करने वाले विभाग के अधिकारीका रिमार्क और पत्र -

उपर उल्लेखीत परिस्थिती के अलावा अन्य तीन परिस्थितीयों में भी मजदुर नियमानुसार बेरोजगार भत्ता मिलने के लिए पात्र हो सकता है। कृपया नियम ९(१)(ब), (क) तथा (ड) देखे। इन परिस्थितीयों में बेरोजगार भत्ता मांगने के लिए फार्म नं. ८ के साथ फार्म नं. ५ मे रसीद के अलावा अंमल करने वाले विभाग के अधिकारी का रिमार्क जिसपर है ऐसा फार्म नं. ७ भी जोडना आवश्यक है। और दिखाई देता है की - अंमल करनेवाले अधिकारीयोंने यह तय कर रखा है की ऐसा रिमार्क नही देना है। जब की नियम ७ में स्पष्टरूप से ऐसा रिमार्क देने की बात कही गयी है।

नियम ७ के अनुसार ही अंमल करने वाले अधिकारी ने मजदुर के फार्म पर रिमार्क देने के बाद स्वतंत्ररूपसे पत्र लिख कर समिती अधिकारी को सूचना देनी है नियम ९(१)(ब) और(ड) की परिस्थितीयों में इसी पत्र के समिती अधिकारी को मिलनेपर वहां से आगे चार दिन की मर्यादा तय होती है। लेकीन आश्चर्य की बात है की इतनी बारीकीयोसे नियम बनाने वालों ने अंमल करनेवाले विभाग के अधिकारीयोंने यह पत्र कितने दिन में समिती अधिकारी तक पहुँचाना है इसकी कोई मर्यादा नही तय की है।

१.३ अनपढ मजदुर के लिए नियमों का जंजाल और पढ़े लिखे कर्मचारीयों की छुट -

अगर कोई रो.गा. नियम बारीकी के साथ पढे तो उसकी भी यही राय होगी। नियम ६ देखिए - काम मांगने वाले प्रत्येक व्यक्तीने खुद वह फार्म अधिकारीके पास देनाआवश्यक है। मतलब एक परिवार के ६ सदस्य उदा- एक बुढा बाप, लडका, बहू, दो बेटियां और एक लडका जो सभी वयस्क है और अपना नाम रोगायो के तहत पंजिबध्द कर चुके है, अगर काम मांगना चाहे तो सारे परिवार को अपनाअन्य काम छोड कर पटवारी के पिछे दौडना होगा। या फिर उसी नियम-६ अनुसार सारी पलटन लेकर तहसिलदार जो की समिती अधिकारी भी है के पास जाना होगा। मतलब कई गांवो के लोगों के लिए सिर्फ अर्जी देने का मतलब होगा तीन दिन के काम का नुकसान उपर से खर्चा सो तो अलगही। गांव में काम के वक्त पटवारी जी मिल जाए और तब उन्हे फार्म स्विकारने के लिए अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रिय कामों से फुरसत हो ऐसा सुदिन तो अत्यंत दुर्लभ ही है। सो मजदुर के लिए तो नियम हो गया की वह तहसिल कार्यालय के चक्कर काटे।

नियम ७ मे लिखा है की मजदुर ने कामपर जाने का आदेशपत्र उसे मिलनेके दिन से ७ दिन के अंदर काम पर हाजीर होना आवश्यक है। आम तौर से यह देखा गया है की इस आदेश पत्र पर वह तहसिल कार्यालय से जब निर्गमित हुवा तब की तारीख होती है लेकीन वह गांव में उस मजदुर को कब मिला इसका कोई रेकॉर्ड नही होता। मतलब मजदूर को आदेशपत्र देरी से मिलने पर भी नियमानुसार वह ७ दिन के अंदर काम पर हाजीर नही हुवा ऐसा कहा जासकता है।

नियम ९(१) के अनुसारमजदूर को फार्म ७ मिला, वह कामपर गया, उसे काम पर नही लिया गया, फिर दुसरे काम पर जाने के आदेश मिले वहां भी लौटा दिया गया। इस तरह मजदूर को नियमानुसार अमर्याद काल के लिए फुटबॉल बनाया जा सकता है। ऐसा नकारना कितने बार हो सकता है इसीकी कोई मर्यादा नियम में नही डाली गयी है।

नियम क्र. १०(१) के अनुसार जिस कालखंड के लिए बेरोजगार भत्ता मांगना है उसके आखरी दिनसे ७ दिन के अंदर फार्म नं. ८ में अर्जी देनी है। हर सलग कालखंडके लिए अलग अर्जी करनी होगी, तथा एक अर्जी में ३० दिन से जादा के लिए बेरोजगार भत्ता नही मांगा जा सकता। मजदूर के लिए इतने बंधन लादने वालों ने फार्म नं. ८ में की अर्जी के रसीद के लिए लेकीन कोई प्रावधान रखना आवश्यक नही समझा। मतलब मजदूर की अर्जी कभी भी आखरी दिन से ७ दिन के बाद की हो सकती है।

नियम क्र. १०(२) में कहा गया है की जहां तक संभव हो समिती अधिकारी १० दिन में निर्णय लेगें और मजदूर को सूचित करेगें। मतलब १० दिन में संभव नही भी हो सकता है, और निर्णय होने पर भी कितने दिन में सूचित करना है सो तो बंधन है ही नही।

नियमक्र. ११ मजदुर को अगर न्याय मांगने के लिए उपविभागिय अधिकारी के पास अपील करना हो तो उसने उसे फार्म क्र. १० मिलने पर १५ दिन के अंदर ऐसी अपील करना आवश्यक है। लेकीन उसका फैसला अधिकारीजी कितने दिन में करे ? उनकी मर्जी! और उस पर भी उनका निर्णय अंतीम! विशेष ध्यान देनेकी बात है की अनपढ, गँवार मजदूर के लिए कंही भी "जहांतक संभव है" शब्द का प्रयोग नही किया गया है लेकीन अधिकारीयों की बात अलग है। वे कोई अनपढ गँवार थोडेही है जो उन पर सक्ती की जाए। वे तो खुद समझदार (?) है।

१.४ तो "काम का अधिकार" एक बाधा दौड -

कृपया सहपत्र क्र. क-१ देखें। जिसे इस क्षेत्र का अनुभव नही उसे शायदयह चित्र अतीरंजीत भीलग सकता है। लेकीन असलियत तो यह है की सत्य इससे कई ज्यादा भयावह है। इसमें का कोई भी मुद्दा काल्पनीक नही। उदाहरण के रूप में दो केस स्टडीज् सहपत्र क्र. क-२ और सहपत्र क्र. क-३ संलग्न है। साधारण बाधा दौड में तो सिर्फ बाधायें ही होती है, लेकीन यहाँ तो साथ साथ आमिष और डर भी हाजीर है।

१.५ आरमोरी और कुरखेडा तहसिल के बहाद्दुर मजदूर-

दाद देनी होगी उन बहाद्दुर स्त्री, पुरूष मजदूरों की जिन्होने बावजुद अनगिनत बाधाएँ, आमिष, डर और निराशाजनक परिस्थिती में अपने "काम के अधिकार" की लढाई को पिछले दस सालों से जीवीत रखा है और आज भी लढ रहे है। दिसंबर १९८१ से लेकर मार्च १९८९ तक आरमोरी तहसिल के १९ गांवोके तथा कुरखेडा तहसिल के एक गांव के कुल २४,८९२ मजदूरोंने उनके बेकार गये ६,८६,००२ मनुष्य दिनों के लिए १३,३३,०८२ रू. बेरोजगार भत्ते की नियमानुसार फार्म क्र. ८ में अर्जीया देकर मांग की है। आज तक कीसी एक व्यक्ती को भी बेरोजगार भत्ता नही मिला। सभी मामलों में झुठे, अतितांत्रिक या असंबध्द गैरलागू कारणों को देते हुये बेरोजगार भत्ता नकारा गया। इन में से कुछ मजदूरोंने नियमानुसार उपविभागिय अधिकारी के पास अपील भी की लेकीन वहाँ भी न्याय नही मिला तब हाईकोर्ट में रिटपीटीशन के अलावा और कोई रास्ता नही बचा। नागपुर हाईकोर्ट में कुछ वरिष्ठ वकील विनामुल्य काम करने के लिए तैय्यार हुये। अन्य खर्च जुटाने के लिए मजदुर संघटन ने कुपन्स छापे। १ रू. के कुपन ग्रामिण मजदुर तथा छोटे किसानो के लिए और ५ रू. के कुपन्स मध्यमवर्गिय एवं शहरी मित्रों के लिए। इस तरह से कोर्ट केसेस के लिए पैसा इकठ्ठा कर निचे अनुसार बेरोजगार भत्ते के लिए नागपूर हाईकोर्ट में रिट पीटीशन्स दाखल की गई है।

अनु.क्र.	रिट पीटीशन नं/ वर्ष	रिट पीटीशन - वादी विरूध्द प्रतिवादी
१.	१७५८/१९८२	बालकृष्ण लाडे और १० अन्य विरूध्द तहसिलदार, आरमोरी और २ अन्य.
२.	२८३८/१९८५	मदनकिसन वघारे और अन्य विरूध्द महाराष्ट्र राज्य सरकार और २ अन्य.
३.	१०१८/१९८७	बांधकाम व लाकुड कामगार संघटना जिला गडचिरोली. विरूध्द तहसिलदार, आरमोरी और एकअन्य.
४.	२२१ /१९८७	बांधकाम व लाकुड कामगार संघटना, जिला गडचिरोली विरूध्द जिलाधिकारी, गडचिरोली और २ अन्य.

इनचारो रिट पिटीशनमें कुल १३,८२४ रोगायो मजदूरों ने बेरोजगार भत्ता के माध्यम से "काम के अधिकार" व्दारा न्याय की माँग की है। इन चारो रिट पीटीशन के संदर्भ में नोटीस बिफोर अॅडमिशन भेजी गई। प्रतिवादी पक्षका कहना सुननेके बाद नागपूर उच्च न्यायालय के न्यायाधिशों ने सभी पीटीशन्स अॅडमिट करली है।

१.६ न्याय की प्रतिक्षा में आठ वर्ष -

पहली रिट पीटीशन हाईकोर्टमें अॅडमीट हुये ८ से ज्यादा वर्ष गुजर गये। उस पीटीशन का फैसला २५ जून १९९० को हुवा। हाईकोर्ट ने उपविभागीय अधिकारी के फैसले को गलत बताते हुये मामला वापीस उन्ही के पास भेजनेका निर्णय दिया है। ३ माह के अंदर फैसला करने की मर्यादा भी बांध दी है। मतलब फैसले के लिए २४ सितंबर ९० तक उन्हे समय है। अब उपविभागीय अधिकारी क्या करते है इसकी और रोगायो मजदुरों की नजरे लगी हुयी है। सो न्याय इतना लंबा और महंगा है।

ब) १९८४ में "अहमदनगर जिला शेतमजदूर युनियन विरुध्द महाराष्ट्र राज्य"केस में बम्बई हाईकोर्ट के फैसले के बाद ग्राम मालुजा (बुद्रुक) तह. श्रीरामपूर जिला अहमदनगर के श्री निवृत्ती तुकाराम गायकवाड तथा अन्य २५९ मजदुरों को 30.९.८३ से २२.१०.८३ तक के कालावधी के लिए बेरोजगार भत्ता दिया गया।

क) १९८६ में नासिक जिले के रोगायो मजदुरों को भी बम्बई हाईकोर्ट के फैसले के बाद सिर्फ एक बार बेरोजगार भत्ता दिया गया।

१.८ गरीबी और बेरोजगारी के दरियामें खसखस -

रोगायो के अकाल राहत जैसे अंमल के कारण कुछ लोगों को राहत तो जरूर मिलीहै लेकीन कुल गरीबी और बेरोजगारी पर बहुत ज्यादा असरनजर नही आता। सारे "गरीबी हटाव" कार्यक्रमोंके बावजुद गरीबी [illegible]

"काम का कानूनी अधिकार"अस्तित्व में आने से ऐसा दबाव पैदा होगा की नियोजन की संकल्पना ही बदल जायेगी। ग्रामिण श्रमिकों में चेतना, जानकारी और संघठन का अभाव, सामाजिक कार्यकर्ताओं की अनास्था, प्रशासकीय अकार्यक्षमता और राजकीय इंच्छा शक्ती के अभाव के कारण नियोजन की संकल्पना में ही बदलाव की बात तो दुर ही रही "कानूनी काम के अधिकार"की ही संकल्पना बदल कर पत्यक्ष में मात्र "राहत बन कर रह गयी। गरीबी, बेरोजगारी और पर्यावरण का समीकरण जैसा के वैसा कायमहै।

नि यो ज न

रोजगार गारंटी कानुन की प्रस्तावना में दिये गये तीन मुख्य उद्देश्यों का उपर उल्लेख किया गया है उनमें से ब) और क) सिधे नियोजन से संबंधीत है सो हम उनपर यहाँ एक साथ ही विचारकरेंगे। उद्देश्य अ) के प्रत्यक्षिकरण के दृष्टी से भी नियोजन पर विचार करना उपयुक्त होगा सुविधा के लिए हम तीन हिस्सों में बांट कर विचार करेंगे।

* योजना
* मनुष्य बल अंदाज
* काम का स्वरुपतथा अग्रक्रम.

२.१ <u>योजना का कालावधी और स्तर</u> -

रो. गा. कानून मे इस कालावधी के संबंध में कोई भी स्पष्ट दिशानिर्देश या प्रावधान नही है । धारा ७(१) में कहा है की - "धारा ३ में उल्लेखित रोजगार के गारंटी पर अंमल करनेके लिए राज्य सरकार, जो व्यक्ती इस अधिनियम व्दारा या उस अनुसार या योजना में दि गई शर्तों के अधीन रह कर, अकुशल शारीरीक श्रम का काम करने के लिए स्वयं तैय्यार होंगे ऐसे, ग्रामिण क्षेत्र में रहने वाले सभी प्रौढ व्यक्तीओं को रोजगार देने के लिए एक योजना बनायेगी ।" ७(४) के अनुसार ऐसी योजना बना कर उसे शासकिय राजपत्रतथा अखबारों मे भी प्रसिध्द किया जायेगा ऐसा भी कहा है। लेकीन यह योजना कितने सालों की होगी सोनही कहा है।

धारा ७ (तीन) में योजना के अंतर्गत लिए जानेवाले कामों का प्रारूप (ब्ल्यु प्रींट) पहले पंचायतसमिती स्तर पर तैय्यार कर उसे जिलास्तरिय समितीके सामने अनुमती के लिए रखने के लिए कहा गया है। जिला स्तरीय समिती, पंचायत समिती स्तरिय समितीयों की राय जानने के बाद ही मान्यता देगी यह भी स्पष्ट किया है। ऐसी योजना के लिए १ अक्तुबर से ३० सितंबर एक वर्ष का कालावधी सरकारने तय कर दिया है। हर साल यह वार्षिक योजना तैय्यार की जाती है।

२.२ <u>मनुष्य बलअंदाज</u> -

जिन्हे रोगायो काम की आवश्यकता होगी ऐसे मनुष्यबल का सही अंदाज ही नियोजन का मुख्य आधार है। यह बात सरकार को भी मान्य है। सरकार ने यह मनुष्य बल अंदाज लगाने के लिए आज एक पध्दती अपनायी हुयी है उसे समझने के लिए "जिला- गडचिरोली, रोगायो वार्षिक नियोजन१९८९-९०"मे क्या किया गया है सो देखना उपयुक्त होगा। प्रस्तावना में कहा गया है की -

"(१) गडचिरोली जिले काकुल क्षेत्रफल १५,४३,४०० हेक्टर है। जिसमें जंगल व्याप्त क्षेत्र। १०,६१,८०० हेक्टर और झुडपी जंगल (राजस्व वन) क्षेत्र २६,०६० हेक्टर है। जिनका प्रतिशतक्रमश: ६९% और १.६८% है। बचे हुये क्षेत्र में खरीप और रब्बी फसल के क्षेत्र क्रमश: १,४४,६७३ और ६५,७३० हेक्टर है। जिले में कुल गांव १६८१ है जिनमें से १४०७ खरीप तथा २८४ गांव रब्बी फसल में आते है। कुल खरीप गांवों में से ३७६ गांवो में के खरीप फसल की पैसेवारी ५० पैसे से कम है। जिनमे

मुख्यत: कुरखेडा तहसिल के १७३ गांव तथा धानोरा तहसिल के १५३ गांव शामिल है। इस कारण इन दो तहसिलो में रोगायो काम की माँग ज्यादा होने की संभावना है।

(२) जिले की जनसंख्या सन १९८१ की जनगणना अनुसार ६,३७,३३८ है। जिसमें १,१२,२९१ किसान और ९३,५३१ खेतीहर मजदुर है। रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत ८५,३३९ पुरूष और ८६,६६१ औरतें इस तरह कुल १,७१,८१० मजदुरोंने अपने नाम पंजिबध्द कराये है। आरमोरी और कुरखेडा इन दो तहसिलोंका मजदुर पंजिकरण, कुल जिले के पंजिकरण का ५५% है। उसी अनुपात में उनकी ओर से रोगायो काम की माँग भी होती है।

(3) मजदुरोंकी काम की माँग पुरी करने के लिए तहसिल स्तर पर वार्षिक नियोजन तैय्यार किया गया है। मजदुरोंकी, १ अक्तुबर १९८९ से 30 सितंबर १९९० इस कालखंड में काम की क्या माँग होगी यह तय करने के लिए इसी कालखंड में पिछले दो वर्षों में (१९८७-१९८९) निर्माण हुये प्रत्यक्ष मनुष्य दिनों का अॅव्हरेज प्रतिमाह निकाल कर उसमें १0% बढाकर कृति प्रारुप नियोजन और उसमें ५0 % बढाकर सेल्फ प्रारुप नियोजन तैयार किया गया है।

(४) उपरोक्त परिच्छेद के अनुसार गडचिरोली जिले के पिछले दो वर्षों में क्रमश: ४७.0७ लाख और ४६.१६ लाख मनुष्य दिन निर्माण हुये। औसत मनुष्य दिन निर्मीती ४६.६१ लाख है। इस औसत माँग में १0 % बढाकर कुल ५१.१४ लाख अपेक्षित मनुष्य दिन निर्मिती का प्रारुप तैय्यार किया गया है। अकाल या विशेष परिस्थिती में अगर ज्यादा माँग हुयी तो वह पूर्ण करने की दृष्टी से कुल औसत मनुष्य दिवस निर्मिती से ५0 % ज्यादा याने ७0.२४ लाख मनुष्य दिन निर्माण कर सकने वाले कामों का "सेल्फ प्लॅन" (सभी दृष्टी से तैय्यार है ऐसी योजना) तैय्यार किया गया है। हर एक तहसिल में काम की माँग प्रथमत: कृति प्रारुप से पुरी की जायेगी। कृति प्रारुप कम पडता हो तो सेल्फ प्लॅन से काम लेकर वह पुरी की जायेगी।

२.२.१ कुछ सवाल -

उपरी उपर देखने पर तो नियोजन का तरीका एकदम सायंटीफीक दिखाई देता है। लेकीन बारीकी से देखने पर कुछ सवाल पैदा होते है।

सवाल क्र. १ -

औसत मनुष्य दिन निर्मिती ४६.६१ लाख है। का क्या मतलब होता है ? प्रती दिन औसत मजदुर उपस्थिती क्या थी ? सो निकालने के लिए ४६.६१ लाख को पहले १२ महिनों में और बादमें उसे २५ दिन में विभाजित करना होगा। प्रतिसप्ताह एकदिन काम बंद होता है इसलिए औसत २५ दिन ही प्रतिमाह काम के दिन होंगे। सो

प्रती दिन औसत मजदुर उपस्थिती = ४६.६१ ÷ १२ ÷ २५ = ०.१५५३६ लाख

= १५,५३६ व्यक्ती.

सवाल क्र. २ -

[illegible]ब की जिले में किसान और मजदुर मिलाकर कुल १,१[illegible]९१ + ९३,५३१ = २,०५,८२२ व्यक्ती है। जिनमें से कुल १,७[illegible]१० व्यक्तीओं ने अपने आप को रोगायो के तहत, जिन्हे काम की आवश्यकता है और जिन्होने सरकारकी सभी शर्तों के अधीन रहकर अकुशल काम करना स्विकारा है ऐसे मजदूर के रूप में पंजिबध्द कर लिया है। जिले में चावल (धान) की मुख्यत: एक की फसल होती है। एक से ज्यादा बार फसल का क्षेत्र मात्र १६,३०७ हेक्टर याने कुल फसल क्षेत्र का सिर्फ ७.४० % ही है। फिर भी रोगायो में पंजिबध्द कुल १.७[illegible] लाख मजदुरों में से औसत केवल ०.१५५ लाख मजदूर ही क्यों प्रतीदिन रोगायो काम पर उपस्थित था। शेष मजदूर उस कालखंड में क्या कर रहे थे ? क्या वे सभी किसी ना किसी तरह के उत्पादक रोजगार में व्यस्त थे ? क्या उस रोजगार व्दारा उन की न्युनतम जीवनावश्यकताएँ पूर्ण [illegible] र[illegible] ? इन सवालों के जबाब [illegible] के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आधार के रूपमें इस आँकडे को [illegible] ही कहा जा सकता है। इन सवालों का प्रशासन के पास सिर्फ एक ही जबाब है की "जैसे हमें राज्य सरकार की ओर से दिशानिर्देश मिले उसी अनुसार हम काम कर रहे है। और बाकी हम कुछ नही जानते"

२.२.२. बेरोजगार भत्ता मांगने की नौबत क्यों ?

कृपया सहपत्र क्र. क-४देखे। जिसमे १९८८-८९ के वार्षिक रोगायो नियोजन के अनुसार त्रैमासिक मनुष्यबल अंदाज और प्रत्यक्ष मजदूर

उपस्थिती एवं निर्मित मनुष्य दिनों की जानकारी दी गई है। जिससे स्पष्ट होता है की जितने मनुष्यदिनों का अंदाज कर के कृति प्रारुप नियोजन किया गया था उसकी तुलना में बहुतही कम मजदुर प्रत्यक्ष काम पर थे। मतलब इस कालावधीमें वार्षिक नियोजन की किताब में कई काम भी शेष थे और रोजगार हमी निधी में पैसा भी। फिर आरमोरी तहसिल के ५१७ रोगायो मजदुरों पर उनके व्यर्थ गये ६१,५०९ मनुष्य दिनों के लिए बेरोजगार भत्ता मांगने की नौबत क्यों आयी ? बेरोजगार भत्ता मांगने वाले इन मजदूरों की ज्यादा जानकारी के लिए कृपया सहपत्र क्र. क-५ देखे। उपर खंड: ३ के परिच्छेद क्र. १.५ में १९८२ से ले कर १९८९ तक की संपूर्ण जानकारी आ ही चुकी है।

सहपत्र क्र. क-६ में १९८९-९० के वार्षिक रोगायो नियोजन के अनुसार माहवार मनुष्यबल अंदाज और प्रत्यक्ष उपस्थिती एवं निर्मित दिनों की जानकारी दी है। इस वर्ष में भी अंदाज से बहुतही कम उपस्थिती दिखाई देती है। क्षेत्र अध्ययन के दौरान जब हम लोग कुछ गांवो में गये तो हमें बडी संख्या में ऐसे लोग मिले की जो काम मांगने के बावजुद बेरोजगार थे। या तो पहला काम समाप्त हो जाने पर दुसरा काम नही मिलने के कारण हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। जब उनसे हमने पुछा की आप लोग नियमानुसार बेरोजगार भत्ता की मांग क्यों नही करते तो जबाब मिला की- १९८२ से तो मांग मांग कर थक गये, अब हमने मांगना ही छोड दिया है।

कहने का तात्पर्य यही है की, पिछले दो साल की मजदुर उपस्थिती के आंकडो को आधार बनाकर नियोजन करना पिछले दस सालों में गलत साबीत हो चुका है। मजदुर उपस्थिती के इन आंकडों से उस समय की ऐसी मजदूर संख्या का पता नही लग सकता, जो बेरोजगार और अर्धबेरोजगार है और जिन्हे "काम का अधिकार" मिले इसलिए नियोजन करना है। ऐसी सही मजदुर संख्या की जानकारी के लिए किसी दुसरी सुयोग्य पध्दती की खोज आवश्यक है।

२.२.३. गलत नियोजन के कारण कानून के अंमल में बाधा.

हम गर्व के साथ कह सकते है की रोजगार गारंटी कानून जैसा कानून समूची दुनिया में और कंही नही है। सोवियत रशिया के संविधान मे इस जैसा ही "काम का अधिकार" दिया गया है लेकीन वहांभी यह

अधिकार प्रत्यक्ष में आये इस लिए आवश्यक कोई कानून नहीं है। अच्छे कानून के अंमल न होने का एक महत्वपूर्ण कारण ...

पिछले ही साल महाराष्ट्र राज्य सरकार ने प्रत्येक घर (हाऊस टु हाऊस) का एक विस्तृत आर्थिक सर्वेक्षण किया है। ... प्रश्नावली में बेरोजगारी और अर्धबेरोजगारी का पता लगाने ... भी काफी जगह दी गयी थी। सर्वेक्षण समाप्त हुये अब एक साल ... समय हो रहा है फिर भी रपट और जानकारी अभी भी ... ही है। क्या कारण है पता नही, लेकीन यह जानकारी सामने ... तो नियोजन के लिए एक सही आधार प्राप्त हो सकता है।

२.३. <u>कुटीरोद्योग, ग्रामोद्योग, लघुउद्योग और कृषि-उद्योग.</u>

रोजगार गारंटी कानून की प्रस्तावना में दिये गये ... उद्देश के दो तरह से अर्थ लगाने की कोशिश होती है।

१) कुटीरोद्योग, ग्रामोद्योग, लघुउद्योग और कृषि-उ... के बाद जो ज्यादा (सरप्लस) मनुष्य शक्ती शेष रहती है ... देना शुरू रखनाआवश्यक है इसलिए--

२) बडे उद्योग और कृषि में समाने के बाद जो ज्या... ग्रामीण शक्ती शेष है उसे कुटीरोद्योग, ग्रामोद्योग, लघुउद्योग ... उद्योग में रोजगार देना शुरू रखने के लिए प्रावधान करना आव... इसलिए--

मुझे दुसरा अर्थज्यादा सही लगता है। कारण --

अ) ऐसा अर्थ नही होता और उपर दिये गये पहले ... ज्यादा ग्रामीण मनुष्य शक्ती (सरप्लस मॅन पॉवर) कहना ... कुटिरोद्योग से पहले, कतार में बडेउद्योग और कृषि यह शब्द ... लेकीन वे नही है इसीसे यह स्पष्ट हो जाता है की उस ... शब्दों का प्रयोग यहां नही किया गया है।

ब) रोजगार गारंटी कानून की धारा ७ (१) (प... स्पष्ट रुप से कहा गया है की - "योजना में जहांतक संभव ... अकुशल मजदुरों के कौशल्य प्रशिक्षण का और उनका दर्जा (स... बढानेका भी प्रावधान होगा।" यह प्रावधान करने की इ... ग्रामोद्योग, लघुउद्योग और कृषि उद्योग के संबंध में ही हो ...

क) रोजगार गारंटी कानुन के तहतही अब श्रमशक्ती द्वारा ग्राम विकास योजना" में अंबर चरखा और रेशीम उद्योग इन दो ग्रामोद्योगों को शामील किया गया है। जिससे दुसरा अर्थ ही सही है ऐसा सिध्द होता है।

ड) तर्क के दृष्टी से देखा जाए तो, ज्यादा ग्रामिण मनुष्य शक्ती को बडे उद्योग और कृषी में रोजगार उपलब्ध कराना केवल असंभव ही है। आजादी की लढाई के वक्त से ही यह विचार स्पष्ट हुआ था की, अगर सभी को संपूर्ण रोजगार देना हो तो हमें कुटीरोद्योग और ग्रामोद्योग का ही स्विकार करना होगा। बडे उद्योगों की जगह लघु उद्योग एवुं कृषी उद्योगो पर ध्यान देना होगा। रोगायो के प्रमुख शिल्पकार श्री. वि. स. पागेजी स्वांतत्र्य संग्राम सेनानी और गांधी विचार को मानने वालों में से थे। सो निच्छित ही क्र. (२) के अर्थ में ही इस उद्देश्य को कानून में सम्मिलीत किया गया होगा।

२. ३. १. अभीतक दुर्लक्षित उद्देश्य:-

अधिक सही नियोजन की दृष्टी से महत्वपूर्ण, इस उद्देश्य वाले कानून के हिस्से पर अंमल नही किया गया। ग्यारह साल तक तो इस की और ध्यान ही नही दिया गया। सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने के लिए विभिन्न स्तरोंपर कोशिशे भी की गयी। उदाहरणार्थ-

१) गडचिरोली जिले में कार्यरत रोजगार गारंटी मजदुरोंकी संघटना- "बांधकाम व लाकुड कामगार संघटना जिला-चंद्रपुर/गडचिरोली" "इंडियन फेडरेशन आफ बिल्डिंग अँड वूड वर्कर्स" से संलग्न है। इस फेडरेशन की ओर से दि. २७-११-१९८२ को महाराष्ट्र शासन की ओर भेजे गये माँग पत्र में- क्र. १८ की माँग है -" आज के रोजगार गारंटी कानून में काम मांगनेपर प्रत्यक्ष काम मिलने के लिए १५ दिनों की अवधी रखी गई है। जिसे काम की सब से ज्यादा आवश्यकता है ऐसे गरीब मजदूर को काम माँगनेपर मिलने तक १५ दिन भूक का सामना करना पडता है। यह टालने के लिए बिच के समय में अंबर चरखा जैसा तुरंत दिया जा सकने वाला काम और हर दिन मजदुरी देने का प्रावधान किया जाए।" उसी माँग पत्र में क्र. २० की माँग है- "स्थायी स्वरूप के उत्पादक काम के रूपमें मजदुरोंको अंबर चरखा और बुनाई का प्रशिक्षण

रोजगार गारंटीयोजना अंतर्गत दिया जाए। ऐसे केंद्रो [illegible] रा प्रशिक्षीत मजदुरों को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इन [illegible] केंद्रो से उत्पादीत होने वाला कपडा शासकीय तथा शासकीय [illegible] नपर काम करनेवाले सभी कर्मचारीयों को उनकी तनखा [illegible] के अनुपात में तनखाह के हिस्से के रूप में अनिवार्यत: दिया जाए।" [illegible] पत्र, सहपत्र क्र. क-७ के रूपमें संलग्न है।

२) रोगायो मजदुरों की संघटना "बांधकाम व लाकुड [illegible] कामगार संघटना जिला चंद्रपूर/ गडचिरोली" व्दारा दि. १०.१०.१९[illegible] [illegible] देसाईगंज तह. आरमोरी जिला गडचिरोली में रोगायोसंबंधीत [illegible] मागों के लिए एक विशाल जुलूस का आयोजन किया था। [illegible] गये निवेदन पत्र क्र. रोहयो/१०/१९८५ की माँग क्र. ६ थी - " जिला [illegible] में अन्य काम उपलब्ध नही होते है। उस समय सूतकताई, बुनाई, पत्तल (पत्तो से बनी प्लेट) तैय्यार करना, बाँस से [illegible], रस्सी, सुतली तयार करना इत्यादी ग्रामोद्योग और [illegible] के काम रोजगार गारंटी योजना में ले कर [illegible] गांव [illegible] रोजगार उपलब्ध कराया जाए। "

महाराष्ट्र सरकार ने शासकीय निर्णय क्र. रोहयो/ १२८५/प्र-१९०/इ एम् पी-३ दि. २९ अगस्त १९८५ व्दारा रेशीम [illegible] और अंबर चरखे के काम के संबंध में एक प्रायोगिक प्रकल्प भी [illegible] के निष्कर्ष पता नही चल सके। दि. [illegible].६.१९८९ के [illegible] य क्र. रोहयो/२०८९/७२/रोहयो-६ व्दारा रोगायो के [illegible] लिए गये "श्रमशक्ती व्दारा ग्राम विकास कार्यक्रम" में अंबर चरखा [illegible] र रेशीम उद्योग इन दो ग्रामोद्योगों को सम्मिलीत किया गया है। लेकीन अब करीबन एक साल होने जा रहा है, ये काम रोगायो में किस [illegible] अंमल में आयेंगे इसके कोई दिशानिर्देश नही दिये गये है।

२.४ काम का स्वरूप तथा अग्रक्रम -

कृपया सहपत्र क्र. क-८ और सहपत्र क्र. क-९ देखे / [illegible] नमे क्रमश: १९८७-८८ और १९८८-८९ वर्ष में हुये खर्च से संबंधीत जानकारी दि गई है। इन सहपत्रों में दिये आँकडोंके आधारपर अग्रक्रम [illegible] चित्र उभरता है सो ऐसा -

अग्रक्रम	१९८७-८८		१९८८-८९		१९८७-८८की तुलना में १९८८-८९ का प्रतिशत		
	काम का प्रकार	कुल खर्च का प्रतिशत ॽ	कामका प्रकार	कुल खर्च का प्रतिशत ॽ	काम का प्रकार	कम -	ज्यादा +
१.	निर्माण	३५.९८	सिंचाई	४५.२४	सिंचाई	+	२२.९३
२.	वन	२६.३६	निर्माण	२४.५६	निर्माण	-	११.४२
३.	सिंचन	२२.३१	कृषी	२०.१०	कृषी	+	४.६९
४.	कृषी	१५.४१	वन	१०.११	वन	-	१६.२५

रोगायोवार्षिक नियोजन१९८८-८९ में सिंचाई : निर्माण : कृषी : वन का अनुपात क्रमश : ४०.४९:२५.३०:२०.२४:१५.१८ तय किया गया था।

सहपत्र क्र. क-९ -

में के अंमल के आंकडे बताते है की इस अनुपात को मोटामोटी रूपसे ना सिर्फ जिला बल्की तहसिल स्तर पर भी हासील करने में जिला प्रशासन सफल रहा है। इससे योजना के अंमल पर जिला प्रशासन का नियंत्रण साबीत होता है। अपवाद है सिर्फ वन संबंधी कामों का। जिसमें १९८७-८८ की तुलना में ६१.६५ ॽ कमी आई है। औरवार्षिक नियोजन में तय लक्ष्य को प्राप्त करनेमें ३३.४०ॽ की कमी रह गई है। जो वन विभाग के जिला प्रशासन के साथ असहयोग की निदर्शक है। निर्माण विभाग का अनुपात कम कर अग्रक्रम में उसे दुसरे स्थान पर लाने में जिला प्रशासन ने सही दिशा और समझदारी का परिचय दिया है।

२.४.१ १९८८-८९ में खर्च बढा और रोजगार निर्मिती कम हुयी।

सहपत्र क्र.क-१० -

खर्च एवं उसव्दारा निर्मित मनुष्य दिन रोजगार के संदर्भ में यह परिस्थिती दिखाई देती है।

वर्ष	कुल खर्च (लाख रु)	रोजगार निर्मिती मनुष्य दिन (लाख)	प्रति मनुष्य दिन औसत रोजगार निर्मिती खर्च (रुपये)	झोन नं. ३ में खेत हर मजदूर का न्यूनतम वेतन (रुपये)
१९८७-८८	४०१.२८	३४.५५	११.६१	७.००
१९८८-८९	५९८.१८	२७.३२	२१.८९	१४.००

जिससे यह स्पष्ट होता है की १९८७-८८ की तुलना में १९८८-८९में खर्च ४९.०७% बढा लेकीन मनुष्य दिन रोजगार निर्मिती मे २०.९२% कमी आयी। ऐसा क्यों हुवा ?

रोगायो मजदुरों के दर १ मई १९८८ से दुगने हो गये, जिस कारण खर्च में वृद्धी हुयी। प्रतिमनुष्य दिन औसत रोजगार निर्मि खर्च भी करीबन दुगना हो गया। लेकीन रोजगार निर्मिती २०.९२ % कम हुयी, उसका मतलब है कि उसी अनुपात में कम मजदुरों को रोजगार मिला। जिसके दो कारणहो सकते है। एक तो मजदुरों की ओर से ही कम मांग हुयी याफिर जितने मजदुरों ने काम मांगा उन सभी को काम नही दिया गया। मजदुरों की ओर से तो काम की मांग कम होने का कोई रण दिखाई नही देता।

३ श्रम शक्ति व्दारा ग्रामविकास कार्यक्रम - (श्रशग्राविका)

३.१ रोगायो में नई दिशा का शुभारंभ -

पुरानी रोगायो में निम्न मुख्य खामियां थी।

१. उसमें ग्राम सभा को कोई स्थान नही था।
२. नियोजन में लोगों के सिधे सहभाग के लिए कोई जगह नही ी।
३. गांव स्तर पर एकात्मिक नियोजन का कोई प्रावधान नही था।
४. रोगायो मे लिए जाने वाले कामों में खादी ग्रामोद्योग के काम नही थे।

श्रशग्राविका में इन मुद्दों को शामिल कर महाराष्ट्र सरकार रोगायो को नई दिशा देने के लिए जो पहल की है वह निश्चित ी उल्लेखनिय है। महाराष्ट्र राज्य सरकार के "डाइरेक्टोरेट जनरल ऑफ इन्फरमेशन अॅन्ड पब्लीक रिलेशंस"व्दारा इस कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए जो अंग्रजी पुस्तिका प्रकाशित की गई है उसमें तो यहां कह दिया गया है की-

"संक्षेप में, नये रोगायो व्दारा ग्रामस्त स्तर पर स्वयंशास भावना मजबूत हो ऐसी अपेक्षा है "

यह अंग्रेजी पुस्तिका सहपत्र क्र १.४ के रूप में संलग्न है।

३.२ शासकिय निर्णय से पहले पूर्व तैय्यारी की कोशिश -

श्रशग्राविका का निर्णय सरकारने दि. २२ जून १९८९ को लि। लेकीन उसके लिए पूर्वतैय्यारी काफी पहले से शुरू कर दी थी ऐसा

दिखाई देता है। देखिए सहपत्र क्र.क-११। जो दि. २७ जनवरी १९८९ को राज्य के सभी जिलाधिकारीयों के नाम लिखा गया "तुरंत" (इमिडीयेट) पत्र था, जिसकी प्रतिलिपी राज्य के सभी सबंधीत विभाग प्रमुखों को भी भेजी गई थी। जिसमें विस्तार के साथ "गांव विकास योजना" और साथही साथ "गांव रोजगार योजना" भी तैय्यारकरने की बात कही गई थी। जिसके आधारभूत जानकारी इकठ्ठा करने हेतु राज्य के सभी गांवों का सर्वेक्षण करने की भी योजना तैय्यार की गई थी और नियोजन विभाग ने तो २७ जनवरी १९८९ से पहलेही उसपर कृती (अॅक्शन) भी शुरू कर दी थी जलचक्र को बनाये रखना और भूगर्भ में पानी के पुनर्भरण (रिचार्जींग) के महत्त्व को भी दोहराया गया था।

३.३ अंमल निराशाजनक -

कागज पर ढेरसारी अच्छी बाते और सही नियोजन के लिए आवश्यक आधारभूत जानकारी का पता लगाने हेतु सभी गांवो के सर्वेक्षण के व्यावहारीक कदम के बावजूद अंमल निराशाजनक ही दिखाई देता है।

३.३.१ गांव चुनाव की पहली मंजील -

जिसे इस कार्यक्रम का "पायवा" (फौंडेशन) बनना था वह सर्वेक्षण से प्राप्तजानकारी भलेही उपलब्ध ना हुयीहो, शासकिय निर्णय के क्र. ३ अनुसार गांव चुनाव की पहली मंजील का क्या हुवा देखते हैं। इस पहली मंजील के लिए दो काम होने थे (१) २0 प्रतिशत से ज्यादा सिंचाई क्षेत्र है ऐसे गांवों की सूची बनाकर उन्हे कार्यक्रम से बाहर रखना (२) जिन्हे शर्तें मंजुर है ऐसे गांवों का पता चलाने के लिए सभी ग्राम पंचायतो को पुछा जाए। जिसके लिए विधायक, पंचायत समिती सभापति, तहसिलदार और बी.डी.ओ. ने संयुक्त रूपसे ग्रामपंचायतों को यह कार्यक्रम समझाकर बताना था।

पहला काम तो जिला प्रशासनने फुर्ती के साथ जल्द ही पुरा कर लिया। दुसरेकाम में बहुत रुकावटे आयी। एक तो जिला परिषदो के चुनाव ना होने के कारणपंचायत समितीयों के सभापती के पद ही रिक्त थे। दुसरे पहले लोकसभा और बाद में विधानसभा के चुनाव क्रमश: आने के कारण विधायक तथा संपूर्णजिला प्रशासन को उसी की ओर प्राथमिकता

के साथ ध्यान देना पडा था। फिर भी प्रशासन ने सभी ग्रामपंचायतों से पुछने का अपना कर्तव्य पुरा किया। गडचिरोली जिले की सभी ग्राम पंचायतों ने इस कार्यक्रम में सहभागी होने में रूची नहीं दिखाई इसमें भला प्रशासन और लोक प्रतिनिधीयों का क्या दोष ?

ऊपर से दबाव आया। हर तहसिल में से कम से कम पांच गांव इस कार्यक्रम में चुनने का लक्ष्य (टारगेट) तय कर दिया गया। पहले हर एक तहसिल में से एक एक गांव तथा बाकी कुछ तहसिलों में से दो दो गांवों ने कार्यक्रम के लिए आवश्यक शर्तों को मंजुर करने वाले प्रस्तावों पर २/३ बहुमत से हस्ताक्षर कर दिये या अपने बाये हाथ के निशानी अंगुठे लगा दिये। इन गांवों को पालकमंत्री की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिती ने मंजुरी देते देते १९९० का मई महिना आ गया।

अब यह बात अलाहिदा है की अध्ययन कार्य के दौरान जब कभी गांव के लोगों से इस कार्यक्रम के बारेमें उन्हे जानकारी देकर चर्चा की, लोगों ने उसमें रूची दिखाई। और यह भी कहा की यह जानकारी तो उन्हे किसीने दी ही नही थी। कुछ लोगों को यह भी याद आया की - ग्रामपंचायत की किसी आमसभा मेंयह विषय आया भी था तब इस कार्यक्रम से संबंधीत तीन बाते कहीं गई थी जो उन्हें याद आ रही थी सो ऐसी -अगर इस कार्यक्रम में सहभागी होना है तो -

(१) <u>चराई बंदी</u> - आप अपने जानवर चराने के लिए बाहर नही ले जा सकेगे। उन्हे घरमें ही बांध कर रखना होगा और बाहर से चारा लाकर उन्हे देना होगा।

(२) <u>कुल्हाडी बंदी</u> - कोई भी पेड काटना मना होगा।

(३) <u>श्रमदान या मजदुरी के पैसे</u> - गांव के सभी लोगों को महिने में दो दिन श्रमदान करना होगा। नही करने पर उतने दिन की मजदुरी के पैसे भर देने होगे। ना देने पर ग्राम पंचायत व्दारा वे वसुल किये जायेंगे।

बस इतना बताने भर की देर थी के सभी ने ऐसे कार्यक्रम को लेने से ना कर दी थी। जैसे जैसे कार्यक्रम की ज्यादा और सही जानकारी मिलती गई कार्यक्रम में रूची लेने वाले व्यक्ती और गांवों की संख्या धिरे धिरे बढने लगी है।

३.३.२ एकात्मिक नियोजन -

एकात्मिक नियोजन यह महाराष्ट्र के लिए कोई नईबात नही है। १९८२ में शुरू किये गये सर्वकष जलबहाव क्षेत्र विकास कार्यक्रम (काऊडेप) में भी इस पर जोर दिया गया था। और अंमल करने की जिम्मेदारी भी कृषी विभाग की ही थी। एकात्मिक नियोजन की दृष्टी से देखा जाए तो इस कार्यक्रम के अंमल का अनुभव अत्यंत असमाधानकारक ही रहा है। श्रमग्रा विका के अंमल की भी मुखय जिम्मेदारी कृषी विभाग की ही है। फर्क सिर्फ इतना ही है की काऊडेप में जलबहाव क्षेत्र स्तर पर नियोजन करना था और इस कार्यक्रम में अब वही गांव स्तर पर करना है। पुराना अनुभव ध्यान में लेते हुये सिर्फ लिख देने भर से एकात्मिक नियोजन हो जायेगा ऐसी आशा नही की जा सकती। ऐसा हो [illegible] अनुभव के आधार [illegible] किसी निश्चित प्रक्रिया का प्रावधान इस कार्यक्रम में भी नही किया गया है।

जिन पर इस कार्यक्रम अंतर्गतगांव के नियोजन की जिम्मेदारी है ऐसे विभागिय मृदसंधारण अधिकारी से मिल कर जब इस बारे में पुछताछ की तब जानकारी प्राप्त हुयी कि - विभिन्न संबंधित विभागो से उन्होंने उनके विषयक्षेत्र के अंतर्गत वे कौनसे काम ले रहे है [illegible] जानकारी मांगी है। और उनसे प्राप्त होनेवाले तुकडों को जोड कर वे नियोजन का प्रारूप तैय्यार कर रहे है। *एकात्मिक नियोजन के लिए इसके अलावा* और कोई विशेष प्रयत्न नही दिखाई दिये। आम तौर से वन विभाग की ओर से सहयोग नही मिलने की शिकायत थी तो [illegible] ग्रामोधोग विभाग के बारेमें जानकारी का ही अभाव था। वन [illegible] अधिकारीयों की उलटी शिकायत थी के उनसे कोई सहयोग ही नही [illegible] चाहता।

३.३.३ आर्थिक नियोजन -

<u>सहपत्र क्र क-११</u> मे वर्णित <u>"गांव विकास योजना"</u> और <u>"गांव रोजगारयोजना"</u> इस तरह से नियोजन करने का स्तु[illegible] विचार शासकीय निर्णय के वक्त क्यों छोड दिया गया, पता न[illegible] ।

जिस गांव का इस कार्यक्रम के लिए चुनाव हो गया है उस गांव की जानकारी इकठ्ठा करने के लिए एक प्रारूप बना कर दिया गया है। जो विभागिय मृद संधारण अधिकारी, वनविभाग, राजस्व विभाग इत्यादी सरकारी विभागों के कर्मचारीयोंकी जानकारी के आधार [illegible]

ही भरते है। और फिर उस आधारपर गांव के आर्थिक नियोजन का प्रारूप तैय्यार करते है।

(१) तुकूम तह. धानोरा (२) चिरचाडी तह. कुरखेडा (३) बोरीचक तह. आरमोरी (४) माडेमूल तह. गडचिरोली इन ४ गांवो की प्राथमिक जानकारी तथा विभागिय मृदसंधारणअधिकारी ने तैय्यार किया हुवा आर्थिक प्रारूप क्रमश: सहपत्र क्र. क-१२, क-१३ क-१४ और क-१५ के रूप में संलग्न है।

आर्थिक नियोजन के लिए कुल १२ तरह के कामों की सूची तैय्यार की गई है। शासकिय निर्णय में दी गई कामों की सूची में के * मत्सयबीज संवर्धन तालाब और * प्रदुषण निर्मुलन कामों को पूर्णत: छोड दिया गया है तथा सूची में नही है ऐसे * विद्युतीकरण के काम को जोडा गया है।

चारों गांवों के आर्थिक नियोजन में क्र ८ वन का कॉलम निरंक है। जिसका अर्थ स्पष्ट है की, वन का नियोजन के संदर्भ में विचार ही नही किया गया है। जब की तुकूम, चिरचाडी बोरीचक और माडेमूल में मूल भौगोलिक क्षेत्र के क्रमश: ५०.०७% ८९.६२%, १९.५७% और ४०.६८% वनभूमि है।

सभी गांवो में मृदसंधारण कृषी विकास एवं सिंचाई के कामों पर ज्यादा ध्यान दिया गया दिखाई देता है। जलबहाव क्षेत्र की दृष्टी से देखा जाए तो वनभूमि उपरोक्त तिनो तरह के कामों के उपरी हिस्से में ही होगी। इस वन भूमि पर अगर मृदसंधारण और जलसंधारण के काम नही होते है तो निचे के हिस्से में मृदसंधारण, कृषी विकास एवं सिंचाई के कामों को कोई अर्थ नही रह जाता।

क्र. ९ ग्रामिण विकास और खादी ग्रामोधोग के कॉलम में लिखी गयी राशी जिला खादी ग्रामोधोग अधिकारी से संपर्क किये बगैर ही लिखी गई है। जिला खादी ग्रामोधोग अधिकारी से पुछने पर यह बात स्पष्ट हुयी और विभागिय मृदसंधारण अधिकारी ने भी प्रत्यक्ष चर्चा में यह स्विकार किया कि आंकडे अंदाज से लिखे गये है।

श्रमशक्ति या उपलब्ध मजदूर संख्या तय करनेके लिए कोई निश्चित पध्दती तय नही की गई है। तुकूम में कुल काम करने वाले व्यक्ती है २००, उनमें से सिर्फ १०० व्यक्ती ही काम पर आयेंगे ऐसा माना गया है। चिरचाडी, बोरीचक और माडेमूल में यही आंकडे क्रमश: ३८४ में से २००, ४७५ में से सिर्फ १०६ और ९३ में से ८० हो जाते है। जिसमें कोई एक सुसूत्रता नजर नही आती। आम तौर से अनुभव यह है की अगर गांव

में या गांव से ५ कि.मी. की परिधी में ही काम शुरु होते है तो करीबन सभी काम करने वाले स्त्री पुरुष उन रोगायो कामों पर जाते है या जाने की ईच्छा रखते है। इसमें सिर्फ इने गिने परिवारों का मतलब ज्यादा से ज्यादा १०० काम करनेवाले व्यक्तिओं में से ५ तक का फर्क पड सकता है। ऐसी स्थिती में उपलब्ध मजदुरों को इतना कम कर आंकना और उस आधार पर आर्थिक नियोजन करना कहांतक सही हो सकेगा ?

नियोजित काम से कितने वर्ष तक मजदुरों को अकुशल काम मिलेगा निकालनेके लिए एक सूत्र बनाया गया है । वह ऐसा-

कुल अकुशल हिस्से के लिए प्रावधान ÷ सभी उपलब्ध मजदुरों को वर्ष में २०० दिनरोजगार देने के लिए आवश्यक राशी=कितने वर्ष काम की व्यवस्था

उपलब्ध मजदुरों को वर्ष मे २०० दिन रोजगार देने के लिए आवश्यक राशी निकालते वक्त तुकूम बोरीचक, और माडेमूल में रू. १४/- और चिरचाडी में रू. १४.५०/- मजदूरी प्रती दिनप्रति व्यक्ति पकडी है। १९८८-८९ के रोगायो के आंकिडे बताते है की अगर मजदूर पुरा ७ घंटे काम करते है और सही दर लगाते हुये काम का मेजरमेंट सही होता है तो औसत २० से २५ रू. रोजी प्रती मजदूर प्रति दिन पडती है। सही नियोजन के लिए २५ रू. यह अधिकतम आंकडा लेकर ही हिसाब करना आवश्यक होगा। अगर उपलब्धं मजदुरों का सही आंकडा और मजदुरी २५ रू. लेकर हिसाब करते है तो तुकूम गांव में २०० कुल काम करने वालों में से १८० मजदुर इस कार्यक्रम के कामों के लिए उपलब्ध होंगे। उन्हे औसत २५ रू. के हिसाब से मजदुरी देने के लिए राशी लगेगी ९ लाख रू. प्रतीवर्ष मतलब २९ लाख अकुशल प्रावधानवाला काम का मात्र ३.२ वर्ष चलेगा जब की गलत हिसाब के कारण वह १०.३५ वर्ष इतनाज्यादा दिख रहा है। सही हिसाब से चिरचाडी, बोरीचक और माडेमूल गांवो में क्रमशः सिर्फ १.५ वर्ष, १.३ वर्ष तथा३.७ वर्ष के कामों की ही व्यवस्था की गई है। हिसाब में हर साल बढने वाली जनसंख्या कोभी दुर्लक्षित किया गया है।

कुल भौगोलिक क्षेत्र की भूमि का परिक्षण कर कुल जलबहाव क्षेत्र के आधार पर कौनसी भूमि का कौनसे काम के लिए उपयोग किया जाना चाहिए यह तय करने के लिए कोई कोशिश नही की गयी है। गांव को आधार मानकर लेकीन कुल जलबहाव क्षेत्र के संदर्भ में भूमि उपयोग निश्चित

किये बगैर उपलब्ध प्राकृतिक साधन संपत्ती के संपूर्ण विकास का उद्देश्य कैसा पुरा हो सकता है ?

३.४ दोष औरपेचिदगीयां -

इस कार्यक्रम में अनावश्यक पेचिदगीयां और दोष भी बहुत है। उन्हे अगर दुर किया जाता है तो कार्यक्रम पर ज्यादा अच्छा अंमल होकर उद्देश्य की दिशामें तेजी से बढ सकते है। लोग और अंमल करने वाले विभागों के अधिकारीयों के साथ लंबी चर्चा के बाद निकले निष्कर्ष ऐसे है -

* ग्राम सभा ने २/३ बहुमत से प्रस्ताव पारीत करने पर भी गांव में यह कार्यक्रम तभी लागु हो सकता है जब जिला स्तरिय समिती उसे मंजूरी देगी। यह समिती बनी है मंत्री, सांसद, विधायक औरकर्मचारीयोंकी ग्रामसभा ने२/३ बहुमत से प्रस्ताव पारीत करते ही यह कार्यक्रम उस गांव में लागु हो जाना चाहिए। गांव के संदर्भ में ग्रामसभा के उपर और किसी के मंजुरी की आवश्यकता से गांव में स्वयंशासन की भावना कैसे मजबुत होगी।

* प्रकल्प आलेख तैय्यार करनेके लिए भी एक लंबी और पेचिदी प्रक्रिया बनाई गयी है, जिसमे लोगों के सहभागको दुर्लक्षित कर सरकारी कर्मचारीयों को ही महत्त्व प्रदान किया गया है। प्राथमिक प्रकल्प आलेख ग्राम सभाही तैय्यार करे और उन्हे शासकिय कर्मचारी केवल मदत करें ऐसा प्रावधान क्यों नही ?

* गांव विकास समिती गठन के लिए सभी अशासकिय सदस्यों के नामों की सूचना ग्राम पंचायत की ओर से जिलाधिकारी को भेजी जायेगी। उसके बाद जिलाधिकारी गांव विकास समिती की नियुक्ती करेंगे, ऐसा न एक बार शासकिय प्रतिनिधी के रुप में पदेन सदस्य कौन होंगे यह तय कर देने के बाद ग्रामसभा ने ही इस समिती का गठन करना ज्यादा तर्कसंगत और उचित नही होंगा क्या ?

* खादी ग्रामोद्योग के सिर्फ अंबर चरखा और रेशीम उद्योग ये दो ही काम इस कार्यक्रम में क्यो ? अन्य सभी खादी ग्रामोद्योग के काम क्यों नही ?

* ग्राविका दि. २२ जुन ८९ के शा. निर्णय में कहा गया था के (१) अंबर चरखा (२) रेशीम उद्दयोग ३) सामुदायिक स्वच्छता से संबंधीत काम (४) प्रदुषण निर्मूलन काम इन क्र. १ से ४ कामों के लिए बादमें

विस्तार के साथ सूचनाएँ दी जायेगी। लेकीन एक साल से ज्यादा समय हो गया फिर भी सूचनाएँ नही प्राप्त हुयी है।

ऐसे ही और कई दोष इस कार्यक्रम में देखे जा सकते है। पेचिदगियां भी प्रथमदर्शनी भयभित कर सकती है। इस कार्यक्रम का लाभ मिलाने के लिए गांव को जो शर्ते स्विकारनी है वे भी एकतर्फा, कडी और असंभवनिय लग सकती है। फिर भी गांव की सत्ता गांव के हाथ लेने के लिए इसमें जो मौका उपलब्ध हुवा है उसे नकारा नही जा सकता।

३.५ गांव की सत्ता गांव के हाथ लेने के लिए अवसर -

इस कार्यक्रम के तहत काम की जो भी योजना बनायी जायेगी उसे गांव विकास समिती तथा ग्राम सभा के २/३ बहुमत से मंजुरी की आवश्यकता होगी। यह वह जगह है जहां लोग अपने गांव के नियोजन मे सहभागी और निर्णायक हो सकते है। मृदसंधारण अधिकारी व्दारा बनायी गयी सरकारी योजना को पुरा नकार कर उसमें संपूर्ण परिवर्तन भी कर सकते है।

सिर्फ नकारना तो सरल होता है। लेकीन उसीसे जुड कर यह जिम्मेदारी भी आती है, ऐसा ना हो तो फिर क्या और कैसे हो ? यह बताने की। अगर गांव अपनी क्षमता का सही प्रयोग करता है तो वह इस अवसर का लाभा उठाते हुयेगांव की सत्ता गांव के हाथ ले सकता है।

४. रोगायो अंतर्गत फलोत्पादन विकास योजना -

२५ मई१९९० को इस कार्यक्रम का निर्णय लिया गया। इससे पहले भी रोगायो में फलदार पेड लगाने का कार्यक्रम था लेकीन उसका लाभ सिर्फ अनुसूचित जाती और जनजाती के किसानों तक ही सिमीत था। उसके अंमल की पध्दती भी कुछ अलग थी। लाभधारक किसानों को, फलोद्यान विभाग व्दारा पेडलगा कर, उसकी ३ साल तक देखभाल कर फिर हस्तांतरीत करनेकी पध्दती थी। जिसमें लाभधारक किसान का सहभाग नही के बराबर था। नये कार्यक्रम में नाबार्ड की व्याख्यानुसार सभी अल्प भूधारक किसानों को मतलब गडचिरोली जिले मे ५.२५ हेक्टर तक भूमि किसानों को १०० प्रतिशत अनुदान पर और उससे ज्यादा भूमिधारियों अत्यल्प खर्च में इस कार्यक्रम से लाभ मिल सकता है लाभधारक किसानऔर उसके परिवार के सदस्यों को अपने आपको रोगायो मजदुर के रुप में पंजिबध्द करना होगा। सभी काम किसान खुद करेंगे या किसी से करवा

काम का मस्टर नही रखा जाएगा। हर माह काम की गीनती हो कर काम के अनुपात में तय दर से चेक द्वारा किसानों को मजदुरी का पैसा दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान है।

४.१ **धान (चावल) के किसानों का विचार नही -**

कार्यक्रम तैय्यार करते वक्त धान छोडकर अन्य फसल लेने वाले किसानों का ही विचार किया गया होगा ऐसा लगता है। अन्य फसलवाले किसान खेत में पेड लगाने पर भी वे पेड बडे हो कर उनसे उत्पाद शुरू होने तक फसल लेना शुरू रख सकते है। धान की खेती में पानी भरना आवश्यक होने के कारण पेड लगाने के बाद फसल नही ली जा सकती। सो धान पैदा करने वाले किसान मेंढों (पेंडी बन्हाडा) पर ही पेड लगा सकते है। भंडारा जिले में इस तरहसे पेड लगाने की का पुरानी परंपरा रहीहै। इस कार्यक्रम के तहत मेंढोंपर पेड लगानेके लिए मनाई कर धान की फसल लेनेवाले किसानों को लाभ से वंचीत किया गयाहै।

४.२ **प्रजातियों की मर्यादा -**

इस कार्यक्रम के तहत तय की गई प्रजातियों में से ही चुनाव करने का बंधन है। उदाहरणार्थ अगर गडचिरोली जिले का कोई किसान महुआ और तेंदु ये फलदार पेड लगाना चाहे तो वह इस कार्यक्रम में ये पेड नही लगा सकता। ऐसा बंधन क्यों डाला गया है नही समझ सका।

४.३ **निर्णय देरीसे -**

अगर सरकार चाहती थी के १९९० के बरसात में पेड लगाए जाए तो निर्णय बहुत पहले होना आवश्यक था। २५ मई को निर्णय होने के बाद लाभधारकों का निश्चितीकरण, गढ्ढे खोदना उन्हे उपजाऊ मिट्टी से भरना, पौधे तैय्यार करना इत्यादी के लिए लगने वाला समय देखते हुये १९९० की बरसातमें पेड लगाए जाना मुश्किलही दिखाई देता है। जिन्होने पहले से गढ्ढे खोद रखे थे और जो पेड लगाने ही वाले थे उन्हे ही इस कार्यक्रम से इस साल ज्यादा लाभ मिलेगा ऐसा दिखाई देता है।

४.४ **आर्थिक और पर्यावरणिय लाभ -**

दुर दृष्टी से विचार करने पर फलोद्यान का कार्यक्रम आर्थिक और पर्यावरण दोनो दृष्टी से लाभदायक कार्यक्रम है। अमल में सब से बडी

पौधों के सुरक्षा की है। अगर गांव में कुछ ही किसान यह कार्यक्रम लेंगे तो पहले पौधों की और बाद में फलो की सुरक्षा अतिकठीण होगी। इस समस्या पर एकही उपाय है। समुचे गांवने ही फलोद्यान का कार्यक्रम लेना

४.५ आदिलाबाद, आंध्रप्रदेश में सफल प्रयोग -

आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में एक तहसिल है, चिन्नूर। गडचिरोली जिले के सिरोंचा तहसिल से लगी हुयी इस तहसिल में, १५,000 हेक्टर भूमिपर फलदार पेड लगाये गये है जिसमें से १0,000 हेक्टर क्षेत्र आदिवासी किसानों का है। रास्ते के दोनो ओर मिलों तक आम और काजु के उत्पादन दे रहे पेड दिखाई देते है। वहां पुरे गांवने पेड लगाने के सुत्र का प्रयोग किया गया जो सफल हुवा है।

चिन्नूर तहसिल के १५000 हे. फलोद्यान की तुलनामें इस कार्यक्रम के तहत गडचिरोली जिले मे १९९0-९१ का जो लक्ष्य तय किया गया है वह है सिर्फ २१00 हेक्टर।

५. २० सुत्रीकार्यक्रम के १२ वे और १७ वे सुत्र -

१२ वां सुत्र है "औरतों को समानता" और १७ वां सुत्र है "पर्यावरणकी सुरक्षितता"। गडचिरोली जिला नियोजन और विकास परिषद की ओर से प्रतिमाह २० सुत्री कार्यक्रम ८६ के मासिक प्रगती की रपट छापी जाती है। आज तक प्रसिध्द हुयी सभी रपटों में सुत्र १२ और सुत्र १७ के आगे लिखा होता है "निरंक" तथा "योजना अंमल में लाने के लिये सरकार की ओर से मार्गदर्शक सूचनाएँ अप्राप्त। इन सुत्रोंपर अंमल करने के लिए निश्चित क्या करना है सो किसी भी अधिकारी को पता नही है।

—— 0 ——

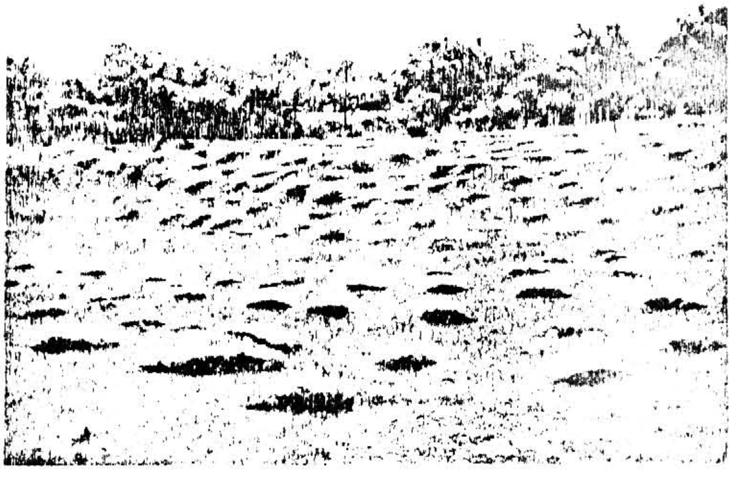

सहपत्र क्र. क-१ : 'काम का अधिकार' एक बाधा दौड

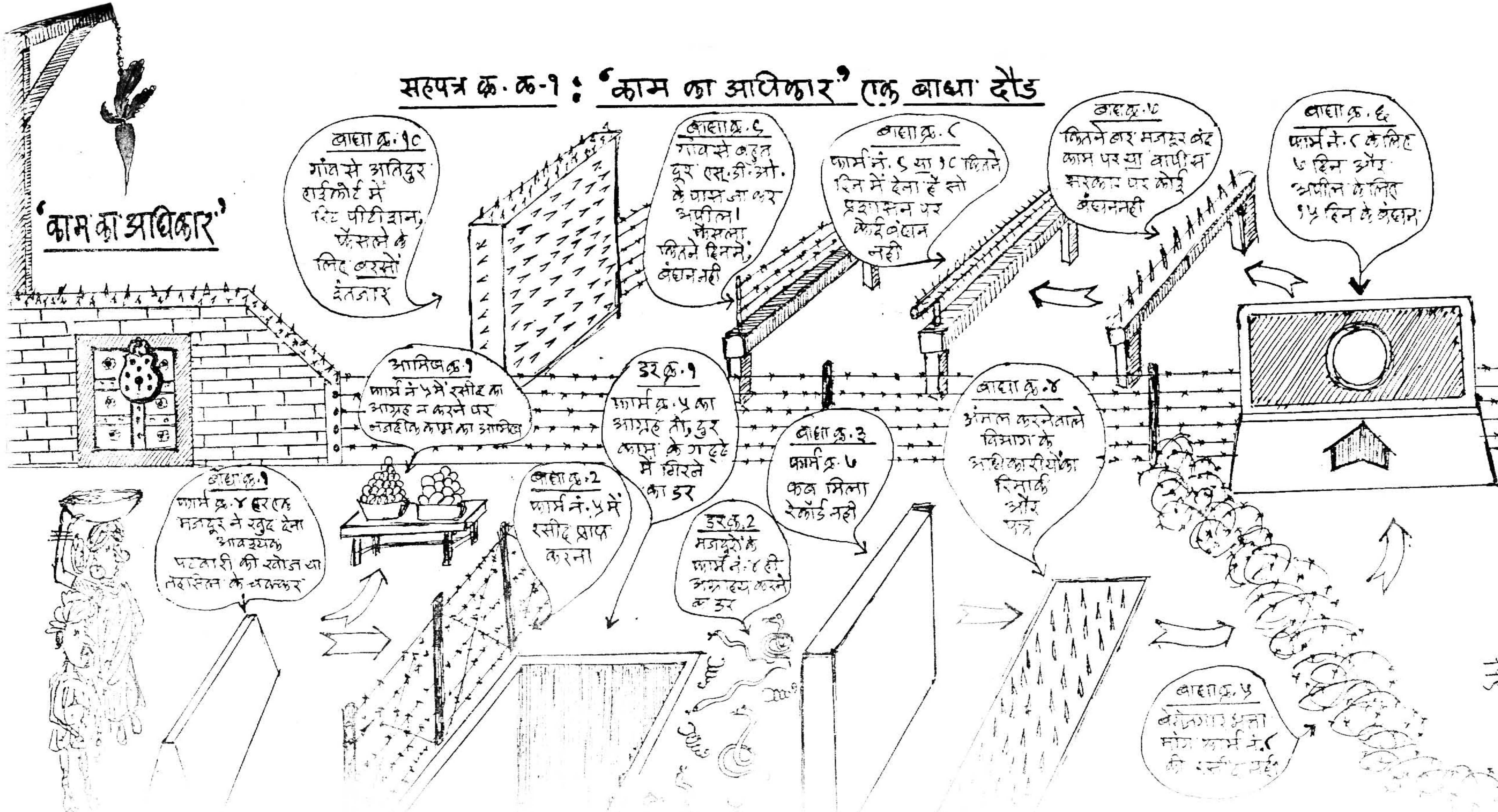

सहपत्र क्र. क-२

"काम का अधिकार" एक बाधा दौड, केस स्टडी-१

पृष्ठभूमि -

देसाईगंज (वडसा), गडचिरोली जिले की आरमोरी तहसिल का एक कस्बानुमा बजार का गांव। वहां रहनेवाले, पुरानी समाजवादी पार्टी और बाद में जनता पार्टी के एक सक्रिय आदिवासी शिक्षक कार्यकर्ता श्री. सुखदेवबाबू उईके रोगायो मजदुरों के लिए अपने तरीके से कार्यरत थे। शांतिमय संपूर्ण क्रांती के लिए निर्दलिय युवकों का संघटन-"छात्र युवा संघर्ष वाहिनी" से तीस साल की उम्रसिमा पुरी हो जाने के कारण बाहर निकले कार्यकर्ता. श्री. मोहन हिराबाई हिरालाल १९७९ से उन के साथ मिल कर काम करने लगे। लोगों के लिए नही बल्की लोगों के साथ काम करने की दृष्टी से उन्होने "हम हमारा रास्ता खुद खोजेंगे" शिर्षक के तहत देसाईगंज परिसर के दस गांवों में स्टडी सर्कल्स का कार्यक्रम चलाया। विसोरा उन्ही गांवों में से एक गांव है। स्टडी सर्कल से शुरु हो कर लोग रोगायो मजदुरों के ट्रेडयुनियन तक पहुँचे। १९८१ में "बांधकाम व लाकुड कामगार संघटना जिल्हा चंद्रपुर" नाम से संघठन, ट्रेड युनियन अॅक्ट के तहत पंजिबद्ध कराया गया। मजदुरों ने रोजगार गारंटी अधिनियम तथा नियम की जानकारी प्राप्त करते हुये "काम के अधिकार" की प्राप्ती के लिए सामुहीक कोशिश शुरु की। एकमात्र मांग थी भारतिय संविधान के दिशानिर्देशक तत्त्व तथा रोजगार गारंटी अधिनियम पर अंमल करने की। मजदुरों को पहला संघर्ष खुद अपने आप से करना पडा। दुसरी लढाई हुयी रोगायो नियम अनुसार फार्म नं. ५ में रसीद के लिए। क्षेत्र में पहली बार मजदुरोंने फार्म नं. ८ भरकर बेरोजगार भत्ते की मांग की। तहसिलदार और एस्. डी. ओ. ने भी बेरोजगार भत्ता नकारने पर नागपूर हाईकोर्ट में १९८२ में रिट पिटीशन दाखील की गई। महाराष्ट्र राज्य में रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत बेरोजगार भत्ता के लिए यह पहली रिट पिटीशन थी। मजदुरों में चेतना और आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अनौपचारीक शिक्षा, प्रशिक्षण, अर्जीयाँ, स्मरणपत्र, जुलूस, प्रदर्शन, धरना, सम्मेलन, कोर्ट केस इ. संवैधानिक एवं शांतीमय तरिकों से संगठन का काम भी आगे बढा। संगठन के अध्यक्ष श्री. उईके १९८५ के विधान सभा चुनाव में कांग्रेस (एस्) के टिकट पर पुरोगामी लोकशाही आघाडी के उम्मिदवार के रूप में चुनाव जित कर आरमोरी विधान सभा क्षेत्र के विधायक बने। इस पृष्ठभूमि के साथ विसोरा गांव के मजदूरों की कहानी समझना ज्यादा उचित होगा।

२. कहानी विसोरा के मजदुरों की

विसोरा, देसाईगंज(वडसा) से पूर्व दिशा में ६ कि.मी. अंतर पर स्थित एक गांव। हर साल जैसे ही धान की रोपाई (ट्रान्सप्लॅन्टेशन) १९८५ के अगस्त माह में पूर्ण हुवा। अब मजदुरों को खेती में कोई काम न रहा। मजदुरों ने रोगायो के तहत अपने नामों को पंजिबद्ध कराया था ही। सो उन्होने आपस में विचार विनिमय किया और रोगायो के तहत काम की माँग की। जिससे निचे अनुसार घटनाक्रम प्रारंभ हुवा।

- विसोरा गांव के ४७० मजदुरोंने दि.५ से १२ सितंबर ८५ के दौरान काम के माँग पत्र, रोगायो नियमानुसार(प्रत्येक व्यक्ती ने) खुद ले जाकर पटवारी के पास दिये और फार्म नं.५ में रसीद प्राप्त की।
- नियमानुसार मांगने पर १५ दिन में मतलब दि. २० से २७ सितंबर ८५ तक मजदुरों को काम पर जाने के आदेश नं.७ मिलना आवश्यक था। लेकीन सो नही मिले।
- आस पास के सभी गांवों में भी यही परिस्थिती थी। संघठन में इसपर विचार करने के बाद १० अक्तुबर ८५ को देसाईगंज नायब तहसिलदार कार्यालय पर जुलूस का कार्यक्रम तय किया गया।
- तय कार्यक्रमानुसार करीबन तीन हजार मजदुर किसान भाई बहन देसाईगंज के आझाद चौक में इकठ्ठा होकर जुलूस में गीत गाते नारे लगाते नायब तहसिलदार कार्यालय पहुँचे। और प्रतिनिधी मंडल द्वारा श्री. पवनीकर, उपजिलाधिकारी को जुलूस की और से निवेदन दे कर चर्चा की। उपजिलाधिकारी ने सभी मजदूरों को जल्द से जल्द काम देना स्विकार किया। जुलूस विसर्जीत कर सभी अपने घर लौटे। और काम पर जाने के आदेशों की राह देखने लगे।
- मजदुर, संघठन के कार्यकर्ता और खुद विधायक भी तहसिल और जिला कार्यालय के चक्कर लगा लगा कर थक गये।
- आखीर में दि. २५-१२-८५ को विसोरा के ४७० मजदुरों को काम पर जाने के आदेश नं.७ मिले। काम मांगने पर कुल तीन माह और १३ से २० दिन बाद काम दिया गया तह भी मजदुरों के गांव से करीबन ७५ [illegible] गडचिरोली तहसिल पार कर धानोरा तहसिल के गिरोला नाम के गांव [illegible]
- विसोरा के मजदूर कार्यकर्ता विधायक के साथ दि. २६-१२-८५ को तहसिलदार कार्यालय गये। वहां उन्होने रोगायो में मंजूर लेकीन शुरू नही हुये है ऐसे कामों की सूची देखी। तब पता चला के देसाईगंज के इर्द गिर्द ही ऐसे कई काम है जहां विसोरा के मजदुरों को काम दिया जा

सकता है। तब विधायक ने खुद पुराने आदेश तहसिलदार को लौटाये और तहसिलदार ने भी नजदिक के काम के आदेश देना स्विकार किया। मजदुर फिर राह देखने लगे।

× २२ जनवरी ८६ को पुरे देश में "काम का अधिकार दिवस" मनाया गया। संघठन द्वारा आरमोरी तहसिल कार्यालय पर एक जुलूस का आयोजन किया गया। मुख्य मंत्री महाराष्ट्र राज्य के नाम द्वारा तहसिलदार आरमोरी एक निवेदन दिया गया जिसमें समुची परिस्थिती को दर्शाते हुये रोगायो पर सुयोग्य अंमल की मांग की गई। और अंत में इशारा दिया गया कि मजदुरों को जल्दी काम नही मिला तो "काम दो या जेल दो" जैसा तीव्र आंदोलन छेडने के लिए मजदुरों को मजबूर होना पडेगा।

× 30 जनवरी ८६ को संघठन की ओर से देसाईगंज में रोगायो मजदूर और किसानों का सम्मेलन आयोजित किया गया। और उसमें घोषणा की गई के अगर ६ फरवरी ८६ तक समस्या सुलझती नही है तो "काम दो या जेल दो" आंदोलन होगा।

× "काम दो या जेल दो" आंदोलन के लिए जाहिर पत्रक निकाला गया। जिसकी फोटोकॉपी केस स्टडी सहपत्र क्र. १.१ के रूप में संलग्न है। मजदुरों को सुचना दी गई के - वे सभी दि. ६ फरवरी को अपने अपने गांव से जुलूस बना कर निकले और दोपहर में १२ बजे तक देसाईगंज के आझाद मैदान में पहुँचे। सभी शांतीमय तरिके से खुद को गिरफ्तार करने की तैय्यारी [illegible] और पुलीस को गिरफ्तारी देते वक्त सहयोग दे ऐसीभी अपील की गई।

× दि. ५ फरवरी ८६ की रात में विभिन्न गांवों के साडे सात हजार मजदुरों को उनके गांव से करीबन १०० कि.मी. दुर चामोर्शी तहसिल में काम पर जाने के आदेश बांटे गये। धारा ३७(३) और (१) लगा कर पुलीस जीप पर लाऊडस्पीकर लगा कर गांव गांव में जुलूस और सभा पर [illegible] गई होने की घोषणा की गई। लोगोंको भयभीत और आतंकित कर "काम दो या जेल दो" आंदोलन असफल करने की कोशिश की गई।

× गुरूवार दि. ६ फरवरी ८६ को रोगायो मजदुरों ने देसाईगंज में एक इतिहास बनाया। ३७ (३) (१) धारा के साथ साथ सारे भय और आतंक को तोड कर हजारों की तादाद में मजदुर इकठ्ठा हुये। ५ फरवरी की रात को बांटे गये आदेश के अनुसार सभी मजदुर चामोर्शी जाना चाहते है [illegible] ट्रकों की व्यवस्था किजीये ऐसा तहसिलदार से कहने पर ऐसी व्यवस्था करने में असमर्थता दिखलाई। तब जेल भरो आंदोलन के अलावा कोई चारा नहीं रह गया। उस दिन क्या हुवा इसकी जानकारी देने वाले ३ प्रेस कटींग केस स्टडी सहपत्र क्र. १.२ और क्र. १.३ और क्र. १.४ के रूप में संलग्न है।

- x सभी को गिरफ्तार कर पुलीस स्टेशन के सामने मैदान में बैठाया गया। और रात में छोड दिया। मजदुरों ने आग्रह किया के उन्हे जेल भेजा जाए। गांव वापीस जां कर बगैर काम के भुखे मरने से तो अच्छा जेल जाना है। कम से कम वहां दो वक्त का खाना तो मिलेगा। उपविभागीय अधिकारी, भीआये उच्च पदस्थपुलीस अधिकारीयों ने मध्यस्तता की आखीर ७ फरवरी ८६ को सुबह ही सभी मजदुरों को नजदीक के कामों के आदेश दिये जायेंगे इस बात पर समझौता हुवा। मजदुर सत्याग्रहीयों ने पास की ही एक स्कुल बिल्डींग में आश्रय ले कर भुखे पेट रात काटी। सुबह आदेश न मिलने पर सभी फिर [illegible] कर नायब तहसिलदार कार्यालय पहुँचे। तहसिलदार, आरमोरी वहीं थे। उन्हे मजदुरों ने घेराव कर लिया और घोषणा की के या तो नजदिक के सुरु हो सकने वाले कामों के आदेश दिये जाए या फिर सभी को जेल ले जाया जाए। पुलीस इतने लोगों को जेल नही भेजना चाहती थी सो फिर एकबार उन्होने मध्यस्तता की, [illegible] उपजिलाधीकारी (रोगायों) को बुलाया गया। फिर एक बार [illegible] के कामों की सुची से छाट कर काम निकाले गये उनपर अंमल करने वाले विभागों के अधिकारीयों को भी वहीं बुलाया गया। वहां उपस्थित आधे से ज्यादा मजदुरों को वहीं नजदिक के काम के आदेश दिये गये। और शेष मजदुरों को तीन दिन के अंदर आदेश देने का आश्वासन दिया गया। विसोरा के मजदुरों का नंबर शेष मजदुरों में लगा सो फिर एक बार गांव लौटकर राह देखना शुरू हुवा।

- x दि. ४-३-८६ को विसोरा के मजदुरों को सी. बी. एफ् तालाब क्र. १ पर जाने के आदेश प्राप्त हुये। इस काम के अंमल करने वाले अधिकारी उपविभागिय अभियंता बाघ ईटिया डोह प्रकल्प उपविभाग, वडसा से मजदुरों ने संपर्क स्थापित किया तब उनकी सुचना अनुसार मजदुर दि. ११-३-८६ को काम की जगह (वर्कसाईट) पर गये लेकीन उन्हे काम नही दिया गया। निराश मजदूर देसाईगंज आये और बाघ ईटिया डोह प्रकल्प कार्यालय पर धरना दे दिया। बालबच्चों सहीत मजदुर भाईबहने २९ घंटा लगातार धरना देते रहे तब जा कर उपविभागिय अधिकारी तहसिलदार को ले कर वहां आये और मजदुरों को वह काम बदल कर "आंमगांव तालाब" के काम पर जाने के आदेश दिये। यह काम निश्चित शुरू होगा और उससे मजदुरों को काम मिलेगा इसकी जिम्मेदारी उपविभागिय अधिकारीने ली।

× मजदुर वह आदेश ले कर १३-३-८६ को सहाय्यक अभियंता, जि. प. लघु सिंचाई उपविभाग वसा के पास गये। उन्होने स्पष्ट शब्दों में कह दिया की वे मजदुरों को काम देने में पूर्णत: असमर्थ है। तहसिलदार के आदेश का जबाब उन्होने तहसिलदार को भेज दिया है सो मजदुर [illegible] उन्हीसे मिले।

× दि. ६-४-८६ को विसोरा के मजदुरों को "चांभाडा तालाब ख. नं. १२२ उप विभागिय अभियंता तुलतुली प्रकल्प पोर्ला-५" [illegible] नये आदेश प्राप्त हुये।

× दि. ८-४-८६ को मजदुरों ने उप अभियंता, तुलतुली प्रकल्प, पोर्ला-५ को अर्जी दे कर तहसिलदार के आदेश की जानकारी दी। और यह काम मजदुरों के गांव से ५ कि. मे ज्यादा दुर होने के कारण शासकिय आदेश के अनुसार ट्रक की और रहने के लिए शिबीर की व्यवस्था करने की बिनती की।

× दि. ८-४-८६ को ही संघठन ने मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य को एक पत्र लिख कर रोगायो मजदुरों के हालात के बारेमें जानकारी दी। जिसमें विसोरा के मजदुरों पर भी एक पुरा परिच्छेद है।

× उपविभागिय अधिकारी, तुलतुली प्रकल्प उपविभाग क्र. ५ पोरला का दि. ११-४-८६ को लिखा पत्र डाक से दि. १६-४-८६ को विसोरा के मजदुरों को मिला। जिसमें लिखा था की उस उपविभाग में चांभाडा ख. नं. १२२ नाम का कोई तालाब ही नही है सो वे मजदुरों को काम देने में असमर्थ है।

× मजदुरोंने दि. १६-४-८६ को फार्म नं. ८ भर कर दि. ३०-३-८६ से १५-४-८६ तक के १५ दिनों के लिए बेरोजगार भत्ते की मांग की।

× फार्म नं. १० में बेरोजगार भत्ता नामंजुर कियेजाने की सुचना मजदुरों को दि. २३-५-८६ को प्राप्त हुयी। जिसमें बेरोजगार भत्ता नामंजुर करने के तीन कारण दिये गये थे।

(१) नमुना ५ की मूल प्रती अर्जी के साथ नहीजोडी थी।
(२) अंमल करने वाले अधिकारीयों ने काम पर नही लिया ऐसे आशय का रिमार्क वाले नमुना ७ के आदेश साथमें जोडे नही है।
(३) चांभाडा तालाब इस काम पर आप हाजीर नही हुये। [illegible] अंदर ही काम देने पर मजदुरों [illegible] वाहन [illegible] लिए शासकीय आदेश नही है।

× मजदुरों ने रोगायो नियम क्र. ११ के प्रावधान अनुसार तहसिलदार के बेरोजगार भत्ता नामंजुर करने के आदेश के खिलाफ दि. ४-६-८६ को उपविभागिय अधिकारी गडचिरोली के कोर्टमें अपील दाखील की। मजदुरों के प्रतिनिधी को चार पाच तारीखों के चक्कर लगवाकर उन्होंने भी अपील खारीज कर तहसिलदार को [illegible] करने का पुण्यकर्म कर ही डाला।

× विसोरा के इन मजदुरों को सितंबर ८५ से लेकर जून ८६ तक ९ महिने के पुरे सिझन में एक दिन भी रोगायो के तहत रोजगार नही मिला और ना ही बेरोजगार भत्ता। जब की मजदुरोंने लगातार काम की सिर्फ मांग ही नही की थी उसके लिए आंदोलन भी किया था।

× मजदुरों की बेरोजगार भत्ते की मांग नामंजुर करते वक्त तहसिलदार [illegible] पहला कारण दिया है "नमुना ५ की मूलप्रत अर्जी के साथ जोडी नही है।" इस संबंध में जो रोगायो नियम १०(१) है उसमें लिखा है "रोजगार मिले इसलिए दिये गये पत्र के रसीद की प्रती अर्जी के साथ जोडी जाए" स्पष्ट है की रसीद की मूलप्रती ही अर्जी के साथ जोडी जाए ऐसा [illegible] भी नही कहा है। मजदुरोंने उनकी अर्जी के साथ नमुना ५ [illegible] सत्यप्रती जोडी थी। जिससे नियम के प्रावधान की पूर्णत: पूर्ती होती है। ऐसा होते हुये भी नमुना ५ की मूलप्रती नही जोडी इस नियमबाह्य कारण के लिए बेरोजगार भत्ता नकार कर प्रशासन ने मजदुरों के साथ अन्याय किया है।

× दुसरा कारण है "अंमल करने वाले विभाग के अधिकारी का [illegible] ऐसे नमुना ७ के आदेश साथमें जोडे नही" मजदुरों ने बार बार मांगने पर भी जब किसी अंमल करने वाले अधिकारी ने रिमार्क लिखकर ही नही दिया तो फिर वह जोडने का सवाल ही नही पैदा होता। उपअभियंता तुलतुली प्रकल्प उपविभाग पोर्ला द्वारा भेजा गया पत्र मजदुरों को दि. १६-४-८६ को शाम को मिला। उसी दिन [illegible] से पहलेही मजदुरों ने अपनी बेरोजगार भत्ता मांग की अर्जीयां तहसिल कार्यालय में दाखील कर दी थी सो पत्र की प्रती जोडना भी असंभव था और फिर उपअभियंता महोदय ने उस पत्र की प्रतिलीपी तहसिलदार को भी तो दी थी। पत्र की फोटोकापी और हिंदी अनुवाद केस स्टडी सहपत्र क्र. १.५ के रूप में संलग्न है।

× बेरोजगार भत्ता नकारने के लिए दिये गये तिसरे कारण के दो [illegible]

अ) पहला हिस्सा है " चांभार्डा तालाब [illegible] हाजीर नही हुये"। मजदुरों को चांभार्डा तालाब के काम पर [illegible]

का दिया गया आदेश पत्र नमुना-७ की फोटो कॉपी तथा हिंदी अनुवाद केस स्टडी सहपत्र क्र. १.६ के रूप में संलग्न है। जिसमें

दिये गये काम की जगहपर अंमल करने वाले अधिकारी या उनके प्रतिनिधी से मिलीये।" मजदुरों को यह पत्र नमुना-७ दि. [illegible] को प्राप्तहुवा। दि. ८-४-८६ को मतलब ७ दिन के अंदर ही कुछ मजदुर नमुना-७ में लिखे पते पर, उनके रहने के गांव से करीबन ५० कि.मी. की दूरी पर गये और वहां अंमल करने वाले अधिकारी से मिले और एक अर्जी भी उन्हे दी। तब उन अधिकारी ने [illegible] तालाब ख.नं.१२२ का काम ही अस्तित्व में नही ऐसा कहा। [illegible] होने के बावजूद मजदूर काम पर ही नही गये ऐसा [illegible] आरोप लगाकर रोगायो नियम के प्रावधानों से अनुचित लाभ उठाने की कोशिश प्रशासनने की है।

ब) दुसरा हिस्सा है "तहसिल के अंतर्गत मजदुरों के लिए वाहन की व्यवस्था करने के लिए शासन का आदेश नही" लगातार [illegible] शुरू न हो सकने वाले काम पे जाने के आदेश दे कर तहसिलदार ने मजदुरों के जख्म को और गहरा करने का ही काम किया। और उपर से ऐसे ऐसे कारण दे कर जख्म पर नमक छिडकने का ही काम उन्होने किया है। जो काम ही अस्तित्व में नही वहां मजदुरों के लिए वाहन की व्यवस्था करने का या उसके लिए शासन के आदेश है या नही देखने का सवाल ही नही उठता। अगर कोई सवाल उठता ही है तो वह है-"लगातार तीन बार शुरू न हो सकने वाले कामों पर मजदुरों को भेज कर परेशान करने का शासकीय आदेश है क्या ?"

× मजदुरों ने पुरे सिझन बेरोजगार रहने के बावजूद प्रतिनिधीक रूप से केवल दि. ३०-३-८६ से १५-४-८६ तक के १५ दिन के कालावधी के [illegible] बेरोजगार भत्ते की मांग की थी। नियमानुसार इस कालावधी के लिए बेरोजगार भत्ता पाने के लिए मजदुर पात्र हुये है यह तथ्य प्रशासन को मान्य है। यही कारण है की तहसिलदार को भी यह तथ्य नकारना संभव नही हो सका और बेरोजगार भत्ता नकारने के लिए झुठे और तांत्रिक कारणों का आश्रय लेना पडा है। मजदुरों को नियमानुसार समयपर काम न देने की पहली गलती को छिपाने के लिए [illegible] गलतियां करते दिखाई देते है।

केसस्टडी सहपत्र क्र. १.१.

[illegible]. देसाईगंज

भीक नको हवे हक्काचे काम

बांधकाम व लाकुड कामगार संघटना जिल्हा चंद्रपूर। गडचिरोली

र. नं. एनजी. पी. २४६९

संलग्न - इंडीयन फेडरेशन ऑफ बिल्डींग ॲन्ड वुड वर्कर्स, मुंबई

देसाईगंज नायब तहसिलदार कार्यालयावर

काम दो या जेल दो

जन आंदोलन - सत्याग्रह - मोर्चा

गुरुवार दि. ६ फेब्रुवारी ८६ रोजी दुपारी १२ वाजता

बंधु भगिनींनों,

अत्यंत दुःखाची बाब म्हणजे रोजगार हमी कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी म्हणुन दर [illegible] जन आंदोलन उभारावे लागते. या वर्षी सप्टेंबर ८५ पासुन हजारो मजुरांनी व शेतकऱ्यांनी कामाची [illegible] मोर्चा, प्रत्यक्ष भेटी द्वारा केलेल्या अनेक मागण्यांना पाच महीने होवुन ही प्रतिसाद मिळाला नाही. [illegible] रोजगारा अभावी उपासमारीचे जीवन जगत आहे. कामासाठी व पाण्यासाठी गांव सोडून मजूरांना [illegible] मुख्यमंत्र्यांची घोषणा खोटी ठरली आहे. जीवन जगण्याचा व त्यासाठी काम मागण्याचा जनतेचा अधिकार [illegible] हमी कायद्याच्या अंमलबजावणी साठी. वर प्रमाणे " काम दो या जेल दो " जन आंदोलन करण्याची [illegible] लागली आहे. तरी सर्वांनी आपला हक्क व रोजगार मिळविण्यासाठी पद नाटकाचा मोह सोडून [illegible] हजर रहावे. ही विनंती

सुचना- ❀ सर्वांनी दि. ६ फेब्रुवारी रोजी गांवोगांवून मिरवणुकी द्वारे निघुन देसाईगंज येथे आझाद [illegible]

❀ सर्वांनी स्वतःला शांततामय पद्धतीने अटक करवुन घेण्याच्या तयारीने यावे.

❀ अटक करवुन घेतांना पोलीसाना सहकार्य द्यावे.

\- आपले विनित -

बांधकाम व लाकूड कामगार संघटना जिल्हा चंद्रपूर। गडचिरोली

प्रकाशक- श्री मदन किसन वघारे, उपाध्यक्ष बांधकाम व लाकूड कामगार संघटना, [illegible]

वहिकर प्रिन्टींग प्रेस, देसाईगंज.

केस स्टडी सहपत्र क्र. १.२

१२८

"नवभारत" नागपूर दि. ११ फरवरी १९८८

काम हेतु हजारों महिला-पुरुषों का मोर्चा व गिरफ्तारी

गढ़चिरोली. रोजगार गारंटी योजना के तहत विगत ४ माह से काम न मिलने के कारण हजारों महिलाओं ने अपने दूध पीते बच्चों एवं पुरुषों के साथ जुलूस निकाला। इस पर न्यायालयीन आदेशानुसार उन्हें वड़सा में गिरफ्तार किया गया। यह इस क्षेत्र के लिए पहला मौका था जब न्यायालयीन आदेश पर इतनी बड़ी संख्या में महिला-पुरुषों ने यह नारा लगाते हुए गिरफ्तारियां दी कि 'भीख नहीं, अधिकार का काम चाहिए'। इमारतों की अपेक्षा अधिकाधिक झोपड़ियों वाले इस छोटे से कस्बे की गलियों ने पहली बार बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम अपने अधिकार के प्रति जागृत दिखलाई दिया।

१४ माह पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी वड़सा आए थे। तब भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच हजारों लोगों को ट्रकों और ट्रैक्टर ट्रालियों से सभास्थल पर लाया गया था ताकि वे अपने देश के प्रधानमंत्री को देख सकें। इस बार न तो ट्रक और न ही ट्रालियां उन्हें ले आयी थी बल्कि वे स्वयं काम की मांग को लेकर प्रदर्शन हेतु वड़सा पहुंचे थे। प्रधानमंत्री के आगमन के समय की ही स्थिति में वे वड़सा आये लेकिन इस बार उनका गंतव्य दूसरा था।

उन ग्रामीणों में अनेक तो ऐसे थे जिनके पास बस किराये के लिए पैसा नहीं था और वे उस दिन तड़के ही अपने गांव से वड़सा पहुंचने के लिए निकल पड़े थे। अनेक लोग तो रात्रि में २ बजे ही अपने गांव से पैदल चल पड़े थे और दोपहर में वड़सा पहुंच गये थे। मोर्चे में शामिल अनेक लोग अपने पैरों में फटी बिवाइयां और खाली पेट दिखा रहे थे- जिसका अर्थ था कि उन्होंने भूखे पेट लम्बी दूरी तय की थी।

वे सभी वड़सा में आजाद मैदान पर दोपहर में एकत्र हुए और उनमें पूर्ण अनुशासन की भावना देखी गई। वहां एक आमसभा हुई तथा सभी ने अपनी गिरफ्तारियां दी। इस मोर्चे के प्रमुख आयोजक मोहन हीरालाल ने आमसभा में अपील की कि एक-एक महिला मंच पर आये और अपनी समस्याओं के संबंध में विचार रखे।

पुलिस ने अपना काम किया। सभा पर रोक लगाने के लिए कस्बे में निषेधाज्ञा जारी कर दी गई थी फिर भी सभा हुई। विधायक श्री सुखदेव उइके, जो टिम्बर वर्कर्स फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, ने सभा की अध्यक्षता की एवं संबोधित किया। उन्होंने शासन से अपील की कि गढ़चिरोली जिले में रोजगार गारंटी योजना तत्परता से कार्यान्वित की जाये। सभा के बाद मोर्चा तहसीलदार कार्यालय पहुंचा। मोर्चे में महिलाएं अपने दूध पीते बच्चों को सीने से चिपकाये विलाप कर रही थीं और सबसे पहले महिलाओं ने अपनी गिरफ्तारी दी।

पुलिस ने इस मोर्चे को सरकार विरोधी तत्वों की कार्यवाही के रूप में दर्ज किया है।

(सुधीर पाठक यांजकडून)

वडसा देसाईगंज, ता. ६

रोजगार हमी योजनेची कामे द्या व त्याची रीतसर मागणी केल्याला चार महिने उलटून गेल्याने आता नियमानुसार बेकारी भत्ता द्या, या मागणीसाठी आज हजारो स्त्री-पुरुषांनी आपल्या लहानलहान कच्च्या-बच्च्यांसह स्वत:ला अटक करवून घेतली आणि एक नवीन इतिहास घडविला.

'भीक नको हवे हक्काचे काम', 'शेतकरी शेतमजूर एकता जिंदाबाद' आदी घोषणा देत व तालासुरावर गीत गात एक नवीन पर्व महाराष्ट्राच्या एका कोपऱ्यातील या लहानशा नगराने घडविले.

[illegible] वर्षापूर्वीच असेल, कदाचित एक दोन महिने आधी असेल, या परिसरात जशा घडली होती. या भारताचा पंतप्रधान पहिल्यांदा या लहानशा खेड्यात आला होता. पोलिसी अभूतपूर्व संरक्षणाच्या छत्राखाली वावरणारा या स्वतंत्र भारताचा लाडका पंतप्रधान बघायला म्हणून सैलानुगामी पायी चालत लोक आले होते. त्यात ट्रक होते. आजही हजारो पावले त्याच दिशेने वाटचाल करीत होते. पण ट्रॅक्टर वा ट्रक यांना स्थान नव्हते. साधे बसमध्ये बसण्यासाठी पैसा नव्हता, तेव्हा हे चालत येऊन हे कसे करणार असा त्यांचा सवाल होता.

दुपारी बारा वाजता सभा. त्यानंतर अटक व्हायचं म्हणून पहाटे चार वाजल्यापासून ही पावले चालू लागली होती. बांधकाम व लाकूड कामगार संघटना यांच्यावतीने आयोजित मोर्चा-करिता हे स्त्री-पुरुष एक आवेश घेऊन आले होते. सभा सुरू झाली. कृष्णा एका महिलेने आपले दुःख मांडावे असे आवाहन या मोर्चाचे संयोजक श्री. मोहन हिराबाई हिरालाल यांनी केले.

ग्रामीण भागातील स्त्री जात्याच सभा-समारंभ यांना घाबरणारी. पहिली पाच-दहा मिनिटे गेली आणि एक दोन नव्हे, तर तीन महिलांनी आपल्या वेदना व्यासपीठावर मांडल्या. गोदाबाई [illegible] [illegible] व [illegible] यांच्या [illegible] [illegible] [illegible] रोजगार नसून पैसा लागून पण त्यांची काळजी आम्हाला करावी लागते. पोटात भूक लागली व मायबाप म्हटले की त्यांना भाकर आणि आमचे बाळांना [illegible] ती नसली की...

[illegible] जगाव जंगलात [illegible] [illegible] भाकरी [illegible] [illegible] [illegible] भाकर [illegible] द्या [illegible] [illegible] काम दिले नाही तर जगावं कसं असा सवालही [illegible] सभेत [illegible]

ही सभा [illegible] [illegible] [illegible] वडसा परिसरात [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] त्याला [illegible] [illegible] मैदानात सभा झाली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

गडचिरोली [illegible] या [illegible] पाठिंबा दिला. त्यांचे भाषण झाल्यावर मदन [illegible] व मोहन यांचे भाषण होताच [illegible] [illegible] महाराजांनी सरकारवर टीका केली. या सभेचे अध्यक्ष व बांधकाम लाकूड कामगार संघटनेचे अध्यक्ष आमदार सुखदेवबाबू उइके यावेळी बोलताना म्हणाले, 'गांधीजींच्या नेतृत्वात कायदेभंगाची चळवळ या देशात उभारण्यात आली. आता स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आम्हाला कायद्याची अंमलबजावणी करावी, यासाठी आंदोलन करावे लागते ही अतिशय शरमेची बाब आहे. यावर्षी सप्टेंबर ८५ पासून हजारो मजुरांनी व शेतकऱ्यांना श्रमाची मागणी केली. निवेदने, मोर्चे, प्रत्यक्ष भेटी [illegible] सोपस्कार पार पडले पण पाच महिने झाले तरी त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही.'

संपूर्ण शेतकरी व मजूर रोजगाराअभावी उपासमारीचे जीवन जगत आहेत. कामासाठी व पाण्यासाठी गाव [illegible] मंजूरांना [illegible] देणार नाही, [illegible] [illegible] श्री. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] श्री सुखदेवबाबू उइके म्हणाले.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] काम मागण्याचा जनतेचा अधिकार म्हणून

(पान ८ वर)

'काम दो या जेल दो'

(पान १ वरून)

रोहयो कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी 'काम दो या जेल दो' हे आंदोलन करण्याची पाळी जनतेवर शासनाने आणून ठेवली आहे.

अशा प्रकारे आंदोलन व स्वत:ला अटक करून घेण्याचा संपूर्ण महाराष्ट्रातील हा पहिलाच प्रसंग असावा.

[illegible] जिल्ह्यात १६,००० कामगार आज काम मागत आहेत. त्यापैकी फक्त २५०० जणांना काम मिळाले आहे. उर्वरित जवळजवळ १० हजार लोकांनी काम मागितले त्याला ४ महिने होऊन गेले. पण शासनाने कामही दिले नाही वा नियमानुसार बेकारी भत्ताही दिला नाही. याकडे श्री. मोहन हिराबाई हिरालाल यांनी लक्ष वेधले.

श्री. मोहन पुढे म्हणाले, 'या आंदोलनाची घोषणा झाल्यावर काल रात्री साडेसात हजार लोकांना चामोर्शी, मार्कंडा या परिसरात कामावर जाण्यास सांगण्यात आले. प्रवास खर्चाचीही व्यवस्था करण्यात आली नाही. ज्यांना पोटाला भाकर नाही त्यांनी तिथे कसे जावे? याचे उत्तर शासन देत नाही. मी तर म्हणेन की, आम्ही संघटित झाल्यामुळे आमची फूट करण्याचा हा प्रयत्न सुरू झाला आहे.'

या सभेनंतर त्याचे रूपांतर मोर्चात झाले. सुरुवातीला महिला व मागे पुरुष अशी व्यूहरचना होती. जवळजवळ दोड किलोमीटर लांबीचा हा मोर्चा नायब तहसीलदाराच्या कार्यालयावर गेला आणि त्यांनी त्या ठिकाणी सत्याग्रह करून स्वत:ला अटक करवून घेतली. श्री. सुखदेवबाबू उइके यांनीही स्वत:ला अटक करवून घेतली. पोलिस निरीक्षक श्री. अशोक देशभ्रतार, उपनिरीक्षक विनोद पडोळे व श्री. शेख प्रभृतींनी आपल्या साधनांनिशी सर्व सत्याग्रहींना अटक करवून घेतली.

रोहयो काम द्या, बेकारी भत्ता द्या या मागणीसाठी महाराष्ट्रात पहिल्यांदा अटक करवून घेऊन वडसा देसाईगंज याने महाराष्ट्राच्या राजकीय नकाशात महत्त्वाचे स्थान पटकावले आहे.

125-35

केस स्टडी सहपत्र क्र. ७१.३ १२९
तरुण भारत नागपूर, शुक्रवार, ता. ७ फेब्रुवारी १९८६ TARUN BHARAT 7-2-86

रोहयो काम मागणाऱ्या हजारोंना वडसा येथे अटक

भीक नको, हवे हक्काचे काम या घोषणा देत बांधकाम व लाकूड कामगार संघटनेची आमदार सुखदेवबाबू उईके यांच्या नेतृत्वाखाली विशाल मोर्चा काढला. त्याचे टिपलेले छायाचित्र. (छाया- वसंत हरकरे)

नंतर असे सुरू झाले अटकसत्र. श्री. मोहन हिराबाई हिरालालही स्वतःला अटक करवून घेताना दिसत आहेत. (छाया- वसंत हरकरे.)

१२९

केस स्टडी १२९ ...

केस स्टडी सहपत्र क्र. ०५ १.८

130

8/2/1986 Free Press Journal

Hungry women stage massive protest

By D. M. Singh

WADSA (Gadchiroli District), Feb. 7: Thousands of women with toddlers suckling at their breasts, along with an equally large number of men, courted arrest here last evening protesting against non-availability of work under the Employment Guarantee Scheme since the last four months.

In what could be safely termed as a unique incident for this region the men and women who courted arrest were shouting slogans of "*bheek nako have hakaucha kaam*" (No alms, we want the work we deserve).

This small sleepy town, which has more shanties than buildings, had only once before seen such a sea of humanity converging on its streets.

That was exactly fourteen months ago when Prime Minister Rajiv Gandhi had paid a visit to this place. Then, under heavy police bandobast, people had been brought here in trucks and tractor-drawn trolleys to make them have a look at their Prime Minister.

This time there were neither trucks nor trolleys. The direction in which people were going was the same but the destination was different. Many of them did not have enough money to finance a bus trip to this town so they took off from their distant villages very early in the morning, some having started their journeys around 2 a.m in order to reach here by noon. Some of them had telling sores on their feet and there were others doubling up at their stomachs — a result of the long walk after an equally long innings of hunger.

They gathered at the Azad Maidan here around noon and their sense of discipline was worth emulating. A public meeting was to precede the courting arrest. The chief organiser of the agitation, Mohan Hirabai Hiralal, during the meeting appealed that at least one woman should come forward and speak about the problems being faced by them.

In the normal course these rural women are very shy and find it difficult even to defend themselves against their beating husbands. But here in the meeting after a pregnant pause of 10 minutes, three women got up to give vent to their ire. What an expression it was!

Savatrabai spoke her heart out and as she did so, tears rolled down many an eye. She literally wailed saying, "We do not have employment, we do not have money. When children ask for food coupled with a cry of 'Mai' we have to offer them a morsel. Give us the worst of jowar, bajra or any other cereal. We will clean it and wash it and give a morsel to our children. Give us some work so that we can survive. We have filled up many a form, but these filled up forms cannot sustain our lives..."

Many a speaker at the huge assembly related a tale of woe, one more sordid than the other.

The police had also done its duty. In order to prevent the meeting, prohibitory orders were imposed throughout the town. Undeterred by the prohibitory orders the meeting was held.

Addressing the meeting Sukhdev Uike, MLA and president of the Construction Timber Workers Federation, who also presided over the meeting, lamented that in independent India an agitation had to be launched so as to impress upon the Government the need to implement its own rules. Speaking in a pathetic tone, Uike called upon the Government to implement the EGS in Gadchiroli district and put it across to the people.

He alleged that since September last not a soul had been given work under the EGS. Deputations, appeals, memoranda and even personal meetings with the officials and ministers had been of no avail. Since the last five months not one person had got work and this had literally forced people to the brink of their lives.

Mohan Hiralal, the chief organiser of the agitation, said that after the announcement of the meeting and the decision to court arrest, the EGS officials had asked 7,500 people to go to work at Chamorshi. This, according to him, was foolish and pathetic. People who had not partaken a full meal since the last six months could not be expected to go more than 100 miles on foot to attend work.

Soon after the meeting the entire congregation stood up and in a huge queue walked to the office of the tahsildar in the town.

The scene was a touching one. Toddlers suckling at breasts, some of them weeping, other wailing. Women also courted arrest and true to the English manners, "Ladies first," it was the women force which first courted arrest.

It remains to be seen whether the Government would pay heed to this form of protest. Probably this may go down in the police file as one more incident of a morcha being taken out by anti-Government forces. And even the file may bite dust after some years. But the resolve of the people does not appear to be one which would die out so fast.

CITY WEATHER

Outlook: Partly cloudy skies with no significant change in night temperature.

Max. temp: Colaba 29 degree C (N), Santa Cruz 30 degrees C (-1).

Min. temp: Colaba 20 degree C (N), Santa Cruz 19 degree C (-3).

Relative humidity: Colaba 63 per cent, Santa Cruz 43 per cent.

जा.क्र. ५३८/तुप्र५/रोहयो/९६

प्रती

श्री.राम सितराम कुराडे
रा.पो. - विसोरा
तह - आरमोरी

विषय - चांभार्डा तलाव स.नं. १२२ वर ... मजुरांना कामावर ...

संदर्भ - आपला दि ८/०४/९६ चा अर्ज

वरील संदर्भीय अर्जानुसार ... विसोरा ... १२२ (रोहयो) ... १३१ मजुरांना कामावर ... करीता आपल्या माहितीस अग्रेषीत

सहपत्र - नाही.

प्रतिलिपी तहसिलदार आरमोरी यांचे ...
सादर

दि. ११/४/९६

हिंदी अनुवाद

जा.क्र. ५३८/तु.प्र.५/रोहयो/९६

कार्यालय
उपविभागीय अधिकारी
तुलतुली प्रकल्प उप विभाग क्र. ५
पोरला
दि ११-४-९६

प्रति.
श्रीराम सितराम कुराडे
रा.पो. विसोरा
तह. आरमोरी

विषय - चांभार्डा तालाब स.नं. १२२ इस रोजगार काम पर मजदूरों को समा लेने के संबंध में

संदर्भ - आपकी दि. ८-४-९६ की अर्जी

उपरोक्त संदर्भांकित अर्जी अनुसार आप को सूचित किया जाता है कि इस उप विभाग के अंतर्गत चांभार्डा स.नं. १२२ (रोहयो) का तालाब नहीं होने के कारण आपके १३१ मजदूरों को काम पर समा लेना संभव नहीं हो पायेगा। इसलिए आप की जानकारी हेतु अग्रेषित।

हस्ताक्षर - अपठनीय
उप विभागीय अधिकारी
तुलतुली प्रकल्प उप विभाग क्र. ५
पोरला

सहपत्र - नहीं

प्रतिलिपी - तहसिलदार, आरमोरी
को जानकारी के लिए सादर

..... क्र. १.८.

> नमुना ७
> रोजगार मागणाऱ्यास एखाद्या कामावर पाठविण्याबाबतचे पत्र

प्रति,

५ मौजा विसोरा येथील १३२ श्रमिक

नोंदणी क्रमांक ....

गाव .... विसोरा

पंचायत समिती .... आरमोरी

संदर्भ :- रोजगार हमी योजनेखाली रोजगारासाठी केलेला आपला दिनांक .... चा अर्ज

कृपया हे पत्र मिळाल्यापासून ७ दिवसांच्या आत खाली नमुद केलेल्या कामाच्या ठिकाणी अंमलबजावणी अधिकाऱ्यास किंवा त्याच्या प्रतिनिधीस रोजगारासाठी भेटावे.

पांगडी नाला रब क्र. १२२

उप विभागीय अभियंता कुलकुली प्रकल्प पोर्ली - ५

ठिकाण – आरमोरी

दिनांक – २।४।८६

समिती अधिकाऱ्याची सही

सूचना – उपयुक्त कामाच्या पंचायत समिती स्तरावरील अंमलबजावणी अधिकाऱ्यास या पत्राची प्रत अग्रेषित करावी.

हिंदी अनुवाद -

> नमुना - ७
> रोजगार मांगनेवाले को एकाद कामपर भेजने संबंधी पत्र

प्रति,

मौजा विसोरा के १३२ श्रमिक

पंजीकरण क्रमांक ....

गाव - - - विसोरा

पंचायत समिती - आरमोरी

संदर्भ - रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत रोजगार के लिए की गयी दि. - - - - - - - - की अर्जी

कृपया यह पत्र मिलने पर ७ दिन के अंदर निचे दिये गये काम की जगह अंमल करने वाले विभाग के अधिकारी या उनके प्रतिनिधी से रोजगार के लिए मिलिये।

पांगडी नाला रब.क्रं. १२२

उप विभागीय अभियंता कुलकुली प्रकल्प पोर्ली - ५

स्थान - आरमोरी

दिनांक - २ - ४ - ८६

हस्ताक्षर - अस्पष्ट
समिति अधिकारी के हस्ताक्षर
तहसीलदार आरमोरी

सूचना - उपरोक्त काम के पंचायत समिती स्तर का अंमल करने वाले अधिकारी को इस पत्र की प्रती भेजी जाए।

सहपत्र क्र. -क-३

" काम का अधिकार एक बाधा दौड" केस स्टडी - २

कहानी इजेवारी के मजदुरों की

गडचिरोली जिले के आरमोरी तहसिल में एक छोटा सा गांव है इजेवारी। तहसिल के गांव से करीबन दस कि.मि. के अंतर पर खोब्रागडी नदी किनारे बसा हुवा। गांव के खेतीहर मजदुर तथा छोटे किसानों ने अपने नाम रोगायो के तहत पंजिबद्ध कर रखे है। सभी के पास पटवारी ने दिया हुवा पहचान पत्र भी है।

× खेती का काम समाप्त होने पर जब अन्य कोई रोजगार नही रहा तो मजदुर किसानों ने फार्म नं.-४ में काम मांगने की अर्जीयां भरकर तैय्यार की। हप्ताभर पटवारीजी की राह देखने के बाद आखीर में वे दिनांक १६-९-१९८८ को लोगों के हाथ लगे। लगे हाथ सभी भाई बहनोंने खुद जा कर पटवारीजी के हाथ में अपनी अर्जी थमाई और फार्म नं.-५ में रसीद प्राप्त की।

× काम पर जाने के आदेश की राह देखते देखते १५ दिन बीत गये। फिर भी फार्म नही आये। लोगो ने सोचा तहसिल आॅफीस से दस कि.मी. चलकर आने में शायद फार्मों को कुछ तकलीफ होगी। अन्य अन्य अतीमहत्व -पूर्ण कामों के कारण जन सेवकों को शायद फुरसत नही होगी। काम की आवश्यकता तो हमे ही है तो फिर क्यों ना हम ही तहसिल कार्यालय जा कर अपने काम पर जाने के आदेश ले आये। पांच, छः लोग पैदल चलकर तहसिल कार्यालय पहुँचे। पटवारीजी की पुछताछ की तो उनका पता नही चला। बडी हिम्मत बांधकर छोटे तहसिलदार साहब के पास पहुँचे तो आधा घंटा तो काम में अतीव्यस्त होने के कारण उनका इन मजदुरों के तरफ ध्यान ही नही गया। और आधा घंटे बाद जब अचानक उनकी कृपादृष्टी मजदुरों पर पडी तो वे चिल्लाए "अरे मुरखों कुछ बोलोगे या सिर्फ खडे ही रहोगे ?" मजदुरों ने अपनी बात टुटे फुटे शब्दों में कही। फार्म नं.५ में प्राप्त हुयी रसीदे दिखाई। रसीद देखते ही छोटे साहब का माथा ठनका। वे फिर चिल्लाए -"ये रसीद ही तो तुम्हारे तकलीफ की जड है। और मांगो रसीद। भरो बेरोजगार भत्ता फार्म। जाओं हाईकोर्ट में। तब मिलेगा काम। तुम्हे तो बेरोजगार भत्ता चाहिए ना तो फिर काम क्यों मांगते हो ? जाओ संगठन के तरफ और लेते बैठो बेरोजगार भत्ता।" मजदुर तो गुमसुम हो गये मुंह लटकाये वैसे ही खडे रहे। छोटे सहाब को ही दया आ गई- "अच्छा अच्छा अब रोजगार

मत। आज तुम्हारा पटवारी नही है, आने पर पुछूंगा। अगले हप्ते आ कर देखना।" हाथ हिलाते हुये मजदुर गांव लौटे। आशा भरी नजरे उनकी राह ताक रही थी। इन मजदुरों के चेहरे देखकर ही नजरे मुरझा गई। कुछ कहने के लिए शब्दों की जरूरत ही नही रही।

× फिर हर हप्ते, पंधरा दिन में यह नाटक चलता रहा। कभी छोटे सहाब, कभी पटवारी तो कभी बडे सहाब फार्म नं.५ में रसीद मांगने के लिए मजदुरों को कोसते रहे। मजदुरों के दिल और पेट दोनो बैठने लगे। एक बारगी तो मजदुरों ने यहांतक कह दिया की चाहे तो हमारी ये रसीदे ले लो लेकीन [illegible]।

× मांगने पर हर एक व्यक्ती को पंधरह दिन में काम की [illegible] कानून की किताब तीन महिने ग्यारह दिन, और पुरानी हो गई। "हाडूक महिने" में मजदुरों की सचमुच में ही हड्डीयाँ उभरने लगी। स्थानिक भाषा में रोपनी से कटनी के बिच के दो-ढाई महिने "हाडूक महिने" के नाम से जाने जाते है। यह,खेतीहर मजदूर तथा छोटे किसानों के लिए सब से मुश्किल समय होता है। घरमें का पुराना अनाज खत्म हो चुका है या बस होने में है। नया आने में अभी समय है। खेती में भी कोई काम नही। सो आम तौर से इन महिनों में सभी की हड्डीयाँ उभरने लगती है। और मराठी में हड्डी को कहते है "हाडूक। यही कारण है की इन महिनों को "हाडूक महिने" कहते है। लोगों ने सोचा अब तक सिर्फ मुंह से बाते बहुत हुयी। बाघ कहने से भी खाता है और बाप कहने से भी खाता है। कब तक डरते रहेंगे। एक कागजपर अर्जी की जाए। अर्जी लिखी गई जिसका हिंदी अनुवाद केस स्टडी सहपत्र क्र. २.१ के रूपमें संलग्न है। किसीने सलाह दी के कार्बन कॉपी भी बनाओ और तहसिल कार्यालय के डिस्पॅचर के पास दे कर दुसरी प्रती पर उसके हस्ताक्षर, तारीख और ठप्पे के साथ लेना ना भुलो। मजदुरोंने वैसे ही किया।

× दि २७-१२-८८ को मजदुरों ने तहसिल कार्यालय में अर्जी दि और दि. २९-१-१९८९ को पटवारीजी काम पर जाने के आदेश ले कर पहुँचा। कोतवाल सहाब ने वे मजदुरों को पहुचाएँ। उनमें से कुछ पढे लिखे थे उन्होने उस आदेश को उलट पलट कर देखा तो उस पर कहीं तारीख भी नही डाली थी। मजदुरों को नियम याद आया की आदेश मिलने पर सात दिन के अंदर काम पर हाजीर होना आवश्यक है। लोगोंने

कोतवाल से कहा इस पर तारीख डाल दो। कोतवाल बोला "यह तो बड़े सहाब के हस्ताक्षर का कागद है इस पर मै कैसे तारीख डालू।" आखीर में लागोंने कोतवाल से अलग कागजपर लिखवा ही लिया की वह यह नं. ७ फार्म दि. २९-१-८९ को दे रहा है।

× वन विभाग के नर्सरी पर जाने का आदेश मिला था। सभी मजदूर काम पर गये। काम शुरू हुवा और कुछ दिन चलने के बाद दि. २७.३.८९ को समाप्त होने के कारण बंद हुवा। जब वन परिक्षेत्राधिकारी (रेंजर) मजदुरों को काम पर जाने का आदेश लौटाने लगे तब मजदुरोंने उनसे कहा की कृपया आप हमारे इस आदेश पर काम समाप्त होने के रिमार्क के साथ तारीख युक्त हस्ताक्षर कर दिजीए और उसी आशय की सूचना का एक पत्र भी तहसिलदार के नाम लिखीए। ताकी नियमानुसार पहला काम समाप्त होने पर हमें चार दिन के अंदर दुसरे काम पर जाने के आदेश मिल सके। वनपरिक्षेत्राधिकारी ने क्या सोचा पता नही, उन्होने आदेशपर रिमार्क के साथ हस्ताक्षर करना नामंजूर कर दिया लेकीन तहसिलदार के नाम पत्र लिख कर मजदुरों के पास ही दे दिया। और कहा की- "हमें ऐसे पत्र पहुंचाने के लिए फुरसत नही है, तुम ही पहुँचा देना तहसिल ऑफीस में।" पत्र प्राप्त हुवा कर के एक मजदुर श्री दशरथ रुषी मेश्राम के हस्ताक्षर या अंगुठा भी लगवा लिया। मजदुरों ने सोचा अंमल करने वाले विभाग के अधिकारी वैसे तो कभी भी रिमार्क नही देते है। आज तहसिलदार के नाम लिखा पत्र ही हाथ में है। उन्होने उस पत्र तथा आदेश को झेरॉक्स करवा कर दो दो प्रतियाँ अपने पास रख ली।

× मजदुरोंने उसी दिन तहसिलदार के नाम एक अर्जी तैय्यार की। जिसमें काम समाप्त होने की सूचना थी और दुसरे काम की मांग। यह अर्जी और वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा तहसिलदार के नाम लिखा पत्र दि. २७-३-८९ को ही तहसिल कार्यालय में डिस्पॅचर के पास पहुँचा दिये। और चार दिन में दुसरे काम पर जाने के आदेश प्राप्त होंगे इस आशा के साथ गांव लौटे।

× फिर मजदुरों का तहसिल कार्यालय के चक्कर लगाना शुरू हुवा। चार दिन तो कब के गुजर गये, एक महिना समय हो गया। दि. २८-४-८९ को श्री. दशरथ रुषी मेश्राम के नाम वन परिक्षेत्राधिकारी का पत्र प्राप्त हुवा। जिसमें आरोप लगाया गया था की-उन्होने, उन्हे तहसिलदार को देने के लिए सौंपा गया पत्र और आदेश की प्रती वहां न पहुँचा कर

अपने पास ही रखी है। आगे धमकी दी गई थी के अगर तीन दिन में वे वह पत्र नही लौटायेंगे तो उन पर कार्यवाही की जायेगी और काम भी नही मिलेगा।

× बेचारे मजदुर तो पत्र पढकर घबराही गये। दौडे दौडे पत्र लेकर संगठन के कार्यकर्ता के पास पहूँचे। सारी बात बतायी। कार्यकर्ता ने उनका ढाढस बंधाया और उस पत्र का जबाब लिख दिया। जो सिर्फ वन परिक्षेत्राधिकारी को ही नही विधायक महोदय, जिलाधिकारी तथा विभागिय वन अधिकारी को भी आवश्यक कागजात की प्रतीलीपी के साथ डाक से भेजा गया। जिसका जबाब नही मिला।

× वन परिक्षेत्राधिकारी ने ऐसा पत्र क्यों लिखा ? इस सवाल का जबाब खोजने की लोगोने जब कोशिश की तब इतना ही सिर्फ पता चला की वनपरिक्षेत्र अधिकारी ने ऐसा तहसिलदार के कहने पर ही किया है। लेकिन क्यों ? का जबाब वहासे आगे तीन महिने बाद जब तहसिल कार्यालय से मजदुरोंको बेरोजगार भत्ता नामंजूरी के सुचना पत्र फार्म नं. १० प्राप्त हुये तब मिला।

× मजदुरोंने दि ४-५-८९ तक दुसरे काम पर जाने के आदेश की राह देखी और दि. ५-५-८९ को मा. समिती अधिकारी रोगायो तथा तहसिलदार आरमोरी के नाम दो अर्जीयाँ तैय्यार कर नं. ८ फार्म तथा अन्य आवश्यक कागजात के साथ बेरोजगार भत्ता की मांग की। इन दो अर्जीयों का हिंदी अनुवाद केस स्टडी सहपत्र क्र. २. २ तथा क्र. २. ३ के रूप में संलग्न है।

× पुरा सिझन मजदुर बेरोजगार बैठे राह देखते रहे, लेकीन २७-३-८९ के बाद ना तो उन्हे काम मिला और ना ही बेरोजगार भत्ता। राह देखते देखते गर्मी के दिन बीत गये, बरसात शुरू हो गई। मजदुर खेती के काम में व्यस्त थे के एक दिन कोतवाल बेरोजगार भत्ता नामंजूरी के फार्म नं. १० ले कर आया। जिसमें बेरोजगार भत्ता नामंजूर करने के जो कारण दिये गये थे सो निचे अनुसार है।

अ) दि. १-१०-८८ से दि. ३०-१०-८८, दि. ३१-१०-८८ से दि. २९-११-८८, दि. ३०-११-८८ से दि. २८-१ -८८ और दि. २९-१२-८८ से दि२८-१-८९ प्रत्येक तीस दिन के कालावधी के लिए नियमानुसार अलग फार्म नं. ८ अर्जी भर कर की गई बेरोजगार भत्ते की मांग नकारने के लिए दिये गये कारण -

कालावधी के आखरी दिन से सात दिन के अंदर नमुना ८ में अर्जी पेश नही की।

(२) रोजगार गारंटी अधिनियम १९७७ की धारा ७(११) और धारा ८(६) अनुसार।

(ब) दि. १-४-८९ से दि. ३०-४-८९ कालावधी के लिए मांगा गया बेरोजगार भत्ता नामंजूर करने के लिए दिये गये कारण -

(१) जिस कालावधी के लिए बेरोजगार भत्ते की मांग की है उस कालावधी में रोजगार पर (स्वयंरोजगार पकड कर) थे।

(२) अंमल करने वाले अधिकारी की ओर से काम खत्म होने का पत्र और मजदुरों की सूची प्राप्त न होने के कारण।

* उपरोक्त (अ) मे के कारणों को समझने के लिए पहले देखते है रोजगार गारंटी अधिनियम १९७७ की ७(११) और ८(६) धाराये क्या है ?

धारा ७(११) - " जिलाधिकारी द्वारा इस योजना के अंतर्गत लिए जाने वाले कामों का आयोजन इस तरह किया जाएगा कि जिससे जिले में सामान्य कृषी के कामों पर प्रतिकुल असर ना पडे तथा एक ओर न्यूनतम मजदूरी के साथ रोजगार की गारंटी का सद्धिांत और दुसरी ओर कृषी कामों के लिए मजदुरों की आवश्यकता, साथ ही साथ राज्य सरकार के नियमित योजनांतर्गत तथा योजनाबाहय कामों के लिए मजदुरों की आवश्यकता के बिच संतुलन बना रहे।

धारा ८(६) -" इस अधिनियम में कुछ भी हो फिर भी, बरसात या अन्य असामान्य प्राकृतिक आपत्तीजैसे मनुष्य के नियंत्रण से बाहर के कारणो से अगर राज्य सरकार किसी भी कालावधी में उपधारा (३) के तहत रोजगार देने में असमर्थ हो जाती है तो उस कालावधी में उप धारा(४) के तहत बेरोजगारी भत्ता देने का कोई भी दायित्त्व राज्य सरकार पर नही होगा

* बात साफ है की, धारा ७(११) तथा ८(६) के तहत के प्रावधानों का अनुचित लाभ उठा कर अपनी गलतीयोंपर लिपापोती करने की कोशिश तहसिलदार महोदय कर रहे है। उपरोक्त धाराओं में वर्णित परिस्थितीही जब नही है तब वैसी परिस्थिती है ऐसे झुठे कारण दिखलाकर इन प्रावधानों का उपयोग मजदुरोंको उनके संवैधानिक कानूनी अधिकार से वंचित रखने के लिए करना संपूर्णत: अयोग्य अनैतिक और अन्याय कारक है।

आखरी दिन से सात दिन के अंदर नमुना ८ में अर्जी नही दी; ह तो एकदम सही। लेकीन उसे स्विकृत करने से पहले "अहमदनगर जिला शेतमजूर युनियन" विरूद्ध राज्य सरकार इस केस में १९८४ में बम्बई हाईकोर्ट के न्यायमूर्तीश्री. चंद्रशेखर धर्माधिकारीजी ने मजदुरों को रोजगार गा[illegible] अधिनियम के तहत बेरोजगार भत्ता देने का फैसला देते वक्त क्या [illegible] ह वह देखना आवश्यक होगा।

"द महाराष्ट्र लॉ जर्नल" के मार्च १९८५ के अंक में उपरोक्त केस का फैसला छपा है। पेज नं. ३३६ पर परिच्छेद १९ में उपर से अठारा[illegible] पंक्ती से आगे के हिस्से में कहा है।

"हमें यह देख कर बहुत आश्चर्य हुवा की- जबाब में जो प्रतिज्ञापत्र दाखिल किया गया है उसमें गांव के लोगों के बेरोजगार भत्ते के दावे को नकारने के लिए अतिसुक्ष्म, तांत्रिक आक्षेपों को उठाया गया है। पात्र व्यक्तियों के दावे को तांत्रिक कारणों से नकारने का अर्थ होगा इस अधिनियम के मूल उद्देश्य को ही नकारना।"

इस केस में दि. ३०-९-१९८३ से दि. २२-१०-१९८३ इस कालावधी के लिए बेरोजगार भत्ता मांगा गया था। बेरोजगार भत्ता मांगने के लिए फार्म नं.८ का भी प्रयोग नही किया गया था। २६४ मजदुरोंने एक साथ मिलकर एकही सादी अर्जी द्वारा यह मांग की थी। नियमानुसार इस अर्जी के साथ फार्म नं.५ में की रसीदें भी नही जोडी थी। और फिर भी कोर्ट ने उपरोक्त रिमार्क के साथ बेरोजगार भत्ता देने के आदेश दिये थे।

* यहां इजेवारी के मजदुरों ने तो बाकायदा फार्म नं.८ में प्रत्येक ३० दिन कालावधी के लिए नियमानुसार अलग फार्म, उसके साथ अत्यंत दुर्लभ, फार्म नं.५ में की रसीदे और उससे भी दुर्लभ अंमल करने वाले विभाग के अधिकारी के काम समाप्त होने संबंधी सूचना पत्र की प्रतिलीपी भी साथ में जोड कर बेरोजगार भत्ते की मांग की है। ये मजदुर बेरोजगार भत्ता के लिए पात्र ही नही है ऐसा तो खुद तहसिलदार भी नहीं कहता। लेकीन झुठे और तांत्रिक कारणों को दर्शाकर काम के अधिकार को ही नकारा है।

* मजदुर कालावधी के आखरी दिन से सात दिनों के अंदर अर्जी करने का नियम अच्छी तरह जानते थे और चाहते तो उस मर्यादा के अंदर बेरोजगार भत्ते की अर्जीयां भी दे सकते थे। लेकीन फिर भी उन्होंने

नही दी। क्यों ? मजदुरों को काम [तया] उस द्वारा मिलने वाले वेतन की ज्यादा आवश्यकता थी। और वे जानते थे की बेरोजगार भत्ता मांगने से प्रशासन नाराज होगा। सो नियमानुसार लगातार काम मिलता नही इसलिए वे प्रशासन को एकदम से नाराज नही करना चाहते थे। लेकीन जब काम न मिलने के कारण वे पुरी तरहा त्रस्त और निराश हो गये तभी उन्होने बेरोजगार भत्ते का कानूनी अधिकार प्राप्त करने के लिए कदम उठाया।

* उपरोक्त ब) में के कालावधी के आखरी दिन से सात दिन के अंदर ही मजदूरों द्वारा अर्जी की गई थी और समय मार्च, अप्रेल माह का होने के कारण अ) में दिये गये दोनो कारण यहां दर्शाना प्रशासन के लिए असंभव हो गया था सो उन्होंने अपने [illegible] कारणों को जन्म दिया है। पहला कारण तो अत्यंत हास्यास्पद है। स्वयंरोजगार से उनका क्या अर्थ है प्रशासन ही जाने। प्रशासन द्वारा दिया गया यह कारण "मजदुरों को गांव में ही स्वयंरोजगार उपलब्ध था इसलिए उन्होने रोगायो के तहत रोजगार की मांग की" जैसे स्वयंविरोधी वाक्य जैसा ही है। दुसरा कारण तो आश्चर्य कारक ही कहना होगा। अगर अंमल करने वाले अधिकारी की ओर से काम खत्म होने का पत्र और मजदुरों की सूची तहसिलदार को नही प्राप्त हुयी तो वह अंमल करने वाले विभाग के अधिकारी का दोष है। जिसके लिए अगर किसी को दंडीत ही करना होगा तो वह उन अधिकारीयों को करना होगा।~~सो वह उन अधिकारीयों को करना होगा।~~ उनकी गलती का दंड मजदुरों को क्यों ?

* प्रशासन के नित्यनूतन दांव पेंच, लंबी बेरोजगारी और भूख से मजदुर इतने परेशान और निराश हो चुके थे की सब कुछ जानते समझते हुये भी तहसिलदार के निर्णय पर १५ दिन के अंदर गडचिरोली जा कर उपविभागिय अधिकारी के पास अपील करना और फिर उन्होंने भी नकारने के बाद हाईकोर्ट में जा कर रिट पीटीशन करना और सात आठ साल तक न्याय के लिए राह देखना इत्यादी के लिए ना उन में त्राण रह गया था ना उमंग।

— 0 —

केस स्टडी सहपत्र क्र. २. १

अर्जी

प्रति,

मानिनिय समिती अधिकारी रो. गा. यो.
तथा तहसिलदार साहब, आरमोरी
की सेवा में,

अर्जदार - श्री. दारलू भिवाजी हटकर और अन्य रोगायो मजदूर सभी
रहनेवाले इंजेवारी पोष्ट देऊलगांव तह. आरमोरी जि.
गडचिरोली.

विषय - रोजगार गारंटी काम मिलने के संबंध में.

महोदय,

सविनय बिनती इस तरह है की-हम इंजेवारी के अस्सी मजदूर नमुना ४ के फार्म दिनांक १६-९-८८ को पंजिकरण अधिकारी इंजेवारी के पास नमुना ४ दिये है। दो तीन महिनों का कालावधी हो गया फिर भी अभी तक काम नही मिला। हम मजदूर काम के लिए तड़प रहे है। हम मजदूरोंपर दया करेंगे और काम देंगे ऐसी आशा के साथ सेवा में अर्जी पेश कर रहे है। यही नम्र बिनती है।

आपके रोगायो इंजेवारी

हस्ताक्षर दारलू भिवाजी हटकर दि. २७-१२-८८
हस्ताक्षर वासुदेव पुसाजी रामटेके

केस स्टडी सहपत्र क्र. २.२

इंजेवारी दिनांक ५-५-८९

प्रति,

मा. समिती अधिकारी रोगायो तथा तहसिलदार आरमोरी

अर्जदार :- वारलू भिवाजी हटकर और अन्य रोगायो मजदूर मु. इंजेवारी
पो. देऊलगांव तह. आरमोरी

विषय :- बेरोजगार भत्ता मिलने के संबंध में.

महोदय,

सविनय बिनती ऐसी है की,

(१) दिनांक १६-९-८८ को हम ने नमुना ४ भर कर पंजिकरण अधिकारी के पास खुद ले जा कर दिया। उन्होने उसकी नमुना ५ में हमें रसीद भी दी है।

(२) रोजगार गारंटी कानून के अनुसार काम की मांग करने पर १५ दिन के अंदर हमें काम मिलना आवश्यक था। लेकीन ४ महिनों के बाद पोर्ला नर्सरी, मरेगांव नर्सरी का काम दिया गया।

(3) रोगायो नियम अनुसार दि. १-१०-८८ से दि. २८-१-८९ तक के १२० एक सौ बिस दिनों के कालावधी के लिए बेरोजगार भत्ता मिलने के लिए हम पात्र हुये है। इसलिए नियमानुसार प्रत्येक महिने के 30 दिन के लिए अलग अलग नमुना ८ भर कर बेरोजगार भत्ता की मांग कर रहे है।

बिनती- उपरोक्त १२० एक सौ बीस दिन के कालावधी के लिए हमें बेरोजगार भत्ता तुरंत दिया जाए यही बिनती है।

संलग्न कागजात

१) बेरोजगार भत्ता मांग के लिए नमुना ८ में अर्जीयां संख्या ५५x४=२२० दो सौ बीस फार्म

आपके नम्र

वारलू भिवाजी हटकर	दशरथ ऋषी मेश्राम
पुरंदर पत्रुजी बन्सोड	बाजीराव विठोबा खोडवे
रामनाथ जानू मेश्राम	डुकरु विठू भोयर
डुकरु जसू खोडवे	नारायण. दोडकू लाकडे
हस्ताक्षर-अस्पष्ट	कासीराम तुकाराम पातीकार

केस स्टडी सहपत्र क्र. २.३

प्रति,

मा. समिती अधिकारी रोगायो तथा तहसिलदार आरमोरी

अर्जदार - वारलू भिवाजी हटकर और अन्य रोगायो मजदुर मु. इंजेवारी
पो. देऊलगांव तह. आरमोरी

विषय :- बेरोजगार भत्ता मिलने के संबंध में

महोदय,

सविनय बिनती ऐसी है की,

(१) दि. १६-९-८८ को हमने नमुना ४ भरकर पंजिकरण अधिकारी के पास खुद ले जा कर दिये। उन्होने उसकी नमुना ५ में हमें रसीद दी है।

(२) रोजगार गारंटी कानून के अनुसार काम की मांग करने पर १५ दिन के अंदर हमें काम मिलना आवश्यक था। लेकीन ४ महिनों बाद पोर्ला नर्सरी, मरेगांव नर्सरी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, आरमोरी के पास काम दिया। वह काम दि. २७-३-८९ को समाप्त होने से अंमल करने वाले विभाग के अधिकारी ने वैसा लिख कर दिया है।

(३) काम समाप्त होने पर ४ दिन के अंदर दुसरे काम पर जाने के नमुना ७ आदेश समिती अधिकारी ने निर्गमीत करना आवश्यक था। लेकीन १ महिना हो गया फिर भी काम नही दिया है।

(४) रोगायो नियमानुसार दि. १-४-८९ से दि. 30-४-८९ तक के 30 दिन के कालावधी के लिए बेरोजगार भत्ता मिलने के लिए हम पात्र हो गये है। इस लिए नियमानुसार नमुना ८ भरकर साथ में नमुना ५ और अंमल करनेवाले अधिकारी के रिमार्क की प्रत जोडकर बेरोजगार भत्ता की मांग कर रहे है।

बिनती- उपरोक्त 30 दिन के कालावधी के लिए हमें बेरोजगार भत्ता तुरंत दिया जाए यही बिनती है।

संलग्न कागजात

१) बेरोजगार भत्ता मांग के लिए नमुना ८ में अर्जी संख्या-७७ फार्म सतहत्तर.
२) नमुना ५ रसीद की मूल प्रतियां संख्या-७७ सतहत्तर
३) अंमल करने वाले अधिकारी के रिमार्क की प्रती-१ एक
४) समिती अधिकारी को दी गई अर्जी की प्रती-१ एक
५) नमुना ७ की सूचियां -२ दो

आपके नम्र

वारलू भिवाजी हटकर

एन्. आर. बारसागडे

उमाजी मन्साराम नागोसे

तुकरू जसू खोडवे

पुरंदर पत्रुजी बन्सोड

१	२	३	४	५	६	७	८
क]	१. अप्रेल ८९ २. मई ८९ ३. जुन ८९	२८.१५	०.३७५	२२.०५	१०.९३६	०.१४५८१	८.५७
ड]	१. जुलाई ८९ २. अगस्त ८९ ३. सितंबर ८९	७.४०	०.०९८	५.७६	०६.४३४	०.०८७१२	५.१२
	१९८८-८९	८२.००	०.२७३	१६.०७	४६.४२४	०.१५४९८	९.११

जानकारी आधार - जिलाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली. ‖ रोगायो मे पंजिबध्द कुल मजदुर १,७१,८१० व्यक्ती ८५,३४९ पुरुष और ८६,४६१ औरतो.

सहपत्र क्र. क - ४

रोगायो वार्षिक नियोजन १९८८-८९ में श्रेमासिक मनुष्य बल अंदाज और प्रत्यक्ष मजदुर उपस्थिती एवं निर्मित मनुष्य दिन.

गडचिरोली जिला

अ.नु. क्र.	महिने/वर्ष	वार्षिक नियोजन १९८८-८९ मनुष्य बल अंदाज, रोगायो			१९८८-८९ वर्ष में प्रत्यक्ष मजदुर उपस्थिती, रोगायो		
		कुल मनुष्य दिन प्रति तीन माह [लाख]	प्रतिदिन औसत मजदुर उपस्थिती [लाख]	कुल पंजिबध्द मजदुरों का प्रतिशत [%]	कुल मनुष्य दिन प्रति तीन माह [लाख]	प्रतिदिन औसत मजदुर उपस्थिती [लाख]	कुल पंजिबध्द मजदुर का [%]
१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.	८.
अ]	१. अक्तुबर ८८ २. नवंबर ८८ ३. दिसंबर ८८	१४.८६	०.१९८	११.६४	६.८२४	०.०९०९८	५.३५
ब]	१. जनवरी ८९ २. फरवरी ८९ ३. मार्च ८९	३१.५९	०.४२१	२४.७६	२२.२००	०.२९६००	१७.४१

डोका फाल्ग नं. १२३-अ पर लगे कृपा ।

तहपत्र क्र. क – १

१९८८–८९ वर्ष में बेरोजगार भत्ता मांगने वाले मजदुरों की जानकारी

गडचिरोली जिला

अनु. क्र.	नाम	गाव	मजदुर संख्या	काम माँगा दिनांक	काम दिया दिनांक	कालावधी के लिए बेरोजगार भत्ता माँगा (दिनांक से दिनांक)	बे. भ. कुल दिन	बे. भ. के लिए अर्जी दिनांक	व्यर्थ गये मनुष्यादिन	कुल बे. भ. रक्कम प्रतिदिन रु. २/- [रुपये]
१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.	८.	९.	१०.	११.
१.	वसंत मारोती किरणापुरे और अन्य – ७७	पेठतुकुम पो. देऊळगांव तह. आरमोरी जि. गडचिरोली.	७८	१७.९.८८	२६.१.८९	२.१०.८८ ते २५.१.८९	११६	२३.३.८९	९,०४८	१८,०९६
२.	तुलशीदास पांडुरंग राऊत और अन्य – १४६	डोंगरगांव [भुसारी] पो. ठानेगांव तह. आरमोरी जि. गडचिरोली.	१४७	३.९.८८	२९.१.८९	१८.९.८८ ते २८.१.८९	१३३	२५.३.८९	१९,५५१	३९,१०२
३.	[illegible] पांडुरंग [illegible] और अन्य – १५९	ठानेगांव तह. आरमोरी जि. गडचिरोली.	१६०	५.९.८८	१७.२.८९	२०.९.८८ ते १६.२.८९	१५०	२५.३.८९	२४,०००	४८,०००

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
४.	वारलु भिवाजी हटकर और अन्य - ५४	इंजेवारी पो. देऊळगांव तह. आरमोरी जि. गडचिरोली.	५५	१६. ९. ८८	२९. १. ८९	१. १०. ८८ ते २८. १. ८९	१२०	५. ५. ८९	६, ६००	१३, २००
५.	वारलु भिवाजी हटकर और अन्य - ७६	इंजेवारी पो. देऊळगांव तह. आरमोरी जि. गडचिरोली.	७७	पहला काम समाप्त दिनांक २७. ३. ८९	दुसरा काम नही मिला	१. ४. ८९ ते ३०. ४. ८९	३०	५. ५. ८९	२, ३१०	४, ६२०
			५१७						६१, ५०९	१, २३, ०१८

१	२	३	४	५	६	७	८
७.	अप्रेल ९०	१.७८६	०.०७	४.११	५.४४५	०.२१७८२	१२.८१
८.	मई ९०	५.४०१	०.२१	१२.३५	५.८२७	०.२३३०९	१३.७१
९.	जुन ९०	४.८४२	०.१९	११.१७	३.८१४	०.१५२५९	८.९७
१०.	जुलाई ९०	२.८०४	०.११	६.४७	—	—	—
११.	अगस्त ९०	२.०७९	०.०८	४.७०	—	—	—
१२.	सितंबर ९०	२.३०४	०.०९	५.२९	—	—	—
	१९८९-९०	५१.१४३	०.१७	१०.०२	२९.३५४	०.१२०४६	६.६७

जानकारी आधार - जिलाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली.

रोगायो में पंजिबध्द कुल मजदुर - १,७१,८१० व्यक्ती, ८५,३३९ पुरुष और ८६,६६१ औरतें।

जरोयो - जवाहर रोजगार योजना

१८६-अ

सहपत्र क्र. क - ६

रोगायो वार्षिक नियोजन १९८९-९० में माहवार मनुष्य बल अंदाज और प्रत्यक्ष मजदुर उपस्थिती एवं निर्मित मनुष्य दिन

गडचिरोली जिला

अनु. क्र.	महिना/वर्ष	वार्षिक नियोजन ८९-९० में मनुष्य बल अंदाज, रोगायो में.			१९८९-९० वर्ष में. प्रत्यक्ष उपस्थिती, रोगायो + जरोयो में		
		प्रतिमाह कुल मनुष्य दिन [लाख]	प्रतिदिन औसत मजदुर उपस्थिती [लाख]	कुल पंजिबध्द रोगायो मजदुरों का प्रतिशत [%]	प्रति माह कुल मनुष्य दिन [लाख]	प्रतिदिन औसत मजदुर उपस्थिती [लाख]	कुल पंजिबध्द रोगायो मजदुरों का प्रतिशत [%]
१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.	८.
१.	अक्तुबर ८९	१.[illegible]	०.०७	४.११	०.६३५	०.०२५४०	१.४९
२.	नवंबर ८९	२.[illegible]	०.०८	४.७०	०.६००	०.०२४०३	१.४१
३.	दिसंबर ८९	३.[illegible]	०.१४	८.२३	०.८१६	०.०३२६५	१.९२
४.	जनवरी ९०	४.[illegible]	०.[illegible]	१०.५८	२.८०६	०.११२२५	६.६०
५.	[illegible] ९०	६.[illegible]	०.२६	१५.२९	४.०५१	०.१६२०७	९.५३
६.	[illegible]	१२.[illegible]	०.[illegible]	३०.५८	५.[illegible]	०.२१४४१	[illegible]

रोजगार हमी योजना कामावरील मजुरांचे
मागणी पत्र

१. रोजगार हमी कामावरील प्रत्येक मजुराला त्याने कमविलेल्या नगदी मजुरीतून कोणतीही रक्कम न कापता १ किलो धान्य दर दिवसाला मिळाले पाहिजे.

२. किमान वेतन १२ रु. (अक्षरी बारा रुपये) धरून रोजगार हमी योजना दरपत्रकाचे पुनर्निधारण करण्यात यावे व हे दर महागाई निर्देशांकाशी जोडून दरवर्षी त्याप्रमाणे दरांची पुनर्रचना व्हावी.

३. रो. ह. कामे बाराही महिने मजुरांना मिळू शकतील अशी स्पष्ट तरतूद असलेली दुरूस्ती रो. ह. कायद्यात करण्यात यावी.

४. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याकरिता गवई समितीच्या "मजुरांना पासबुक" व इतर शिफारशी तात्काळ अंमलात आणाव्यात.

५. पाच किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावरील काम दिल्यास प्रवास वाहनाची सोय शासनाने करावी, किंवा प्रवास खर्चाची रक्कम मजुरांना त्यांचे गांवात अग्रीम देण्यात यावी.

६. रोजगार हमी कामावरील मजुरांच्या मुलांची शिक्षणाची स्वतंत्र सोय करण्यात यावी व कोणत्याही परिस्थितीत त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याकरिता आवश्यक त्या तरतुदी करण्यांत याव्यात.

७. वर्क साईटवरील मजुरांना "वर्क साईट समिती" [त्यात किमान २ स्त्रियांचा समावेश असावा] बनविल्यास शासनाने त्या समितीला विना अट मान्यता देऊन रोजगार हमीसंबंधीत सर्व कागदपत्रे पाहण्याचा व अंमलबजावणी संबंधी सूचना देण्याचा समितीचा अधिकार मान्य करावा.

८. रो. ह. मजूरांना किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीला रो. ह. संबंधीत सर्व शासकीय कागदपत्रे पाहण्याचा अधिकार असावा.

९. एका वर्षात ९० दिवस काम करणाऱ्या स्त्री मजुराला साडी चोळी व पुरुष मजुराला धोतर–सदरा किंवा १० मीटर कापड द्यावे.

१०. रोजगार हमी योजनेसंबंधीचे शासकीय निर्णय व परिपत्रके यांचे शासनाने तयार केलेले "कॉम्पेंडीयम" लोकांसाठी उपलब्ध करून द्यावे.

११. नमुना ५ व ७ मजुराला देतांना नमुना ६ रजिस्टरवर विशिष्ट कॉलम वाढवून तेथे तारखेसह मजुरांची किंवा त्यांच्या कुटुंबियांची सही किंवा आंगठा घेणे अनिवार्य करावे.

१२. दिलेल्या कामांच्याजागी मजूर मुदतीच्याआंत गेले; पण अंमलबजावणी अधिकारी आले नाहीत किंवा कामच सुरू झाले नाही तर कामाचे जागेजवळील कोणत्याही ग्रामपंचायतीने मजूर कामावर आल्याबाबतचा व अंमलबजावणी अधिकारी गैरहजर असल्याबाबतचा दाखला द्यावा व तो पुरावा म्हणून मान्य करण्यात यावा, अशी तरतूद करण्यात यावी.

१३. एक काम बंद झालेल्या दिवसापासून चार दिवसांच्या आत समिती अधिकाऱ्यांनी दुसऱ्या कामाचे नवीन नमुना ७ स्वत: होऊन निर्गमित करावेत असा स्पष्ट नियम असावा.

१४. नमुना ८ अर्जाची पोच देणे अनिवार्य असावे.

१५. मंजूर असलेल्या व त्याच महिन्यांत सुरू होऊ शकणाऱ्या तालुका क्षेत्रातील कामांची यादी तहसील कार्यालयात व प्रत्येक गांवापासून ५ किलोमीटर अंतराचे आतील कामांची यादी त्या त्या गावच्या ग्रामपंचायतीत दर महिन्याला लावण्यात यावी.

१६. शासन जाहीर करणार असलेल्या मस्टरच्या नमुना प्रमाणे (कॉमन वायेज) मापेक्षा आठवड्यात त्या मजुराने मिळविलेल्या मजुरीचा आकडाही नमूद असावा.

१७. रोजगार हमी कायदा व नियम या संबंधात महाराष्ट्रातील सर्व नोंदणी अधिकाऱ्यांचे शासनातर्फे प्रशिक्षण करण्यात यावे.

१८. आजच्या रोजगार हमी कायद्यामध्ये काम मागितल्यावर प्रत्यक्ष काम मिळण्याकरिता १५ दिवसांची मुदत ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे गरजू, गरीब मजुराला काम मागितल्यावर प्रत्यक्ष काम मिळेपर्यंतच्या मुदतीच्या काळात उपास-मारीला तोंड द्यावे लागते. हे टाळण्यासाठी या मधल्या मुदतीच्या काळात अंबर चरख्यासारखे काम व दररोज मजुरी देण्याची स्पष्ट तरतूद करण्यात यावी.

१९. महाराष्ट्र शासनाची वृक्षरहीत जमिनीवर वनीकरणाची योजना रो. ह. योजनेशी जोडण्यात यावी. किमान दहा वर्षांकरिता सतत रोजगाराची आवश्यकता आहे अशा व्यक्तिने समिती अधिकारी, रो. ह. यांचेकडे कामाची मागणी केल्यास वनविभागाच्या योजनेप्रमाणे २ हेक्टर वृक्षरहीत जमिन व १५० रुपये महिना रो. ह. कायद्याअंतर्गत काम म्हणून आदिवासी, दलित व भूमिहीनांना अग्रक्रमाने देण्याची तरतूद करण्यात यावी.

20. ४. कायम स्वरूपाचे उत्पादक काम म्हणून मजुरांना अंबर चरखा व बुनाईचे प्रशिक्षण रो. ह. योजनेअन्तर्गत देण्यात यावे. त्यानंतर अशा केंद्रातून प्रशिक्षित मजुरांना कायम स्वरूपाचा रोजगार उपलब्ध करून देण्यात यावा. या केंद्रातून उत्पादन होणारे कापड निमशासकीय व शासकीय अनुदानावर काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगाराच्या रकमेच्या प्रमाणात पगाराचा हिस्सा म्हणून सक्तीने पुरविण्यात यावे.

हे मागणी पत्र दिनांक २७-११-१९८२ रोजी महाराष्ट्र शासनाकडे पाठविले आहे.

इंडियन फेडरेशन ऑफ बिल्डिंग अँड वूड वर्कर्स
पी. डिमेलो भवन, पी. डिमेलो रोड, कर्नाक बंदर,
मुंबई-४०० ०३८.

प्रकाशक : अॅड्. सदानंद वाघ, सेक्रेटरी, इंडियन फेडरेशन ऑफ बिल्डिंग अँड वूड वर्कर्स, मुंबई.
मुद्रक : लोकमित्र सहकारी मुद्रण प्रकाशन संस्था मर्यादित, मुंबई-४०० ०३१.

१२९-अ

१.	२.	३.	४.	५.	६.	७	८	९	१०	११	१२	१३
२.	गडचिरोली तहसिल	सिंचाई	३०.५०	१३.७०	- १६.८०	२१.७८	४०	- १८.२२	१.१४	१२.०१	७.२०	
		निर्माण	४४.१०	२१.२४	- २२.८६	३३.७६	२५	+ ८.७६	१.९२	११.०६	६.६३	
		कृषी	१६.३०	११.८६	- ४.४४	१८.८५	२०	- १८.८५	१.०७	११.०८	६.६४	
		वन	२०.३३	१६.१०	- ४.२३	२५.७५	१५	+ १०.७५	१.०३	१५.६३	९.३७	
		कुल	१११.२३	६२.९०	- ४८.३३	१००.००	१००	--	५.१६	१२.१८	७.३०	१५.६८
३.	आरमोरी तहसिल	चाई	४४.२०	१६.३८	- २७.८२	२२.६२	४०	- १७.३८	१.३९	११.७८	७.०६	
		र्णि	५२.१७	२५.२८	- २६.८९	३४.९१	२५	+ ९.९१	२.३०	१०.९९	६.५९	
		ी	१९.५५	१३.२०	- ६.३५	१८.२३	२०	- १.७७	१.२०	११.००	६.६०	
			२३.७७	१७.५८	- ६.१९	२४.२८	१५	+ ९.२८	१.४६	११.२६	६.७५	
		कुल	१३९.६९	७२.४४	- ६७.२५	१००.००	१००	--	६.४५	११.२३	६.७३	१८.०६

[illegible]

सहपत्र क्र.क- ८

रोगायो १९८७-८८, खर्च तथा निर्मित रोजगार

गडचिरोली जिला

अनु. क्र.	जिला/तहसिल	काम का प्रकार	खर्च के लिए किया प्रावधान (लाख रु.)	काम पर हुवा प्रत्यक्ष खर्च (लाख रु.)	प्रावधान से कम/ज्यादा -/+	कुल खर्च का अनुपात %	निर्देशित अनुपात %	निर्देशित अनुपात से कम/ज्यादा -/+	रोजगार निर्माण मनुष्य दिन [लाख]	प्रति मनुष्यदिन खर्च [रुपये]	अॅव्हरेज प्रतिदिन मजदुरी ११ का ६०%[रुपये]	जिले के कुल खर्च का अनुपात %
१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.	८.	९.	१०.	११.	१२.	१३.
१.	गडचिरोली जिला	सिंचाई	२०१.४१	८९.४८	-१११.९३	२२.३१	४०	-१७.६९	७.४५	१२.०१	७.२०	—
		निर्माण	२९३.३२	१४४.२९	-१४९.०३	३५.९८	३५	+१०.९८	१३.००	११.०९	६.६५	—
		कृषी	८८.७१	६१.८०	- २६.९१	१५.४१	२०	- ४.५९	५.४०	११.२३	७.३८	—
		वन	१३६.७८	१०५.७१	- ३१.०७	२६.३६	१५	+११.३६	८.६०	१२.२९	७.३७	—
		कुल	७२०.२२	४०१.२८	-३१८.९४	१००.००	१००	—	३४.४५	११.६१	६.९६	[illegible]

[illegible]

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
६.	चामोर्शी तहसिल	सिंचाई	२५.००	११.४७	- १३.५३	२३.२७	४०	- १६.८३	१.०४	११.०२	६.६१	
		निर्माण	३५.७२	१८.२५	- १७.४७	३६.८६	२५	+ ११.८६	१.६५	११.०६	६.६३	
		कृषी	१२.८२	९.६७	- ३.१५	१९.५३	२०	- ०.४७	०.८३	११.६५	६.९९	
		वन	१४.५७	१०.१३	- ४.४४	२०.४६	१५	+ ५.४६	०.८४	१२.०५	७.२३	
		कुल	८८.११	४९.५२	- ३८.५९	१००.००	१००	—	४.३६	११.३५	६.८१	१२.३४
७.	सिरोंचा तहसिल	सिंचाई	१७.५०	८.२२	- ९.२८	२५.०६	४०	- १४.९४	०.६४	१२.८४	७.७०	
		निर्माण	२५.१५	१२.१८	- १२.९७	३७.१३	२५	+ १२.१३	१.१०	११.०७	६.६४	
		कृषी	२.९०	१.७५	- १.१५	५.३३	२०	- १४.६७	०.१६	१०.९३	६.५५	
		वन	१४.८०	१०.६७	- ६.१३	३२.५३	१५	+ १७.५३	०.८९	१०.९८	७.१८	
		कुल	६०.३५	३२.८२	- २७.५३	१००.००	१००	—	२.७९	११.७६	७.०५	८.१८

देखें पृष्ठ नं. १५१ पर आगे [illegible]

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
४.	कुरखेडा तहसिल	सिंचाई	३६.२०	१५.१०	- २१.१०	२२.४७	४०	- १७.५३	१.२७	११.८८	७.१२	
		निर्माण	४७.२१	२३.१९	- २४.०२	३४.५०	२५	+ ९.५०	२.१०	११.०४	६.६२	
		कृषी	१७.६५	१२.०८	- ५.५७	१७.९६	२०	- २.०४	१.०२	११.०८	६.६४	
		वन	१९.५०	१६.९१	- २.५९	२५.१६	१५	+ १०.१६	१.४४	११.७४	७.०४	
		कुल	१२०.५६	६७.२८	- ५३.२८	१००.००	१००	--	५.९०	११.४०	६.८४	१६.७७
५.	धानोरा तहसिल	सिंचाई	१७.११	८.३५	- ८.७६	१८.११	४०	- २१.८९	०.७१	११.७६	७.०५	
		निर्माण	३३.२०	१६.३१	- १६.८९	३५.३७	२५	+ १०.३७	१.४०	११.६५	६.९९	
		कृषी	१४.०४	९.८७	- ४.१७	२१.४०	२०	+ १.४०	०.८५	११.६१	६.९६	
		वन	१४.३९	११.६५	- २.७४	२५.२७	१५	+ १०.२७	०.९७	१२.०१	७.०६	
		कुल	७८.७४	४६.१८	- ३२.५६	१००.००	१००	--	३.९३	११.७५	७.०५	११.५१

[illegible] नं. १५० - अ पर आगे शुरू..

१५०

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
८.	अहेरी तहसिल	सिंचाई	१५.४०	८.११	- ७.२९	२३.४३	४०	- १६.५७	०.६३	१२.८७	७.७२	
		निर्माण	२६.४२	१३.२१	- १३.२१	३८.१७	२५	+ १३.१७	१.२०	११.००	६.६०	
		कृषी	२.७५	१.६०	- १.१५	०४.६२	२०	- १५.३८	०.१४	११.४२	६.८५	
		वन	१५.१७	११.७२	- ३.४५	३३.८७	१५	+ १८.८७	०.९६	१२.२०	७.३२	
		कुल	५९.७४	३४.६४	- २५.१०	१००.००	१००	-	२.९३	११.८२	७.०९	८.६३
९.	एटापल्ली तहसिल	सिंचाई	१५.५०	८.१५	- ७.३५	२२.९५	४०	- १७.०५	०.६३	१२.१३	७.७५	
		निर्माण	२९.३५	१४.६३	- १४.७२	४१.२१	२५	+ १६.२१	१.३३	११.००	६.६०	
		कृषी	२.७०	१.७७	- ०.९३	४.९८	२०	- १५.०२	०.१६	११.०६	६.६३	
		वन	१४.२५	१०.९५	- ३.३०	३०.८४	१५	+ १५.८४	०.२१	१२.०३	७.२१	
		कुल	६१.८०	३५.५०	- २६.३०	१००.००	१००	—	३.०३	११.७१	७.०२	८.८४

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
२.	गडचिरोली तहसिल	सिंचाई	३३.००	३२.१०	- ०.९०	४५.०२	४०	+ ५.०२	१.६२	१९.८१	११.८८	
		निर्माण	१७.००	१६.९९	- ०.०१	२३.८२	२५	- १.१८	०.७१	२३.९२	१४.३५	
		कृषी	१६.००	१५.०९	- ०.९१	२१.१६	२०	+ १.१६	०.७३	२०.६७	१२.४०	
		वन	८.००	७.१५	- ०.८५	१०.०२	१५	- ४.९८	०.३४	२१.०२	१२.६१	
		कुल	७४.००	७१.३३	- २.६७	१००.००	१००	--	३.४०	२०.९७	१२.५८	११.९२
३.	आरमोरी तहसिल	सिंचाई	७१.००	७०.३३	- ०.६७	४५.९३	४०	+ ५.९३	३.२१	२१.९०	१३.१४	
		निर्माण	३७.००	३६.५४	- ०.४६	२३.८६	२५	- १.१४	१.६४	२२.२८	१३.३६	
		कृषी	३१.००	३०.४०	- ०.६०	१९.८५	२०	- ०.१५	१.३८	२२.०२	१३.२१	
		वन	१६.००	१५.९०	- ०.१०	१०.३८	१५	- ४.६२	०.७३	२१.७८	१३.०६	
		कुल	१५५.००	१५३.१७	- १.८३	१००.००	१००	--	६.९६	२२.००	१३.२०	२५.६[illegible]

शेष पान नं. १५४ पर आगे कुछ.

१५२-३१

सहपत्र क्र.क- ९

रोगायो १९८८-९० खर्च तथा निर्मित रोजगार

गडचिरोली जिला

अनु क्र.	जिला/तहसिल	काम का प्रकार	खर्च के लिए किया प्रावधान [लाख रु.]	कामपर हुवा प्रत्यक्ष खर्च [लाख रु.]	प्रावधान से कम/ज्यादा खर्च -/+	कुल खर्च का अनुपात %	निर्देशित अनुपात %	निर्देशित अनुपात से कम/ज्यादा -/+	रोजगार निर्माण मनुष्यदिन [लाख]	प्रति मनुष्य दिन खर्च [रुपये]	अॅव्हरेज प्रतिदिन मजदुरी ११ का ६०%[रुपये]	जिल के कुल खर्च का अनुपात %
१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.	८.	९.	१०.	११.	१२.	१३.
१.	गडचिरोली जिला	सिंचाई	२७५.००	२७०.५८	- ४.४२	४५.२४	४०	+ ५.२४	१२.६३	२१.४२	१२.८५	
		निर्माण	१५२.००	१४६.८९	- ५.११	२४.५६	२५	- ०.४४	६.३२	२३.२४	१३.९४	
		कृषी	१२४.००	१२०.२३	- ३.७७	२०.१०	२०	+ ०.१०	५.५८	२१.५४	१२.९२	
		वन	६४.००	६०.४८	- ०३.५२	१०.११	१५	- ४.९८	२.७९	२१.६७	१३.००	
		कुल	६१५.००	५९८.१८	- १६.८२	१००.००	१००	---	२७.३२	२१.८९	१३.१३	१००

ट्रेस पान नं. १५३-अ पर आगे शुरू

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
४.	कुरखेडा तहसिल	सिंचाई	५५.00	५४.७४	- 0.२६	४५.0१	४0	+ ५.0१	२.६0	२१.0५	१२.६३	
		निर्माण	३१.00	३0.२४	- 0.७६	२४.८६	२५	- 0.१४	१.१५	२६.२९	१५.७७	
		कृषी	२५.00	२४.३२	- 0.६८	२0.00	२0	0	१.१६	२0.९६	१२.५७	
		वन	१३.00	१२.३४	- 0.६६	१0.१४	१५	- ४.८६	0.५९	२0.९१	१२.५४	
		कुल	१२४.00	१२१.६४	- २.३६	१00.00	१00	--	५.५0	२२.११	१३.२६	२0.३३
५.	धानोरा तहसिल	सिंचाई	१७.00	१६.१0	- 0.९0	४५.0९	४0	+ ५.0९	0.७७	२0.९0	१२.५४	
		निर्माण	१0.00	९.0२	- 0.९८	२५.२६	२५	+ 0.२६	0.२५	२५.७७	१५.४६	
		कृषी	७.00	७.१६	+ 0.१६	२0.0५	२0	+ 0.0५	0.३४	२१.0५	१२.६३	
		वन	४.00	३.५0	- 0.५0	९.८0	१५	- ५.२0	0.१६	२१.८७	१३.१२	
		कुल	३८.00	३५.७८	- २.२२	१00.00	१00	—	१.६२	२२.0८	१३.२४	५.९८

शेष पत्र नं. १२५ पर आगे क्रमशः

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
६.	धामोर्शी तहसिल	सिंचाई	४९.००	४८.७३	- ०.२७	४४.९९	४०	+४.९९	२.२१	२२.०४	१३.२२	
		निर्माण	२८.००	२७.०९	- ०.९१	२५.०१	२५	+ ०.०१	१.२५	२१.६७	१३.००	
		कृषी	२२.००	२१.६६	- ०.३४	२०.००	२०	०	०.९८	२२.१०	१३.२६	
		वन	११.००	१०.८३	- ०.१७	१०.००	१५	- ५.००	०.४८	२२.५६	१३.५३	
		कुल	११०.००	१०८.३१	- १.६९	१००.००	१००	—	४.९२	२२.०१	१३.२०	१८.१०
७.	सिरोंचा तहसिल	सिंचाई	२१.००	२०.८०	- ०.२०	४५.०२	४०	+५.०२	०.९९	२०.०१	१२.००	
		निर्माण	१२.००	११.५९	- ०.४१	२५.०८	२५	+०.०८	०.५४	२१.४६	१२.८७	
		कृषी	१०.००	९.२४	- ०.७६	२०.००	२०	०	०.४४	२१.००	१२.६०	
		वन	५.००	४.६०	- ०.४०	९.९५	१५	-५.०५	०.२[illegible]	२०.००	१२.००	
		कुल	४८.००	४६.२३	- १.७७	१००.००	१००	—	२.२०	२१.०१	१२.६०	७.७२

शेष पान नं. १५६ पर आगे शुरु

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
८.	अहेरी तहसिल	सिंचाई	१४.००	१३.२०	- ०.८०	४५.०५	४०	+५.०५	०.६०	२२.००	१३.२०	
		निर्माण	८.००	७.३६	- ०.६४	२५.११	२५	+०.११	०.३४	२१.६४	१२.९८	
		कृषी	६.००	५.८६	- ०.१४	२०.००	२०	०	०.२८	२०.९२	१२.५५	
		वन	३.००	२.९०	- ०.१०	९.८६	१५	- ५.१४	०.१३	२२.३०	१३.३८	
		कुल	३१.००	२९.३२	- १.६८	१००.००	१००	-	१.३५	२१.७१	१३.०२	४.९०
९.	अेटापल्ली तहसिल	सिंचाई	१५.००	१४.५८	- ०.४२	४५.००	४०	+५.००	०.६३	२३.१४	१३.८८	
		निर्माण	९.००	८.०६	- ०.९४	२४.८७	२५	- ०.१३	०.३४	२३.७०	१४.२२	
		कृषी	७.००	६.५०	- ०.५०	२०.०६	२०	+०.०६	०.२८	२३.२१	१३.९२	
		वन	४.००	३.२६	- ०.७४	१०.०६	१५	- ४.९४	०.१३	२५.०७	१५.०४	
		कुल	३५.००	३२.४०	- २.६०	१००	१००	--	१.३८	२३.४७	१४.०८	५.११

जानकारी आधार - जिलाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली.

सहपत्र क्र. क - १०

रोगायो में हुवा माहवार खर्च एवं निर्मित मनुष्य दिन १९८७-८८ और १९८८-८९

गडचिरोली जिला

अनु. क्र.	माह	१९८७-८८ कुल खर्च पिछले माह का मिलाकर [लाख रु.]	१९८७-८८ माह में प्रत्यक्ष खर्च [लाख रु.]	१९८७-८८ निर्मित मनुष्य दिन [संख्या]	१९८७-८८ रोगायो काम [संख्या]	१९८८-८९ कुल खर्च पिछले माह का मिलाकर [लाख रु.]	१९८८-८९ माह मे प्रत्यक्ष खर्च [लाख रु.]	१९८८-८९ निर्मित मनुष्य दिन [संख्या]	१९८८-८९ रोगायो काम [संख्या]
१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.	८.	९.	१०.
१.	अप्रैल	२०.९१	२०.९१	२,२३,२६८	८९३	१६.९६	१६.९६	१,४०,००६	३१०
२.	मई	७२.४३	५१.५२	४,५४,७५४	९१८	६४,३९	४७,४३	३,५३,०२३	४०५
३.	जुन	११८.४९	४६.०६	४,५२,२११	९१७	१२७,१९	६२.८०	३,७०,०३५	४३४
४.	जुलाई	१४२.६२	२४.१३	१,९१,४००	९१४	१६४.११	३६.९२	१,७८,०२८	३१८
५.	अगस्त	१६९.०३	२६.४१	१,९२,०८६	९६९	१९६.८५	३२.७४	१,३६,००५	२२९
६.	सितंबर	१८६.३५	१७.३२	१,३१,९५५	९७६	२२४.२८	२७.४३	१,५९,०१३	२०४
७.	अक्तुबर	१९९.७३	१३.३८	१,०८,४९५	९८२	२५३.२०	१८.९२	७३,०३८	१८१
८.	नवंबर	२१०.७३	११.००	१,०६,७५१	९८३	२७०,८०	१७.६०	५८ ०७७	११३
९.	दिसंबर	२३८.५९	२७.८६	२,५१,००१	९५१	३०५,४६	३४.६६	१,४९,०३६	३१७
१०.	जनवरी	२७२.२०	३३.६१	२,९५,०४२	९७८	३३५,१९	२९.७३	१,३४,०३५	३७३
११.	फरवरी	३२२.०२	४९.४२	४,३१,९८८	१०३७	४२३.३२	८८.१३	२,७५,०६६	[illegible]
१२.	मार्च	५०१.८८	७९.१९	६,०६,[illegible]५३	११९४	५९८.९८	१७२.८६	३,०७,०९६	[illegible]

सहपत्र ६७.०३-११

IMMEDIATE

LETTER

To

All Collectors.

No.CDP-1089/CR-12/9-A, Bombay-32, 27th January,1989.

Subject:- Village Employment Plan & Village Development Plan.

The State Government has decided to put Employment Guarantee Scheme on a more rational footing. It has been decided to work out a detailed Village Employment Plan. This is to be undertaken through a survey of all Villages within the next few months. The Planning Department has already initiated action in this regard. The attempt is to determine the number of agricultural labourers who will have to be provided with work not only during the course of the year, but during different times in the year. In providing work opportunities, the Government would like to ensure that the agricultural operations will not be affected in any way. It is being stressed repeatedly, at all levels, that one of the critical needs of the State is to ensure better moisture conservation and recharging of underground acquifers. One critical aspect of Maharashtra's economic development is to ensure that whatever precipitation we receive, is utilised to the maximum extent, and in this recharging of underground acquifers will have an extremely important place. In Maharashtra, we have been trying to attempt better regulation and use of rain water through construction of several structure, such as, nala bunds, inverted bandharas, percolation tanks, minor & medium irrigation projects etc. In this regard more importance has been laid down on the fact that a village itself, should be taken up as a unit and all efforts should be made to conserve all available moisture within the village boundry. Only what cannot be allowed to percolage for recharging of the underground acquifers be permitted to go as runoff, and later impounded in irrigation projects. The prevention of soil erosion and moisture conservation are two facets of the same objective, as often measures to prevent soil erosion also regulate the runoff thereby increasing chances of parcolation. It is, therefore, necessary to undertake various types of land treatment measures including afforestation of marginal rocks or wasteland or construction of nala bunds, bandharas. and percolation tanks. Many of these aspects are included under integrated watershed Development programmes. As far as afforestation of public lands are concerned, this will have to be done as part of the Socio-Forestry Programmes. A Village Development Plan has, therefore, to be prepared which will includs all these objectives. Similarly, detailed Village Development Plans are also to be prepared side by side with Village Employment Plans. It has, therefore, been decided to appoint Collector of the concerned district as Leader of the Team to prepare the Village Development Plan. You are, therefore, requested to prepare Development Plans for Village

P.T.O.

Development for about 4 or 5 Villages in each taluka of your District. The team may consist of the district level officers such as Chief Executive Officer, Executive Engineer, Minor Irrigation be that from State or Local Sector, Deputy Director of Horticulture, Socio-Forestry, Divisional Soil Conservation Officer and Principal Agricultural Officer. Immediate action should be taken in this regard and may also be reported to Government at the earliest.

(B.S.Madiwale),
Deputy Secretary to the Govt.of Maharashtra,
Agriculture and Cooperation Department.

Copies forwarded to:-

Deputy Secretary to Chief Secretary,
Special Secretary, Finance Department,
Secretary, Planning Department (EGS),
Secretary, Planning Department,
Secretary, Rural Development Department,
Secretary, Irrigation Department, and CADA Commissioner,
Special Secretary (Cooperation), A.& C.D.,
Secretary, Revenue and Forests Department (Forests),
Director of Agriculture, Maharashtra State, Pune-411001,
Addl.Director of Agriculture, Maharashtra State, Pune,
Director of Horticulture, Maharashtra State, Pune,
All Chief Executive Officers of Zilla Parishads,
All Principal Agricultural Officers,
All Superintending Agricultural Officers,
All Divisional Commissioners,
Senior Chief, Conservation of Forests, Nagpur
Chief Conservator of Forests, Nagpur,
Chief Conservator of Forests (Production), Nagpur,
Conservator (HQ), Maharashtra State, Nagpur.
Director, Social Horticulture, Nagpur.

सहपत्र क्र. क - १२

श्रमशक्तीद्वारा ग्राम विकास कार्यक्रम ८९-९०

गांव :- तुकुम तहसिल :- धानोरा जिला :- गडचिरोली जनगणना ८१/कोड नं ५४० जलबहाव क्षेत्र क्रमांक डब्ल्युजीके'३

अनु. क्र.	भूमि उपयोग	क्षेत्र (हेक्टर)	कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत %	अनु. क्र.	आर्थिक नियोजन	कुल [लाख रु]	अकुशल [लाख रु]	कुशल [लाख रु]	अकुशल /कुशल अनुपात	उपलब्ध मजदुर [संख्या]	कार्य कालावधी
१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.	८.	९.	१०.	११.	१२.
१.	कुल भौगोलिक क्षेत्र	७५१.६३	१००.००	१.	मृदसंधारण	२१.८१	२१.००	०.८१	९६:४	१००	१००x२००
२.	कृषी क्षेत्र	१५६.९२	२०.८८	२.	प्रशिक्षण और भेट योजना	०.३५	--	०.३५	०:१००		= २०,०००x१४
३.	कृषी के लिए अयोग्य क्षेत्र रास्ते, नाले इ.	४४.५०	५.९२	३.	फलोद्यान	-	--	-	-		= २.८० लाख
				४.	जिल्हा परिषद						
४.	स्थायी चारागाह क्षेत्र	११५.०४	१५.३१		अ] कृषी विकास एवं उर्जा	-	--	-	-		
५.	कृषी योग्य लेकीन परती क्षेत्र	१८.७४	२.४९		ब] जरोयो एवं कुंऐं	८.००	४.००	४.००	५०:५०		
६.	फसल क्षेत्र	१५६.९२	२०.८८	५.	पशुसंवर्धन	१.००	--	१.००	०:१००		
७.	दो बार फसल का क्षेत्र	--	--	६.	सिंचाई	४.००	२.००	२.००	५०:५०		२९ ÷ २.८०
८.	वन क्षेत्र	४१३.९५	५५.०७	७.	सामाजिक वनिकरण	२.००	१.२०	०.८०	६०:४०		= १०.३५ वर्ष
९.	गांव आबादी क्षेत्र	२.४४	०.३३	८.	वन	-	--	-	-		
१०.	बंजर क्षेत्र	--	--	९.	ग्रामीण विकास और ...	१.००	०.२०	०.८०	२०:८०		

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
११.	जनसंख्या पु. २११ + स्त्री २०९ = कुल ४२०			१०.	स्वास्थ विभाग	०.०२	--	०.०२	०:१००		
१२.	कामकरनेवाले पु. १३४ + स्त्री ६६= कुल २००			११.	विद्युतीकरण	१.००	--	१.००	०:१००		
१३.	सिंचाई कुआं [१ हेक्टर], तलाब [४.३१ हेक्टर] अन्य [१.२९ हे.]			१२.	निर्माण विभाग	१.००	०.६०	०.४०	६०:४०		
१४.	पशुधन गा. बै. भै. ब. व.				कुल	४०.१८	२९.००	११.१८	७२:२७		
१५.	अनु.जाती-० अनु.जनजाती: पु. १७९ + स्त्री १८३ = कुल ३६२										
१६.	शिक्षित पु. ९४ + स्त्री ३० = कुल १२४										
१७.	किसान : पु. ९८ + स्त्री ३५ = कुल १३३										
१८.	खेतिहर मजदुर पु. २७ + स्त्री ३१ = कुल ५८										

१६३

सहपत्र क्र. क. - १३

श्रमशक्ति द्वारा ग्राम विकास कार्यक्रम ८९-९०

गांव :- पिरयाडी   तहसिल :- कुरखेडा   गडचिरोली जिला   जनगणना ८१/कोडनं. १४७   जलबहाव क्षेत्र क्रमांक डब्ल्युजीकेस-१

अनु. क्र.	भूमि उपयोग	क्षेत्र [हेक्टर]	कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत %	अनु. क्र.	आर्थिक नियोजन	कुल	अकुशल	कुशल	अकुशल /कुशल अनुपात	उपलब्ध मजदुर	वर्ष कालावधी
						[लाख रु.]	[लाख रु.]	[लाख रु.]		[संख्या]	
१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.	८.	९.	१०.	११.	१२.
१.	कुल भौगोलिक क्षेत्र	३०४.९४	१००.००	१.	मृद्संधारण	५.९२	५.६२	०.३०	९५:५	२००	२००x२००
२.	कृषी क्षेत्र	८१.६२	२६.७८	२.	प्र-शिक्षण और भेट योजना	०.२०	०.०८	०.१२	४०:६०		=४०,०००
३.	कृषी के लिए अयोग्य क्षेत्र रास्ते, नाले इ.	--	--	३.	फलोद्यान	०.३२	०.१३	०.१९	४१:५९		x @ १४.५०
				४.	जिल्हा परिषद						
४.	स्थायी चारागाह क्षेत्र	४.७९	१.५६		अ] कृषी विकास एवं उर्जा ब] तरोयो एवं कुयें	२२.०६	१६.१४	६.९२	७०:३०		= ५.८० लाख
५.	कृषी योग्य लेकिन परती क्षेत्र	१३.६०	४.१७								
६.	[illegible] क्षेत्र	६८.०९	--	५.	पशुसंवर्धन	०.२२	०.१६	०.०६	७२:२८		
७.	दो बार फसल का क्षेत्र	४.१०	--	६.	सिंचाई	५.००	१.००	४.००	२०:८०		२३.८०÷ ५.८०
८.	वन क्षेत्र	२७३.३०	८९.६२	७.	सामाजिक वनिकरण	२.७२	२.१७	०.५५	८०:२०		= ४.७२ वर्ष
९.	[illegible] क्षेत्र	५.५८	१.८२	८.	वन						
१०.	[illegible] क्षेत्र	--	--	९.	ग्रामीण विकास और खादी ग्रामोद्योग	०.५०	०.०५	[illegible]	१०:९०		

१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.	८.	९.	१०.	११.	१२.
११.	जनसंख्या पु. ३७२ + स्त्री ३६७ = कुल ७३९			१०.	स्वास्थ विभाग	०. १६	—	०. १६	०:१००		
१२.	कामकरने वाले पु. २४२ + स्त्री १४२ कुल ३८४			११.	विद्युतीकरण	५. ००	०. २५	४. ७५	५:९५		
१३.	सिंचाई कुआँ [५हे.], तालाब [२५. ६२ हे.]			१२.	निर्माण विभाग	३. १५	२. २०	०. ९५	७०:३०		
	अन्य [७. ६५ हे.]										
१४.	पशुधन गा. है. भै. ब. व.				कुल	४६. २५	२७. ८०	१८. ४५	४६:५४		
१५.	अनु. जाती पु. ७ + स्त्री ९ = कुल १६										
	अनु. जनजाती पु. ३०४ + स्त्री २९४ = कुल ५९८										
१६.	शिक्षित पु. १६१ + स्त्री ४४ = २०५										
१७.	किसान पु. १६१ + स्त्री २५ = १८६										
१८.	खेतिहर मजदूर पु. ६९ + स्त्री ११६ = १८५										

सहपत्र क्र. क. १४

श्रमशक्ति द्वारा ग्राम विकास कार्यक्रम ८९-९०

गांव :- बोरी चक तहसिल:- आरमोरी जिला : गडचिरोली जनगणना ८१ / कोड नं. ४५९ जलबहाव क्षेत्र क्रमांक - डब्ल्यूजीके-१

अनु. क्र.	भूमि उपयोग	क्षेत्र [हेक्टर]	कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत %	अनु. क्र.	आर्थिक नियोजन	कुल [लाख रु.]	अकुशल [लाख रु.]	कुशल [लाख रु.]	अकुशल /कुशल अनुपात	उपलब्ध मजदुर [संख्या]	वर्षा कालावधी
१.	कुल भौगोलिक क्षेत्र	३८०.८१	१००.००	१.	मृद्संधारण	६.५८	३.९४	२.६३	६०:४०	१०६	१०६x२००
२.	कृषी क्षेत्र	२६५.१७	६९.६०	२.	प्रशिक्षण और भेट योजना	०.३९	–	०.३९	०:१००		= २१,२००
३.	कृषी के लिए अयोग्य क्षेत्र रास्ते नाले इ.	३१.९५	१०.८०	३.	फलोद्यान	—	–	–	–		x (२)१४
				४.	जिल्हा परिषद						= २.९७ लाख
४.	स्थायी चारागाह क्षेत्र	—	—		अ] कृषी विकास एवं उर्जा	४.७६	–	४.७६	०:१००		
५.	कृषी योग्य लेकीन परतीक्षेत्र	११२.३०	२९.००		ब] जरीयो एवं कुयें	७.४७	४.४७	३.००	६०:४०		
६.	फसल क्षेत्र	२६५.१७	—	५.	पशुसंवर्धन	१.४२	–	१.४२	०:१००		
७.	दो बार फसल का क्षेत्र	—	—	६.	सिंचाई	३०.००	२०.००	१०.००	६७:३३		२९.६० ÷२.९७
८.	वन क्षेत्र	७१.७२	१९.७५	७.	सामाजिक वनिकरण	–	–	–	–		= ९.९६ वर्ष
९.	गांव आबादी क्षेत्र	३.२७	१.०४	८.	वन	–	–	–	–		
१०.	श्मशान क्षेत्र		—	९.	ग्रामीण विकास और खादी ग्रामोद्योग	२.५६	०.५६	२.००	२२:७८		

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
११.	जनसंख्या पु. ३९३ + स्त्री ३६६ = कुल ७५९			१०.	स्वास्थ विभाग	0.४६	–	0.४६	0:१00		
१२.	कामकरनेवाले पु. २४९ + स्त्री २२६= कुल ४७५			११.	विद्युतीकरण	0.३0	–	0.३0	0:१00		
१३.	सिंचाई - तालाब [६८ हेक्टर]			१२.	निर्माण विभाग	२.00	१.00	१.00	५0:५0		
१४.	पशुधन गा. बै. भै. ब. व.										
१५.	अनु.जाती - 0 अनु.जनजाती पु. १४+स्त्री १५=२९				कुल	५६.00	२९.६0	२६.४५	५३:४७		
१६.	शिक्षित - पु. १३७ + स्त्री १८ = कुल १५५										
१७.	किसान - पु. ३0८ + स्त्री १९७ = ४0५										
१८.	खेतिहर मजदूर पु. ३८ + स्त्री २९ = ६७										

१६५

सहपत्र क्र. क – १५

श्रमशक्तिद्वारा ग्राम विकास कार्यक्रम ८९-९०

गांव :- माडेमुल तहसिल :- गडचिरोली जिला : गडचिरोली जनगणना ८१ / कोड नं. ६३० जलबहावक्षेत्र क्रमांक डब्ल्युजीपी/के.

अनु. क्र.	भूमि उपयोग	क्षेत्र [हेक्टर]	कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत %	अनु. क्र.	आर्थिक नियोजन	कुल [लाख रु]	अकुशल [लाख रु.]	कुशल [लाख रु.]	अकुशल /कुशल अनुपात	उपलब्ध मजदूर [संख्या]	कार्य कालावधी
१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.	८.	९.	१०.	११.	१२.
१.	कुल भौगोलिक क्षेत्र	८९.९३	१००.००	१.	मृद्संधारण	२.०९	२.०७	०.०२	९९:१	८०	८०×२००
२.	कृषि क्षेत्र	३०.१८	३३.५६	२.	प्रशिक्षण और भेंट योजना	०.३३	–	०.३३	०:१००		=१६,०००
३.	कृषी के लिए अयोग्य क्षेत्र रास्ते, नाले. इ.	११.२९	१२.५५	३.	फलोद्यान	०.१७	०.१०	०.०७	६०:४०		×@ १४
				४.	जिल्हा परिषद						= २.२४ लाख
४.	स्थायी चारागाह क्षेत्र	—	—		अ] कृषि विकास एवं उर्जा	१४.१४	८.४८	५.६६	६०:४०		
५.	कृषि योग्य लेकीन परती क्षेत्र	११.८७	१३.१९		ब] जरोयो एवं कुयें	–	–	–	–		
६.	जल क्षेत्र	३०.१८	३३.५६	५.	पशुसंवर्धन	१.००	–	१.००	०:१००		१६.६५ ÷ २.२४
७.	दो बार फसल का क्षेत्र	२.५५	२.८३	६.	सिंचाई	५.००	४.००	१.००	८०:२०		= ७.४३ वर्ष
८.	वन क्षेत्र	३६.५९	४०.६८	७.	सामाजिक वनिकरण	०.९०	०.८०	०.१०	८९:११		
९.	कृषि आबादी क्षेत्र	—	—	८.	वन	–	–	–	–		
१०.	[illegible] क्षेत्र	२.५५	२.[illegible]	९.	ग्रामीण [illegible]				–		

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
११.	जनसंख्या पु. ७० + स्त्री ७० = कुल १४०			१०.	स्वास्थ विभाग	१.००	०.६०	०.४०	६०:४०		
१२.	कामकरनेवाले पु. ५० + स्त्री ४३ = कुल ९३			११.	विद्युतीकरण	१.००	-	१.००	०:१००		
१३.	सिंचाई - तालाब [६ हेक्टर]			१२.	निर्माण विभाग	१.००	०.६०	०.४०	६०:४०		
१४.	पशुधन गा. बै. भै. ब. व.										
१५.	अनु. जाती. - ० अनु. जनजाती -पु. ६+स्त्री ३=कुल ९				कुल	२६.६३	१६.६५	९.९८	६२:३८		
१६.	शिक्षित - पु. २१ + स्त्री १ = कुल २२										
१७.	किसान पु. ४८ + स्त्री ४३ = कुल ९१										
१८.	खेतिहर मजदूर - ०										

रो गा यो

और

पर्यावरण

खंड : चार

रोजगार और पर्यावरण

१. एकही पिरॅमीड के चार पहलू

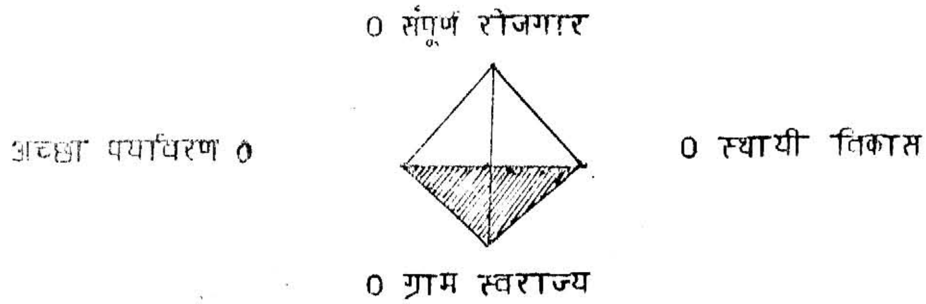

ये चारो पहलू एक दुसरे के साथ सेंद्रिय (ऑरगॅनिक) रूप से जुडे हुये है। ये परस्परावलंबी एवं एक दुसरे के पुरक भी है। इन में का कोई एक कम या ज्यादा महत्वपूर्ण नही है। किसी एक पहलू से भी अगर प्रारंभ करते है तो अनिवार्यत: अन्य तीन पहलुओं के बारे में सोचना ही पडेगा। या कह सकते है कि वे अलग अलग है ही नही, एक दुसरे में घुले हुये है। हम सोचने की सुविधा के लिए या अपनी अपनी प्रकृती अनुसार उन्हे अलग अलग देखते है।

१.१ संपूर्ण रोजगार -

हर एक व्यक्ति को क्षमता अनुसार काम करने पर आवश्यकता पुरी हो इतना दाम या चिजे मिल जाए ऐसी सातत्यपूर्ण व्यवस्था को हम संपूर्ण रोजगार की आदर्श व्यवस्था कह सकते है। इस विधान में हर एक, क्षमता, आवश्यकता और सातत्यपूर्ण इन शब्दों के अर्थों को विशेष महत्त्व है। इस आदर्श संकल्पना का आज के संदर्भ में व्यावहारीक रूप है - राज्य द्वारा हर एक प्रौढ़ व्यक्ति को काम की और उसके सुयोग्य मुआवजे की गारंटी। इसी व्यावहारीक अर्थ में "काम का अधिकार" यह शब्द प्रयोग आज प्रचलीत है।

मानवी अधिकारों के जागतिक घोषणा पत्र में "काम का अधिकार" शामिल है। सोवियत रशिया के संविधान में तथा भारतिय संविधान की धारा ४१ में उसे दिशा निर्देशक तत्त्व के रूप में स्थान दिया गया है। इन तिनो जगहों पर "काम का अधिकार" सदिच्छा जैसा ही है। पहली जगह तो वह जागतिक घोषणा पत्र का ही हिस्सा है। भारतिय संविधान में वह मात्र दिशा निर्देशक तत्त्व के रूप में होने के कारण राज्य को बंधनकारक नही है। सोवियत रशिया के संविधान में उसका प्रावधान जरूर गारंटी जैसा है लेकीन वहां स्वतंत्र न्याय व्यवस्था नही होने के कारण उसे भी राज्य की सदिच्छा जैसा ही रूप व्यवहार में है।

अध्ययन कर्ता की जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र राज्य का रोजगार हमी अधिनियम १९७७ यही एक मात्र ऐसा अधिनियम है जिसमें "काम का अधिकार" की दृष्टी से न्यूनतम आवश्यक प्रावधान किये गये है। उदाहरणार्थ भारतिय केंद्र सरकार द्वारा कुछ साल चलाया गया "ग्रामिण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में रोजगार गारंटी इन शब्दों का जरूर प्रयोग किया गया है लेकीन यह गारंटी अस्तित्व में आने के लिए जो न्यूनतम प्रावधान आवश्यक है वे इसमें नाममात्र भी नही है। जिसे रोजगार की गारंटी दी गई है वह उसे रोजगार की आवश्यकता हो तो किसे और कैसे मांगेगा, मांगनेपर कितने दिन में काम मिलने की गारंटी होगी, और उस मर्यादा में काम न मिलने पर क्या होगा ? इतने न्यूनतम प्रावधान जिस कार्यक्रम में नही है उसे गारंटी नही कहा जा सकता।

१.१.१ भूक और बेरोजगारी से राहत -

जैसे के खंड:तीन में हम देख ही चुके है महाराष्ट्र में रोजगार हमी अधिनियम के तहत संचालीत रोगायो का अंमल अकाल राहत काम जैसा हो रहा है। बावजूद इतनी बडी कमी के १९७२ से आजतक लगातार हर वर्ष ग्रामिण क्षेत्र में लागों को रोजगार देने के लिए जो बडी संख्या में काम निकालने पडे है उसके परिणाम स्वरूप =

× महाराष्ट्र के ग्रामिण क्षेत्र में बसने वाले किसान और खेतिहर मजदूर जिनकी संख्या कुल जन संख्या के ६५% है, की क्रय शक्ती बढ़ने से उन्हे राहत तो जरूर मिली है।

× शहरों की ओर जाने का अनुपात घटा है।

× ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे काम इतनी बडी संख्या में हुये है जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ कृषी क्षेत्र को हुवा है। अन्यथा इतनी प्राथमिकता इन कामों को शायद ही मिलती।

× हर साल लगातार बडी संख्या में रोजगार देने वाले काम निकालने के दबाव के कारण आधारभूत प्राकृतिक संसाधन मजबुत करने वाले उत्पादक स्वरूप के काम खोजने और उन्हे प्राथमिकता के साथ हाथ में लेने का दबाव भी पैदा हुवा है।

× जिस अनुपात में पैसा खर्च हुवा है उस अनुपात में प्रत्यक्ष गुणात्मक लाभ नही मिलना, पुरे हो गये कामों के देखभाल का सवाल, हर साल ज्यादा पैसा खर्च करने की अनिवार्यता, इन सभी कारणों से "श्रम शक्ति द्वारा ग्राम विकास " जैसा कार्यक्रम शुरु कर गांव स्तरिय नियोजन और लोगों को इस नियोजन में शामिल करने का प्रावधान करना पडा है।

× ग्रामिण असंघटीत क्षेत्र में संघठन के लिए आधार प्राप्त हुवा।

- जिन्हे रोजगार है ऐसे लोगों ने जिन्हे रोजगार नही है ऐसे लोगों के लिए लगातार कर देने का तत्व स्थापित हुवा है।
- "काम के अधिकार" के संबंध में जिससे सिखा जा सकता है ऐसा पचास साल का अनुभव प्राप्त हुवा है।
- ग्रामिण महिलाएँ सबसे ज्यादा लाभान्वित हुयी है।
- ग्रामिण खेतिहर मजदुरों की लाचारी कम हो कर उनकी सौदा करने की शक्ति (बार्गेनिंग पावर) बढी है।
- "काऊडेप", वनिकरण, मृदसंधारण, जलसंधारण, फलोधान इ. जिनमें पर्यावरण का विचार किया गया है ऐसे शासकीय निर्णयों की संख्या बढती जा रही है। श्रमग्राविका में तो स्वास्थ संबंधी काम और प्रदूषण निर्मूलन काम भी शामिल किये गये है।
- खादी ग्रामोद्योग के अंतर्गत के काम भी अब रोगायो में शामिल करने पड रहे है।

१.१.२ बाजार से मुक्ति -

महाराष्ट्र की रोगायो के कारण रोजगार की गारंटी के संदर्भ में और एक महत्वपूर्ण मुददा स्पष्ट हुवा है। वह यह है की रोजगार गारंटी के काम में उत्पादीत माल बाजार में ले जा कर बेचने की जिम्मेदारी मजदूर की नही है। उदाहरणार्थ अगर मजदूर रोगायो में गीट्टी फोडने का काम कर रहे है तो वह गीट्टी बेचने की जिम्मेदारी मजदुरों की नही है। उत्पादीत माल का क्या करना है सो जिम्मेदारी सरकार की है। मजदूर रोजगार की गारंटी के संदर्भ में बाजार से मुक्त है।

अन्य सभी गरीबी हटाव तथा खादी ग्रामोद्योग के कामों में लाभार्थी को रोजगार मिले इसहेतू कर्जा, औजार, साधन, कच्चामाल, वर्कींग कॅपीटल, प्रशिक्षण इ. सब दिया जाता है लेकीन अंत में उसके उत्पादन को खरीदने की गारंटी ना देकर उसे बाजार में धकेल दिया जाता है। जहां उसका शोषण या खात्मा होते देर नही लगती।

मानवी ईतिहास के क्रम में एक समय ऐसा था के दुनिया में संगठीत धर्म का वर्चस्व था। बाद में वह कम हो कर संगठीत राज्य का प्रभाव बढा। अब वह भी कम होने लगा है। संगठीत बाजार अब अपना प्रभुत्व जमा रहा है। ऐसे संक्रमण काल में संगठीत राज्य ने मजदुर को रोजगार की गारंटी देते वक्त उसे बाजार से मुक्त कर देना एक महत्वपूर्ण घटना है।

अब तक रोगायो में अंबर चरखा और रेशीम उद्योग जैसे काम नही थे इस कारण बाजार का मुददा शायद खुल कर सामने नही आया था। श्रमग्रामिका में ये दो काम पहलीबार रोगायो अंतर्गत लेने के कारण अब बाजार के संदर्भ में सरकार क्या निर्णय लेती है देखना है। श्रमग्रामिका

के प्रथम शासकीय निर्णय में इन दोनो कामों के बारे में सरकार आदेशें सूचनाएँ जारी करेगी ऐसा कहा था। अब उसे एक साल होगया है। अभी तक तो सूचनाएँ प्राप्त नही हुयी है। लेकीन पिछले ग्यारह सालो में रोजगार गारंटी का जो अर्थ व्यवहार में विकसीत हुवा है उसे काटना भी सरल नही होगा।

१.१.३ रो.गा.अधिनियम में संशोधन के लिए सुझाव

"काम का अधिकार" की दृष्टीसे अधिनियम को अधिक सुयोग्य एवं परिणामकारक बनाने के लिए उसमें निम्न संशोधन करना आवश्यक है।

अ) बेरोजगार भत्ता एक पैसा प्रतीदिन हो।

अधिनियम में पहले १ रु. प्रतीदिन बेरोजगार भत्ते का प्रावधान था। बम्बई हाईकोर्ट के फैसले के बाद उसे बढाकर सरकार ने २ रु.कर दिया। रोगायो का समर्थन करने वाले कुछ बुद्धिजीवी भी बिच बिच में बेरोजगार भत्ता बढाने की मांग करते है। बेरोजगार भत्ता बढाने की यह मांग पश्चिमी विकसीत राष्ट्रों जैसे "डोल" के प्रावधान की ओर ले जाने वाली मांग है। यह धोका मूलत: ही नष्ट करना आवश्यक है। सरकार पर मांगने वालों को काम ही देने की जिम्मेदारी वाला आज के अधिनियम में जो प्रावधान है वह बहुतही महत्वपूर्ण है। उसे सुरक्षित करने के लिए बेरोजगार भत्ते की राशी मात्र १ पैसा कर देनी चाहिये। जिससे हमारी दिशा स्पष्ट रहे।

ब) ५ कि.मी. के अंदर काम की गारंटी।

अधिनियम में आज जिले में कही भी काम की गारंटी दि गयी है। जिसका दुरुपयोग कर मूल उद्देश्य "काम के अधिकार" को ही धक्का पहूँचाया जा रहा है। श्वेतपत्रिका में गांव स्तरिय नियोजन की बात स्विकार भी कर ली है। और यह भी कह दिया है की इस कार्यक्रम के अंतर्गत चुने गये गांव से ५ कि.मी. की परिधी में अन्य रोगायो काम नही निकाले जायेंगे। साथ ही साथ ऐसे नियोजन की भी अपेक्षा की गयी है की जिससे सभी मजदुरों को ५ कि.मी.की परिधी में ही सतत रोजगार मिल सके। इतना सब करने के बावजूद जिला स्तर की गारंटी जैसी के वैसी रखने से उपर लिखी बातों पर अंमल हो इसलिए कोई दबाव नही होगा। और ना ही " काम का अधिकार" भी कभी अस्तित्व में आयेगा। सो अधिनियम में संशोधन कर हर काम मांगने वाले को उसके गांव से ५ कि.मी. की परिधी में ही काम देने की स्पष्ट गारंटी देना आवश्यक है। ५ कि.मी.इसलिए की

इतने अंतर तक मजदुर जाना आना कर सकते है, उन्हे गांव छोडने की आवश्यकता नही रहती।

(क) खेती तथा अन्य कामों पर भी रोगायो अंतर्गत ही मजदूर भेजे

रोगायो के कारण खेती तथा अन्य नियमीत सरकारी कामों के लिए मजदुरों की कमी ना हो इसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी पर सौंपी गई है। इस प्रावधान का भी "काम का अधिकार" अस्तित्व में ना आने इस हेतू दुरूपयोग हो रहा है। (देखिए "काम का अधिकार एक बाधा दौड केस स्टडी क्र. २, सहपत्र क्र. क–3) अगर खेती और अन्य सरकारी कामों पर मजदुरों की कमी ना हो इतना ही शुद्ध हेतू है तो क्यों ना रोगायों की व्यवस्था अंतर्गत ही मजदूर इन कामों पर भी भेजे जाए। ऐसे कामो पर मजदूर भेजने की और लौट कर आने पर फिर दुसरे कामोपर भेजने का ही मात्र जिम्मेदारी समिती अधिकारी की होगी। बाकी, कामों का अंमल, उन कामों से संबंधीत अन्य कानून, नियम और दिशानिर्देशो अनुसार ही होगा। जिससे रोजगार गारंटी फंड पर अतिरीक्त बोझा भी नही पडेगा।

(ड) अगर बेरोजगार भत्ता देना पडे तो –

इस संबंध में आज के अधिनियम में कोई प्रावधान नही है। अगर बेरोजगार भत्ता देना पडे तो उस के लिए सिर्फ प्रशासन ही नही सरकार को भी दोषी मान कर दंड का स्पष्ट प्रावधान हो।

१.१.४ रो.गा. नियम १९७९ में संशोधन के लिए सुझाव

(अ) एक ही नमुना ४ फार्म में एक से ज्यादा मजदुरों को काम मांगने की सुविधा हो। ऐसे फार्म में सभी मजदुरों के नाम, पंजिकरण नंबर के साथ उनके हस्ताक्षर या अंगुठे होंगे लेकीन सभी को पंजिकरण अधिकारी के पास जा कर अपना अपना नमुना ४ फार्म अलग से देने की आवश्यकता नही होगी। उस सूची में का कोई भी एक मजदुर वह फार्म ला कर दे सकेगा। उसे रसीद और काम पर जाने के आदेश भी सामुहीक रूप से एक ही सुची द्वारा दिये जा सकेंगे। जिससे कागज और समय की भी बचत होगी। आज अलग अलग फार्मों के कारण अक्सर पती एक काम पर तो पत्नी दुसरे काम पर, मां एक काम पर तो बेटी दुसरे काम पर ऐसा हो जाता है। इन बिछडे परिवारों को इकठ्ठा आने के लिए काफी तकलीफ उठानी पडती है। उपरोक्त संशोधन के बाद यह समस्या भी नही रहेगी।

(ब) नमुना-७ मजदुर को कब मिला ?

आज के नियम में मजदुर पर नमुना ७ मिलनेपर ७ दिन के अंदर काम पर हाजीर होने का बंधन है। लेकीन यह नमुना-७ मजदुर को प्रत्यक्ष हाथ में कब मिला सो समझने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तहसिल कार्यलय से नमुना-७ निर्गमित करते वक्त लिखी गई तारीख को ही वह नमुना-७ मजदुर को मिला है ऐसा समझना अन्याय्य है। मजदुर तक पहुचते पहुचते कई बार ७ दिन से ज्यादा भी समय हो जाता है। सो नमुना-७ में ही एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां वह नमुना-७ मजदुर को प्रत्यक्ष हाथ में कब मिला सो तारीख स्पष्ट लिखी होनी चाहिए।

(क) रोगायो अंतर्गत सभी तरह के फार्म स्विकार कर रसीद देने के लिए स्वतंत्र व्यक्ति की व्यवस्था हो।

आज यह काम ज्यादातर जगह पटवारी के और कुछ जगह ग्राम सेवक के जिम्मे है। इन दोनो निचले कर्मचारीयों पर इतने सारे सरकारी काम सौपे जाते है की वे रोगायो के फार्म स्विकारने और रसीद दे कर समय पर उन्हें तहसिल कार्यालय में पहुंचाने की जिम्मेदारी ठिक से नहीं निभा पाते है। इस के अलावा वे उसी प्रशासकीय विभाग के कर्मचारी है जिन पर मर्यादा के अंदर काम देने की जिम्मेदारी है सो कंही बेरोजगार भत्ता देना ना पड़े इस डर से उपर से भी दबाव बना रह सकता है। सो इस काम के लिए वेंडर जैसी स्वतंत्र व्यक्ति की व्यवस्था हो। गांव के किसी शिक्षीत व्यक्ति को यह जिम्मेदारी सौंप कर जितने फार्म होंगे उस संख्या के हिसाब से मजदुरी का प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

(ड) बेरोजगार भत्ता देने की प्रक्रिया सरल हो।

आज बेरोजगार भत्ते की प्रक्रिया इतनी पेचीदी है के मजदुर बेरोजगार भत्ता मिलने के लिए पात्र होने के बावजूद केवल तांत्रिक कारणों के बलपर ही उसे कभी भी बेरोजगार भत्ते से मतलब "काम के अधिकार" से वंचीत किया जा सकता है। सो इस प्रक्रिया से बाकी सारी तांत्रिकता हटाकर उसे सरल बनाना चाहीए। जिसे किसे मांगने पर १५ दिन के अंदर काम नहीं मिला उसे सिधे पहले बेरोजगार भत्ता दिया जाना आवश्यक हो तभी "काम का अधिकार" अस्तित्व में आ सकता है।

१.१.५ रोगायो का नियोजन।

रोजगार गारंटी अधिनियम १९७७ में मांगनेवाले को जो काम की गारंटी दी गयी है वह मात्र अकुशल शरीरश्रम के काम की ही है। रोजगार गारंटी नियम में काम की मांग करने के लिए फार्म नं. ४ दिया है, जिसमें मजदुर पर बंधन डाला गया है की जो भी काम उस मजदुर को दिया जायेगा उस पर वह कम से कम 30 दिन तक सतत काम करेगा। इस जगह भी मजदुर पर एकतरफा बंधन लादा गया है लेकीन काम मांगने वाले मजदुर को कितने दिन काम की आवश्यकता है इसका विचार कर वैसा नियोजन करने की कोई जिम्मेदारी सरकार पर नही है। जिन्हे लंबे समय तक सतत काम की आवश्यकता है ऐसे मजदुरों को एक काम समाप्त होने पर ४ दिन के अंदर दुसरे काम पर जाने के आदेश देने तक ही शासन की जिम्मेदारी मर्यादित है।

परिणामत: योजनांतरगत और योजनाबाहय नियमीत कामों में से ऐसे कामों को छाट कर अलग निकालना कि जिनका अकुशल और कुशल मजदुरी का अनुपात ६० : ४० है और उनका जोड़वतर याने रोगायो का नियोजन ऐसा मान लिया गया है।

मुल सदोष नियोजन जैसा के वैसाही होने से एक और गरीब बेरोजगारों की संख्या बढ़ही रही है, लेकीन दुसरी और केवल अस्थायी, अकुशल शरीरश्रम के काम तक ही रोगायो नियोजन मर्यादीत रखने के कारण हर साल काम मांगने वाले मजदुरों की संख्या और रोगायो का खर्च भी बढ ही रहा है। जब की रोगायो का अंमल ऐसा है की सभी मांगने वालों को काम नही देने पर भी बेरोजगार भत्ता नही देना पड़ता है, सो हम खंड:तीन में देख ही चुके है, फिर भी यह हालत है। अगर सचमें सभी को सतत काम देना पड़े तो क्या हालत होगी हम कल्पना कर सकते है।

महाराष्ट्र की रोगायो के शिल्पकार स्वर्गिय श्री. वि.स. पागेजी कहा करते थे की - " वह सुदिन होगा जिस दिन सभी को स्थायी रोजगार उपलब्ध होने के कारण कोई काम मांगनेवाला ही ना होने से रोगायो बंद करनी पड़ेगी " ऐसी अपेक्षा की गयी थी के रोगायो नियोजन में उत्पादक स्वरुप के कामों को ही प्राथमिकता और प्राधान्य देने के कारण उनसे उत्पादक साधनों की निर्मीती होगी और हर साल ज्यादा लोगों को स्थायी रोजगार

प्राप्त होता जायेगा और जिसके परिणाम स्वरूप रोगायो में नरेंगे घिरे काम की मांग कम होते जायेगी। प्रत्यक्ष में अनुभव उलटा आया है ज्यादा मजदूरों को स्थायी रोजगार मिलते जाना तो अलग रहा रोगायो ही स्थायी हो गयी है। बात साफ है बेरोजगारी की बिमारी स्थायी है तो राहत की मरहमपट्टी को भी स्थायी होना ही पडेगा।

अगर पागेजी का उपरोक्त सपना पुरा होने की दिशा में सच में कोशिश करनी हो तो बिमारी का मूल राज्य और देश का जो समुचा नियोजन है उसका प्रथम और अंतीम ध्येय "सभी को आज ही से सतत रोजगार" यह होना होगा। तब रोजगार गारंटी नही हर एक सक्षम प्रौढ व्यक्ति को शरीरश्रम का प्राथमिक उत्पादक काम करना अनिवार्य होगा। और जो इस शरीरश्रम के काम से छुटकारा पाना चाहेगा उसे प्रतीदिन न्यूनतम मजदुरी के दर से मजदुरी की कुल रकम प्रती हफ्ते ग्राम कोष में जमा करनी होगी।

ऐसे नियोजन के लिए हर एक गांव स्तर पर लोगों के साथ ग्रामसभा के माध्यमसे नियोजन की प्रक्रिया चलानी होगी। दो तरह की योजनाएं तैय्यार करनी होगी (१) गांव रोजगार गारंटी योजना तथा (२) गांव विकास योजना और इन दोनो का समन्वय कर तैय्यार होगी "गांव रोजगार गारंटी और विकास योजना" जिसमें ऐसे विकास के काम लिए जायेंगे और उनकी तकनिक भी ऐसी होगी कि जिससे गांव के सभी प्रौढ सक्षम व्यक्तिओं को पुरा वर्ष सतत रोजगार मिलेगा। उपर जहां कहीं गांव इस शब्द का प्रयोग किया गया है वहां उसका अर्थ राजस्व ग्राम नही है। वह पाडा, टोला, मोहल्ला या गांव भी हो सकता है। गांव की व्याख्या के लिए कृपया खंड:चार परिच्छेद १.४.१. देखे

१.२ अच्छा पर्यावरण

अच्छा अन्न, अच्छे वस्त्र,
अच्छे घर, अच्छा स्वास्थ।

अच्छी मिट्टी, अच्छी हवा,
अच्छा पानी, अच्छी दवा।

अच्छी कृषी, अच्छे वन,
अच्छे सपने, अच्छा मन।

अच्छी शिक्षा, अच्छा समाज,
अच्छा राज, ग्राम स्वराज।

अच्छे अवसर -
राज्य प्रक्रियामें,
ज्ञान प्रक्रियामें,
उत्पादन प्रक्रियामें,
सहभागी होने के।

अच्छा वही जो सभी को मिले। सभी का मतलब समूची मानवजाति से कम नही। उससे ज्यादा, उदाहरणार्थ समुची प्राणी सृष्टी, समुची सजीव सृष्टी या समुची सृष्टी भी हो सकता है। लेकीन विचार की सुविधा के लिए हम यहां न्यूनतम की ही बात सोचेंगे।

मानवजाती का सदस्य होने के नाते सभी व्यक्तिओं का समान हक है। किसी का हक छिन कर उसका उपयोग या उपभोग अच्छा नही। ये कोई आज अस्तित्व में है ऐसे हो या भविष्य में आने वाले हो। ये हक रोटी, कपड़ा और मकान, या शिक्षा, स्वास्थ और रोजगार, या आत्मसम्मान, इज्जत और सत्ता से संबंधीत भी हो सकते है।

अच्छा पर्यावरण वही, जो हो -

- बेरोजगारी, गरीबी, भूक और बाजार से मुक्त।
- राज्य, शस्त्र, बाहू और धनबल से मुक्त।
- अशांती, हिंसा, शोषण और युध्द से मुक्त।

1.3 स्थायी विकास

प्रकृती में ही स्थायी विकास की एक अच्छी मिसाल है वह है मधुमक्खी और फुल जैसे संबंधो की, जिसमें जो लेनेवाला है और जो देनेवाला है दोनो का फायदा और विकास है।

विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें मनुष्यसहीत सभी प्राकृतिक संसाधन अधिक समृध्द और अच्छे होते जायेंगे और आनेवाली पिढीयों को अभी से अच्छी स्थितीमें उपलब्ध होंगे, स्थायी विकास प्रक्रिया कहलाएगी।

मानवजाती के ऐतिहासिक अनुभव से स्पष्ट हो गया है कि प्रकृती को पराभुत कर स्थायी विकास असंभव है। प्रकृती के एक हिस्से के रुपमें परस्पर सहयोग व्दारा ही वह संभव हो सकता है। एकतरफा इस्तेमाल या शोषण के संबंध वाली प्रक्रिया स्थायी विकास की प्रक्रिया नही हो सकती। स्थायी विकास के लिए मनुष्य और अन्य प्रकृती तथा मनुष्य और मनुष्य के बिच के संबंध दोतरफा और लेनदेन के सहयोगी संबंध होंगे। जिन्हें हम निम्न जोडीयों में देख सकते है।

अ) अन्य प्रकृती ⇄ मनुष्य

अ) अन्य प्रकृती ⇄ मनुष्य

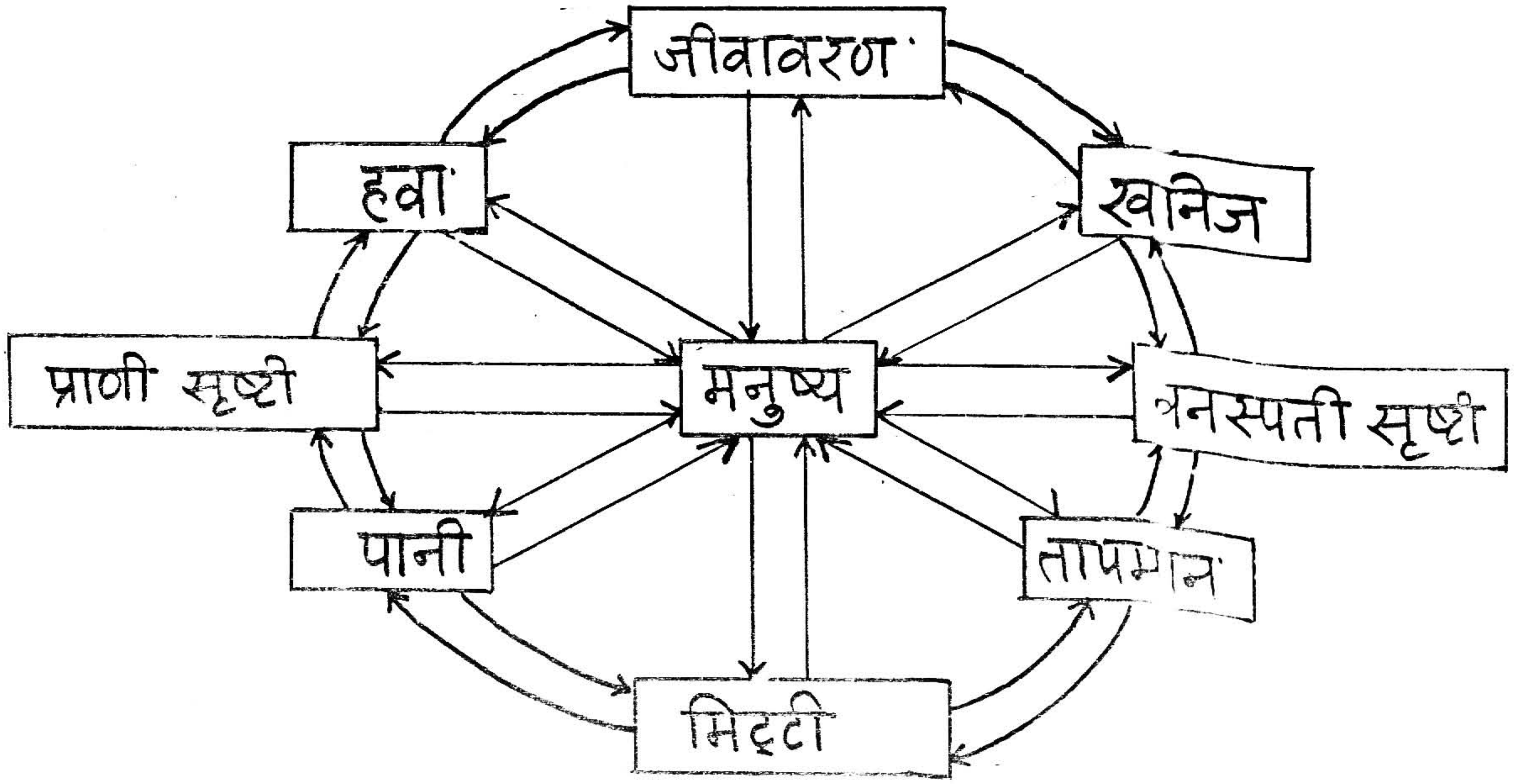

ब) मनुष्य ⇌ मनुष्य

क) स्त्री ⇌ पुरुष, अवर्ण ⇌ सवर्ण,
आदिवासी ⇌ गैरआदिवासी, मजदुर ⇌ मालीक,
साधनहीन ⇌ साधनसंपन्न, बेरोजगार ⇌ रोजगार है जिन।

प्रकृतीपर विजय पाने की मानवी अहंकारयुक्त महत्वाकांक्षा और उपभोगवादने ही पर्यावरण को सब से ज्यादा हानी पहुंचाई है। मनुष्य खुद भी प्रकृती का ही एक हिस्सा है। प्रकृती के परस्परावलंबी नियामों को समझते हुये अन्य प्रकृती के साथ सहयोग करने में ही सभी का हित है यह बात अब स्पष्ट होने लगी है। लेकिन यह समझ छोटे तबके तकही सिमीत है। वह तेजी के साथ सार्वत्रिक नही हुयी तो समुची पृथ्वी ही खतरे में है।

उपरोक्त अ), और क) दोनों सुचियो के पहले हिस्से में जिनके नाम है, उनकी किंमतपर दुसरा हिस्सा सारे लाभ उठा रहा है। जहांतक आर्थिक संबधो का सवाल है बाजार की इसमें काफी महत्वपुर्ण भूमिका है। इस बाजार के दो प्रमुख शस्त्र है। वो ऐसे -

(१) उपभोगवादी जीवन शैली का सपना -

आज का बाजार बहुसंख्य लोगो को उपभोगवादी जीवन शैली का सपना बेचने में सफल हुवा है। आधुनीक शिक्षा और प्रसार माध्यमों की इस सपने को बेचने में अहं भूमिका रही है।

(२) आकर्षक सस्ते माल का लालच -

प्रकृती, कृषी क्षेत्र और ग्रामीण गरीबों की किंमत पर मुनाफा लुटने वाले सभी औद्योगिक उत्पादन, मनुष्यश्रम और जिनकी पुनर्निर्मीती संभव है (रिन्युएबल) ऐसे, संसाधनो से निर्मीत उत्पादनोकी तुलना में
* आकर्षक सस्ते और * है। क्यों की राज्यों ने आज सभी जगह उद्योग, शहरों एवं अमीर लोगों को प्राकृतीक संसाधनोपर जबरदस्त सबसीडी दे रखी है।

स्थायी विकास की दिशा में पहले कदम के रूप मे उद्योग शहरों एवं अमीरों को दी जा रही सबसीडी खत्म कर देनी चाहिए। प्राकृतिक संसाधन या उनसे निर्मीत संसाधनो की उदहारणार्थ लोहा, अॅल्युमिनियम, पेट्रोल, डिझेल, बिजली, कोयला, पानी, कागज इ. की सही किंमत आंक कर उपर उल्लेखीत तिनो तबकों से वह पुरी वसुलनी चाहिए।

जिवनावश्यक वस्तुओं में पूर्ण स्वावलंबन और अन्य वस्तुओं के संदर्भ में अधिकतम स्वावलंबन की कोशिश, यहीं बाजार का अंत है।

रोजगार गारंटी अधिनियम बना रहा और रोगायो ऐसी ही चलती रही तो जल्द ही निचे दिये गये काम भी रोगायो में लेना अनिवार्य होगा।

* अनाज प्रक्रिया
* तेलघानी ग्रामोद्योग
* सुतकताई, बुनाई, रंगाई, और छपाई.
* बांस से वस्तू बनाना
* रेशीम और कोसा ग्रामोद्योग
* ग्रामीण साबुन ग्रामोद्योग
* रेषा ग्रामोद्योग - ज्यूट, अंबाडी, करनकुवांरी इ.से. प्राप्त रेषों से रस्सी तथा अन्य उपयोगी वस्तू बनाना.
* नर्सरी - फलोद्यान और वनिकरण के लिए पौधे तैय्यार करना
* चटाई ग्रामोद्योग
* गौण वनोपज प्रक्रिया ग्रामोद्योग
* हाथकागज ग्रामोद्योग
* ग्रामीण कुम्हार काम
* ग्रामीण बेलदार काम
* ग्रामीण बढई काम
* ग्रामीण लुहार काम
* ग्रामीण चर्मोद्योग

तब एक पेंच सामने आयेगा कि इन कामों से निर्मीत वस्तुओं का क्या किया जाय ? उद्योगो मे तैय्यार की गई वस्तुओं की तुलना में उपरोक्त कामोद्वारा रोगायो मे निर्मीत वस्तुए इतनी महंगी और अनाकर्षक होगी के बाजार में उन्हे कोई नही खरिदेगा।

उदाहरणार्थ - धान से चावल बनाने का काम ही ले लिजीए। बिजली या डिझेल की उर्जापर चलने वाली लोहे से बनी मशिन - - राईस मील में धान पिसाकर बनाया गया चावल और रोगायो मजदुरों ने हाथ से कूट कर बनाया हुवा चावल इन दोनो में पहला सस्ता और आकर्षक होगा तो दुसरा महंगा और अनाकर्षक।

तब पहले तो मजदुरो को खुद अपनी मजदुरी के बदले के रूप में इस हाथ से कुटे महंगे, अनाकर्षक लेकिन ज्यादा पौष्टीक चावल को तथा रोगायामें उत्पादीत अन्य वस्तुओं को भी इसी तरह स्विकारना होगा। यह स्वावलंबन के दिशा में अनिवार्यत: उठाया गया पहला कदम होगा। अगर ऐ

नही हुवा तो बेरोजगारी और गरीबी तो वैसी के वैसी रहेगी लेकिन तब रोगायो नही रहेगी। और आज की अर्थव्यवस्था को स्थायी विकास की दिशा में मोडने के लिए ना ही तब गरीब बेरोजगारों काकोई दबाव ही रह पायेगा।

उपर उल्लेखित परिस्थिती में अगर मजदूर वस्तुओं का स्विकार कर लेते है तो प्रती दिन मजदुरी के रूप में जिवनावश्यक वस्तुओं की, योग्य अनुपात में एक बास्केट विकसीत करनी होगी। जिसमें अनाज, तेल, कपडा, चप्पल, साबुन, कागज, टोकरी, चटाई इ. वस्तुएं होगी। शेष बची वस्तुओं कोसभी सरकारी कर्मचारी एवं लोकप्रतिनिधियों ने तथा सरकारी अनुदान से तनखा लेनेवाले कर्मचारीयो ने अपनी तनखा के हिस्से के रूप मे स्विकारना होगा।

अच्छे पर्यावरण तथा स्थायी विकास की समझ बढती है और गरीब बेरोजगारो का संघठीत दबाव बढता है तो विभीन्न स्तरोंपर यह दिशा दिखाई देनी होगी।

* विश्व के विकसीत देश,
* देश अंतर्गत विकसीत हिस्से,
* राज्य के सभी, रोजगार है ऐसे लोग
* गांव के साधन संपन्न

→ रोगायो फंड →

← रोगायो में उत्पादित वस्तुओंका सही किंमतपर स्विकार ←

* विश्वके विकसनशील देश
* देश के अविकसीत हिस्से
* राज्यके बेरोजगार लोग,
* गांव के साधन हिन

१.४ ## ग्राम स्वराज्य

गडचिरोली जिले मे डॉ. बी. डी. शर्मा के साथ मिलकर "सहयोग शिबीरों की एक प्रक्रिया चली थी। जिससे नारा उभराथा- "मावा नाटे मावा राज" याने "हमारे गांव में हमारा राज"। यह प्रक्रिया और आगे बढी तब गडचिरोली जिलेके सबसे पिछडे समझेजानेवाले लाहीरी क्षेत्र के १८ गावो ने मिलकर एक बैठक की। क्षेत्र की सबसे प्रिमिटीव्ह ट्राईब "माडीया गोंड"जनजाती के लोग इस क्षेत्र में रहते है। वहां उपरोक्त नारे पर भी बैठक में चर्चा हुयी सविस्तर चर्चा के बाद उन्होने नारे को सुधार कर निम्न रूप दिया

मावा नाटे माटू सरकार।
बम्बई दिल्लीता मावा सरकार।
याने
हमारे गांव में हम ही सरकार।
बम्बई दिल्ली में हमारी सरकार।

लोगो ने "ग्रामस्वराज्य" के सही अर्थ को पकडा था।

१.४.१ गांव - पुरानी जडे, नई संकल्पना

उपर उल्लेखित गांव का अर्थ राजस्वग्राम नही है। गांव का यहाँ अर्थ है - लोगो का निश्चित भूक्षेत्र से जुडा हुवा ऐसा अधिकतम समूह जो बार बार सहजता से इकठ्ठा बैठकर विचारविनीमय कर निर्णय ले सकता है और उस पर अंमल कर सकता है, गलती कर सकता है और उससे सिख भी सकता है। ऐसा समुह गांव, टोला, पाडा या मोहल्ला भी हो सकता है।

ऐसे गांव की जडे तो निश्चितही अतिप्राचीन है। लेकिन उनकी राजनितीक हैसियत और कानुनी स्थिती नई होगी। ऐसे गांव की राजनितीक वास्तियत यह है कि वे स्वयंभू है। अन्य किसी के मान्यता की उन्हे जरूरत नही। और वे प्रातिनिधीक नही स्वयंपूर्ण है।

१.४.२ गडचिरोली जिले के गांव -

गडचिरोली जिले के जनसंख्या अनुसार गांवो के संख्या की जानकारी सहपत्र क्र. ड-१ के रूप मे संलग्न है। जिलेमे गांवो की भौगोलिक रचना का सर्वसाधारण चित्र ऐसा दिखाई देता है।

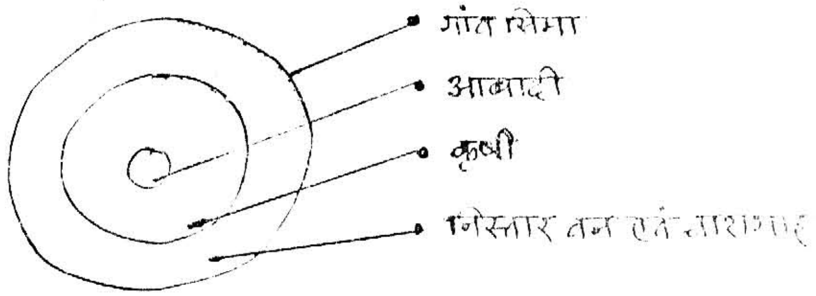

१९२२-२४ में लॅन्ड सेटलमेंट सर्व्हे हुवा था। उसमें हर एक गांव की सरहद तय की गयी थी। पत्थर भी गाडे गये थे। कई सालों तक यह प्रथा थी कि गांव के लोग हर साल सिमा चिन्हीत करने वाले पत्थरों की सफाई करते थे और गांव सिमा पर से फायर लाईन भी निकालते थे। यह काम करना पुरे गांव की जिम्मेदारी थी।

१९५० मे जमिनदारी नष्ट हुयी। १९५४-५५ मे निस्तार चौकशी हो कर गांव सिमा के अंदर का निस्तार वन एवं चारागाह भी वन विभाग को सौप दिये गये। तब से पत्थर सफाई और गांव सिमा पर से फायर लाईन निकालने की जिम्मेदारी गांव की नही रही। गांव सिमाओ की स्मृती धुमिल होती गयी। नई पीढी को तो उसकी जानकारी तक नही रही।

१.४.३. सबकुछ सरकारी गांव भिकारी -

लोगो की याददाश्त के अनुसार पहले सभी वन और जमिन जमिनदार के थे और बादमें वे सरकार के हो गये। लोगो में पहले भी यह भावना नही थी के "ये हमारे है" और आज भी नही है। पहले और आज भी उपभोग के ही अधिकार है। फर्क इतना हुवा है की पहले सरकार और जमा...

इतनी हावी नही थी। तंत्र इतना जटील और सर्वसत्ताधिश नही था। जमिनदार का हिस्सा एक बारगी उसे दे देना और प्रथाअनुसार बेगारी करना इतना करने पर गांवो को और लोगो को काफी छुट थी। व्यापारी और औद्योगिक उपयोग भी इतना नही था।

आजादी के बाद सरकारी निती और राज्यतंत्र ने वनों के साथ गांव तथा लोगो के जो परपरागत संबंध थे उन्हे तोडा। अपने ही घर आंगन में, जो काम वे पिढीयो से करते आ रहे थे वही करने पर भी वे चोर बन गये। और जो ट्रको में भर भर कर यहां की धन संपत्ती ले गये वे बन गये सिपाही।

राज्यकर्ताओं जैसी जिवन पध्दती के आकर्षण ने लोगो को अपनी मुल संस्कृती से सिर्फ तोडा ही नही उस के प्रति एक हिन भाव भी पैदा किया। सब सरकार का है और सब कुछ सरकार ही करनेवाली है ऐसा वातावरण तैय्यार किया गया लोगो ने अपनी सारी सत्ता केंद्रित तंत्रे को सौंप दी या छिन लेने दी। सबकुछ सरकारी और गांव तथा लोग भिकारी हो गये।

ऐसा होने के लिए जितने दोषी सरकारी और केंद्रीत राज्य तंत्र है, उतने ही दोषी लोग भी है। इससे बाहर निकलकर ग्राम स्वराज्य की दिशा में आगे बढने के लिए दोनो ओर से बदलाव की प्रक्रिया तेज होनी होगी। सिर्फ सरकार के दायरे में ही नही लोगो के दायरे में भी क्या हो ? इस पर सोचना होगा।

१.५ हमारी (लोगों की) और सरकार की गलतियां।

अध्ययन कर्ता ने इस संबंध में कुछ गांवो में सिधे लोगो के साथ तथा कुछ सरकारी अधिकारी और कुछ लोक प्रतिनिधीयो के साथ भी चर्चा करने की कोशीश की। जिसमें से "पर्यावरण" तथा "निस्तार हक" के संदर्भ में जो चर्चा हुयी उसके निष्कर्ष निम्न थे।

१.५.१. पर्यावरण

एक ओर बहुसंख्य लोगो की गरीबी और बेरोजगारी बढ रही है, उनके जीने का आधार प्राकृतीक संसाधन - जंगल, मिट्टी, पानी, हवा और खनिजो का नाश हो रहा है तो दुसरी ओर कुछ थोडे से लोगो की अमीरी दिन ब दिन बढती ही जा रही है और उनके उपभोग मर्यादाहीन हो गये है। बहुसंख्य सजीवों की जीवनावश्यकताओं को नकार कर कुछ लोग गुलछर्रे उडा रहे है। पैसा, सत्ता और संपत्तीपर अधिकार को ही महत्व प्राप्त हो कर उसके लिए "पागल दौड" जारी है।

धरतीपर का हरीत आवरण, वन तेजी से नष्ट हुये है, अन्न, जलावन और चारे की समस्या दिन ब दिन अधिक कठीन होती जा रही है। बरसात अनियमीत हो रही है, जलचक्र अस्तव्यस्त हो गया है। दो से ढाई हजार सालो मे तैय्यार होने वाली मिट्टी तेजी से नष्ट हो रही है। कृषी और वन पर जीने के लिए निर्भर लोगों को न्युनतम जीना भी असंभव होता जा रहा।

कृषी, वन, प्राकृतीक संसाधन, ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों की लूट पर आधारीत विकास निती के कारण देश का आर्थिक आधार ही कमजोर हो गया है।

अ) हमारी (लोगोकी) गलतीयाँ।

* सब कुछ सरकारकाही है और जो कुछ करना है वह सरकार ही करनेवाली है ऐसा हमे कहा गया और हमने भी उस पर भरोसा रखा इतनाही ही नहीं हमें कुछ करने की जरुरत नही हमारे लिये कोई सब कुछ करनेवाला है इस [illegible] लालच में हम फंस गये।

* जिस जगह सभी एक साथ बैठकर बार बार निर्णय ले सकते है ऐसे मोहल्लो या गांव को प्रभावी राजनितीक संस्था बनाने की हमने कभीभी कोशीश नहीं की। उलटे हमारे लिए हम ही निर्णय लेने के अधिकार अपने हाथ में ना ले कर वे दुसरे के हाथो हमीने सौंप दिये। और फिर वे हमारे लिए कुछ नहीं करते ऐसी शिकायत करते बैठे।

* गांव में की जातिय, आर्थिक और लैंगीक विषमता दुर कर गांव या मोहल्ले की अत्युच्च मानवी शक्ति प्रकट करने के लिए सामुहीक पराक्रम नहीं किया।

* अमर्याद उपभोगवादी संस्कृती के झूठे आकर्षण के भुलावे में आकर प्रकृती के साथ तालमेल रख कर जीने की हमारी जीवन पध्दती के अच्छे सांस्कृतीक [illegible] को हमने त्याग दिया।

* वन और प्राकृतीक संसाधन याने मौजमजा कर उडाने के लिए मिली इस्टेट नहीं तो आनेवाले पिढीयों की हमारे पास रखी धरोहर है इसका ख्याल हमने नहीं रखा। और गलत पध्दतीसे उसका उपयोग कर आगेकीही नहीं इस पिढी के भविष्य को भी गंभीर संकट में धकेल दिया है।

* बालक बनकर प्रकृती माता का दुध पीने की जगह उसका खुन पी कर उसी की जान लेने पर हम आमदा हो गये है। एक तो इस दुष्कृत्य में हम प्रत्यक्ष सहभागी है या उसका विरोध ना कर अप्रत्यक्षत: सहकार्य कर रहे है।

ब) सरकार ने क्या गलतियाँ की !

* सभी वन सरकार की मालकीयत बना कर तथा उन्हे वनविभाग को सौंप कर लोगो के और वनों के परंपरागत, सांस्कृतीक आत्मिय संबंधो को तोड दिया।

* अधिकतम मुद्दो पर गांव को निर्णय के अंतीम अधिकार न दे कर लोगों के जिम्मेदार राजनितीक सहभाग की संभावनाही खत्म कर दी।

* अंग्रेजो ने उनके हित के लिए बनाई वन निती और कार्यपध्दतीही आगे शुरू रख कर कृषी, वन और आदिवासी क्षेत्रो के [illegible]

अधिक मजबूत किये।

* लोगो की गरीबी और बेरोजगारी तथा प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान, इनके लिये एक दुसरे पर असर डालने वाले संबंधोका कभी विचार नही किया।

* सभी की जीवनावश्यकताएँ पूर्ण करने का ध्येय प्राथमिकता के साथ कभी स्विकारा नही गया।

* सबसीडी, छुट, और सुविधाएँ दे कर एक ओर लोगो को भिकारी और परावलंबी बनाया तो दुसरी ओर उन्हीका उपयोग कर सभी संसाधन कुछ थोड से लोगो के हाथ मे सौंप दिये। "सबकुछ सरकारी और लोग भिकारी" ऐसी लाचारी की भावना लोगो में निर्माण की।

* कृषी, वन, खनिज, मानवी श्रम एवं बुध्दी इत्यादी प्राकृतिक संसाधनों के शोषणपर आधारीत केंद्रित उद्योग और राज्य पध्दती का अवलंब कर पर्यावरण की अपरिमीत हानी की।

१.५.२ निस्तार हक

सरकारी कानुन और २० सुत्री कार्यक्रमसे मे व्यक्त होने वाली शासकीय भूमिका इन दोनो के अनुसार गडचिरोली जिले के लोगो के परंपरागत निस्तार हक जैसे के वैसे है ऐसा कहा जाता है। लेकिन फिरभी दिन ब दिन उन अधिकारों का संकोच क्यों होता गया ? हमें निस्तार की चिठ्ठी क्यों नही मिलती ? उन्हे वहांसे क्यों नही ला सकते ? निस्तारवन क्यों उजड रहे है ?

अ) हमारी (लोगोकी) क्या गलतियाँ हुयी।

* १९५३ से ५५ तक निस्तार चौकसी हुयी तब जागृत रहकर हम उसमें सहभागी नही हुये।

* निस्तर हक जहां लागु है ऐसे वन गांव के अधिकार में होने चाहिए ऐसी मांग ही नही की फिर आग्रह करना तो दुर ही रहा। सरकार ने ऐसे वनो के व्यवस्थापन एवं उपयोग के बारे में अनेक परिवर्तन किये लेकीन उनपर विचार कर वे योग्य या अयोग्य सो तय कर हमारी राय का सामुहीक प्रकटीकरण नही किया।

* गलत या सही ऐसे जो निस्तार पत्रक तैय्यार किये गये उनकी हमने कभी भी जानकारी नही कर ली।

* हक के रूप में निस्तार मिलना चाहिऐ इसलिए आग्रह न करते हुये चोरी का रास्ता स्विकार लिया। दुसरे का कुछ भी हो मेरी सध गई याने हो गया ऐसा दृष्टीकोन रख कर बर्ताव किया। वन विभाग के कर्मचारियों ने भी आर्थिक भ्रष्टाचार के लिए चोरी को बढावा दिया। हमने भी उनकी भी साथ दी।

* हमारे निस्तार हक के वनों में भी ठेकेदार और सरकार ने जंगल कटाई की तब हमने उसका विरोध नही किया। उलटे नगदी पैसो के लिऐ हमी ने खुद उन्हे अपना जंगल काट कर दिया और ट्रको में भर कर यहां से ले जाने के लिये भी मदद की।

* तात्कालीक संकुचित स्वार्थ के लिए हमारे खुद के भविष्य का या आगे आनेवाली पिढीयों के हकों का भी विचार हमने नही किया।

ब) <u>सरकार की गलतियाँ</u>

निस्तार चौकसी अधिकारीयोंने हर एक गांव में जा कर गांव बैठक लेकर निस्तार संबंधी पुछताछ नही की। अनपढ गांव वालो को पुछताछ में सहभागी कर उनकी राय अपेक्षाऐं इत्यादी नोट करने की कोई कोशीश नही की गयी। उलटे अनपढ गांववाले सहभागी ना हो सके ऐसी कार्यपध्दतीका ही अवलंब किया गया।

* तैय्यार किया गया निस्तार पत्रक कभी भी गांववालो को समझाकर नहीं बताया गया। निस्तार पत्रक और नक्शे कगजों में ही रह गये प्रत्यक्ष में उनका चिन्हीकरण (डिमोर्केशन) भी कभी नही किया गया। जिस कारण अपना निस्तार हक का जंगल कौनसा है इसकी जानकारी ही लोगोंको कभी मिली नही। इतनाही नही तो वह जमिनपर कहां है इसकी निश्चीत जानकारी खुद संबंधीत सरकारी विभागोंको भी नही है।

* ऐसे निस्तार हक वाले वनों के वैज्ञानिक व्यवस्थापन की दृष्टी से दिखावे के लिए भी कार्ययोजना (वर्कींग प्लॅन) नही तैयार की गई। निस्तार वनों की उपयोगिता बनी रहें इसलिए उनके सक्रिय इस्तेमाल के लिए भी कोई योजना नही बनायी गयी।

* दुर दृष्टी से निस्तार हक लागु है ऐसे वनोंका लोगो के सहयोग से नियोजन तथा व्यवस्थापन के लिए कभी कोई कोशिश नही की गयी।

* प्रतीव्यक्ति, घर, जनावर, खेती या औजार लोगो की निस्तार संबंधी आवश्यकताऐं और उसके लिए आवश्यक वनभूमि क्षेत्र का निर्धारण इस संबंध में निर्णय लेते वक्त किसी भी वैज्ञानिक पध्दती का अवलंब नही किया गया। अवैज्ञानिक पध्दतीसे तय किये गये पैमाने लोगो पर लादे गये।

* एक और लोगो के निस्तार हको को प्राधान्य ना देते हुये नगदी पैसो के रूपये मिलने वाले राजस्व को ही महत्त्व दिया गया तो दुसरी ओर उद्योगपतीयों को कच्चेमाल की किंमत में दिर्घकालीन बडी छुट दे कर राजस्व और प्राकृतीक संसाधनों का भी बडा नुकसान किया गया।

* निस्तार हक लोगों को मिलते रहे इसलिए सुयोग्य व्यवस्था ना करते हुये फारेस्ट सेटलमेंट की कागजी कार्यवाही के आधारपर संरक्षित वन घोषीत करने की अत्यंत गलत कार्यवाही की गयी थी।

ड) आशा का आखरी धागा - निस्तार हक की जड़े अभी भी लोगों के दिल-दिमाग में जिंदा है। इस क्षेत्र का कोई चुनाव नही जो निस्तार हको की परिपूर्ती के लिए आश्वासन दिये बगैर हुवा हो। इतना ही नही १९४७ में आजादी का जो मतलब लोगों को समझाया गया था और जो समझ में आया था वह इतना ही था कि - "आजादी मिलेगी याने जंगल और जमिन लोगों की हो जायेगी। निस्तार हको के लिए किसी को बेगार नही करनी पड़ेगी।" निस्तार हक इस क्षेत्र में एकमात्र ऐसा व्यापक मुद्दा है जो लोगो की संवेदनाशिलता को छुता है। हमारे पास उपलब्ध ऐसा धागा है जिससे शुरु कर लोगो के वनों के साथ आत्मिय संबंधो की पुनर्स्थापना की जा सकती है।

१.६ ग्राम स्वराज्य की दिशा में एक कदम -

ग्राम स्वराज की दिशा में सबसे पहला कदम गरीबों और गांवो का मानवी अधिकारो के लिए उपर उठना होगा। मानविय आवश्यकतानुसार सभी को कम से कम रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और इज्जत हथियाने ही होंगे। और जो खुद गरीब नही है ऐसे लोगों को और जो गांव नही है ऐसी सभी प्रातिनिधिक संस्थाओं का प्रथम कर्तव्य होगा गरीबों तथा गांवो को इस काम में मदद कर उनका और खुद का भी आत्मवि-श्वास और आत्मसम्मान बढ़ाना।

१.६.१ कमजोर सरकार, लाचार व्यक्ति और दुर्बल गांव -

किसी भी प्रातिनिधिक सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी यह है की उस की ताकत स्वयंभू नही है। दुसरों की ताकत हथियाने से ही या कह सकते है कि - दुसरों ने अपनी ताकत उन्हे सौपने से ही केवल उनकी ताकत बनती है। इस दृष्टी से व्यक्ति और गांव की ताकत स्वयंभू है, लेकीन आज दोनो ही अत्यंत कमजोर है और उन में आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की भी कमी है। लोगो की सबसे बड़ी कमजोरी है अपनी ताकत का इस्तेमाल खुद नही करना, उसे दुसरों को सौंप देना और फिर उन्ही से कुछ पाने की अपेक्षा करते रहना। लोग और गांव इसी तरह लाचार और दुर्बल बने रहे इसी में सभी प्रातिनिधिक सरकारो तथा शासक वर्ग का हितसंबंध है।

१.६.२ बात गरीब की काम अमीर का -

यही कारण है की सभी प्रातिनिधीक सरकारे जनकल्याण और उस में भी खास कर गरीब, दलीत, पीडीत, शोषीत, आदिवासी, हरिजन, औरत, किसान, खेतिहर मजदुर इत्यादी के लिए ही काम करने की घोषणाएं जोर शोर से करते है। और लोगो की कमजोरी का लाभ -

उठाती रहती है। कुशल राजनितिक (?) की एक व्याख्या यह भी होने लगी है कि जो बोले उससे ठिक उलटा करे और फिर भी अपना प्रतिमा को जनमानस में सफलता के साथ ज्यों के त्यों बनाये रखे सका। इससे भी लोगोंकी कमजोरी ही जाहिर होती है।

१. ६. ३ सक्षम होने का दिखावा

सभी प्रातिनिधीक सरकारों की और एक बड़ी कमजोरी है कि-वे कोई मूलभूत समस्या नहीं सुलझा सकती। उदाहरणार्थ गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक और सामाजिक विषमता, सांप्रदायिक तनाव, भ्रष्टाचार, पर्यावरण असंतुलन, अशांती, हिंसा, युद्ध इत्यादी। लेकीन उन्हे इन सब से निपटने के लिए सक्षम होने का दिखावा और दावा मात्र करना जरूरी होता है। जिसके लिए वे हिंसा, आतंक और दमन का सहारा लेती है।

१. ६. ४ अपनी सत्ता अपने हाथ

गरीब, शोषीत, पीडीत व्यक्ति और गांव अगर प्रातिनिधीक सरकार की कमजोरी और अपनी शक्ति का एहसास करे तो ग्राम स्वराज की दिशामें एक एक कदम आगे बढ़ सकते है। इस तरह से गांव, पाडा, टोला या मोहल्लो ने अपनी सत्ता अपने हाथ लेने में ही विश्व कल्याण है इसमें तिलमात्र भी संशय नही।

सत्ता कोई ठोस वस्तू नही कि गये, छिन कर लाये और रख दी लाकर में। सत्ता के संदर्भ में "छिनना" तथा "लाकर" के गहरे एंव सुक्ष्म अर्थोंको पहचानने के लिए मुद्दों को ले कर ही बात करनी होगी। पिछले वर्षों में इस संदर्भ में उभर कर आ रहे कुछ मुद्दे ऐसे है।

× <u>काम का अधिकार</u> - हर एक व्यक्ति को मांगनेपर निश्चित कालावधी के अंदर उत्पादक रोजगार और उसके मुआवजे के रूप में इतनी मजदूरी कि जिससे उसकी न्यूनतम जीवनावश्यकताएं पुरी हो सके, प्राप्त करने का संवैधानिक मूल अधिकार और उसकी पूर्तता के लिए सुयोग्य कानून एवं कार्ययोजना।

× <u>गांव की सत्ता गांव के हाथ</u> - अपने सुनिश्चित पर्यावरण - जमिन, मिट्टी, पानी, वन, चारागाह, खदाने, खेत, गांव, मकान, पशु, पक्षी शारीरीक एवं बौद्धिक श्रम, वातावरण और विकास के संदर्भ में निर्णय तथा अंमल करने का अधिकार एवं क्षमता।

× <u>ग्राम स्तर पर एकात्मिक नियोजन</u> - विभिन्न घटकों के परस्पर संबंधो को पहचान कर उनके समन्वय के साथ गांव को आधारभूत इकाई मान कर ग्राम सभाद्वारा संपूर्ण नियोजन।

× जानकारी का अधिकार।

× कृषी उपज को उत्पादन खर्च पर आधारीत योग्य दाम।

× गौण वनोपज की पुरी किंमत इकठ्ठा करने वालों को।

× अच्छा पर्यावरण - सिर्फ अपने लिए ही नही, भविष्य में आने वाली पिढीयों के लिए भी।

× प्राकृतिक संशाधनोंपर सभी का समान अधिकार।

ये सभी मुद्दे परस्परावलंबी और एक दुसरे से जुडे हुये है। किसी एक मुद्दे से भी अगर बात शुरु होती है तो अनिवार्यत: अन्य मुद्दों पर भी विचार करना ही पड़ता है।

इन में से किसी एक मुद्दे या उसके अंश को लेकर भी बात शुरु हो सकती है। स्थानिक परिस्थिती अनुसार उभरे मुद्दे को लेकर लोग और गांव ग्राम स्वराज कि दिशामें एक एक कदम उठा सकते है। इन मुद्दों के संदर्भ में सत्ता का एक एक अंश हस्तगत करते हुये आगे बढ सकते है।

1.6.5 छोटे और सुरक्षित कदमों से आत्मविश्वास प्राप्ती

हर एक व्यक्ति और गांव की एक अंगभुत क्षमता तो निश्चित होता है। लेकीन कमी होती है जानकारी, आत्मविश्वास, सहभागी अध्ययन, निर्णय, कृती और फिर उसके मुल्यांकन से सिखने के प्रक्रिया की।

छोटे और सुरक्षित कदमों से ही वह आत्मविश्वास प्राप्त किया जा सकता है, जिसके बलपर आगे छलांग भी लगाई जा सकती है। इसी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा - सरकारी निर्णय और कार्यक्रमों में ऐसे मौकों की लगातार तलाश की जहां हम (लोग) हमारी सत्ता अपने हाथ ले सकते है। निश्चित है की ऐसी जगह पर व्यवस्था अंमल के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक नही होगी, लेकीन अगर लोग उस पर अंमल करना या कराना चाहे तो सिधे विरोध भी नही कर पायेगी। ऐसे मौकों पर लोगों का पक्ष अधिक नैतिक होगा जब की सरकार का अनैतिक।

1.6.6 ऐसा ही एक मौका: श्रमशाधिका

महाराष्ट्र की रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रमसाधिकार। ग्राम विकास कार्यक्रम में ऐसा ही एक मौका उपलब्ध हुआ है।

इस कार्यक्रम के तहत जो भी काम की योजना बनायी जायेगी उसे ग्राम सभा (ग्राम पंचायत नहीं) के २/३ बहुमत से मंजूरी की आवश्यकता होगी। यह वह जगह है जहां लोग या गांव अपने नियोजन में सहभागी और निर्णायक हो सकते है। मृदसंधारण अधिकारी द्वारा बनाई गयी सरकारी योजना को पुरा नकार कर उसमें संपूर्ण परिवर्तन भी कर सकते है।

सिर्फ नकारना तो सरल होगा, लेकीन उसी से जुड़ कर यह जिम्मेदारी भी आयेगी की ऐसा ना हो तो फिर क्या और कैसे हो ? यह बताने की। जिस के लिए गांव को सामुहीक प्रयत्न करने होंगे। जिसमें अन्य सभी सहाय्यक हो सकते है, लेकीन मुख्य काम तो गांव को ही करना होगा।

१.६.७ ग्राम सभा अंतर्गत उपयुक्त संरचनाएँ

गांव के संदर्भ में ग्राम सभा सर्वोच्च निर्णायक समूह होगा। गांव के १८ साल के उपर के सभी प्रौढ व्यक्ति मिलकर ग्राम सभा बनेगी, जिसमें सभी की समान हैसियत होगी। ग्राम सभा द्वारा जिस काम की अपेक्षा है वह अच्छीतरह हो इसलिए निम्न संरचनाएँ उपयुक्त हो सकती है।

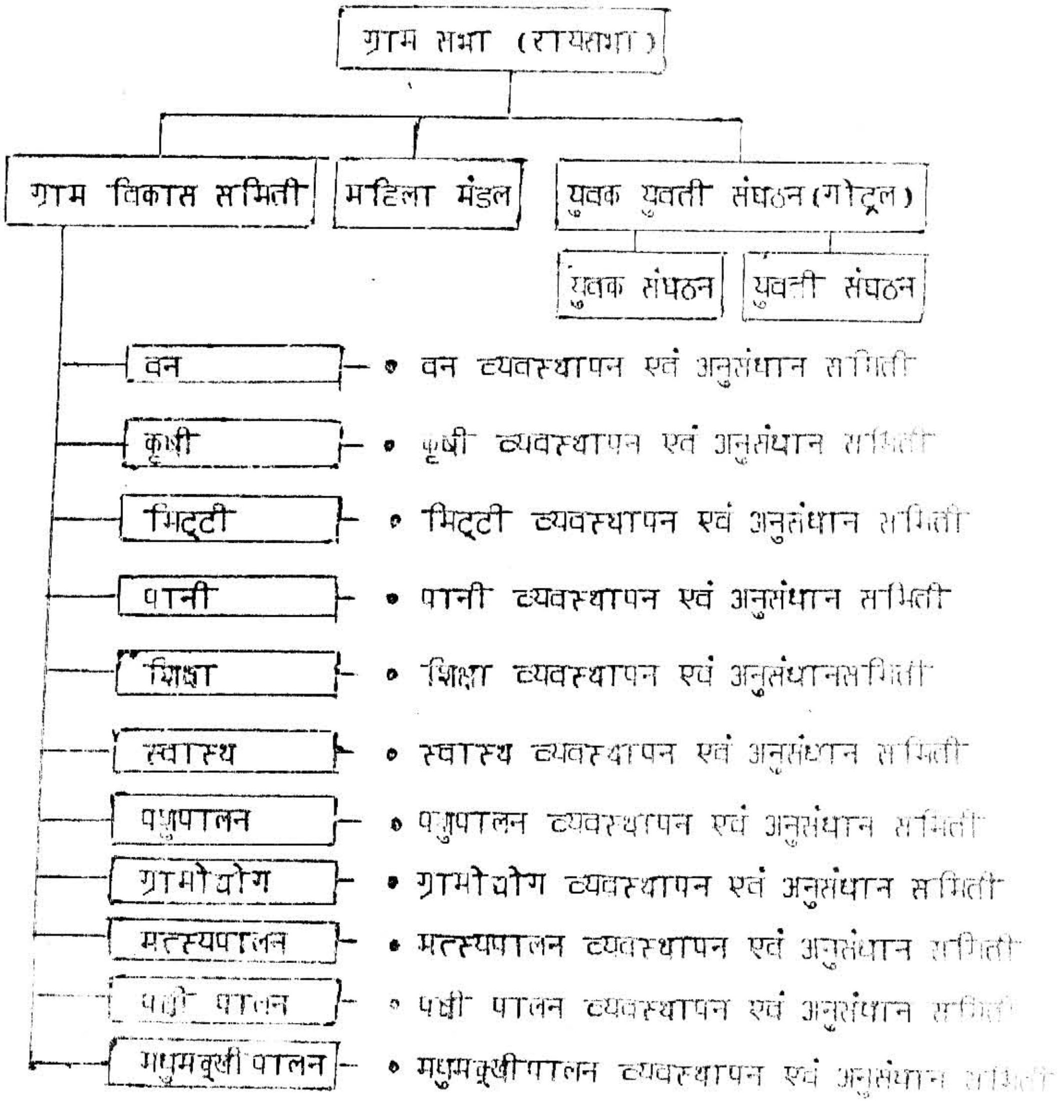

रायसभा = गोंड आदिवासी, गोंडी भाषा में ग्राम सभा को ही रायसभा कहते है।

गोटुल = गोंड आदिवासी युवक युवतियों का सामाजिक और सांस्कृतिक सांस्कृतिक संस्था।

१.६.८ गांव रोजगार गारंटी और विकास एवं अनुसंधान योजना

ग्राम सभा अपनी सभी पुरक संरचनाओं की सहायता से गांव रोजगार गारंटी और विकास योजना को अंतिम रूप देगी। जिसके दो पुरक हिस्से होंगे।

(१) <u>गांव रोजगार गारंटी योजना</u> - जिसमें जिन्हे लंबे समय तक स्थायी रोजगार चाहिए और जिन्हे मात्र अल्पकालीन अस्थायी रोजगार चाहिए ऐसे दो हिस्सो में विचार करना होगा। स्थायी रोजगार के लिए दिर्घकालीन योजना बनानी पड़ेगी। जब की अस्थायी रोजगार विकास योजना के अन्य कामों से ही उपलब्ध हो सकेगा।

(२) <u>गांव विकास योजना</u> - ग्राम सभा की सभी घटक संरचनाएँ अपने अपने विषय क्षेत्रों की विकास एवं अनुसंधान योजनाएँ बनायेंगी। उनमें समन्वय साधकर उन्हे अंतिम रूप देने का काम ग्राम सभा करेगी। अंमल की जिम्मेदारी भी संबंधीत संरचनाओं की ही होगी।

१.७ प्रश्न है।

प्रश्न है हमारी (लोगों की तथा गांव की) क्षमता और कृती का ? हम अकेले अलग अलग छोटे समुहों में और एक साथ मिलकर बड़े समुह में क्या कर सकते है ? इसका। क्या हम किसी काल्पनिक अनुकूल परिस्थिती के प्रत्यक्ष में आने की राह देखते बैठेंगे ? प्रातिनिधी सरकारों से ही कुछ करने की अपेक्षा और मांग करते रहेंगे ? या जो और जैसी है उस परिस्थिती में भी जो मौका हमें उपलब्ध है उसका इस्तेमाल करते हुये अपनी क्षमता, आत्मविश्वास और आत्मसन्मान बढ़ाते जायेंगे ?

—— o ——

सहपत्र क्र. ड-१

गांवों की जनसंख्या अनुसार तालुकावार वर्गिकरण

गडचिरोली जिला

(जनसंख्या - सौ में)

अनु. क्र.	जिला/तहसिल	बस्ती है ऐसे गांव							
		२०० से कम		२०० से ४९९		५०० से ९९९		१००० से १९९९	
		संख्या	जन संख्या	संख्या	जन संख्या	संख्या	जन संख्या	संख्या	जन संख्या
१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.	८.	९.	१०.
	गडचिरोली जिला	७०५	६६३	४५०	१४४८	२३७	१६८७	९०	११७९
१	गडचिरोली तहसिल	४१	३६	१५	४६	२५	१८५	१८	२३२
२	आरमोरी तहसिल	२७	१९	३६	१२३	३५	२५९	१८	२५२
३	चामोर्शी तहसिल	६२	६७	८४	२९२	६८	४७८	२२	[illegible]
४	धानोरा तहसिल	१६८	१५५	७०	२२२	१५	९४	६	३१
५	कुरखेडा तहसिल	९२	९६	६६	२१०	३२	२३८	१०	१२६
६	अहेरी तहसिल	९५	९१	५६	१८६	२६	१८३	११	१३१
७	एटापल्ली तहसिल	१८४	१६९	८४	२३४	२१	१४६	१	२२
८	सिरोंचा	३६	३०	३९	१३५	१५	१०४	४	५०

* जानकारी आधार - गडचिरोली जिला आर्थिक एवं सामाजिक समालोचन १९८८-८९

* जानकारी १९८१ जनगणना पर आधारीत है।

सहपत्र क्र. ड-१

गांवों की जनसंख्या अनुसार तालुकावार वर्गिकरण

गडचिरोली जिला (जनसंख्या - सौ में)

अनु. क्र.	जिला/तहसिल	बस्ती है ऐसे गांव							
		२००० से ४९९९		५००० से ९९९९		१०००० और ज्यादा		कुल	
		संख्या	जन संख्या	संख्या	जन संख्या	संख्या	जन संख्या	संख्या	जन संख्या
१	२	११	१२	१३	१४	१५	१६	१६	१७
	गडचिरोली जिला	२५	७४८	४	२६५	२	२२७	१५[illegible]३	६२८५
१	गडचिरोली तहसिल	३	७९	-	-	१	१०८	१०३	६८६
२	आरमोरी तहसिल	९	२९५	-	-	१	११९	१२८	[illegible]
३	चामोर्शी तहसिल	५	१८०	१	८०	-	-	२७२	[illegible]
४	धानोरा तहसिल	२	२७	-	-	-	-	२६१	[illegible]
५	कुरखेडा तहसिल	२	५९	-	-	-	-	२०२	७४९
६	अहेरी तहसिल	-	-	२	१३२	-	-	१९०	[illegible]
७	एटापल्ली तहसिल	१	२९	-	-	-	-	२९१	६००
८	सिरोंचा तहसिल	३	९९	१	५३	-	-	९८	४७१

* जानकारी आधार - गडचिरोली जिला आर्थिक एवं सामाजिक समालोचन १९८८-८९

* जानकारी १९८१ जनगणना पर आधारीत है।

जनजाती के तथा ४३,७१८ अनुसूचित जाती के है। कुल संख्या के ३९.३१ प्रतिशत अनुसूचित जनजाती के और ६.८५ प्रतिशत अनुसूचित जाती के लोग यहां बसते है। अनु.जाती और जनजाती के मिलाकर कुल जनसंख्या का ४६.१६ प्रतिशत हो जाते है। जिले की तिनो विधान सभा सदस्य सिटें अनुसूचित जनजाती के लिए आरक्षित है।

७.४ काम करने वाले -

१९८१ की जनगणना अनुसार जिलेमें २,८८,०६२ इतने व्यक्ति मुख्य काम करने वाले है। ५४,७४४ व्यक्ति सिमांतक काम करने वाले और शेष २,९४,५३० व्यक्ति काम न करने वाले है। इनका कुल जिले की जनसंख्या से अनुपात क्रमश: ४५.१९%, ८.५८% और ४६.[illegible]% है। मुख्य काम करने वालों में से ८६.०१ प्रतिशत किसान और खेतिहर मजदुर है। १.८४ प्रतिशत घरेलु उद्योग, उत्पादन प्रक्रिया, दुरुस्ती सेवा इ.मं. है तो १२.१५ प्रतिशत अन्य व्यवसायों में है। मुख्य काम करने वालों में से ५९.६५ प्रतिशत रोगायो मजुदुरों के रूप में पंजिबध्द है।

८ पालतु पशु और पक्षी संख्या

१९८२ में की गई पशु गणना के अनुसार जिले में कुल पालतु जनावरों की संख्या ७,७३,२३४ है। जिस में से ५,०३,६२० याने की कुल पशुओं के ६५.१३ प्रतिशत गाय और बैल, ५८,४९९ (७.५६ %) भैंस तथा भैंसे, १,६६,३६३ (२१.५१%) बकरी तथा भेडें थी। पशुओं की घनता प्रति चौ.कि.मी. ५० जानवर इतनी है।

इस जिले में बहुतांश पारंपारीक ढंग से ही मुर्गी पालन होता है। १९८२ की पशुगणनानुसार जिले में कुल मुर्गियों की संख्या ५,३८,६६१ है। तहसिलवार पशु पक्षियों की जानकारी के लिए कृपया तालीका क्र. ब-१३ देखे।

९ मत्स्यव्यवसाय

मत्स्योत्पादन के लिए गडचिरोली जिले में कुल ७५०२ हेक्टर जलक्षेत्र उपलब्ध है। जिसमें सिंचाई विभाग के २३ तथा जिल्हापरिषद के १६७३ तालाबों का समावेश है। जिसमे से १०४ तालाब बारमाही है।

जिले में से बहने वाली नदियाँ भी मत्स्योत्पादन के लिए उपयुक्त है। जिले में कुल ६५ सहकारी मच्छिमार संस्थाएं तथा उनके ६७२१ सदस्य है।

१९८८-८९ में १६९६ मेट्रिक टन मछली पकडी गयी जिस की किंमत २०३.५ लाख रुपये थी ८५.५१ लाख रुपये के मत्स्यबिजों का वितरण किया गया।

१० बि ज ली

१०.१ बिजली उपयोग -

अनु. क्र.	उपयोग	गडचिरोली जिला ८८-८९ (हजार कि. वॉ. घंटे)	प्रतिशत %	महाराष्ट्र राज्य प्रतिशत ८७-८८ %	८८-८९ %
१.	घरेलु	५०२०	३३.५८	१६.०२	१५.७[illegible]
२.	वाणिज्य और लघु शक्ति	२६०४	१७.४२	७.२३	७.०४
३.	उद्योग	४५९३	३०.७२	५०.६३	४८.५६
४.	कृषि	१८८	१.२५	१८.६९	२०.१२
५.	सार्वजनिक दिवाबत्ती	१०८४	७.२५	१.०४	०.९५
६.	रेल्वे कर्षन	-	०.००	२.६९	३.५९
७.	अन्य	१४५८	९.७५	३.६६	३.९१
	कुल -	१४,९४७	१००.००	१००.००	१००.००

१०.२ २,५०,२७९ हजार कि. वॉ. घंटा बिजली प्रतिवर्षचोरी -

गडचिरोली जिले की जनसंख्या महाराष्ट्र राज्य की कुल जनसंख्या का १.०१ प्रतिशत है। बिजली एक प्राकृतिक संसाधन से उत्पादित संसाधन है। सभी प्राकृतिक संसाधनोंपर हर एक व्यक्ति का समान अधिकार यह न्याय तत्त्व अगर हम मानते है तो - महाराष्ट्र राज्य में उपयोग में लायी जाने वाली कुल बिजली का १.०१ प्रतिशत हिस्सा तो गडचिरोली जिले को मिलना ही चाहिये। लेकीन प्रत्यक्ष में मिला कितना ?

समुचे महाराष्ट्र राज्य में १९८८-८९ वर्ष में कुल बिजली उपयोग मे लायी गयी - २,६२,६०,००० हजार कि.वॅ.घंटा। जिसमें से गडचिरोली जिले के हिस्से में आयी सिर्फ १४९४७ हजार कि.वॅ.घंटा। मतलब सिर्फ ०.०५ प्रतिशत। जिसका अर्थ हुवा १९८८-८९ वर्ष में गडचिरोली जिले के हिस्से की २,५०,२७९ हजार कि.वॅ.घंटा बिजली चोरी हो गयी। जो, जितनी बिजली मिलनी चाहिए थी उसका ९४.३६ प्रतिशत है।

10.3 <u>५७,२२,००० हजार कि.वॅ.घंटा बिजली का तो हिसाब ही नहीं</u> -

१९८८-८९ वर्ष में महाराष्ट्र राज्य ने अन्य राज्यों से ४६१००० हजार कि.वॅ.घंटा बिजली खरीदी। और १३१५००० हजार कि.वॅ. घंटा बिजली अन्य राज्यों को बेची। मतलब १३१५०००-४६१००० = ८५४००० हजार कि.वॅ.घंटा बिजली बिक्रि हुयी। इस में महाराष्ट्र राज्य में १९८८-८९ वर्ष में कुल उपयोग में लायी गई बिजली जोड दे तो आँकडा हो जाता है, २,७१,१४,००० हजार कि.वॅ.घंटा। यह आँकडा कुल अन्य राज्यों को बिक्रि तथा राज्य में उपयोग कि गयी बिजली दर्शाता है। १९८८-८९ वर्ष में महाराष्ट्र राज्य में कुल ३२८३६००० हजार कि.वॅ. बिजली का उत्पादन हुवा। जिसमें से कुल उपयोग + बिक्रि का आँकडा घटा देने पर ५७,२२,००० हजार कि.वॅ.घंटा बिजली बच रह जाती है। जिसका क्या हुवा सो कोई हिसाब ही नहीं है। यह आँकडा कोई छोटा आँकडा नहीं। ८८-८९ वर्ष में गडचिरोली जिले में जितनी कुल बिजली इस्तेमाल की गई उसके ३८२.८१ गुना बडा यह आँकडा है। मतलब आज की दर से गडचिरोली जिले जैसे ३८२ जिलों को जितनी बिजली लगती उतनी यह बिजली है। इस बिजली में भी गडचिरोली जिले का १.०१ प्रतिशत हिस्सा है जो ५७७९२.२० हजार कि.वॅ.घंटा बिजली इतना होता है।

10.४ <u>गडचिरोली जिले के ८१.४३ प्रतिशत से ज्यादा घरों मेंबिजली नहीं।</u>

गडचिरोली जिले में कुल २२,६४८ बिजली के कनेक्शन्स् है। जिनमें घरेलु, वाणिज्य, उद्योग, कृषि इ. सभी कनेक्शन्स शामिल है। सिर्फ घरेलु कनेक्शन्स् कितने है सो आँकडा नहीप्राप्त हो सका, इसलिए थोडी देर के लिए हम मान लेते है की यह सभी घरेलु कनेक्शन्स् है। गडचिरोली जिले में कुल परिवार १,२२,००० हजार है। जिसमें से उपरोक्त कनेक्‌...

की संख्या घटा ने से कुल १९,३५२ परिवार ऐसे रहजाते है, जिनके घरों में बिजली कनेक्शन नही है। ऐसे परिवार कुल परिवारों का ८१.४३ प्रतिशत है। मतलब साफ है की निश्चित ही गडचिरोली जिलेमें ८१.४३ प्रतिशत से ज्यादा घरों में बिजली नही है।

संदर्भ - १) इकॉनॉमिक सर्व्हे ऑफ महाराष्ट्र १९८९-९०
२) गडचिरोली जिला सामाजिक और आर्थिक समालोचन १९८८-८९.

११ खनिज

११.१ परिस्थिती "जैसे थे"

गडचिरोली जिला सामाजिक और आर्थिक समालोचन १९८८-८९ में का निम्न परिच्छेद, सरकार का इस संबंध में का दृष्टीकोन और परिस्थिती समझ ने के लिए पर्याप्त है। सो ऐसा -

" इस जिले की दो विशेषताएँ है, एक तो विपुल वनसंपत्ती और दुसरी खनिज संपत्ती। इन दोनो संपत्ती का अगर पुरा पुरा उपयोग कर सके तो सच में इस जिलेका सारा चित्रही बदल जायेगा। लेकीन घने वनों से ढंकी जमिन के पेट में ही यह संपत्ती छिपी होने के कारण खदाने शुरू करते है तो वनसंपत्ती का नाश और वन संपत्ती का रक्षण करते है तो खनिज संपत्ती दुर्लभ ऐसी समस्या के कारण परिस्थिती "जैसे थे" है।"

११.२ १८० लाख टन लोह खनिज -

महाराष्ट्र में लोह खनिज सिर्फ गडचिरोली और सिंधुदुर्ग जिले में ही है। राज्य में कुल अंदाजित २३६ दसलाख टन लोह खनिज में से गडचिरोली जिले में १८० लाख टन उपलब्ध है। यह लोह खनिज सुरजागड, भागरागड और दमकोट वाडवी क्षेत्रों में बडी मात्रा में है। आरमोरी तहसिल में देवुलगांव के पास भी लोहखनिज है। सिर्फ देवुलगांव के पास खनिज खुदाई जारी है लेकीन अन्य जगहोंपर अभीतक खुदायी का कार्य प्रारंभ नही हुवा है।

११.३ अन्य खनिज -

लोह खनिज की तुलना में चुने के पत्थर यहां कम है फिर भी वे अच्छे दर्जे के होने के कारण उनका उपयोग सिमेंट बनाने के लिए हो सकता है। अहेरी तहसिल में देवलमारी और कोतेपल्ली, सिरोंचा तहसिल

में गिरीमुटम कोंडा, मसीगुड्डा, जमानूर, अंकिसा इन हिस्सों मे ये चुने के पत्थर पाये जाते है।

इसके अलावा क्वार्टझ तथा सिलीमा नाईट ये खनिज भी है। शुभ्र सफेद रंग का क्वार्टझ बडी मात्रा में चामोर्शी तहसिल में घोट गांव के पास उपलब्ध है। थोडी मात्रा में वह आलापल्ली के पास भी उपलब्ध है। लेकीन आलापल्ली के पासका क्वार्टझ् कुछ मैला है। इस क्वार्टझ् पत्थरों का उपयोग कांच बनाने के लिए होता है। सिलीमा-नाईट यह खनिज भी आलापल्ली के पास ही उपलब्ध हुवा है।

१२ उद्योग और रोजगार

१२.१ शून्य औद्योगिक जिला -

महाराष्ट्र का नवनिर्मित यह तिसवां जिला शून्य औद्योगिक जिला समझा जाता है। महाराष्ट्र के पश्चिमी सिरे पर बम्बई है और पूर्वी सिरे पर गडचिरोली। उद्योग के संबंध में भी ये दो सिरे ही है। वडसा देसाईगंज में स्थित पोरवाल पेपर मील छोड दे तो एक भी बडा या मध्यम उद्योग इस जिले में नही है। लघु उद्योगों में इस जिले में प्रमुखत: चावल की मिलें है। ईटे और कवेलु (टाईल्स) बनाने वाले तीन उद्योग इस जिले में है। सिमेंट पाईप और जालीयां बनाने वाले दो उद्योग है। तेलघानी, मीर्चकुटाई और स्टील फेब्रीकेशन जैसे उद्योग भी है लेकीन उनकी संख्या तीन से ज्यादा नही है। ये उद्योग मुख्यत: गडचिरोली, वडसाओर आरमोरी इन गांवों के आसपासही केवल है।

१२.२ उद्योगों में रोजगार -

जिले के विभिन्न उद्योगो में कुल रोजगार मार्च १९८९अंत में ७३८ है। जिसमें ६१८ निजी, ४३ सरकारी और ७७ अर्धसरकारी शामिल है। निजी क्षेत्र के उद्योग में कुल रोजगार का ८३.७३ प्रतिशत है। मार्च ८८ की तुलना में निजी क्षेत्र के रोजगार में ९.१८ प्रतिशत वृध्दी हुयी है।

अेम्प्लायमेंट अेक्स्चेंज के आंकडो के अनुसार १९८८ के आखीर में रजिस्टर में कुल उम्मीदवारोंकी संख्या २१४८२ इतनी है। जिनमें से केवल ३०६ व्यक्तीओं को ही आजतक रोजगार प्राप्त हो सका है।

शासन और प्रशासन

१३.१ शासन -

१३.१.१ लोकसभा - चुनाव क्षेत्रों के लिए जिले को दो क्षेत्रों में विभाजन किया गया है। जिले का गडचिरोली, चामोर्शी, धानोरा और सिरोंचा क्षेत्र चंद्रपूर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जोडा गया है तो आरमोरी और कुरखेडा को चिमुर लोकसभा क्षेत्र में शामिल किया गया है। १९९० के चुनाव मे चंद्रपूर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस (आई) के और चिमुर लोकसभाक्षेत्र से भाजपा के सांसद विजयी हुये है।

१३.१.२ विधानसभा - जिले में कुल तीन विधानसभा चुनाव क्षेत्र है। आरमोरी गडचिरोली और सिरोंचा तिनो क्षेत्र अनुसूचित जनजाती के उम्मिदवारों के लिए आरक्षित है। तिनो क्षेत्रों में मतदार तथा १९८५ में मतदान की स्थिती निचे अनुसार है।

अनु. क्र.	विधानसभा क्षेत्र	कुल मतदाता संख्या	मतदान करने वालों की संख्या			कुल मतदाता का प्रतिशत
			पुरुष	औरत	कुल	
१.	आरमोरी	१,२०,६४७	४१,१०६	३४,१९१	७५,२९७	६२·४१
२.	गडचिरोली	१,१८,७५१	३५,६५७	२८,६०९	६४,२६६	५४.००
३.	सिरोंचा	१,१०,५२५	३४,०९५	२६,९७३	६१,०६८	५५.२५
	कुल :५-	३,४९,९२३	११०,८५८	८९,७७३	२००,६३१	५७·३३

१९८५ के विधानसभा चुनावके समय आरमोरी और गडचिरोली चुनाव क्षेत्रो में बडे बांधो का भी एक मुद्दा बना था। बडे बांधो का समर्थन करने वाले उस समय के कांग्रेस (आई) के दोनो विधायकों को पराजीत कर आरमोरी से कांग्रेस (स) तथा गडचिरोली से जनता पार्टी के बडे बांधो का विरोध करने वाले विधायक चुनाव जिते थे। सिरोंचा विधान सभा क्षेत्र की विशेषता है की वहाँ सभी पार्टीयों के उमिदवार बडे बांधविरोधी है। प्रसिध्द "भोपालपट्टनम्" एवं "इंचमपल्ली" ये अतिविशाल बडे बांध सिरोंचा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में ही आते है। १९८५ में वहां से अपक्ष उमिदवार चुनाव जिते थे।

१९९० के चुनाओं मे आरमोरी से शिवसेना और गडचिरोली से कांग्रेस (आई) के उमिदवार विजयी हुये है। जो दोनो बडे बांधो के समर्थक हैऔर उन्होने बडे बांध का विरोध करने वाले भूतपूर्व विधायकों को इस चुनाव में पराजीत किया है। १९८४ मे शुरु हुये "जंगल बचाव मानव बचाव आंदोलन" के प्रभाव का लाभ उठाकर चुन कर आये विधायकों ने इनमुद्दों पर जनशिक्षण प्रशिक्षण और संघटन करने की आवश्यकता के तरफ पर्याप्त ध्यान नही दिया। आंदोलन के सर्वमान्य नेता स्व. लालशामशहा महाराज की मृत्यु के उपरांत आंदोलन को संगठीत करने वाला कोई दुसरानेता उनकी जगह नही ले पाया। आंदोलन में बिखराव की स्थिती आयी। सिरोंचा क्षेत्र से कांग्रेस(आई) के उमिदवार विजयी हुये है।

१३.१.३ <u>जिल्हापरिषद</u> - १९८२ में पुराने चंद्रपुर जिले से अलग कर गडचिरोली जिला बनाया गया। तब से आज तक जिल्हा परिषद के चुनाव ही नही हुये है। पिछले आठ साल से लोक प्रतिनिधीयों की अनुपस्थिती में सिर्फ सरकारी कर्मचारीयों व्दारा ही इस स्थानिक स्वराज्य संस्था का कामकाज जारी है। जिला परिषद के अंतर्गत आने वाली आठ पंचायत समितीयों की भी वही स्थिती है। जिले में कुल ४६६ ग्राम-पंचायते है, जिनके चुनाव हुये है।

१३.१.४ <u>नक्सलपंथियों की गतिविधीयाँ और शिवसेना</u> -

पिछले कुछ वर्षोंसे, खास कर आदिवासी दुर्गम इलाकों में नक्सलपंथी विचारधारा वाली पार्टी - "भारतिय कम्युनिस्ट पार्टी", मार्क्सवादी, लेनिनवादी (पीप-ल्स वार ग्रुप)" की गतिविधीयों ने काफी जोर पकडा है। यह हिस्सा आंध्र तथा मध्य प्रदेश के बस्तर से लगा हुवा दुर्गम तथा आदिवासी बहुल होने के कारण उनकी गोपनिय तथा भूमिगत कार्यपध्दती के लिए अधिक अनुकूल भी है। स्थानिक भ्रष्टाचार, शोषण, बिडीपत्ता और बास कटाई के कामों में कम मजदुरी आदी मुद्दों को ले कर जनमानस में अनुकूल प्रभाव या आतंक पैदा करने में वे सफल हुये है।

दुसरी ओर गैरआदिवासी मध्यम तथा उच्च जाती के बहुसंख्य युवकों को शिवसेना जैसी पार्टी ने आकर्षित किया है। १९९० के चुनाव में सांप्रदायिक तथा जातिय मुद्दों को आधार बना कर इस जिले में भी अपना काफी प्रभाव बढाया है जिले में दो विधानसभा क्षेत्रो से इन्होंने

पहली बार चुनाव लढा। एक जगह से विजयी हुये और दूसरी जगह दूसरे स्थानपर रहे।

१३.२ प्रशासन -

कर्मचारी गणना १९८७ के अनुसार जिलें में शासकिय और जिलापरिषद के कर्मचारीयों की संख्या निचे अनुसार है।

अनु.क्र.	कर्मचारी दर्जा	शासकिय (संख्या)	जिलापरिषद (संख्या)
१.	वर्ग - १	६२	२१
२.	वर्ग - २	१८१	८२
३.	वर्ग - ३	४८३९	३५५३
४.	वर्ग - ४	१५१२	४६०
	कुल -	६५९४	४११६

ये सारेकर्मचारी विभिन्न विभागों में बँटे हुये है। जिनमें से प्रमुख विभाग है - राजस्व, वन, पुलीस, निर्माण, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और न्याय.

१३.२.१ कर्मचारियों का कालापानी -

यह पिछडा एवं आदिवासी और वन बहुल क्षेत्र होने की वजह से सर्वसाधारणत: अच्छे कर्मचारी यहां आना नही चाहते। आ भी जाते है तो अपने परिवार चंद्रपूर या नागपूर जैसे शहरों मे रख कर आते है। और यहां से छूटकारा पाने की राह देखते हुये समय काटने का काम करते है। प्रशासकीय ईतिहास में और एक बुरी परंपरा रही है, दंडनिय कर्मचारीयों को दंड के रूप में गडचिरोली जिले में भेजने की। इस जिले को महाराष्ट्र राज्य के कर्मचारियों का कालापानी कहा जाता है। उपरोक्त वर्णन से कुछ अपवादात्मक कर्मचारी भी हो सकते है। लेकीन उनकी संख्या बहुतही कम होगी।

विकास योजनाएँ

१४.१ जिला नियोजन और विकास परिषद -

गडचिरोली जिले में १९८१ जनगणना अनुसार कुल १६७० गांव है। जिनमें से १४०८ गांव आदिवासी उप योजना क्षेत्र में आते है। जिनकी कुल जनसंख्या ४, १४, ४०७ है। आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाती के लोगों की संख्या २, १८, ९२७ यानी ५२.८३ प्रतिशत है। गैरजनजाती क्षेत्र में २६२ गांव है जिनमे शेष २, २२, ५९३ लोग रहते है। गैरजनजाती क्षेत्र में २६२ गांव है जिनमे शेष २, २२, ५९३ लोग रहते है। गडचिरोली जिले की कुल आठ तहसिलों में से कुरखेडा, धानोरा, अहेरी, एटापल्ली और सिरोंचा ये पांच तहसिले समुची आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में आती है। शेष तीन तहसिले, गडचिरोली, आरमोरी और चामोर्शी का कुछ हिस्सा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में और कुछ हिस्सा गैरजनजाती क्षेत्र में आता है।

गडचिरोली जिला नियोजन और विकास परिषद वार्षिक नियोजन के दो हिस्से करती है (१) गैर जनजाती योजना क्षेत्र के लिए और (२) आदिवासी उप योजना क्षेत्र के लिए। वार्षिक नियोजन १९८९-९० के अनुसार दोनों योजना क्षेत्रों में मार्च १९९० के अंत के शिर्षवार खर्च की जानकारी तालीका क्र. ब-१४ में दी है। रोजगार गारंटी योजना जिसके तहत आती है वह शिर्ष क्र. २: ग्रामिण विकास की विस्तृत जानकारी तालीका क्र ब-१५ में दी है।

१४.२ स्थानिकसंस्थाओं का उत्पन्न एवं खर्च -

जिले में कुल ४६६ ग्रामपंचायतें तथा २ नगर परिषद है। ग्राम पंचायत, जिलापरिषद और नगर परिषद के आय और खर्च की जानकारी निचे अनुसार है।

१९८८-८९	ग्रामपंचायत (लाख रु.)	जिला परिषद (लाख रु.)	नगर परिषद (लाख रु.)
कुल आय	५६.४०	२६८५.२५	८०.८९
कुल खर्च	५१.९८	२५४९.४७	७७.५१

१४.३ जवाहर रोजगार योजना -

१९८९-९० से "राष्ट्रिय ग्रामिण रोजगार कार्यक्रम" (एनआरइपी) और ग्रामिण भूमिहिन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आरएलइजीपी) को एकत्रित कर "जवाहर रोजगार योजना" अस्तित्व में आयी। १९८९-९० वर्ष में इस योजना के तहत गडचिरोली जिले को कुल ५८०.७९ लाख रु. मिले। जिसमें केंद्र सरकार व्दारा ८०% और राज्य सरकार व्दारा २०% का प्रावधान है।

१४.४ एकात्मिक ग्रामिण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) -

१९८९-९० में इस कार्यक्रम के लिए कुल ९३.३१ लाख रु. का प्रावधान प्राप्त हुवा। आर्थिक वर्ष में कुल खर्च हुवा ६२.४७ लाख रु. जिससे अनुसूचित जाती के ४८३ अनु. जनजाती के १९७७ और २५५ महिला मिलाकर कुल ४१४० परिवारों को लाभ मिला।

१५ शराब, विकास और जंगल

१५.१ जिले में जिन्हे सरकारी लाइसेंस दिया गया है ऐसी विदेशी शराब बेचने की..७.. दुकाने, देशी शराब बेचने की..४०.. दुकाने और शराब पिने के २000 परमिट है। परमिट धारण करनेवाला व्यक्ति अपने पास शराब की १२ बोतलें रख सकता है। इस प्रावधान का लाभ उठाते हुये कई लोग परमिट की सहायता से शराब बेचने का भी धंदा करते है। इसके अलावा गैरकानुनी शराब भट्टीयां है सो अलग।

गडचिरोली जिले में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत "सर्च" संस्था व्दारा किये गये एक अध्ययन से प्राप्त जानकारी के अनुसार हर साल जिले में करीबन एक हजार व्यक्ती शराब पिने के कारण उत्पन्न बिमारीयोंसे मरते है। गडचिरोली जिला नियोजन और विकास परिषद का जितना वार्षिक बजेट है उतनी ही शराब की बिक्रि जिले में हर साल होती है।

केंद्र सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में शराब के संबंध मे १९८५ में ही स्पष्ट दिशा निर्देश दिये है। जिसके अनुसार -

१) आदिवासी क्षेत्र में शराब बिक्रि की दुकाने नही होगी।

२) आदिवासीयों को उनकी परंपरा के अनुसार खुद शराब निकालकर पिने का अधिकार होगा।

३) गांव की शराब पर नियंत्रण करने का अधिकार गांव को होगा।

"शराब से संबंधीत केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों पर तुरंत अंमल किया जाए" इस मांग को ले कर जिले में एक जनआंदोलन भी शुरू है। करीबन १५० गांव के लोगो ने अपने गांव में चलने वाली गैरकानूनी शराब को सामुहिक निर्णय और कृती से स्वबलपर बंद किया है। सरकारी लायसेंस की दुकाने बंद हो तथा पिने के परमीट रद्द हो इसलिए कोशिश जारी है। गडचिरोली तहसिल के पोला गांव में जनआंदोलन के दबाव से वहां की लायसेंस वाली दो शराब दुकाने बंद करवानेमें सफलता प्राप्त की है।

१५.२ शराब बंदी और जंगलबचाव दोनो आंदोलनों में महिलाओं का सहभाग अधिक है। सो दोनो आंदोलनों को जोडने की भी कोशिश कुछ गांवों में हुयी है। जिस गांव के लोगों ने उनके गांव की गैरकानूनी शराब बंदनही की थी उन्हे आसपास के गांव के लोगोने कहा की अगर आप अपने गांव की शराब बंद नही करेंगे तो हम आपका जंगल बचाने में सहयोग नही देंगे। जिसका काफी अनुकूल असर हुवा है।

१६ सांस्कृतिक विशेषताएँ

१६.१ गैरजनजाती क्षेत्र -

जिले की पश्चिम सिमापर से बहने वाली वैनगंगा नदी की घाटी का उपजाऊ मिट्टी वाला क्षेत्र ही मुख्यत: गैरजनजाती क्षेत्र है। जहां तुलना में आदिवासी कम और गैर आदिवासी ज्यादा बसते है। यहां की संस्कृती ग्रामिण भारतिय कृषी संस्कृती है। इस क्षेत्र में, जुडा हुवा या एकदम करीब कोई बडा शहर या विकसीत उद्योग केंद्र न होने के कारण ग्रामिण कृषी संस्कृती की गहरी छाप पुरे क्षेत्र में अभी भी मौजुद है।

यह क्षेत्र स्थानिक भाषा में खालसी पट्टा कहलाता है जो अंग्रेजी राज के सिधेनियंत्रण में था १८५७ के बाद भारतिय गांवो को तोडने के लिए अंग्रजा ने जो दुरगामी योजनाबध्द निती अपनायी उसके शिकार यहां के भी गांव है। पश्चिमी उपभोग वादी व्यक्ती केंद्रीत संस्कृती के आकर्षण और गिरफ्त से यहां का जनजीवन मुक्त तो नही लेकीन शहरों और औद्योगिक विकास क्षेत्रों की तुलना में यह विध्वंसक संस्कृती

यहाँ की जडों को कम ही काट पायी है। गाडगेबाबा और राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जैसे सुधारक संतों का भी काफी असर दिखायी देता है।

१६.२ अनुसूचित जनजाती क्षेत्र (आदिवासी उपयोजना क्षेत्र)-

जिले का वन और आदिवासी बहुल हिस्सा जनजाती क्षेत्र के रूप में अनुसूचित है। स्थानिक भाषा में जिसे झाडी पट्टी (घने पेडोंवाला हिस्सा) नाम से जाना जाता है। यहाँ गोंड आदिवासी बहुसंख्या में रहते है। गोंड यह मध्य भारत की सबसे बडी जनजाती है। सो समुचे क्षेत्र पर गोंड आदिवासी संस्कृती की गहरी छाप है। गोंड जनजाती अनेक उपजनजातीयों में विभाजित है। जिनमें राजगोंड, माडीयागोंड, परधान, गोंडगोवारी, मानेगोंड कंवर और हलबा प्रमुख है।

यह क्षेत्र अंग्रजी राज के सिधे नियंत्रण में नही था। यह हिस्सा कई छोटी बडी जमिनदारीयों में विभाजित था और ज्यादातर जमिनदार भी आदिवासीही थे। आजादी के बाद १९५० में जमिनदारी निर्मूलन कानून बनने तक ये सभी जमिनदारीयां कायम थी। एक बारगी जमिन-दारी वसुली की रक्कम अंग्रेजी हुकूमत को दे देने के बाद सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में तथा अंतर्गत राजकीय व्यवस्था के संदर्भ में काफी हद तक इन जमिनदारों को आजादी थी। बहुसंख्य आदिवासी प्रजा की जिवनपध्दती भी आदिवासी संस्कृती और परंपरा के अनुरूप ही थी। निस्तार जैसे वनोपज पर परंपरागत अधिकार भी सार्वत्रिक थे। जीवनचक्र भी कृषीपर कम और वनों पर ज्यादा अवलंबित था। वन्य प्राणियों की शिकार और पशुपालन भी उसके महत्त्वपूर्ण हिस्से थे। वनों के साथ आत्मिय तथा परस्परावलंबी संबंध यह अभी भी लोगों की स्मृती में शेष है। अन्य, अंग्रजी हुकूमत के क्षेत्रों से तो प्रतिभाशाली अंग्रज शासकोने १९०९ तक ही इन संबंधो का खात्मा कर लोगों को वनउपज खरीद कर उपयोग करने की "अच्छी" आदत डाल दी थी। और सभी प्राकृतिक साधन संपत्ती पर अपना साम्राज्यवादी माल्कियत का शिकंजा भी कस लिया था सो ऐसे संबंध अब उनके स्मृती में भी नही बचे है।

तथाकथित विकसीत, प्रगतीशिल और सभ्य दुनिया जितनी ज्यादा सुधारीत उतना ही वहां चोरी, भिकारी और बलात्कारों का अनुपात ज्यादा दिखाई देता है। दुहाई है यहां के पिछडेपनमन की जो ये तिनो बाते यहांकी संस्कृती में अत्यल्प, नही के बराबर है।

"गोटूल" गोंडों की एक वैशिष्ट्यपूर्ण संस्था है। वह गांव के युवक, युवतीयों, किशोर, किशोरीयों का मैत्रीपूर्ण संघटन है। भविष्यके जीवन के लिए उन्हे अधिक सुयोग्य बनाने वाला शिक्षा केंद्र है। अनुरूप जीवनसाथी के चुनाव का अवसर है। गांव के उठने, बैठने की गाने नाचने की एक जगह है। मूल लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रूप में अपने आप को ग्राम समुह के संदर्भ में अधिक अनुरूपबनाने वाला एक संस्कार है। बाहरी विकृत संस्कृती के प्रभाव तथा आकर्षण के कारण ये गोटूल तेजी से नष्ट हुये है, हो रहे है। लेकीन याददाश्त के पन्ने अभी भी हरे है। कुछ आदिवासी विचारक उसे नये संदर्भ और आवश्यकता अनुरूप पुनर्जीवीत करने की कोशिश भी कर रहे है।

ग्राम सभा की आम राय से गांव का कामकाज चलाने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जड़े अभी भी पूर्णतः नष्ट नही हुयी है। न्याय पंचायतों में कोई पांच व्यक्ती पंच नही होते। उस बैठक में उपस्थित सभी पंच कहलाते है और सभी को सहभाग का समान अधिकार होता है।

कालप्रवाह में बाहरी संस्कृती और सभ्यताओं के साथ अनिवार्य संबंधो के कारण कई चिजे बदली है, बदल रही है। फिर भी कुछ अच्छी बातों के मूलाधार यहां की संस्कृती में अभी भी जिंदा है। जो भविष्य की सभ्यता के आधार बन सकते है।

१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.	८.	९.	१०.	११.	१२.
५.	धानोरा	८२–८३	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	तहसिल	८५–८६	२,१३८	१,६७९	१६	२२	३९	४३	६२	२३	१२८
६.	चामोर्शी तहसिल	८२–८३	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		८५–८६	१,३००	५७१	१	१	२	२७	५	१६४	१९६
७.	सिरोंचा तहसिल	८२–८३	७,६८६	६,४०२	१६०	४३	२०३	१०४	३७२	७	४८३
		८५–८६	९३८	६५१	—	—	—	- ८	११३	१	१२२
८.	अहेरी तहसिल	८२–८३	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		८५–८६	२,३३३	२,०५२	२५	१६	४१	२८	६	२	३६
९.	एटापल्ली तहसिल	८२–८३	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		८५–८६	४,४१५	४,१३१	१८	२३	४१	८	२२	—	३०

62-अ

तालिका क्र. :- ब-१

गडचिरोली जिला, भूमि उपयोग, सन १९८२-८३ और १९८५-८६

[आँकडे - १०० हेक्टर में]

अनु क्रमांक	जिला/तहसिल	वर्ष	कुल भौगोलीक क्षेत्र	कुल जंगल व्याप्त क्षेत्र	कृषी के लिए अनुपलब्ध क्षेत्र: बगैर कृषी उपयोग की भूमि.	कृषी के लिए अनुपलब्ध क्षेत्र: परती और फसल के लिए अनुपयुक्त भूमी	कृषी के लिए अनुपलब्ध क्षेत्र: कुल ६+७	परती भूमी के अलावा जिसमें फसल नही लगायी खेती भूमि: फसल के लिए उपयुक्त लेकीन उपयोग में नही खेती भूमि	परती भूमी के अलावा जिसमें फसल नही लगायी खेती भूमि: स्थायी चारागाह तथा अन्य चारागाह की भूमि	परती भूमी के अलावा जिसमें फसल नही लगायी खेती भूमि: कृषी भूमि में शामील नही खेती पेड तथा फलबगान की भूमि	परती भूमी के अलावा जिसमें फसल नही लगायी खेती भूमि: कुल ९+१०+११
१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.	८.	९.	१०.	११.	१२.
१.	गडचिरोली जिला	८२-८३	१४,९१५	१०,८१६	४७७	११९	५९६	२८९	१०७७	३३	१,३९९
		८५-८६	१४,९१५	११,११४	१२०	१२८	२४८	१४१	२६१	८१०	१,२१२
२.	गडचिरोली	८२-८३	७,३२९	४,४१४	३१७	७६	३९३	१८५	७०५	२६	९१६
	तहसिल	८५-८६	७६५	४६९	४	४३	४७	१५	२१	३	३९
३.	आरमोरी	८२-८३	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	तहसिल	८५-८६	१,१९९	६९५	५६	२२	७८	१२	३२	९	५३
४.	कुरखेडा	८२-८३	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	तहसिल	८५-८६	१,८२७	८६६	—	—	—	—	—	६०८	६०८

१	२	३	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९
८.	अहेरी तहसिल	८२-८३	--	--	--	१७१	८	१७८	३८९
		८५-८६	९	१८	२७	१७७	--	१७७	२३४
९.	अेटापल्ली तहसिल	८२-८३	--	--	--	१७७	८	१८५	१७७
		८५-८६	८	१२	२०	१९३	--	१९३	२२१

जानकारी आधार - कृषी संचालनालय, पुणे - १.

तालिका क्र. ८-१ गडचिरोली जिला भूमि उपयोग सन् १९८२-८३ और १९८५-८६

अनु. क्रमांक	जिला/तहसिल	वर्ष	परती भूमि			सिर्फ जोत क्षेत्र	एक से ज्यादा बार जोता	कुल कृषी जोत क्षेत्र	कुल कृषी योग्य क्षेत्र
			चालू परती	अन्य परती	कुल				९+११+१५
१.	२.	३.	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९
१.	गडचिरोली जिला	८२-८३	४५	१०३	१४८	१,९५८	१५७	२,११५	२,४२८
		८५-८६	९४	२०९	३०३	२,०३९	१६३	२,२०२	२,२९३
२.	गडचिरोली तहसिल	८२-८३	१९	२२	४१	१९८	१८	२१६	४५०
		८५-८६	६	१७	२३	१८७	२४	२११	२२८
३.	आरमोरी तहसिल	८२-८३	—	—	—	३४३	३२	२७४	३४३
		८५-८६	१२	२४	३६	३३८	७०	४०८	३९५
४.	कुरखेडा तहसिल	८२-८३	—	—	—	२७८	२६	३०४	२७८
		८५-८६	१८	४१	६९	२८४	२२	३०६	९६१
५.	धानोरा तहसिल	८२-८३	—	—	—	२१९	२०	२४०	२१९
		८५-८६	११	३६	४७	२४५	१३	२५८	३५८
६.	चामोर्शी तहसिल	८२-८३	—	—	—	४२७	३९	४६७	४२७
		८५-८६	२७	३९	६६	४६५	३१	४९६	७२२
७.	सिरोंचा तहसिल	८२-८३	२६	८१	१०७	१४५	६	१५१	१४५
		८५-८६	३	१२	१५	१५०	३	१५३	१७४

तालीका क्र. ८-२

गडचिरोली जिला तापमान १९८४, ८७ और ८८

नोंद केन्द्र - सिरोंचा [आँकडे सेल्सियस में]

अनु.क्र.	महिना	अधिकतम तापमान			न्युनतम तापमान		
		१९८४	१९८७	१९८८	१९८४	१९८७	१९८८
१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.	८.
१.	जनवरी	३१.१	३२.०	३३.८	११.८	१२.७	१३.७
२.	फरवरी	४१.१	३५.२	३६.०	१२.४	१३.३.	१२.७
३.	मार्च	४१.१	४०.००	४१.०	१२.४	१६.३	१६.७
४.	अप्रेल	४४.१	४२.६	४१.८	२१.५	२०.५	१८.७
५.	मई	४६.६	४४.०	४६.३	११.६	२१.३	२१.३
६.	जुन	उ.न.	४४.८	उ.न.	६.६	२३.३	२०.३
७.	जुलाई	उ.न.	४०.५	३७.०	१७.२	२१.५	१८.७
८	अगस्त	उ.न.	३५.७	३२.०	१७.४	२१.५	१८.९
९.	सितंबर	उ.न.	३८.२	३२.०	९.५	२१.३	१७.७
१०.	अक्तुबर	उ.न.	३५.०	३४.६	५२	१७.३	१८.६
११.	नवंबर	उ.न.	३७.०	३३.५	४.५	१४.७	१५.५
१२.	दिसंबर	उ.न.	३५.८	३०.०	४.७	१२.३	१४.७
	वार्षिक	४६.६	४४.८	४६.३	४.५	१२.	१२.७

उ.नं. = उपलब्ध नही. जानकारी आधार - विभागीय मौसमशास्त्र कार्यालय, नागपुर.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१४
७.	जुलाई	५२५.३	३६	६२६.९	४९०.०	२५	४६१.६	—	२६	५१७.१	६३०.९	६९६.१
८.	अगस्त	४१३.३	२४	५८५.१	४०६.४	२२	३०३.५	—	२७	४९९.०	६६३.०	५६२.०
९.	सितंबर	२१८.७	११	१५१.६	२०२.१	१०	१६१.२	—	१५	१३५.४	२६४.१	७९.०
१०.	अक्तुबर	६५.८	२	१०८.१	५६.४	२	६९.६	—	२	४४.२	६०.७	४५.०
११.	नवंबर											
१२.	दिसंबर											
	कुल	१,४५४.५	८०	१,२००.४	१,३५६.७	७४	१,२२८.१	—	८४	१,३३३.५	१,६४५.८	[illegible]

जानकारी आधार - गडचिरोली जिला सामाजिक और आर्थिक समालोचन १९८७-८८

तालीका क्र. ब - ३

गडचिरोली जिला - पर्जन्यमान, वर्ष १९८७

[आँकडे मिलीमिटर तथा दिन में.]

अनु. क्र.	महिना	गडचिरोली केंद्र औसत	गडचिरोली केंद्र पर्जन्य दिनोंकी संख्या	गडचिरोली केंद्र पर्जन्य	आरमोरी केंद्र औसत	आरमोरी केंद्र पर्जन्य दिनोंकी संख्या	आरमोरी केंद्र पर्जन्य	कुरखेडा केंद्र औसत	कुरखेडा केंद्र पर्जन्य दिनोंकी संख्या	कुरखेडा केंद्र पर्जन्य	धानोरा केंद्र औसत	धानोरा केंद्र पर्जन्य दिनोंकी संख्या	धानोरा केंद्र पर्जन्य
१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.	८.	९.	१०.	११.	१२.	१३.	१४.
१.	जनवरी	--- निरंक ---											
२.	फरवरी												
३.	मार्च												
४.	अप्रैल												
५.	मई												
६.	जून	२३१.४	१७	४१९.२	२०४.०	१५	२२४.२	--	१४	१३७.०	२२६.३	१२	११९.५

[illegible]

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
६.	सिरोंचा	४७२ [७.४२]	२३७	२३५	१०३	७७	२६	७०	३२	३८	८० [४.६५]	४५	३५	१७३
७.	अहेरी	७२३ [११.४९]	३७०	३५३	१५४	११७	३७	५०	२३	२७	८५ [४.९४]	५१	३४	१८१
८.	एटापल्ली	५९९ [९.२३]	३१२	२८७	२३०	१५५	७५	३५	१९	१६	९८ [५.७०]	५८	४०	२६५
ब]	कुल	३१६६ [४९.६८]	६०६	१५६०	८३९	६१९	२२०	३२३	१५८	१६५	३९० [२२.७०]	२२१	१६९	११६२
९.	गडचिरोली जिला [अ+ ब]	६३७३ [१००]	३२१६	३१५७	१७५४	११८३	५७१	७२४	३३३	३९१	१७१८ [१००]	८५३	८६६	२४७८

जानकारी आधार १] जनगणना १९८१ [२] जिलाधिकारी कार्यालय
नोंट - आँकडे पुर्णांक मे लेने के कारण जोड सही नहि आयेंगे

७६-अ

सहपत्र क्र. ब - ४

जनसंख्या किसान, खेतीहर मजदुर तथा पंजिबध्द रोगायो मजदुर

गडचिरोली जिला १९८१

[आँकडे हैा. में.]

अनु. क्र.	जिला तहसिल	कुल जनसंख्या व्यक्ती [%]	पु.	स्त्री	किसान व्यक्ती	पु.	स्त्री	खेतीहर मजदुर व्यक्ती	पु.	स्त्री	पंजीबध्द रोगायो मजदुर व्यक्ती[%]	पु.	स्त्री	किसान खेतीहर मजदुर ६+९ व्यक्ती.
१.	२.	३.	४.	५.	६	७.	८.	९.	१०.	११.	१२.	१३	१४.	१५.
	तहसिलें													
१.	गडचिरोली	६८६ [१०.७४]	३४६	३४०	२०१	११७	८४	९५	४२	५३	२२६ [१३.१५]	११०	११६	२९६
२.	आरमोरी	१२२२ [१९.१९]	६१२	६१०	२९३	१८३	११०	१६१	७१	९०	४६० [३२.५९]	२६६	३०२	४५४
३.	कुरखेडा	७२९ [११.३८]	३६६	३६३	२१३	१३१	८२	६७	२८	३९	३७८ [२२.००]	१८०	१९८	२८०
४.	धानोरा	५७० [८.९७]	२८६	२८४	२०८	१३३	७५	७८	३४	४४	१४६ [९.००]	७९	७२	२८६
अ]	कुल	३२०७ [५०.२८]	१६१०	१५९७	९१५	५६४	३५१	४०१	१७५	२२६	१२२० [७६.८३]	६३५	६८८	१३१६
५.	चामोर्शी	१३७२ [२१.५४]	६८७	६८५	३५२	२७०	८२	१६८	८४	८४	१२७ [७.३९]	६७	६०	५२०

शेष पान नं ७६-अ पर आगे

तालिका क्र. ६ - ५

गडचिरोली जिल्हा

१९८७-८८ वर्ष में प्रमुख कृषी उपज का प्रतिहेक्टर तथा जिले का कुल उत्पादन

अनु॰ क्रमांक	कृषी उपज	प्रतिहेक्टर उत्पादन [किलो में]	जिले में कुल उत्पादन [सौ. टन में]
१.	२.	३.	४.
१]	चावल	८२६	१०७२
२]	गेहूँ	५७४	३१
३]	जवार	६७८	१५८
४]	मक्का	८५७	१८
५]	अन्य अनाज	४३५	१०
६]	कुल अनाज	७९१	१२७९
७]	चना	२९४	१०
८]	तुवर	४२८	३
९]	उडद	२८५	४
१०]	अन्य दलहन	२५८	५३
११]	कुल दलहन	२६९	७०
१२]	जवस [अलसी]	२३०	६
१३]	तील	२३३	२४
१४]	मुंगफल्ली	१०००	१
१५]	राई	२७२	३
१६]	एरंडी	५००	१
१७]	ज्यूट	२५०	१
१८]	मिरची	३४३	२२
१९]	हल्दी	१२४५	१८७

जानकारी आधार - कृषी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे - १

तालिका क्र. ४ - ६

गडचिरोली जिला : कृषी के लिए आवश्यक औजार एवं साहित्य १९८२

अनु. क्र.	जिला/तहसिल	हलों की संख्या		बैलगाडी संख्या	गन्ने का परक		सिंचाईयंत्र		ट्रॅक्टर्स	तेल घाणी	
		लकडी का	लोहे का		बिजली/डिजेल से चलनेवाले	बैल से चलनेवाले	डिजेलपर चलनेवाले पम्प	बिजलीपर चलनेवाले पम्प		५ किलो और उससे अधिक	५ किलो और उससे कम
१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.	८.	९.	१०.	११.	१२.
१]	गडचिरोली तह.	८,७५६	२१२	४,१११	--	--	८७	१३	१३	--	--
२]	चामोर्शी तह.	१९,६२८	५२४	१०,०६३	--	--	९१	२१	४	१	१
३]	धानोरा तह.	१०,७५४	२४	४,५६८	--	--	८९	--	८	--	--
४]	कुरखेडा तह.	११,०८७	--	६,५११	-	३	२०५	४८	१७	१	--
५]	आरमोरी तह.	१०,८४९	१,३५९	८,१५६	--	११	१६८	६६	५९	१	--
६]	सिरोंचा तह.	५,३०८	१५	४,६१४	--	--	४२	२१९	६	--	--
७]	अहेरी तह.	१०,४३३	४१०	५,७२०	--	१	१६	२०	३	१	१
८]	एटापल्ली तह.	१३,३५३	२३२	४,६१६	--	--	४६	११	--	--	--
९]	गडचिरोली जिला	९०,१६८	२,७७६	४९,१५९	--	१५	७४४	३९८	११०	४	२

जानकारी आधार - जनगणना १९८२

तालीका क्र. ब - ७

गडचिरोली जिला

मध्यम और बडे सिंचाई प्रकल्पो से सिंचीत भूमि एवं प्राप्त लाभ दि. ३० जुन १९८८

अनु. क्र.	तपशिल	बडे सिंचाई प्रकल्प			मध्यम सिंचाई प्रकल्प	
१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.
१.	प्रकल्प का नाम	इटीया डोह प्रकल्प	तुलतुली प्रकल्प	कारवाफा प्रकल्प	दिना प्रकल्प	पेन्ना प्रकल्प
२.	प्रकल्प का स्थान	गोठनगांव जि. भंडारा	तुलतुली जि. गडचिरोली	मक्केपल्ली जि. गड.	रेगडी जि. गडचिरोली	तुकडी जि. गडचि.
३.	अ] काम पुर्ण होनेका वर्ष	१९७८-७९	वनविभाग की ओरसे [illegible] न मिलने के कारण काम शुरु नही हो सका।		१९७४.	काम बंद है।
	ब] अगर अपुर्ण है तो पुर्ण होने का संभाव्य वर्ष	.....	बता नही सकते	बता नही सकते	....	बता नही सकते
	क] प्रकल्प का अंदाजित खर्च [लाख रु.]	८०५.००	१,११५.७०	३३८.७२	५२५.००	१८२.५५
४.	अ] बाँध की मंजुर उंचाई [मिटर]	२२.८७	२१.८५	२५.४२५	२१.४२	२१.७०
	ब] पुरी हुयी उंचाई [मीटर]	२२.८७	काम बंद है।	काम बंद है।	२१.४२	०.००
५.	अ] नहर कुल लंबाई [कि.मी.]	११५.००	५.१	३.[illegible]	५६.३३	१४.००
	ब] पुर्ण लंबाई	११५.००	काम बंद है।	काम बंद है।	५६.३३	काम बंद है।
६.	अधिकतम धारण क्षमता [दशलक्ष घ.मी.]	२८८.८३	१२८.०७	३२.[illegible]	६१.९४	१४.७९
७.	३०.६.८८ को प्रत्यक्ष जलसंग्रह —"—	१३५.००	—	—	९.८५	—
८.	[illegible] लाभ क्षेत्र [हेक्टर]	[illegible]	३०,११०.००	१३,[illegible].००	३१,३२६.००	६,[illegible]

१	२	३	४	५	६	७
९.	लाभ क्षेत्र में कृषी योग्य क्षेत्र [हेक्टर]	३९,५१६.००	२५,०००.००	८,०४८.००	१६,४२३.००	२,६३०.००
१०.	प्रकल्प पुर्ण हो जाने पर अपेक्षीत सिंचित क्षेत्र [हेक्टर]	२६,३१६.००	--	४,७२५.००	११,३५६.००	२,२३०.००
११.	१९८७-८८ के लिए निर्धारित सिंचन क्षेत्र					
	अ] बारमाही [पुर्ण वर्ष ...... [हेक्टर]	--	--	--	निरंक	--
	ब] हंगामी [मर्यादित एक फसल के लिऐ]	६,८११.००	--	--	७,०२५.००	--

जानकारी आधार
१] उपविभागीय अभियंता, इटीयाडोह सिंचाई व्यवस्थापन उप विभाग, वडसा.
२] कार्य-कारी अभियंता, चंद्रपुर सिंचाई विभाग, चंद्रपुर.
३] कार्यकारी अभियंता, कुरखेडी व कारवाफा विभाग, गडचिरोली.

[illegible] क्र. ८ पान नं. ८१ से आगे शुरू -

	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
[illegible]	२१,०४०.२३	२१०.४०	१२५६.७१	१२.५७	--	--	--	--	२२,२९६.९४	२२२.९७
[illegible]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
[illegible]	६,९१९.३२	६९.१९	७५.२७	०.७५	--	--	--	--	६,९९४.५९	६९.९४
[illegible]	१०,३७७.४७	१०३.७७	--	--	--	--	--	--	१०,३७७.४७	१०३.७७
[illegible]भाग	३८,३३७.०२	३८३.३७	१३३१.९८	१३.३२	--	--	--	--	३९,६६९.००	३९६.६९
[illegible]	५२,५८०.७८	५२५.८०	४०८४.३५	४०.८५	५०२६.७४	५०.२७	१,९४,७२८.४१	१९४७.२८	५६,६६५.१३	५६६.६५
[illegible] प्रतिशत	१४.१६%		१.१० %		१.३५ %		५२.४६ %		१५.२६ %	

जानकारी आधार -

१] उप वनसंरक्षक, गडचिरोली वन विभाग, गडचिरोली.
२] उप वन संरक्षक, भंडारा वन विभाग, देवरी[illegible].

१-अ

तालीका क्र. ब - ८

गडचिरोली और वडसा वनविभाग, गडचिरोली जिला : वनक्षेत्र एवं प्रकार [दि. ३१ मार्च १९८९ को]

अनु. क्र.	वनविभाग / वनपरिक्षेत्र	"अ" वर्ग आरक्षित वन		"ब" वर्ग आरक्षित वन		संरक्षित वन [भूतपूर्व मालगुजारी]		संरक्षित वन [भूतपूर्व जमिनदारी]		कुल आरक्षित वन	
		हेक्टर	चौ. कि. मी.	हेक्टर	चौ. कि. मी.	हेक्टर	चौ. कि. मी.	हेक्टर	चौ. कि. मी.	हेक्टर	चौ. कि. मी.
१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.	८.	९.	१०.	११.	१२.
	वन परिक्षेत्र										
१.	गडचिरोली.	१२९८.८८	१२.९९	२१२०.८०	२१.२१	२८५६.९४	२८.५७	४१,७०८.३८	४१७.०८	११,४१९.६८	११४.२०
२.	धानोरा	११९२.२१	११.९२	१७७.११	१.७७	८८३.००	८.८३	४५,४७९.४७	४५४.७९	१,३६९.३२	१३.६९
३.	चामोर्शी	३७५२.३७	३७.५२	७५४.४६	७.५४	१२८६.८०	[illegible]	६४,१८९.२४	६४१.९०	४,२०६.८३	४२.०७
४.	कुरखेडा	—	—	—	—	—	—	४३,३५१.४०	४३३.५०	—	—
अ]	गडचिरोली वनविभाग वनपरिक्षेत्र	१४२४३.७६	१४२.४३	२७५२.३७	२७.५३	५०२६.७४	[illegible]	१,९४,७२८.४९	१९४७.२८	१६,९९६.१३	१६९.९६

शेष पान नं. ८१-८४ पर

तालीका क्र. ब - ८

गडचिरोली और वडसा वनविभाग गडचिरोली जिला: वनक्षेत्र एवं प्रकार [दि. ३१ मार्च १९८९ को]

अनु. क्र.	वनविभाग/ वन परिक्षेत्र	कुल संरक्षित वन [निस्तार वन]		कुल वन	
		हेक्टर	चौ. कि. मी.	हेक्टर	चौ. कि. मी.
१.	२.	१३.	१४.	१५.	१६.
	वन परिक्षेत्र				
१.	गडचिरोली.	४४,५६५.३२	४४५.६५	५५,१८५.००	५५२.८५
२.	धानोरा	४६,३६२.४७	४६३.६२	४७,७३१.७९	४७७.३१
३.	चातगांव	६५,४५६.०४	६५४.५७	६९,६८२.८७	६९६.८४
४.	मुरूमगांव	४३,३५१.४०	४३३.५०	४३,३५१.४०	४३३.५०
अ]	गडचिरोली वन विभाग	१,९९,७५५.२३	१,९९७.५४	२,१६,७५१.०६	२,१६७.५०
	वन परिक्षेत्र				
१.	आरमोरी	६,६२५.३१	६६.२५	२८,९९२.२५	२८९.९२
२.	देसाईगंज	४८,२८०.००	४८२.८०	४८,२८०.००	४८२.८०
३.	कुरखेडा	४८,७७१.००	४८७.७१	५५,७१५.५९	५५७.६५
४.	वडसा	११,०२०.६०	११०.२०	२१,३९८.०७	२१३.९७
ब]	वडसा वन विभाग	१,१४,७६६.३१	११४७.६६	१,५४,४३५.३१	१५४४.३५
	कुल [अ+ब]	३,१४,५२१.५४	३,१४५.२०	३,७१,१८६.३७	३७११.८५
	कुल वन प्रतिशत	८४.७३ %		१०० %	

FOREST MAP OF MAHARASHTRA
AND DADRA & NAGAR HAVELI

सहपत्र क्र. ब-९

BASED ON VISUAL INTERPRETATION OF LANDSAT IMAGERY
(FALSE COLOUR COMPOSITE) WITH LIMITED FIELD CHECKS

FOR PERIOD 1972-1975

Key map

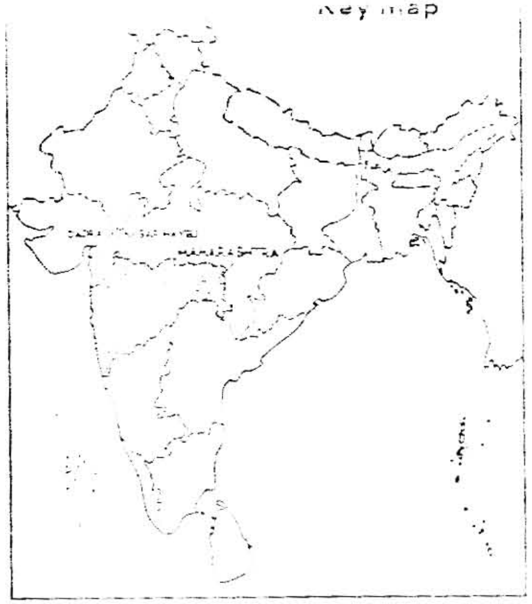

SCALE 1:1,000,000

KM 0 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 KM

LEGEND

- CLOSED FOREST
- OPEN / DEGRADED FOREST
- MANGROVE FOREST
- NON-FOREST (Agriculture land, Barren land and non-forest plantation)
- OTHERS (Cloud / Cloud shadow / Snow / Fog)

AREA STATEMENT
MAHARASHTRA

CLASS	% AREA
CLOSED FOREST	9.44
OPEN / DEGRADED FOREST	3.72
MANGROVE FOREST	0.06

AREA STATEMENT
DADRA & NAGAR HAVELI

CLASS	% AREA
CLOSED FOREST	21.02
OPEN / DEGRADED FOREST	15.10

REFERENCES

- WATER FEATURES : Stream ; River ; Tank
- BOUNDARIES : International ; State ; District
- COMMUNICATIONS : Road ; Railway
- SETTLEMENTS & HEIGHTS : State Hq ; Dist. Hq ; Others ; Spot height

NATIONAL REMOTE SENSING AGENCY
DEPARTMENT OF SPACE
GOVERNMENT OF INDIA

79° 80° 81°

MAHARASHTRA

सहपत्र क्र. ब-९

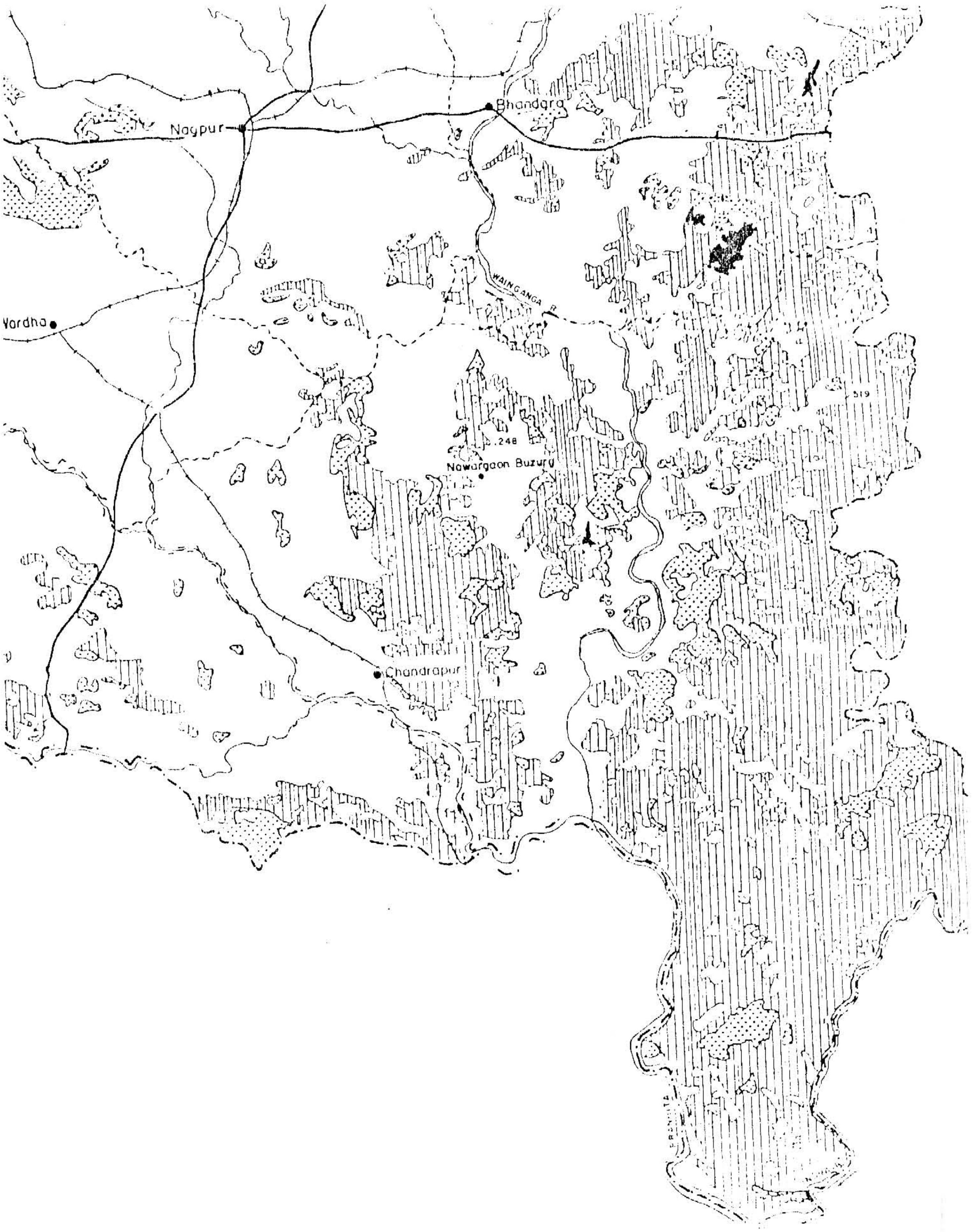

Bhandara
Nagpur
Wardha
WAINGANGA R.
Nawargaon Buzurg
Chandrapur
.248
519

सहपत्र क्र. ब-९०

FOREST MAP OF MAHARASHTRA
AND DADRA & NAGAR HAVELI

BASED ON VISUAL INTERPRETATION OF LANDSAT IMAGERY (FALSE COLOUR COMPOSITE) WITH LIMITED FIELD CHECKS

FOR PERIOD 1980-1982

SCALE 1:1,000,000

KM 10 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 KM

LEGEND

CLOSED FOREST
OPEN / DEGRADED FOREST
MANGROVE FOREST
NON-FOREST (Agriculture land, Barren land and non-forest plantation)
OTHERS (Cloud / Cloud shadow / Snow / Fog)

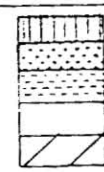

AREA STATEMENT
MAHARASHTRA

CLASS	% AREA
CLOSED FOREST	6.05
OPEN/ DEGRADED FOREST	3.77
MANGROVE FOREST	0.04

AREA STATEMENT
DADRA & NAGAR HAVELI

CLASS	% AREA
CLOSED FOREST	14.29
OPEN/ DEGRADED FOREST	11.22

५४

REFERENCES

WATER FEATURES : Stream ; River ; Tank ....
BOUNDARIES : International ; State ; District ....
COMMUNICATIONS : Road Railway ....
SETTLEMENTS & HEIGHTS : State Hq ; Dist. Hq ; Others ; Spot height .951

NATIONAL REMOTE SENSING AGENCY
DEPARTMENT OF SPACE
GOVERNMENT OF INDIA

79° 80° 81°

MAHARASHTRA SHEET-6

सहपत्र क्र.अ.१०

तालीका क्र. ब - ११

०.४ घनता से कम वन वाली परती वन भुमि दि. १ सितंबर १९८७ को

वडसा और गडचिरोली वन विभाग जिला - गडचिरोली

[आँकडे हेक्टर में]

अनु. क्र.	वनविभाग	वन प्रकार	कुल परती वन भुमि क्षेत्र	परती वनभुमि क्षेत्र झोन अनुसार			०.४ घनता से कम वाले वन
				झोन क्र. १	झोन क्र. २	झोन क्र. ३	
१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.	८.
१.	वडसा वन विभाग	आरक्षित वन	१८,४०१.६१	३,७६५.७४	७,३४०.२९	७,२९५.५८	
		संरक्षित वन	१३,२२३.९६	३,०१८.१८	४,८१३.९८	५,३९१.८०	
		कुल	३१,६२५.५७	६,७८३.९२	१२,१५४.२७	१२,६८७.३८	३१,६२५.५७
२.	गडचिरोली वन विभाग	आरक्षित वन	११,७२०.७७	--	--	११,७२०.७७	
		संरक्षित वन	१८,७४३.१९	--	--	१८,७४३.१९	
		कुल..	३०,४६३.९६	--	--	३०,४६३.९६	३०,४६३.९६
३.	१ + २	कुल...	६२,०८९.५३	६,७८३.९२	१२,१५४.२७	४३,१५१.३४	६२,०८९.५३

जानकारी आधार - वन संरक्षक, उत्तर चांदा वनवृत्त कार्यालय, चंद्रपुर.

तालीका क्र. ब - १२

मुख्य और गौण वन उपज ८७-८८ एवं ८८-८९

गडचिरोली जिला

अनु. क्र.	वन उपज	८७-८८		८८-८९	
		उत्पादन हजार घ.मि.	मुल्य हजार रु.	उत्पादन हजार घ.मि.	मुल्य हजार रु.
१.	२.	३.	४.	५.	६.
१]	टिम्बर	१२९	२,२०,६६२	५२	१,४१,८४७
२]	जलाऊ	२७८	३३,९८५	१८९	३१,११७
३]	चंदन	--	--	--	--
	[गौण वन उपज]				
	अ] बांस		१४,६६३		६,९२९
	ब] घांस		२०४		१७२
	क] बिडी पत्ता		२८,६३८		५४,६८६
	ड] गोंद		८२९		१,९०३
	इ] अन्य		५		५५
	[१] आपटा पत्रे		--		--
	[२] महुआ के फुल		२,९१७		२,५४७
	[३] खदान और खनिज		८		१२३
	[४] हिरडा		६९		१७०
	[५] आम		--		--
	[६] अन्य		१६		--
	फ] कुल गौण वन उपज		४७,३४९		६६,५८५
४.	कुल मुल्य		३,०१,९९६		२,३९,५४९

जानकारी आधार - गडचिरोली जिला सामाजिक और आर्थिक समालोचन
१९८७-८८ तथा १९८८-८९

तालीका क्र. ब - १३

१९८२ की पशुगणना अनुसार गडचिरोली जिले में पशु और मुर्गियो की संख्या

अनु. क्र.	जिला/तहसिल	कुल भैस तथा भैसें	कुल गोवंशिय	कुल भेडे	बकरियाँ	घोडे	अन्य पशुधन	कुल पशुधन	कुल मुर्गियाँ
१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.	८.	९.	१०.
	गडचिरोली जिला	५८,४९६	५,६२,११६	११,३११	१,५५,०४९	३६	४४,७१९	७,७३,२३४	५,३८,६६१
१.	गडचिरोली तहसिल	४,६३४	४४,९९७	१,०७६	११,७८९	८	१,४७१	५९,३४१	६९,२९२
२.	धानोरा तहसिल	७,४२९	६८,२४८	१	१९,०३५	२	८,५८४	९६,५७०	४५,७६३
३.	आरमोरी तहसिल	५,९७५	७२,५२३	९३८	१९,८१९	२	२,८४९	९६,१३१	९३,४४८
४.	कुरखेडा तहसिल	७,२७४	६४,८६२	१२	१५,७७८	१०	७,४७७	८८,१३९	७५,३६६
५.	चामोर्शी तहसिल	११,०१४	१,०६,७९२	४,७७७	२६,०३८	१४	४,०९०	१,४१,७११	१,०८,४५०
६.	सिरोंचा तहसिल	३,८९६	३६,६५०	३,२३९	११,२३९	-	१,६७१	५२,७९९	३२,०२२
७.	अहेरी	६,३६२	८०,७९४	१,२३९	२२,८९८	-	४,४१६	१,०९,३७७	५७,९१०
८.	एटापल्ली	११,९१२	८६,५५०	२	२८,४५३	-	१४,९६१	१,२९,१६६	५६,४१०

जानकारी आधार - पशुगणना १९८२

तालीका क्र. ब - १४

जिल्हा नियोजन और विकास परिषद गडचिरोली : वार्षिक योजना १९८९-९०

गैरजनजाती और आदिवासी उपयोजना शिर्षवार जानकारी : मार्च ९० आखीरमें

[आँकडे - लाख रुपये]

अनु. क्र.	शिर्ष का नाम	मंजुर प्रावधान			प्रत्यक्ष में प्राप्त प्रावधान			कुल खर्च			कुल खर्च का प्रतिशत
		गै. ज. यो.	आ. उ. यो.	कुल	गै. ज. यो.	आ. उ. यो.	कुल	गै. ज. यो.	आ. उ. यो	कुल	%
१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.	८.	९.	१०.	११.	१२.
१.	कृषी और संलग्न सेवा	२८.०१	१०५.५०	१३३.५१	३२.१४	१२३.९८	१५६.१२	३१.५७	१२३.९०	१५५.४७	११.८७
२.	ग्रामीण विकास	६९.७४	११२.७३	१८२.४७	२३०.२४	३५६.६५	५८६.८९	२३०.२४	३५६.६५	५८६.८९	४४.८९
३.	सिंचाई और बाढनियंत्रण	१३.७५	१०.४०	२४.१५	१४.४०	१०.५२	२४.९२	१९.१४	१०.६३	२९.७७	२.२७
४.	विद्युत विकास	१.२५	३.००	४.२५	१.२५	३.००	४.२५	१.२५	३.००	४.२५	०.३२
५.	उद्योग और खदाने	६.५६	१३.४२	१९.९८	१०.२६	६.२०	१६.४६	१०.३८	६.२३	१६.६१	१.२६
६.	ट्रान्सपोर्ट और संचार	४.५५	११.२३	१५.७८	२.३४	२०१.३३	२०३.६७	२.२०	२१०.३२	२१२.५२	१६.२२
७.	पर्यटन, सामान्य आर्थिक सेवा.	१.००	१.००	२.००	—	—	—	—	—	—	—
८.	सामाजिक व सामुहिक सेवा	७७.८६	१९८.१९	२७६.०५	९८.८२	२०३.९६	३०२.७८	९८.८७	२०५.३३	३०४.२०	२३.२२
	कुल :-	२०२.७२	४५५.४७	६५८.१९	३८९.४५	९०५.६४	१२९५.०९	३९३.६५	९१६.०६	१३०९.७१	१००.००

गै. ज. यो = गैर जनजाती योजना आ. उ. यो. = आदिवासी उप योजना

जानकारी आधार - नियोजन विभाग, जिलाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली.

<u>तालीका क्र. ब - १५</u>

जि. नि. आ. वि. प. गडचिरोली // **शिर्ष - २ : ग्रामीण विकास की विस्तृत जानकारी : मार्च ९० अंत में** [आँकडे - लाख रुपये]

अनु. क्र.	कार्यक्रम/योजना	मंजुर प्रावधान			प्रत्यक्ष मे प्राप्त प्रावधान			कुल खर्च			कुल खर्च का प्रतिशत
		गै. ज. यो.	आ. उ. यो	कुल	गै. ज. यो.	आ. उ. यो	कुल	गैर. ज. यो	आ. उ. यो	कुल	
१.	२.	३.	४.	५.	६.	७.	८.	९.	१०.	११.	१२.
	एकात्मिक ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम.										
१.	एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम.	१८.९०	३४.००	५२.९०	१८.९०	३४.००	५२.९०	१८.९०	३४.००	५२.९०	९.०१ %
२.	जवाहर रोजगार योजना	२५.४९	२८.५४	५४.०३	२५.४९	२८.५४	५४.०३	२५.४९	२८.५४	५४.०३	९.२० %
३.	रोजगार हमी योजना	२५.००	५०.००	७५.००	१८५.४५	२९३.८४	४७९.२९	१८५.४५	२९३.८४	४७९.२९	८१.६६ %
४.	जमिन सुधारणा	०.३५	०.१९	०.५४	०.४०	०.२७	०.६७	०.४०	०.२७	०.६७	०.११ %
	कुल	६१.७४	११२.७३	१८२.४७	२३०.२४	३४६.६४	५८६.८९	२३०.२४	३४६.६४	५८६.८९	१००.०० %

गै. ज. यो. = गैर जनजाती योजना आ. उ. यो. = आदिवासी उप योजना

जानकारी आधार - नियोजन विभाग, जिलाधिकारी, कार्यालय, गडचिरोली

१.७ रोजगार गारंटी नहीं अकाल राहत योजना-

ग्रामिण क्षेत्र में आम तौर से मजदूर, रोगायो का उल्लेख " दुष्काळी काम" ऐसा ही करते है। इन मराठी शब्दोंका अर्थ होता है "अकाल राहत काम" मजदुरों ने उनके अनुभव के आधार पर बिलकुल सही मुल्यांकन किया है इस योजना का। जिसकी पुष्टी उपर वर्णित सारी जानकारी से भी होती है। रोगायो पर अंमल की यह स्थिती केवल गडचिरोली जिले में ही है ऐसा नहीं। समुचे राज्य में "काम के अधिकार" के संदर्भ में रोगायो के अंमल की स्थिती एक जैसी ही है। महाराष्ट्र राज्यमंत्रालयमें मैने बहुत कोशिश की पता लगाने की के - १९७९ से आज तक महाराष्ट्र में कितने मजदुरोंने बेरोजगार भत्ते की मांग की ? उनमें से कितनों को [illegible] कालावधी के लिए बेरोजगार भत्ता दिया गया? रोगायो के संबंध में बाकी सारी जानकारी मंत्रालय में इकठ्ठा की जाती है लेकीन इस बारेमें कोई जानकारी ही नहीं मांगी जाती। सो बेरोजगार भत्ते के बारे में सकारात्मक या नकारात्मक कोई अधिकृत जानकारी नहीं मिली। सिर्फ एक ही अधिकृत जवाब मिला की "इस संबंध हमारे पास कोई जानकारी नही है "। रोगायो से संबंधीतकोई भी सरकारी रपट देखीए उसमें ऐसा ही आभास पैदा करने की कोशिश दिखाई देती है की - किसी भी मजदूर ने बेरोजगार भत्ता नहीं मांगा और आज तक कभी वह देना भी नहीं पडा मतलब महाराष्ट्र एक ऐसा पुरोगामी, प्रगतीशिल राज्य है जहाँ हर मांगने वाले को "रोजगार गारंटी कानून" के तहत १५ दिन के अंदर काम दे दिया जाता है सो बेरोजगार भत्ता देने का प्रश्नही उपस्थित नही होता।

गैर सरकारी सुत्रों से जो जानकारी मिली उस अनुसार १९७९ से आज तक महाराष्ट्र में सिर्फ तीन बार बेरोजगार भत्ता दिया गया है। अ) १९७९ में चिमुर जिला चंद्रपूर में रो.गा. कानून नया ही बना था और चिमुर के एक कार्यकर्ता "महाराष्ट्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद" के सदस्य थे। सो उन कार्यकर्ता के नेतृत्व में मजदुरों ने मांग करते ही हडबडी में दे दिया गया। बाद में समिती अधिकारी (बी.डी.ओ.)पर डिपार्टमेंटल इन्कवायरी की कार्यवाही कर उन्हे दंडीत किया गया। तब से समुचे महाराष्ट्र राज्य प्रशासक ने अलिखित निर्धार कर लिया की चाहे जो हो जब तक हाइकोर्ट से आदेश नही आता बेरोजगार भत्ता नहीं देना है।